खण्ड–476, अंक–2
सोमवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1933
(08 अगस्त, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 476 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी)	7
प्रश्नोत्तर (जारी)	7
नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7-9
प्रश्नोत्तर	9-116
विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, कृष्ण मगन सिंह, मन्नू लाल कुरील, बरमेश्वर पाण्डेय, चेतराम वर्मा, नैन सिंह, सुरेन्द्र सिंह चौहान, खरपत राम, गिरजा शंकर तिवारी, श्रीमती सुशीला रोहतगी, श्री भूप सिंह केन, श्री तुला राम रावत, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राम चन्द्र विकल, श्री राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री राम अधार राय, श्री तेज सिंह, श्री रेवती शरण मौर्य के निधन पर शोकोद्गार	116-122
अरुणांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दोरजी खांडू के निधन पर शोकोद्गार ...	122
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	123-125
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में स्थापित 33/11 के0वी0ए0 के दो बिजली घरों में डलमऊ से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125
जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने तथा ट्रांसफार्मरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को डाक्टर द्वारा जंगल में फेंकवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद फैजाबाद एवं अयोध्या नगर के पन्द्रह किलोमीटर की परिधि को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
वाराणसी नगर निगम द्वारा गलत तरीके से लगाये गये गृह कर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	127-128
जनपद मेरठ के नगर निगम सीमा की बढ़ोत्तरी के उपरान्त लिये गये ग्राम रसैना में जल भराव से मुक्ति तथा प्राथमिक विद्यालय सहित गांव का विकास किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किसानों के लिये सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण फसल उत्पादन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
पी0सी0डी0एफ0 बुलन्दशहर की 40 दुग्ध इकाइयां बन्द होने के कगार पर होने के कारण पी0सी0डी0एफ0 को सशक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर क्षेत्र के कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर आजमगढ़ में स्थापित यूनानी चिकित्सा अस्पताल की दशा खराब हो जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130-131
जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरुसहाय नगर की मुख्य सड़क पर कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ जनपद कन्नौज में सड़कों का निर्माण कार्य अधूरे एवं मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड मऊरानीपुर जनपद झांसी द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
लखनऊ नगर निगम द्वारा जर्जर मकान को न गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	132
जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में दलित अध्यापकों को पेंशन तथा बकाया वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133
फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने से हुई उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
जनपद सीतापुर तहसील बिसवां के अन्तर्गत ब्रम्हनावा (रेउसा) विद्युत उपकेन्द्र पूर्णतः ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	134
जनपद पीलीभीत के शहर पीलीभीत में रोजाना अघोषित विद्युत कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134-135
जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की टूटी हुई सड़कों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सरजू नहर पर हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135-136
छत्रपति शाहूजी महराज नगर के जिलाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद बांदा के विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकरण के नाम पर विभाग द्वारा रसीदें काटने के उपरान्त भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	136-137
प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर बैजारामपुर पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद वाराणसी में स्थायी हज हाउस न होने से दूर-दूर से यात्रा हेतु आने वाले हज यात्रियों की असुविधा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	137-138
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाखों लोगों के शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	138-139
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक पट्टी मंगरौरा, आसपुर, देवसरा, बेलखरनाथ धाम में कम वोल्टेज विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के काश्तकारों के हित में सल्लिया नहर पर (सिमिरिया बाबा) एक साइफन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
जनपद बदायूं विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना एवं विकास खण्ड जानसठ के कतिपय मार्गों को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	141-142
जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड ऐराया में बढ़ रहे झोला छाप चिकित्सकों द्वारा गलत दवाओं के रिएक्शन से जनता को हो रही गम्भीर परेशानियों के कारण इन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर में नारायणी नदी में खेती के कार्य से जा रहे लोगों की नाव पलटने से हुई मृत्यु के कारण परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142-143
जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर हाई-वे के पास आधुनिक उपकरणों वाला ट्रामा सेन्टर स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	143
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	143
प्रदेश सरकार के एक मंत्री के विरुद्ध हत्या जैसा गम्भीर मामला पंजीकृत होने पर सदन में बैठने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	143-148
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 में प्राविधान होने के बावजूद विधान सभा के उपवेशनों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	148-153
दिनांक 5 अगस्त, 2011 को सदन में कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	153-156
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक में किये गये खतरनाक प्राविधानों से विधान मण्डल की शक्तियों के हनन के साथ संवैधानिक व्यवस्था पर प्रहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	156-158
लखनऊ शहर में पेयजल संकट से निजात दिलाने हेतु मोहल्ला भवानीगंज, मेंहदीगंज, हैदरगंज व टिकैतगंज वार्डों की जलापूर्ति हेतु जोन पम्पिंग स्टेशन अब तक चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	158-159
श्रीमती राजमती निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पति श्री जमुना प्रसाद निषाद की हत्या की सी0बी0आई0 जांच तथा अपनी तथा अपने बेटे की सुरक्षा की मांग	159-160
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	160-161
श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की मांग	161-164
सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सदस्यों में सुरक्षा के सम्बन्ध में भेदभाव किये जाने पर आपत्ति	164-166
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल) (सदन के पटल पर रखा गया)	166
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया)	166

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन..... (सदन के पटल पर रखे गये)	166
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव एवं गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र) नियमावली, 2009..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	167
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2653/30-4-10-4(2)-2010, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	167
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1572/30-4-10-167--91 टी0सी0, दिनांक 5 अगस्त, 2010 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	167
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-9-2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	167
पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1407/33-2-2011-72जी/2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	167
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-4-2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	168
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2841/14-2-2010-67(एल)/2010, दिनांक 04 अगस्त, 2010 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	168
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4180/14-2-2010-67(एल)/2010, दिनांक 13 सितम्बर, 2010 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	168
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 1999 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	168
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	168
राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-08 की द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	169
राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-08 की द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) में की गई संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	169
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	169
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का नवां प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	169

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	170
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	170
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बारहवां प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	170
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	170
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	170
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	171
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का षष्ट प्रतिवेदन..... (प्रस्तुत किया गया)	171
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	171
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	171-174
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों का नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	174-175
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों का नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	175
श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों का नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	176
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 ..... (पुरःस्थापित)	176-177

विषय	पृष्ठ-संख्या
'द ग्लोबल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 ..... (पुरःस्थापित) ...	177
श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) ...	177
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) ...	178
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) ...	178
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) ...	178-179
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	179-234
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011..... (पारित) ...	234-236
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	236
डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा श्री वी0 के0 दुबे, नगर आयुक्त, गोरखपुर तथा गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	236-238
श्री इमरान मसूद, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री दत्त किशोर तिवारी, थानाध्यक्ष, मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	239
श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद गोण्डा के डुमरियाडीह चौकी इंचार्ज श्री संजीव कुमार चौधरी व अन्य तीन सिपाहियों के विरुद्ध दिनांक 31 अगस्त, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	240-241
श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर के विरुद्ध दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	241-242
श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ताराचन्द, टिकट निरीक्षक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मण्डल के विरुद्ध दिनांक 10 मई, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	242-244
उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश से अलग करके एवं पृथक राज्य का गठन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को श्री विनोद चतुर्वेदी एवं श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	244

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	244-245
उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सन्त कबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा सन्त रविदास नगर को सम्मिलित करते हुए पूर्वांचल प्रदेश का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	245
प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	245-246
प्रदेश में घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिए भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौ0 सतपाल सिंह आदि दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	246
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	246-248
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ पीड़ितों को सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	248-249
उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत पान की खेती करने वाले कृषकों की फसल नष्ट होने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	250
नत्थियां	251-278

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 08 अगस्त, 2011

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-357

1. अंगद यादव, श्री आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर रायबरेली
8. अजय यादव, श्री एटा
9. अजय सिंह, श्री जालौन
10. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री फर्रुखाबाद
11. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार अहिरवार, श्री महोबा
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
14. अनिल कुमार मौर्य, श्री मिर्जापुर
15. अनिल चौधरी, डा0 हाथरस (महामायानगर)
16. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
19. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
20. अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
21. अब्दुल समद अंसारी, हाजी वाराणसी
22. अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री फैजाबाद
23. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री बाराबंकी
24. अमित गौरव, श्री एटा
25. अमीता सिंह, श्रीमती सुल्तानपुर
26. अमेरिका प्रधान, श्री गाजीपुर
27. अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
28. अम्बिका सिंह, श्री गोरखपुर
29. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
30. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
31. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
32. अरशद खान, श्री पीलीभीत
33. अरुण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
34. अलाउद्दीन, श्री बलरामपुर
35. अलीम हाजी, श्री बुलन्दशहर
36. अवध पाल सिंह यादव, श्री एटा
37. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
38. अवधेश वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
39. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री महराजगंज
40. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
41. अशोक कंसल, श्री मुजफ्फरनगर
42. अशोक कुमार सिंह, श्री रायबरेली
43. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
44. अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
45. आदित्य पाण्डेय, श्री फतेहपुर
46. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
47. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री लखीमपुर खीरी
48. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
49. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
50. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा

51. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
52. आसिफ, श्री हरदोई
53. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
56. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
57. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
58. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
59. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
60. उदयराज, श्री उन्नाव
61. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
62. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
63. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
64. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
65. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
66. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
67. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
68. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
69. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
70. काशीराम, श्री रामपुर
71. कुवेर सिंह, श्री एटा
72. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
75. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
76. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
77. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
78. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
79. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
80. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
81. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
82. कैलाश साहू, श्री झांसी
83. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
84. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
85. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
86. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
87. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
88. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
89. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
90. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
91. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
92. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
93. घूराराम, श्री बलिया
94. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
95. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
96. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
97. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
98. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
99. छोटे सिंह, श्री जालौन
100. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
101. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
102. जगपाल, श्री सहारनपुर
103. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
104. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
105. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
106. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
107. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
108. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
109. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
110. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
111. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
112. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
113. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर

114. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
115. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
116. दयाराम, श्री कौशाम्बी
117. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
118. दाउद अहमद, श्री हरदोई
119. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
120. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
121. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
122. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
123. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
124. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
125. दूधराम, श्री बस्ती
126. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
127. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
128. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
129. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
130. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
131. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
132. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
133. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
134. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
135. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
136. नारायण सिंह, श्री आगरा
137. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
138. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
139. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
140. पशुपति, श्री गाजीपुर
141. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
142. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
143. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. प्रजापालन, श्री एटा
145. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
146. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
147. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
148. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
149. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
150. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
151. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
152. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
153. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
154. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
155. फागू चौहान, श्री मऊ
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
157. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
158. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
159. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
160. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
161. बिरजू राम, श्री जौनपुर
162. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
163. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
164. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
165. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
166. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
167. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
168. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
169. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
170. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
171. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
172. मंजू, श्रीमती बलिया
173. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
174. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
175. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
176. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
177. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर

178. ममतेश शाक्य, श्री एटा
179. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
180. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
181. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
183. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
184. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
185. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
186. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
187. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
188. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
189. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
190. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
191. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
192. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
193. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
194. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
195. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
196. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
197. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
198. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
199. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
200. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
201. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
202. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
203. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
204. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
205. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
206. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
207. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
208. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
209. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
210. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
211. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
212. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
213. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
214. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
215. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
216. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
217. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
218. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
220. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
221. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
222. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
223. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
224. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
225. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
226. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
227. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
228. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
229. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
230. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
231. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
232. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
233. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
234. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
235. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
236. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
237. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
238. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
239. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर

240. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
241. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
242. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
243. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
244. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
245. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
246. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
247. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
248. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
249. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
250. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
251. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
252. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
253. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
254. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
255. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
256. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
257. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
258. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
259. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
260. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
261. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
262. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
263. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
264. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
265. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
266. लखीराम नागर, श्री मेरठ
267. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
268. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
269. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
270. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
271. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
272. वारिस अली, श्री बहराइच
273. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
274. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
275. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
276. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
277. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
278. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
279. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
280. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
281. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
282. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
283. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
284. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
285. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
286. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
287. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
288. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
289. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
290. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
291. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
292. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
293. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
294. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
295. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
296. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
297. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
298. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
299. शिवशंकर, श्री बलिया
300. शीशराम, श्री बिजनौर
301. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
302. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
303. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर

304. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
305. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
306. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
307. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
308. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
309. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
310. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
311. संजय कपूर, श्री रामपुर
312. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
313. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'' श्री कानपुर नगर
314. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
315. संध्या, कुमारी मैनपुरी
316. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
317. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
318. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
319. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
320. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
321. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
322. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
323. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
324. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
325. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
326. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
327. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
328. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
329. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
330. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
331. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
332. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
333. सुखलाल, श्री पीलीभीत
334. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
335. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
336. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
337. सुभाष, श्री बलिया
338. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
339. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
340. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
341. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
342. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
343. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
344. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
345. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
346. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
347. सुल्तान बेग, श्री बरेली
348. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
349. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
350. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
351. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
352. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
353. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
354. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
355. हसरत उल्ला, श्री एटा
356. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
357. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, सुनेंगे।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, उस पर मैं सुनूंगा। अवधेश जी, आपका भी लिया हूं उस पर मैं सुनूंगा। अवधेश जी आपकी नोटिस लिया हूं उस पर सुन लिया जायेगा।

(राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य हाथ में ''कृषि मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो'' 'पशुधन मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो' आदि नारे लिखे कागज के पोस्टर दिखाकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित धनराशि के अतिरिक्त क्या राज्य सरकार भी समतुल्य राशि का योगदान कर न्यूनतम 400 रुपया प्रतिमाह देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(नत्थी 'क' तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने और माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर घोर व्यवधान)

नियम-311 के अन्तर्गत दी गई विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। कौकब साहब क्या कहना चाहते हैं ?

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, काले तेल का बाकायदा व्यापार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये आपने नोटिस दी है सुनने के लिए। मैंने कहा है सुना जायेगा। जब मैं सूचना सुनूंगा तब आप पूरी बात कहियेगा।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

गम्भीर है तभी तो मैंने कहा है कि सुना जायेगा। पूरन प्रकाश जी, बैठ जाइये, डा0 साहब बैठ जाइये मैंने कह दिया है यह दिखाने से नहीं आपके कहने से काम चलेगा हम सुनेंगे। अगर इसी से नोटिस की गम्भीरता बन जाये तो आप बना लीजिए।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अनिल चौधरी सहित राष्ट्रीय लोकदल के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

जब मैं सुनने के लिए तैयार हूं तब क्यों आप इतना सब कर रहे हैं। प्रश्नकाल हो रहा है और सभी दल के नेता तैयार हैं तब इससे क्या नतीजा निकलेगा कौकब साहब। आपकी बात मैं सुन लूंगा। यही बात आप वहां से कहिये, आप सुनाना चाहते हैं तो चलिये बैठिये हम सुनेंगे।

डा0 अनिल चौधरी-

(वेल से) मान्यवर, यह गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

गम्भीर है तो इसे आप वहां से कहिये, माननीय चौधरी साहब आप वहां से कहिये। मैं सुनने को तैयार हूं। आप सुनाना चाहते हैं कि नहीं सुनाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं तो मैं सुनूंगा आप बैठ लीजिए।

(सदन की वेल में आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालाय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, यह सुनाना नहीं चाहते, सुनाना चाहते तो नोटिस देते, नोटिस इस विषय पर दिया ही नहीं यह सुनाना नहीं चाहते।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने नोटिस दी है जब आप आदेश करेंगे तब हम अपनी बात रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि सदन चले क्वैश्चन आवर भी चले लेकिन इस पर नोटिस माननीय अम्बिका चौधरी जी का भी है, लोकदल का भी है, प्रमोद तिवारी जी का नोटिस है, अवधेश प्रसाद जी का बहुत ही गम्भीर नोटिस है। मान्यवर, इन सबको ले लें और उसके बाद और भी मामले हैं, एन0आर0एच0एम0 का मामला है यह सब मामले हैं तो यह सदन चले और सब मामले यहां पर आये और सब मामलों पर चर्चा हो। यही हम आपसे निवेदन करेंगे कि यह सब मामले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने सभी विषयों पर गम्भीरता देते हुए सुना था, माननीय अवधेश जी का भी सुना, एन0आर0एच0एम0 में सभी दल के लोगों ने जो निर्णय लिया था, उसको मैंने स्वीकार किया और सदन में भी कहा था कि मैं उस पर सुनूंगा। आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि हमारे विपक्ष में जो भी समस्यायें उठाना चाहता है, मैं उनको सुनूं और सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिले, उनकी आप बात सुनें, मैं इस माहौल को चाहता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस विषय पर।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-**

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल उन लोगों से सम्बन्धित है जो समाज और अपने परिवार के द्वारा ठुकराये हुए लोग हैं और जिनके समक्ष कोई काम करने की क्षमता नहीं है, कोई धन अर्जन करने की क्षमता नहीं है। यह जो योजना बहुत पहले से चली आ रही है, उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है 300 रुपया प्रतिमाह, उसी पर किसी प्रकार वह अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। मेरा सवाल यह है कि इसमें राज्य सरकार का योगदान 100 रुपये का है और केन्द्र सरकार का योगदान 200 रुपया का है और कुल मिलाकर 300 रुपया ऐसे परिवारों को ऐसे लोगों को मिलता है तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी, जो एक संवेदनशील मंत्री हैं, ऐसा मैं मानता हूं, उनका संवेदनशील हृदय भी है। मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर 100 रुपये वर्तमान सरकार बढ़ा दे अपने अंशदान से तो 400 रुपया हो जाये तो कुछ आंसू पोंछने के लिये इन असहाय, दीनहीन लोगों को कुछ सहारा मिल जाये तो क्या माननीय मंत्री जी अपना राज्य सरकार का अंशदान 200 रुपया करके और टोटल 400 रुपया देने पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्यामदेव राय चौधरी साहब को माननीया मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जब से यह सरकार आई है पहले बुजुर्गों को पेंशन 150 रुपये महीना मिलती थी। लेकिन जब सुश्री बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पेंशन की राशि बढ़ाकर 150 से 300 रुपये की गयी। इससे पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में 20 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में पेंशन मिला करती थी, जबकि आज वर्तमान में बढ़कर 38 लाख लोगों को मिल रही है। हमारी सरकार गरीबों के लिये वचनबद्ध है, उनके लिये चिन्तित है। इसीलिये माननीया मुख्य मंत्री

जी ने जब देखा कि बी0पी0एल0 के आधार पर 38 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है और बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वे कराकर माननीया मुख्य मंत्री जी ने 2010 में तमाम गरीबों को चिन्हित करके यह घोषणा किया, जो आज की तारीख में लागू भी हो गयी है, उन्होंने कहा कि हम 30 लाख लोगों को 400 रुपये महीने के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का लाभ देंगे। तो सदन को तो धन्यवाद देना चाहिए। जहां तक दादाजी ने कहा कि 200 रुपया पेंशन केन्द्र सरकार देती है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जो 200 रुपये देती है, वह 65 साल से ऊपर वालों को 200 रुपये देती है, उसमें भी राज्य सरकार 100 रुपये मिलाती है और 60 से 64 वर्ष के बीच के जो पेंशनर हैं, उनको अपने संसाधनों से 300 रुपया महीना राज्य सरकार देती है तो गरीबों के लिये तो यह सरकार चिन्तित है और गरीबों के लिये कभी भी कोई कोताही नहीं है मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने योजना का विस्तृत प्रारूप बताया और उसमें सदन को यह सूचित किया कि राज्य सरकार ने कितनी गम्भीरता से लेकर इसमें अपनी ओर से कितनी राशि प्राविधानित किया है। इसका पूरा आंकड़ा उन्होंने देने का काम किया। श्रीमन्, मैं उनके संज्ञान में यह तथ्य लाते हुए अपना प्रश्न रखूंगा कि आप द्वारा जो राशि भेजी जा रही है और जो उसके वास्तविक लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों तक यह राशि पहुंचे। अगर उन तक नहीं पहुंचती है तो इस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं अपने बलिया जनपद का उल्लेख करना चाहता हूं वहां जितने लाभार्थी थे उनमें से 5 हजार से ज्यादा लोग, करीब 55-56 सौ लोग हैं, वास्तविक संख्या मैं नहीं दे पा रहा हूं लेकिन मान्यवर, साढ़े पांच हजार से अधिक लोग हैं, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई और जांच के नाम पर पिछले चार साल से अधिक समय से उनकी पेंशन बन्द है। चार बार जांच हो चुकी है और चारों बार की जांच में उनकी बात सही पायी गयी है। जिले के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात की गई।

श्री अध्यक्ष-

कृपया थोड़ा जल्दी अनुपूरक कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, धन्यवाद, अभी समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, जिले के अधिकारियों, सी0डी0ओ0, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी ने स्वीकार किया कि यह पात्र लोग थे इनको पेंशन मिलनी चाहिए थी यह बात जायज है लेकिन हमारे पास जो पेंशन की राशि लखनऊ से आ रही है वह इतनी है कि जिसमें हम बाकी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं इसी कारण से इसको लटकाया जा रहा है। मान्यवर, क्या गम्भीरता से संज्ञान ले करके प्रत्येक स्तर की जांच में जो सही पाये गये और वास्तविक रूप से पात्र व्यक्ति हैं क्या उनको पेंशन दिलाना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, हमने अपने विभाग की समीक्षा कल ही की है और पूरे उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। मान्यवर, बी0पी0एल0 सूची के आधार पर यह पेंशन लगती है

और जितने भी बी0पी0एल0 सूची धारक हैं और पात्र हैं उनके प्रार्थना-पत्र अगर ग्राम सभा से स्वीकृत होकर बी0डी0ओ0, सी0डी0ओ0 के माध्यम से विभाग तक आ गये हैं तो हमने यह कहा है कि अगले महीने तक जब समीक्षा बैठक हो तो उस समय तक इस प्रकार के कोई भी प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं रहने चाहिए अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। हम मा0 चौधरी साहब को आश्वासन देते हैं कि हम अपने विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और यदि बी0पी0एल0 सूची वाले पात्र लोगों के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं तो उन्हें तुरन्त हम स्वीकृत करके आपको सूचना देंगे और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर स्पष्ट आ गया है अब इसमें कौन सा अनुपूरक बचा है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी एक छोटी सी समस्या है जो मा0 मंत्री जी के उत्तर से जुड़ी है इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हमारे जिले में जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन है वह बहुत सी महिलाओं को दो-चार महीने तो मिली लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। उसके बाद से आज तक उन्हें पेंशन नहीं मिल पायी है और समाज कल्याण अधिकारी बार-बार कहने के बाद भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई अनुपूरक नहीं बन रहा है, मा0 सदस्य श्यामदेव राय चौधरी जी ने जो मूल प्रश्न किया है उसका उत्तर आ चुका है। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि एक महीने में वह लम्बित प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और जो पात्र लोगों की पेंशन रुकी है उसे संचालित करा देंगे।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई अनुपूरक नहीं बनता है। मा0 चौधरी साहब आप बतायें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने कहा है कि यह संभव नहीं है क्योंकि वित्तीय संसाधनों की कमी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पूर्व से चली आ रही वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसका मैंने उल्लेख करते हुए उनकी धनराशि में बढ़ोत्तरी की मांग की है, 100 रुपये का योगदान देने की मांग की है। यह योगदान जो 100 रुपये सरकार कर रही है उसे अगर 200 रुपये कर देती है तो कुल कितनी राशि का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जो 38 लाख की संख्या मा0 मंत्री जी ने बताया है ?

श्री अध्यक्ष-

इसकी सूचना कहां से कलेक्ट करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, 400 करोड़ रुपये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं, अनुपूरक और उसका उत्तर आ गया है, मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ 400 करोड़ रुपये का ही बोझ पड़ने वाला है। यह लोक कल्याणकारी सरकार है और उन्होंने जो कुछ किया है महामाया गरीब योजना में अपने स्तर से पूरी राशि दे करके 400 रुपया प्रतिमाह दे रहे हैं। 400 करोड़ रुपये का और अतिरिक्त बोझ सहने में क्या सरकार सक्षम नहीं है ? मैं आपके माध्यम से पुनः उन गरीबों और असहायों की तरफ से अनुरोध करूंगा कि एक बार पुनर्विचार कर लें, जहां चाह, वहां राह है, सरकार अगर चाह लेगी तो 400 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, बिना मांगें माननीया मुख्य मंत्री जी ने 1080 करोड़ रुपया देने का काम किया है।

प्रदेश को बाढ़ एवं सूखे से बचाने हेतु नदियों को जोड़ने की कार्य योजना बनाने की मांग

**2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सूखा एवं बाढ़ से प्रदेश को बचाने के लिए उ0 प्र0 की सभी नदियों को जोड़ने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नदियों को जोड़ने की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा यह प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में प्रायः सूखा और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। सरकार अगर सभी नदियों को जोड़ने का कार्य कर दे तो ऐसी स्थिति नहीं आयेगी। एन0डी0ए0 सरकार जब केन्द्र में थी तो उस समय केन्द्र सरकार ने नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया था लेकिन सरकार परिवर्तन के साथ वह कार्य बन्द हो गया।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न कर रहा हूं आखिर में जो लिखा हुआ है यदि नहीं तो क्यों ? उत्तर आया है कि नदियों को जोड़ने की कार्य योजना पर भारत सरकार द्वारा जोड़ने पर विचार किया जा

रहा है। मा0 मंत्री जी मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि कृपया सदन को यह अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पत्र व्यवहार केन्द्र सरकार से किया है, जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार को यह जानकारी मिली है कि केन्द्र सरकार नदियों को जोड़ने के कार्य पर कोई कार्य योजना बना रही है, यह जानकारी इनको कैसे प्राप्त हुई ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, केन वेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा परियोजना के पुनरीक्षित डी0पी0आर0 अप्रैल, 2010 में पूर्ण कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को मई, 2010 में प्रस्तुत की गयी। तो मान्यवर, इस परियोजना पर उत्तर प्रदेश राज्य का अभिमत और आख्या फरवरी, 2011 में प्रेषित की जा चुकी है। जो यह परियोजना आयी थी इससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि इसकी योजना केन्द्र सरकार की है।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में हर साल बाढ़ की समस्या को झेलनी पड़ती है। नदियों को जोड़ने के बारे में अभी सवाल आया है। क्या नदियों का जो पेटा भरता चला जा रहा है, नदियां जो छिछली होती चली जा रही हैं उसकी कोई दीर्घकालिक योजना, जिससे उसका पेटा गहरा किया जा सके और बाढ़ से स्थायी निजात पायी जा सके, इसकी कोई स्थायी कार्य योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से हट करके है। राय साहब इसके लिए अलग से प्रश्न करिये।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, बाढ़ से सम्बन्धित प्रश्न है। मेरा इतना ही कहना है कि प्रदेश का अधिकांश भाग बाढ़ से ग्रसित है तो उस स्थिति में उसके स्थायी समाधान की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या कोई कार्य योजना है या नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने कहा कि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह सरकार नहरों की सफाई नहीं करा पा रही है तो नदियों को जोड़ने की बात तो बहुत दूर की है।

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, इसमें कौन अनुपूरक बन रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

अनुपूरक बन रहा है तब ही तो पूछ रहा हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार कोई योजना बना रही है या बनाने का विचार कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार भी विषय की विभीषिका को देखते हुए क्या अपने स्तर से कोई योजना बनाने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया कि जी नहीं ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर टैक्स समाप्त करने की मांग

*1-श्री सतीश महाना, श्री जोखू लाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि होने से सभी आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक मंहगी हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को राहत देने हेतु उक्त पदार्थों पर लगे राज्य स्तर के कर (ट्रेड टैक्स, वैट एवं सरचार्ज) को समाप्त करने या करों की दरों में कमी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि भारत सरकार/आयल कम्पनियों द्वारा इनके बेसिक मूल्यों में की गयी वृद्धि के कारण है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29-01-2009 के पश्चात इन वस्तुओं पर कर की दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल पर सरचार्ज व अतिरिक्त कर नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को राहत देने के लिये व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में वैट व्यवस्था में डीजल पर कर की दर में कमी की गयी है।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया। पूरे प्रदेश की जनता मंहगाई के कारण त्राहि-त्राहि कर रही है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है उसके साथ बहुत सारा नत्थी के अन्तर्गत लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं जो पहला प्रश्न मैंने किया था, प्रश्न के पहले पार्ट में इन्होंने उसके उत्तर में लिखा कि भारत सरकार के द्वारा इनके बेसिक मूल्यों में की गई वृद्धि के कारण है तो यह मैंने पूछा ही नहीं कि किसके द्वारा की गई शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पहले से मालूम था कि यह भारत सरकार द्वारा की गई और यह मैंने पूछा भी नहीं था मैंने यह पूछा था कि जितनी उन्होंने वृद्धि की है तो उसमें आपके जो स्टेट के पार्ट का टैक्स है वह मैंने लिखा था कि सभी कर जिसमें ट्रेड टैक्स, वैट एवं सरचार्ज सभी था उसमें अपने पार्ट में जो वृद्धि की गई है उसमें कुछ कमी करेंगे या उसको आप छोड़ेंगे यह प्रश्न पहले मैंने पूछा था दूसरा प्रश्न मैंने इनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं करेंगे तो इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है यानी प्रदेश की जनता अगर मंहगाई से त्रस्त है तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यह आवश्यकता ही

नहीं समझते इसलिए उसको कम नहीं किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इन्होंने अनुपूरक में जो इतनी बड़ी नत्थी लगाकर दी है उसमें इन्होंने केन्द्र सरकार के ऊपर सारे आरोप लगा दिये कि वही जिम्मेदार हैं हमसे मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री सतीश महाना-

यह प्रश्न का पार्ट है। उसमें इन्होंने यह कहा व जो इन्होंने पैकेज मांगा वह भी आ गया इसके बारे में मैंने पूछा ही नहीं कि क्या पैकेज मांगा क्या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

आप क्या अनुपूरक पूछना चाहते हैं वह पूछिये और सदस्यों के भी अनुपूरक हो जायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वही मैं आपको बता रहा हूं। आपको बताऊंगा तभी वहां तक बात पहुंचेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल में केन्द्र सरकार ने लगभग 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए पिछले एक वर्ष में जितने दाम भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल और केरोसीन पर बढ़ाए हैं उस पार्ट के ऊपर जो प्रदेश सरकार ने वैट लगाया है क्या जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मंहगाई को ध्यान में रखते हुए उसको कम करेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना साहब मेरे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं इस सदन के लेकिन विगत लगभग साढ़े चार साल से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही है।

श्री सतीश महाना-

यह मालूम है।

श्री नकुल दुबे-

माननीय सदस्य अगर हमारी बात सुनना चाहें तो मैं अपनी बात कहूं। अध्यक्ष जी जनवरी, 2008 में उत्तर प्रदेश में वैट की व्यवस्था लागू हुई जब से वैट व्यवस्था लागू की गई मैं महाना साहब को बताना चाहता हूं कि यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर या लगभग हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया लेकिन उत्तर प्रदेश में डीजल पर 17.23 प्रतिशत मैं आपको सिर्फ आंकड़े बताना चाह रहा हूं मैंने उसे नत्थी किया लेकिन आप पढ़कर नाराज हो गए कि सन् 2000 से लेकर 2004 तक डीजल पर 20 प्रतिशत था पेट्रोल पर 20 प्रतिशत था। अगस्त, 2004 से नवम्बर, 2004 तक 21 प्रतिशत डीजल पर और 21 प्रतिशत पेट्रोल पर था। नवम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2007 तक डीजल पर 21 प्रतिशत और पेट्रोल पर 25 प्रतिशत। माननीय अध्यक्ष जी, दिक्कत यह है कि गरीबों के साथ आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उनको सहयोग करने के लिये अगर आपने हमारा पूरा संलग्नक अध्ययन कर लिया होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि फिर आपको इस सदन में कोई अनुपूरक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि जो व्यवस्था आज माननीय बहिन कुमारी मायावती जी के द्वारा इस प्रदेश में लगाई गई है वह पूरे देश में कहीं नहीं

है। इसको देखा जा सकता है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी मेन्युफैक्चरर्स हमारे प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करता है या व्यापार करता है उस पर मात्र 5 परसेन्ट का टैक्स लगाया गया है डीजल के ऊपर जो सम्पूर्ण देश में किसी भी राज्य में नहीं है और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि जो महाना साहब ने कहा कि राज्यों की जहां तक तुलना की बात है। तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, आन्ध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में, पंजाब में, राजस्थान में, असम में, गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक में, झारखण्ड में इन सब राज्यों में हमारे प्रदेश की तुलना में टैक्स दरें ज्यादा हैं।

श्री सतीश महाना-

बिहार में कितना है ?

श्री नकुल दुबे-

बिहार में 18.36 परसेन्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में एल0पी0जी0 पर कोई टैक्स नहीं है। 4 परसेन्ट का वैट लिया जाता है वह भी माननीया बहिन जी ने उसको मुक्त कर रखा है। वह क्यों ? वह इसलिए कि उनको गरीबों से प्रेम है। उनको गरीबी से प्रेम है। गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती है इसीलिए उन्होंने यह व्यवस्था लगाई है।

(सदस्यों के जोर-जोर से बोलने पर शोर)

और आज जब केन्द्र सरकार जानबूझकर के गरीबों को कमजोर करने के लिये ऐसा कर रही है। मान्यवर, एक आंकड़ा देना चाहता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपके ही अनुपूरक का उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री नकुल दुबे-

माननीय महाना साहब, हमारी बात सुन लीजिए। केन्द्र सरकार को इन दामों को लगाने से जो लाभ पहुंचता है वह मात्र 21 हजार करोड़ रुपये पहुंच रहा है और कारपोरेट जगत को केन्द्र सरकार ने 2005 से लेकर के 2010-2011 तक 21 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है और मात्र 2010-2011 में 4 लाख 61 हजार करोड़ रुपये की धनराशि के समतुल्य करोड़ों रुपये की छूट देकर के इन गरीबों की कमर तोड़ने का काम जानबूझ कर किया है। मैं महाना जी का बहुत सम्मान करता हूं इसलिए मैंने यह लिखा पढ़ी में दिया है और माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय महाना जी को बताना चाहता हूं कि इन करों के माध्यम से अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे। मैंने इसीलिए आपको यह पूरा पुथन्ना दे दिया था कि इसको आप पढ़कर देख लेंगे। 2000-2001 में 35 परसेन्ट, 2002-2003 में 36 परसेन्ट और उसके बाद 2008-2009 में 27 परसेन्ट, 2009-2010 में 25 परसेन्ट हो गया। इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय हमको प्रदेश को चलाना भी है। अगर 4-5 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नहीं वसूला जायेगा तो विकास के कार्य कैसे होंगे और निश्चित रूप से अगर विकास के कार्य बाधित होंगे तो हमारे गरीबों के उत्थान में कमी होगी। यह केन्द्र सरकार की नीति है जो कि केन्द्र सरकार जानबूझकर लगाती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण विपक्ष जिस मुद्दे का जवाब चाहता था, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने आज जवाब दे दिया। मान्यवर, इस प्रदेश में गरीबी क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि माननीया मुख्य मंत्री जी को गरीबी से प्रेम है और जिस चीज से प्रेम होता है उसको कोई कैसे छोड़ेगा ?

श्री नकुल दुबे-

मैंने कहा गरीबों से प्रेम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने गरीबी कहा है, अब आप उसको बदल रहे हैं। मान्यवर, जिस चीज से ज्यादा प्यार होता है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है तो प्रदेश की जनता के सामने यह है कि अगर गरीबी हटाना चाहती है तो इनको हटाना पड़ेगा। यह जवाब मंत्री जी ने दे दिया। अब माननीया मुख्य मंत्री जी को इनसे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा जवाब क्यों दिया। खैर मान्यवर, मैं आपसे कृपापूर्वक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो यह जान लें कि केन्द्र सरकार दाम नहीं बढ़ाती है, कम्पनियां दाम बढ़ाती हैं। तो मंत्री जी का यह बयान सदन में लिखित रूप से आ जाए कि केन्द्र सरकार दाम बढ़ा रही है यह उचित नहीं है। कम्पनियों ने दाम बढ़ाया है। केन्द्र सरकार ने पहले से तय कर लिया था कि कम्पनियां जो दाम बढ़ायेंगी वह लाभ-हानि के अनुसार होगा। मेरा सवाल है कि सब्सिडी आपने गिराई तो सब्सिडी केन्द्र सरकार की 1 लाख 20 हजार करोड़ अब भी पेट्रोलियम प्रोडेक्ट पर जारी है। एक तरफ भारत सरकार की सब्सिडी जारी है अगर भारत सरकार 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है तो डीजल, पेट्रोल के दाम पर जो 26 प्रतिशत टैक्स लगा रखा है आपने इसमें आपका क्या योगदान है ? कम्पनियां बनाती हैं, कम्पनियां बेचती हैं फिर बीच में आप 26 प्रतिशत की वसूली क्यों करते हैं। यह मैं आपसे जानना चाहता हूं आपसे और जनहित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकारों ने या बिहार की एन0डी0ए0 सरकार ने वापस लिया है क्या आप भी उत्तर प्रदेश में जो आपने 26 प्रतिशत टैक्स लगा रखा है उसको खत्म करेंगे और पेट्रोल, डीजल लेने वाले को 26 प्रतिशत की राहत देंगे ? जिस तरह से दिल्ली, पंजाब, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में आपने घटाया है उस तरह से आप घटायेंगे या नहीं घटायेंगे ? अगर आप नहीं घटायेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी यह मेरा सीधा सवाल है।

श्री नकुल दुबे-

माननीय प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आपकी शुभकामनाओं का नतीजा है कि पिछले 17-18 सालों से प्रदेश में कांग्रेस बाहर रही है और हमारी शुभकामना है कि भविष्य में भी आप बाहर ही रहेंगे। यह प्रदेश में जो आने का ढकोसला है वह पूरा होने वाला नहीं है। पंजाब के बारे में कहा तो पंजाब में 27.5 परसेन्ट है इसी के साथ-साथ एक रुपया प्रति लीटर सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो जो आपने सब्सिडी की बात कही है यह जो बार-बार दाम बढ़ाने की दुहाई देते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सामंजस्य की बात करते हैं मेरे पास इण्डियन आयल की लिस्ट भी है जिस पर है कि वैरल कितना रुपये दाम अलग करके आप पे कर रहे

हैं जानबूझकर उसकी आड़ में कुछ पूंजीपतियों को कुछ कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने आंकड़ा आपके समक्ष रखा था कि 2005 से लेकर 2010-2011 तक 6 सालों में जबसे आपकी सरकार वहां पर है तब से आपने 21 लाख करोड़ से अधिक करों की छूट कारपोरेट जगत को प्रदान कर दी और उसके बाद 2010-2011 में आपने मात्र 4 लाख 61 हजार करोड़ की धनराशि के समतुल्य करों में छूट दी चाहे डीजल हो, मिट्टी का तेल हो चाहे रसोई गैस हो अगर इन चीजों के दामों की वृद्धि से केन्द्र को मिलने वाला ब्याज मात्र 21 हजार करोड़ है और इस 21 हजार करोड़ को पाने के लिए केन्द्र सरकार ने पूरे देश के गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया है। पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम को बढ़ाकर। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो मा0 मुख्य मंत्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है 2008 से जबसे वैट व्यवस्था लागू की गई है एल0पी0जी0 पर एक परसेन्ट टैक्स बन्द कर दिया 17 परसेन्ट डीजल पर लगभग प्रत्येक वर्ष में इन सब चीजों से प्रदेश सरकार को एक हजार करोड़ की क्षति हो रही है लेकिन केन्द्र सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 आपने कहा कि वैट लगा लीजिए, आपके सारे राजस्व की पूर्ति हम लोग कर देंगे। जब हम लोगों ने अपनी प्रतिपूर्ति के लिए कहा, आपने दिल्ली की बात कही, दिल्ली को तो आपने 25 करोड़ रुपये पकड़ा दिया, हरियाणा को आपने पकड़ा दिया। 01 हजार करोड़ रुपये का भार प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार वहन कर रही है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप जवाब दीजिए।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं जवाब ही दे रहा हूं जो सब्सिडी की बात आपने कही है। एक हजार करोड़ रुपये का लॉस प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार को हो रहा है और उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने उन सब टैक्सों को नहीं लगाया है, इसलिए सब्सिडी कम करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

दिल्ली सरकार और कई अन्य सरकारें वहां की जनता को राहत दे रही हैं लेकिन प्रदेश सरकार, प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ने सदन का बहिर्गमन त्याग कर गये)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रदेश के किसानों और यहां की जनता को डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने के उद्देश्य से यह प्रश्न किया गया है लेकिन जो उत्तर आया है, बहुत विस्तार से यहां आंकड़े प्रस्तुत किये गये। मुझे एक कहावत याद आती है, 'लेखा-जोखा ज्यों का त्यों, यह कुनबा भूखा क्यों',

हिसाब-किताब सब आपने बता दिया, कहां क्या है, कहां क्या है ? यह मौलिक सवाल है यदि आपके यहां टैक्स सबसे कम है, पड़ोस में आपके हरियाणा है, पड़ोस में आपके दिल्ली है, पड़ोस में आपके बिहार है, आखिर वहां डीजल सस्ता क्यों है और यहां मंहगा क्यों है ? इसका भी उत्तर आना चाहिए न ? मान्यवर, मैं अपनी बात यहीं तक सीमित रखते हुए पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, आगरा, अलीगढ़ सबके सब मिले हुए हैं पड़ोसी राज्यों में डीजल के रेट में बहुत बड़ा अन्तर है, किसान वहां से थोड़ा-बहुत डीजल भर कर लाते हैं, लेकिन जो आपके चेकपोस्ट हैं, तेल में वह जितना पैसा बचाते हैं, इन चेक पोस्टों पर खड़े होकर उस पैसे की वसूली पुलिस कर लेती है। हमें समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। वास्तविकता आज यह है कि तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो सामान बेचने वहां जाते हैं, वापस आते समय 2-2, 4-4 बैरल डीजल लेकर वहां से आते हैं और उनकी सीधे-सीधे लुटाई पुलिस चौकियों और चेक पोस्टों पर होती है। मंत्री जी इसको रोकने का कोई प्रबन्ध करेंगे ? क्योंकि आवागमन का तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं, किसान को आवश्यकता पड़ती है तो वह जा सकता है। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और भी सदस्य बैठे हैं, वह जानते हैं। चाहे बिहार की स्थिति हो, चाहे हरियाणा की स्थिति हो, चाहे दिल्ली की स्थिति हो, तीनों राज्यों से इस प्रकार किसान जो डीजल लाते हैं, उनकी लुटाई हो रही है। आपने चाहे इस कार्यकाल में बहुत क्रांतिकारी काम कर दिये हों लेकिन वास्तविकता यही है कि डीजल यहां मंहगा है, हरियाणा में सस्ता है। यहां पर डीजल मंहगा है, दिल्ली में सस्ता है। यहां पर डीजल मंहगा है, बिहार में सस्ता है। अगर उस सस्ते डीजल का फायदा किसान उठाना चाहते हैं तो क्या आप यह व्यवस्था करेंगे और यह निर्देश जारी करेंगे कि यदि कोई किसान या अन्य व्यक्ति अपने उपयोग के लिए पड़ोसी राज्यों से डीजल ला रहा है तो उसको कोई रुकावट नहीं आयेगी और यदि पुलिस का कोई कर्मचारी उसमें रुकावट पैदा करता है तो क्या आप उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक चेक पोस्टों का सवाल है, मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के आते ही सम्पूर्ण प्रदेश से जितने भी वाणिज्य कर के चेक पोस्ट थे, सारे चेक पोस्ट समाप्त कर दिये गये और आज पूरे प्रदेश में एक भी इस तरह का चेक पोस्ट कार्यरत नहीं है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात हो। जहां तक हरियाणा की बात है, दिल्ली के लिए आपने कहा, उन राज्यों में टैक्स क्यों कम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वहां पर टैक्स इसलिए कम है क्योंकि वहां पर केन्द्र सरकार ने उनको अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि डीजल के दामों के सम्बन्ध में जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है। हमने उत्पादकों के लिए टैक्स के सम्बन्ध में यह किया है कि अगर आप उत्पादन के लिए डीजल का उपयोग करोगे तो हम आपसे सिर्फ 5 प्रतिशत का टैक्स लेंगे। अगर किसी अन्य राज्य से वह यह लेते हैं। मान्यवर, पूरे देश में इस तरह की सुविधा उत्पादकों के लिए किसी राज्य में नहीं है। अगर कोई ड्रम से डीजल भरकर किसी अन्य राज्य से यहां पर उत्पादन के लिए लाता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों की सूची हम लोगों को मुहैया कराइये तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप हमारे यहां से लीजिए हमारे यहां टैक्स कम है। यहां पर आपको वहां से सस्ता पड़ेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सूची मैं अभी उपलब्ध करा रहा हूं। अम्बिका चौधरी जी, इमरान साहब और भी सदस्य सभी दलों के बैठे हुए हैं। यह सभी सूची वाले हैं। सभी वहां के रहने वाले हैं।

श्री नकुल दुबे-

मैं स्वागत करूंगा। आप सूची दीजिए। अगर आपके यहां उत्पादन के लिए डीजल लाया जा रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहां कम दाम पर डीजल मिलेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बिहार में स्थित बक्सर और उत्तर प्रदेश में स्थित भरौली के पेट्रोल पम्प में 3 कि0मी0 का अन्तर है और उस 3 कि0मी0 की दूरी में डीजल के दाम में 68 पैसा प्रति ली0 का अन्तर है। उत्तर प्रदेश के भराली में स्थित पेट्रोल पम्प में बक्सर स्थित पेट्रोल पम्प से 68 पैसा प्रति ली0 डीजल मंहगा है और बक्सर में 68 पैसा प्रति ली0 डीजल सस्ता है। मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में डालना चाहता हूं कि सरसावा के अन्दर और यमुना नगर के अन्दर दूरी मात्र 8 कि0मी0 की है और 8 कि0मी0 की दूरी में डीजल के दाम में 3 रुपये का अन्तर है। हरियाणा में 3 रुपये प्रति ली0 डीजल सस्ता है। उत्तर प्रदेश में 3 रुपये प्रति ली0 डीजल मंहगा है। इसी कारण से किसान वहां से गाड़ी में डीजल लेकर आते हैं लेकिन जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि पुलिस चेकपोस्ट पर उनकी लुटाई होने का काम हो जाता है। मान्यवर, यह मैं सीधी सूचना माननीय मंत्री जी को दे रहा हूं। इसी प्रकार से उत्तरांचल में एक कि0मी0 के अन्तर पर पेट्रोल के दाम में 2 रुपये का फर्क है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने डीजल की बात तो बहुत कही या पेट्रोल के विषय में आपने जो जवाब दिया है उसे पढ़ लीजिए। आपने कहा कि चार-सवा चार साल से आपकी सरकार है, यह हमने मान लिया। आपने स्वयं कहा कि 01-01-2008 से 07-06-2008 तक पेट्रोल पर 26 प्रतिशत वैट था। 08-06-2008 से 29-1-2009 तक यह घटाकर 23.62 प्रतिशत कर दिया गया। बहुत अच्छा किया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह जो घटाकर के आपने 23.62 प्रतिशत किया था तो किन कारणों से 30 जनवरी, 2009 से इसे फिर बढ़ाकर के आपने 26.55 प्रतिशत कर दिया। क्या कारण है और आपने क्यों यह महसूस किया कि 30 जनवरी, 2009 से वैट की पेट्रोल पर लगायी गयी दर को 23.62 से बढ़ाकर 26.55 प्रतिशत किया जाये।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह शासन के संज्ञान में आया और हम लोगों ने 1 जनवरी, 2008 को वैट लगाया, विलम्ब से लगाया। उसके पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझकर वैट में विलम्ब किया। जनवरी, 2008 में विलम्ब से वैट लगाने पर हमारे मार्केट की चीजों पर, उद्यमियों पर आस-पास के राज्यों में लगने वाले टैक्स के आधार पर समीक्षाएं होती रही। समीक्षा होने के फलस्वरूप हम लोगों ने

यह पाया कि अमुक चीज पर टैक्स कम करने से गरीबों को राहत मिलेगी। इन चीजों पर टैक्स बराबर रहेगा तो उससे ज्यादा दामों में वैरियेशन नहीं होगा। इसी उद्देश्य से सन् 2008 में और पूर्व में भी देखेंगे तो 25 नवम्बर, 2004 से 31-12-2007 तक भी पेट्रोल पर 25 प्रतिशत था। उसके बाद वर्ष 2008 में यह 26 प्रतिशत हुआ और उसके बाद वर्तमान में 26.55 प्रतिशत है। इसकी वजह से आज लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार को हानि वहन करना पड़ रहा है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक वर्ष में जितने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी के बीच में खड़े होकर बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर आ गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह स्पष्ट उत्तर नहीं है। यह सरकार गरीबों की विरोधी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यहां इतने सवाल हो रहे हैं। लेकिन किसी भी सवाल का समुचित उत्तर नहीं आ रहा है। किसानों का यहां शोषण हो रहा है यहां पर सब राज्यों से मंहगा डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं आया है। मान्यवर, इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री हुकुम सिंह और उनके दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से पालीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

*2-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथिन के अत्यधिक प्रयोग के कारण सीवर तथा नालियां चोक हो जाती हैं और पर्यावरण को भी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में पालीथिन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

पालीथीन के प्रयोग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत पर्यावरण विभाग के शासनादेश दिनांक 21-10-2010 तथा नगर विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 02-02-2011 के माध्यम से गंगा नदी के मध्य धारा के 2.0 कि0मी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक के प्रयोग एवं विक्रय को प्रतिषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नये अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम-2011 के अन्तर्गत 40 माइक्रान से कम मोटाई के पालीथीन के विनिर्माण, उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। प्लास्टिक

अधिनियम की धारा 5 (डी) के अन्तर्गत गुटखा, पान मसाला, टोबैको आदि के पैकिंग में प्लास्टिक युक्त सैसे आदि का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि सरकार पालीथीन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु प्रतिबद्ध है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

श्री अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने कहा है कि गंगा नदी के 2.0 कि0मी0 की परिधि के भीतर प्रतिषिद्ध किया गया है। क्या प्रदेश की और नदियों में ऐसा नहीं है ? पहली बात तो गंगा नदी के अलावा प्रदेश की और भी नदियों में जैसे यमुना है, गोमती है, बड़ी-बड़ी नदियां प्रदेश में है। क्या आपको केवल एक नदी से मतलब है और मेरा दूसरा प्रश्न सीधा यह है कि क्या सरकार ने यह कहा है कि जो पालीथीन प्रयोग की जा रही है, जो यूज्ड पालीथीन है, उसको या तो नष्ट करने, नहीं तो फिर उसकी रीसाइकिलिंग हो करके जो पालीथीन आती है उसके नष्ट करने के लिये इनके पास क्या उपाय है या उसको फिर किसी गड्ढे में सुरक्षित करने के लिये ऐसा क्या उपाय इनके पास है कि फिर उसकी रीसाइकिलिंग न हो और वह जनता के प्रयोग में न आये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शहरों में सारी नालियां प्लास्टिक पालीथीन से पट जाती है और फिर जब उसकी सफाई की जाती है तो उसके जगह-जगह ऊंचे-ऊंचे ढेर नगर निगम वाले लगा देते हैं, उनको कहीं एक जगह प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार के पास क्या है, कौन सी योजना, कौन सी नीति है ? मा0 मंत्री जी यह बतावें और अन्त में इन्होंने लिखा है कि पर्यावरण के लिये पालीथीन को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। एक तरफ तो कहते हैं कि प्रतिबन्धित कर दिया गया है, दूसरी तरफ लिखते हैं कि पूर्णरूप से हम उसको मिटा नहीं सकते तो दोनों बातें कॉण्ट्राडिक्ट कर रही है। हम ये कैसे समझें या तो ये पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दें या तो पालीथीन की रीसाइकिलिंग को बन्द करा दें या फिर सारी नदियों और सारी नहरों के बीच में उतना ही कर दें ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर का सवाल है तो मा0 सदस्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि उक्त से स्पष्ट है कि सरकार पालीथीन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रतिबन्ध नहीं, प्रतिबद्ध है। जहां तक प्रदूषण का प्रश्न है तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीवित अनाशित कूड़ा-कचरा प्रयोग और निस्तारण का विनियमन अधिनियम, 2000 प्रख्यापित है और हमारे प्रदेश में लागू भी है। अगर कोई व्यक्ति प्रयोग की गयी पालीथीन पुनः चक्रित पालीथीन का पुनः दोबारा इस्तेमाल करता है तो धारा-7 में कैद का भी प्राविधान है और जुर्माने का भी प्राविधान है। पहले जुर्माने की राशि 5000 रखी थी अब इसको बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। दुबारा पाये जाने पर 6 माह की कैद है और कल ही मैं मा0 अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग की समीक्षा कर रहा था, तो आगरा में कई जनपदों में भारी मात्रा में छापेमारी करके पालीथीन को जब्त किया गया और जिन लोगों के पास भारी मात्रा में ऐसी पालीथीन जो कि प्रयोग नहीं की जा सकती, जिसके बारे में अभी फरवरी, 2011 में केन्द्र सरकार से नियमावली पारित की गयी है, जिसका जुलाई में संशोधन भी आ गया है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है। माननीय सदस्य महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह काफी वर्षों का कूड़ा-कचरा है और हम लोग सफाई में लगे हुए हैं और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 10-15 इसको पूरा कर लेंगे।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का सीधा जवाब चाहिए। मुझे इनसे कि क्या गंगा नदी को छोड़कर के अन्य नदियों पर भी इस प्रकार की कोई रोक सरकार के द्वारा लगाई गई है और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या जो पालीथीन प्रयोग की जाती है, उस पालीथीन जो कि यूज्ड पालीथीन है उसको नष्ट करने के लिए इनके पास कोई नीति है, कोई प्राविधान इस हेतु सरकार करने जा रही है और पूर्ण प्रतिबन्ध न लगाने के कौन से ऐसे कारण हैं जो यह पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यही तो उत्तर अभी मा0 मंत्री जी ने दे दिया है, यही तो उत्तर आप मा0 मंत्री जी दे दिये हैं। इसका उत्तर आ गया है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें जो जुर्माना और सजा के प्राविधान की जो बात कही गई है उसके तहत उत्तर प्रदेश में मा0 मंत्री जी की ओर से कहा गया है कि वह इसे माफ कर रहे हैं तो तबसे लेकर अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है, कितने लोगों को जेल भेजने का काम किया गया है और कितने लोगों से जुर्माने वसूल किये गये हैं, क्या इसका कोई रिकार्ड इनके पास है तो उसे सदन को बताने का काम करें। दूसरी बात यह है कि क्या कूड़े-कचरे की सफाई परिवार कल्याण विभाग की तरह से करेंगे या किसी अन्य तरह से करेंगे यह बताने का काम करें।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं इसके दूसरे खण्ड का उत्तर देता हूं जहां तक इस तरह के कूड़े-कचरे को हटाने का प्रश्न है आज सम्पूर्ण प्रदेश में मा0 अध्यक्ष महोदय, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के आधार पर हम लोगों ने 26 नगरों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया है और उदाहरण के तौर पर कानपुर में, मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने पूरे-पूरे जनपद का चाहे वह घरेलू जल-मल का कूड़ा हो या प्लास्टिक व पालीथीन का कूड़ा हो, इन सब कूड़ों को वहां पर ले जाकर प्लान्ट के माध्यम से कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का जितना ऐतिहासिक काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देश में इतने नगरों में हमारे सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा महाना साहब यहां पर बैठे हुए हैं, कानपुर में वहां पर आपका बहुत अच्छा काम देखने का मिलता है, मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला, मुजफ्फरनगर में भी मुझे जाने का मौका मिला और आगरा में भी हमारा प्लान्ट धीरे-धीरे प्रगति पर है और वाराणसी में भी प्रगति पर है। इस तरह से मा0 अध्यक्ष चूंकि शहरों के कूड़े को नष्ट करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है इसलिए हमने घरों से इकट्ठा करके प्लान्ट तक पहुंचने और निस्तारित करने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इन्होंने पूछा था कि क्या कुछ लोगों के जुर्माने हुए हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मंत्री जी, पूरे प्रदेश का गलत सूचना दें, शोभा नहीं देता है। मंत्री जी को कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए और कैबिनेट मंत्री को तो खास तौर से कि आप भ्रमित न करें कहीं पर भी कोई प्लान्ट काम नहीं कर रहा है। कोई फायदा नहीं आप समिति बना दीजिए सदन की। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किये वह लागू नहीं हुए, गुटके के सम्बन्ध में भी आदेश हुआ, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। पालीथीन के बारे में जो भी सरकार आती है पिछली 3-4 सरकारों में हम यह देख चुके हैं कि एक फैशन सा हो गया है कि कैबिनेट डिसीजन होता है कि उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इससे कितना प्रदूषण हो रहा है और कितनी गन्दगी फैल रही है, मंत्री जी को इसलिए मालूम नहीं होगा। जहां बदले से काम होता है, जहां सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अधूरे छूट गये हों, जहां सरकार के चलते कामों को इसलिए रोक दिया गया हो कि यह दूसरी सरकारों के काम हैं। मैं यह केवल जानना चाहता हूं कि जब आपने प्रतिबन्धित किया है और उसके लिए कानून में आपने प्राविधानों का सख्त किया है, सात हजार से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रुपये आपने जुर्माना बढ़ाया है, छः महीने की सजा की है तो कुछ चालान हुए होंगे, वह कितने चालान हुए हैं, किसी एक को, साढ़े चार सालों में लगभग सजा हुई होगी, वह कौन व्यक्ति है, इतना बता दें, तो मालूम हो जायेगा कि स्कीम लागू हुई है या नहीं हुई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा,

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को शायद पता नहीं है कि विभागीय मंत्री के जवाब देने के बजाय संसदीय कार्य मंत्री जवाब दें, ऐसा उस वक्त होता है जब विभाग का मंत्री [x x x] जवाब देने के काबिल न हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब प्रश्न विभाग से सम्बन्धित पूछा जाय तो माननीय मंत्री जवाब देंगे, लेकिन जब केवल सस्ती लोकप्रियता की दृष्टि से प्रश्न या दूसरे कष्टों के तहत प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब उसी ढंग से दिया जाता है।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

मान्यवर, सदन में नियम है और नियमों के आधार पर अगर कोई मंत्री गलत जवाब देता है तो मान्यवर, नियमावली में व्यवस्था है, उस गलत जवाब के आधार पर नियमावली में जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत प्रश्न लगाया जा सकता है, उसके आधार पर सूचना दी जा रही है, उसके आधार पर कार्यवाही हो सकती है। अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाकर यह कहना कि माननीय मंत्री जी द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा सत्य और सही जवाब दिया जा रहा है। मान्यवर, दूसरी बात, केवल बदले की भावना से जिन लोगों ने केवल बदले की ही भावना से किया,

---

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

10-10, 12-12 जिलों की स्थापना के बाद उनको इसलिए समाप्त कर दिया गया कि वह बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जनता के हितों में बनाने का काम किया था तो बदले के लिए तो काम करने वाले ये लोग थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही है, उससे हम सब सहमत हैं।

श्री लालजी वर्मा-

तो मान्यवर, बदले की भावना से जवाब देने वाले ये लोग थे।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 शैलेन्द्र जी, मा0 उस्मानी जी आप बैठें, माननीय आजम खां साहब खुद ही इतना बोल दिये हैं, अब आप लोग शान्त होकर बैठे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन के बैठते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी ओर से जो दूसरे लोगों की कुछ आपत्तियां हुई थी, उस पर भी आपका सम्पूर्ण सहयोग करते हुए कहा कि हम प्रश्नकाल और सदन की कार्यवाही सुनिश्चित रूप से चलाना चाहते हैं। श्रीमन् एक प्रश्न के उत्तर में और इस सदन के वरिष्ठता सदस्यों में से सर्वाधिक ज्ञान रखने वाले एक सम्मानित सदस्य माननीय मोहम्मद आजम खां साहब ने मूल प्रश्न से सम्बन्धित यह प्रश्न पूछा कि अगर आपने यह प्रतिबन्ध लगाया तो उसमें कोई कार्यवाही हुई होगी, एक आदमी को भी सजा हुई हो तो बता दें, मान्यवर, अगर यह भी प्रश्न अनुपूरक नहीं बनता, तो इस प्रश्नकाल का कोई औचित्य नहीं है और हम आपसे यह बात कहना चाहते हैं कि अगर आप इन परिस्थितियों में भी अगर माननीय मंत्री को नहीं समझा सकेंगे और नहीं रोक सकेंगे, तो फिर इस सदन का कोई औचित्य नहीं रहेगा और बार-बार इस सदन में जितना भी व्यवधान होता है उसके लिए पूरी तरह से सरकार और विशेष तौर से संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं जिम्मेदार है और श्रीमन्, आप हमारे संरक्षक है, आप इनको समझाइये कि जो प्रश्न सदस्य सीधे-सीधे पूछे और इतने वरिष्ठ सदस्य के बारे में ऐसी टिप्पणी हो, यह बात ठीक नहीं है। दूसरी बात सदन में गुमराह करने वाली अगर कोई सूचना आयेगी तो यह बात कही जायेगी कि सदन को गुमराह कर रहे हैं इसमें किसी पर कोई आक्षेप नहीं है और आप बिना वजह मान्यवर, उत्तेजना फैलाने का कार्य अगर सरकार करेगी हम जानते हैं कि सरकार किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर मान्यवर, सरकार यह चाहेगी तो हम तैयार है किसी चीज के लिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप किसी चीज के लिए तैयार मत हों, आप बैठ जांय।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, आज इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, श्रीमन् इसकी निन्दा होनी चाहिए। मान्यवर, उनके उस आचरण की पूरी तरह से सदन को भर्त्सना करनी चाहिए। बहुमत के आधार पर कोई बात कर लेंगे यह बात ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मेरे लिए सब लोग बराबर हैं।

अभी कुछ बातें आयीं यह कहा गया कि कुछ हमारे समय की योजनाओं को बन्द कर दिया गया तो उसका उत्तर देकर उन्होंने उसका पटाक्षेप किया है। ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की बात आयी कि पिछली सरकारों ने कुछ जगहों पर चालू किया था वह बन्द कर दिया गया। उनका एक प्रश्न है कि इतना सब कुछ आपने किया है प्रतिबन्धित करने का काम किया है तो उसमें अब तक कितने लोगों को सजा हुई है, जुर्माना हुआ है। बीच में जो कुछ कहा गया उसका आप नोटिस न लें और यह आरोप-प्रत्यारोप चला करते हैं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जो भी मैंने यहां पर सूचना दी है वह तथ्यों के आधार पर बातें कही है। वहां पर जाने का मुझे मौका मिला और कार्य प्रणाली को देखने का मौका मिला है। मान्यवर, जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, यह नियमावली फरवरी, 2011 मे आयी है और इसका संशोधन अभी जुलाई, 2011 में आया है। मैंने कल ही इसकी समीक्षा बैठक भी की थी और उसमें यह बात प्रकाश में आयी थी कि कई जनपदों में आगरा में और अन्य जनपदों में छापे मारे गये हैं और इस तरह की अवैध पालीथीन को जब्त करने का काम किया गया है। जिनके पास ऐसी पालीथीन पायी गयी है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया गया है। मान्यवर, कल ही निर्देश जारी हुए है कि इस तरह की जो पालीथीन इस्तेमाल हो रही है उसका प्रचलन किया जा रहा है उसमें एक विशेष अभियान चलाकर उस पर मजबूती के साथ कार्यवाही करने का काम करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पता होना चाहिए कि सदन में कैसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। सारी सीमाओं को त्याग कर गुस्से में आ गये बहुत गुस्सा आया। यहां भी बदला ले लिया। हम पर 54 मुकदमें हैं नॉन-बेलेबिल हैं संसदीय कार्य मंत्री जी को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था। उनकी भाषा शालीन होनी चाहिए। आप कितना नुकसान पहुंचायेंगे और कितना बदला लेंगे और करिये गुस्सा ?

श्री अध्यक्ष-

आप अपने अनुपूरक प्रश्न पर आयें यह सब बातें और जगहों पर करिये। यह प्रश्नकाल है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न को पुनः दोहरा रहा हूं। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें जो निर्णय हुए उसको एक बहुत अच्छा कदम माना गया कि इस तरह की पालीथीन के प्रयोग से अब निजात मिल जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साढ़े चार सालों

में किसी एक व्यक्ति पर भी कोई मुकदमा कायम हुआ उसको सजा हुई उसका नाम क्या है बस इतना बता दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसमें आप बता दें। माननीय आजम खां साहब ने इतना पूछा है कि जबसे यह लागू हुआ है क्या आपने किसी को सजा दी है और जेल में भेजने का काम किया है यह इम्पलीमेंट हुआ है। यस या नो में आप बता दें।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है मैंने बताया कि अभी कल ही मैंने इसकी समीक्षा बैठक की थी और इसमें कई जनपदों में कार्यवाही हुई है। इसकी विस्तृत सूचना की आवश्यकता है मैं सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने अपना प्रश्न वापस ले लिया है।

प्रदेश के बैंकों एवं ए0टी0एम0 मशीन में पाये जाने वाले जाली नोटों पर अंकुश लगाये जाने की योजना

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाली नोटों के कारोबार में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? यहां तक कि बैंकों की गड्डियों में भी तथा ए0टी0एम0 मशीन से जाली नोट पाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह सही नहीं है कि प्रदेश में जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार में वृद्धि हुई है। प्रदेश में जाली भारतीय मुद्रा बरामद का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

	2008	2009	2010	2011 30 जून, तक
प्रभावित जनपद	55	61	34	20
पंजीकृत अभियोग	222	184	162	27
गिरफ्तार अभियुक्त	335	251	139	30
बरामद जाली मुद्रा	5,66,21,470	81,13,020	3,03,66,340	12,55,250

उपरांकित आंकड़ों में ए0टी0एम0 से बरामद जाली नोट सम्मिलित हैं।

प्रदेश में बैंकों में जाली भारतीय मुद्रा मिलने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। वर्ष 2010 में 83 तथा वर्ष 2011 में (जून, 30 तक) 04 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जाली भारतीय मुद्रा संचरण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त बरादमगी हुई है। जाली भारतीय मुद्रा संचरण रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

1-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जाली मुद्रा के प्रचलन की रोकथाम, इसके श्रोतों का पता लगाने, अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों से विशिष्ट अभिसूचना एकत्र करने एवं पंजीकृत अभियोगों की गहन विवेचना हेतु शासनादेश संख्या-1416-पी/छः पु-3-2000-17पी/2000 दिनांक 28-3-2000 द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के अन्तर्गत विशेष जांच प्रकोष्ठ (जाली नोट/सिक्के) का गठन किया गया है।

2-शासनादेश संख्या-1351/25-08-2008-17(105)/2006 दिनांक 11-7-2008 के द्वारा प्रदेश में जाली नोटों को छापने संचालन आदि के पुलिस/बैंकों में दर्ज मामलों की निगरानी समीक्षा एवं जाली नोटों के प्रसार को रोकने/नियंत्रण के लिए किये जाने योग्य उपायों की चर्चा पर समन्वय स्थापित करने हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समिति के साथ-साथ अंतर्राज्यीय सीमा से लगे ऐसे जिलों जहां पर जाली नोट पाये जाने/जब्त किये जाने की घटनायें अधिक हैं, में जाली नोटों और उसके संचालन की समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत गम्भीर है और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो राष्ट्र विरोधी तत्व है जो विभिन्न तरीके से भारत को कमजोर करना चाहते हैं उसी में एक अर्थतंत्र को भी यहां नष्ट करने का एक उपक्रम बनता रहता है। मैं आपके माध्यम से 2-3 बहुत छोटे-छोटे अनुपूरक करना चाहता हूं क्योंकि आगे माननीय और भी सदस्य के प्रश्न लगे हुए हैं। आपने जो भी उत्तर में विस्तृत दिया है उसी के संदर्भ में मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने मुकदमें कायम किये और सब किये तो इन मुकदमों में क्या कभी किसी को सजा हुई अगर हुई तो वह किन-किन लोगों को सजा हुई, बैंक से सम्बन्धित रहे वह या जो दूसरे लोग थे उनको सजा हुई और एक जानकारी आपके माध्यम से चाहता हूं कि आपने उल्लेख किया है कि जो चिन्हित किये गये हैं विशेष संवेदनशील जहां से यह नोटों का प्रचलन होता है या भारत में प्रवेश कराया जाता है तो वह कौन-कौन से जिले हैं और जो चिन्हित आपने किया है, वहां इस पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। मान्यवर, ए0टी0एस0 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नेपाल, बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में भारी

मात्रा में जाली भारतीय करेंसी नोट का प्रचलन कर भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचायी जा रही है। मान्यवर, यह सूचना मिली कि भारतीय मुद्रा लाकर बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ के पास किसी व्यक्ति को दी जाने वाली है। इस सूचना पर कार्यवाही करते हुए एस0टी0एफ0 ने 25-7-2008 को समय लगभग 2 बजे बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम निम्न प्रकार बताये और इस तरह से मान्यवर बड़ी मात्रा में जो बैंकों के द्वारा किया जा रहा था बैंक भी उसमें सम्मिलित हो गये थे उस तरह से एक डुमरियागंज में पकड़ा गया। मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। वर्ष 2008 में 222 किये गये, 2009 में 184 किये गये, 2010 में 162 किये गये और वर्ष 2011 में 30 जून तक 27 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैंने बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा था। मा0 मंत्री जी बहुत विद्वान हैं वह हमें केवल इतना बता दें कि इस सारे प्रकरण में बैंक भी सम्मिलित हैं, जहां की गड्डियों में जाली नोट निकले हैं, ए0टी0एम0 में भी जाली नोट निकले हैं और विभिन्न जिले भी चिन्हित किये गये हैं। मैंने छोटे-छोटे यह तीन अनुपूरक प्रश्न पूछे थे कि वह कौन से जिले हैं जो चिन्हित किये गये हैं जहां से इसका आमद हो रहा है। दूसरी बात मैंने यह जाननी चाही कि कौन से लोगों को दण्डित किया जा चुका है, किनको सजा दिलायी जा चुकी है। तीसरी बात मैंने यह जाननी चाही कि इसमें बैंकों की भी मिलीभगत प्रतीत हो रही है तो जो बैंक अधिकारी चिन्हित किये गये हैं क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो अपराध पंजीकृत किये गये हैं उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। मैंने स्वयं बताया और उत्तर में ही देख लें कि गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष 2008 में 335 है, 2009 में 251 हैं, 2010 में 139 और वर्ष 2011 में 30 है। इसके अतिरिक्त जाली मुद्रा का भी मैंने विवरण दिया है और जहां तक सजा देने की बात है तो मान्यवर, यह प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन होता है और न्यायालय उनको सजा देती है।

[श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) और चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।]

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मेरे तीन बहुत छोटे-छोटे अनुपूरक थे और उसका उत्तर मा0 मंत्री जी देना नहीं चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे छोटे-छोटे अनुपूरक का उत्तर या तो मा0 मंत्री जी के पास है नहीं या वह देने में सक्षम नहीं हैं इसलिए मैं बैठ जा रहा हूं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि जवाब मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से आया है। सरकार कितनी गम्भीर है हम मा0 सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने में, अभी दूसरे मा0 सदस्यों ने भी और मा0 आजम खां साहब ने भी जाहिर किया कि सरकार गम्भीरता से जवाब नहीं दे रही है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो

तुलनात्मक टेली दी है उस टेली में आपने वर्ष 2010 में 162 पंजीकृत अभियोग बताने का काम किया है लेकिन उसके ठीक नीचे लिखा है कि ''प्रदेश में बैंकों में जाली भारतीय मुद्रा मिलने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। वर्ष 2010 में 83 तथा वर्ष 2011 में (जून, 30 तक) 04 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।'' पहले आपने कहा कि 162 अभियोग पंजीकृत हुए और बाद में कह रहे हैं कि 83 अभियोग पंजीकृत हुए और 30 जून, 2011 तक आपने कहा कि 27 अभियोग पंजीकृत हुए और नीचे आपने कह दिया कि 04 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार क्या बताने का काम कर रही है यदि मा0 मंत्री जी की समझ में आ रहा हो तो कृपया इसके बारे में स्पष्ट कर दें कि मैं किसको सही समझूं। ऊपर वाले पंजीकृत अभियोग को सही समझूं या नीचे वाले को सही समझूं। माननीय मंत्री जी कृपया स्थिति को क्लियर कर दें, उसके बाद मैं अपना अनुपूरक प्रश्न कर दूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, लगता है इसको इन्होंने पढ़ा नहीं है। मान्यवर, नीचे जो हैं, वह बैंकों में जो जाली मुद्रा मिली है, उसका विवरण है और ऊपर जो है वह पूरे बैंकों के अलावा, जिसमें ए0टी0एम0 शामिल है, ए0टी0एम0 सहित और बैंकों के अलावा जितने हैं, वह इसमें शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह दो विषयों का फीगर है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बड़ी चतुराई से इस विषय को टालने का काम कर रहे हैं। आपने बैंक और ए0टी0एम0 को अलग कर दिया। जवाब तैयार करने में यह ध्यान नहीं दिया गया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कह दिया कि नीचे जो है वह केवल बैंकों का है और ऊपर जो है वह बैंकों के अलावा, ए0टी0एम0 सहित अन्य सभी का है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम लोगों का जो एरिया है नेपाल का बार्डर वहां बैंक से जब रोजाना लोग रुपया लेने जाते हैं तो कहीं न कहीं 10-5 नोट उसमें नकली आ जाते हैं और जब लोग उसको दुकानों पर ले जाते हैं तो अगर पता चल गया कि वह गलत है तो पुलिस उनको पकड़ ले जाती है और फिर बैंक उसकी जिम्मेदारी लेता नहीं है कि यह नोट हमारे बैंक से गया है। इस प्रकार का धंधा भारत में काठमांडू से लेकर हमारा जो महाराजगंज है, नेपाल है, बहराइच है, बलरामपुर है, वहां बड़े पैमाने पर चलता है। पिछले सदन में हमने उठाया था कि 4 करोड़ रुपया बैंक के लाकर में, चेस्ट में पूरा का पूरा जाली नोट मिला था। मान्यवर, सवाल यह है कि जो वहां पकड़े जाते हैं वह पता नहीं कैसे सिर्फ एक महीना जेल में रहते हैं, उसके बाद लौट आते हैं और फिर उसी धन्धे में लग जाते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने विधानों के अन्तर्गत कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिस प्रकार आप 354 को अजमानती बनाने का काम करने जा रहे हैं आज संशोधन भी आ गया है, क्या इस प्रकार से स्वयं अपने एक्ट में

परिवर्तन करेंगे या केन्द्र सरकार से सिफारिश करेंगे कि एक बार जो इस तरह से पकड़ा जाये वह आसानी से जमानत न पाये। मेरा कहना यह है कि जब तक इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक यह धन्धा रुकेगा नहीं। इन्हीं के माध्यम से यह पैसा बैंकों में जाता है। बैंक के कैशियर, बैंक के बाबू यह सब उनसे मिले रहते हैं। अभी डुमरियागंज बैंक के कैशियर जेल में हैं लेकिन वह आपके कानून में नहीं हैं उसकी जमानत हो गयी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वह पकड़े गये हैं, उसी में वह रोके गये हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे कि इन लोगों की जमानत न हो ? आप कानून बनाइये या भारत सरकार को सुझाव दीजिए। आप इस समय संशोधन तो कर ही रहे हैं। यही मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय पाण्डेय जी जानना चाहते हैं कि जो इस तरह अपराध में लिप्त हैं जो आसानी से छूट जाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में अपनी बात कह दूं। मैं जरा इनकी मदद कर दूं, माननीय पाण्डेय जी पुराने अध्यक्ष हैं। आप भी जब कभी यहां आयेंगे तो मैं आपकी भी मदद करूंगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि भारतीय अर्थ व्यवस्था से खेलना देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता के साथ खेलना है। अगर आर्थिक रूप से मान्यवर, देश को जर्जर कराने की कोशिश की जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि नकली नोटों के मामले में जो भी शामिल होगा, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून साथ ही साथ लगेगा, क्या वह इसका आश्वासन सदन को दे सकते हैं। क्योंकि यह देशद्रोह से कम नहीं है जो भी नकली नोट चलाता मिले, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही निरुद्ध किया जाये, यह आश्वासन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या इसके लिए नियम-कानून बने हैं माननीय मंत्री जी जो इस तरह पकड़े जायेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश सरकार जाली मुद्रा की दृष्टि से इसकी बंदी हो, काफी गम्भीर है और स्पष्ट निर्देश सभी जिलों को दिये गये हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बैंक कर्मचारी व सीमा-शुल्क तथा अभिसूचना विभाग आदि के अधिकारियों की प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित करें। मान्यवर, जाली नोटों को नियंत्रित करने के लिए समिति आवश्यक उपाय करती है। इसके साथ ही साथ यह उसी का परिणाम है कि प्रदेश सरकार ने जो विशेष अभियान चलाया, उसी अभियान का परिणाम है कि लगातार इसके जो अपराध थे उनकी संख्या में कमी आयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने की कार्य योजना

*1-श्री राम बिशुन आजाद, श्री सतीश महाना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ एवं नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समय-समय पर मा0 मुख्य मंत्री जी, मंत्रिमण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में समीक्षायें करके आवश्यक दिशा निर्देश उनके स्तर पर भी जारी किये जाते है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने की कार्य-योजना का विवरण

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 जल निगम/विभिन्न नगर निगमों द्वारा गंगा, यमुना तथा गोमती कार्ययोजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रमुख नदियों जैसे-गंगा, यमुना, गोमती, हिण्डन, पश्चिम काली नदियों के किनारे स्थित शहरों से निकलने वाले घरेलू जल-मल को शुद्ध किये जाने हेतु 33 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किये गये हैं तथा इन सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस का संचालन एवं रख-रखाव संबंधित स्थानीय निकायों अथवा उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जाता है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों का अनुपालन कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत समस्त प्रदूषणकारी

औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह, उत्सर्जन, ध्वनि नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित कराई जाती है एवं इनका नियमित निरीक्षण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों एवं नगरों में समुचित सफाई व्यवस्था के निर्देश

*3-श्री कुबेर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों एवं नगरों में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एवं तीव्र ज्वर आदि बीमारियों के प्रकोप से माह सितम्बर-अक्टूबर, 2010 में अनेक मौतें हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सफाई की विशेष व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रिपोर्ट के अनुसार माह अक्टूबर, 2010 में प्रदेश में डेंगू से कुल-8, मलेरिया से शून्य एवं टाइफाइड् से 14 मौतें हुई हैं। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 6-4-2010, 4-5-2010, 14-5-2010, 17-5-2010, 18-10-2010 द्वारा तथा विशेष सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2507/नौ-7-10-27ज/2004 दिनांक 25-10-10 द्वारा दो माह का विशेष अभियान चलाकर प्रदेश के समस्त नागर निकाय क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था तथा शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकरियों/मण्डलायुक्तों/नगर आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2011-12 में भी प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु शासनादेश दिनांक 19-4-11 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम-पटगन, मरौली में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था

*4-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम चटगन, मरौली में पानी खारा होने के कारण लोगों को केन नदी का प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी नहीं।

शासन स्तर पर ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। ग्राम मरौली में 23 नग हैण्डपम्प क्रियाशील एवं इनमें से 22 हैण्डपम्पों का जल पीने योग्य है एवं 01 नग हैण्डपम्प के जल में खारे पानी की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक है परन्तु इस हैण्डपम्प से 48 मीटर की दूरी पर अधिष्ठापित दूसरे हैण्डपम्प का जल पीने योग्य है।

ग्राम मरौली हेतु क्वेटरा मरौली एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना मार्च, 2010 में स्वीकृत की गई थी, जिसके अन्तर्गत उक्त ग्राम के 02 स्थलों पर नलकूप बोर किया गया परन्तु पानी खारा पाये

जाने के कारण उक्त योजना पर कोई सिविल कार्य नहीं किया गया। अब सरफेस सोर्स से पाइप पेयजल योजना बनाये जाने की फिजिविलिटी का अध्ययन किया जा रहा है।

ग्राम चटगन हेतु पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसके माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरौसी के अनेकों ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

*5-श्री दीपक कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरौसी के गांव प्यारेपुर, बंधवा, सिहुल, सधरा आदि की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद-उन्नाव, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सिरौसी के ग्राम-प्यारेपुर, बेंधवा (ग्राम प्यारेपुर का मजरा) एवं ग्राम-सिहुल हेतु प्यारेपुर पाइप पेयजल योजना बनाई जा रही है।

ग्राम-सथरा में पूर्व से ही सिरौसी पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही थी, परन्तु गंगा नदी में आयी बाढ़ से वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है एवं माह अक्टूबर, 2011 तक पेयजल आपूर्ति करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने की कार्य योजना

*6-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण जनता को खारे पानी से मुक्ति दिलाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कराये गये गुणता सर्वेक्षण (प्रथम चरण) के आधार पर दिनांक 01-04-05 की प्रदेश में 612 खारेपन से प्रभावित बस्तियां चिन्हित की गयी थी। खारेपन से प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न योजनाएं हैं :--

1-पाइप पेयजल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना।

2-गहरे जल स्तर तक डीप बोर के हैण्डपम्प लगा हर स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

खारेपन से प्रभावित उक्त 612 बस्तियों को मार्च, 2011 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त नियमित गुणता परीक्षण मे वर्ष 2010-11 में कुल 267 खारेपन से प्रभावित बस्तियां चिन्हित हुई हैं, जिनमें वर्ष 2011-12 में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम भट्टापारसौल के भूमि अधिग्रहण के विरोध में लाठी चार्ज व घटना की मैजिस्टीरियल जांच

*7-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के गांव भट्टापारसौल में माह मई, 2011 में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के धरना के विरोध में पुलिस बल द्वारा धरना स्थल व गांव में घुसकर की गयी जबरदस्ती गोलाबारी एवं लाठीचार्ज में कुछ किसान मारे गये तथा बड़ी संख्या में पुरुष व महिला गायब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की सी0बी0आई0 या न्यायिक जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 7-5-2011 को थाना बनकौर क्षेत्र के भट्टा गांव में अपराधियों द्वारा बंधक बनाये गये रोडवेज कर्मचारियों को उनके कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर पुलिस बल के साथ गये। पुलिस बल को देखते ही अपराधियों द्वारा पथराव एवं फायरिंग प्रारम्भ कर दी गयी। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं स्थिति को नियंत्रित करने हेतु मजिस्ट्रेट के आदेश से आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग किया गया व शांति व्यवस्था बनायी गयी। उक्त कार्यवाही के दौरान 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। जिनकी शिनाख्त 1-राजवीर पुत्र छतरा निवासी पारसौल थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर, 2-राजपाल पुत्र शिवदान निवासी भट्टा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर के रूप में हुई।

इस घटना के दौरान किसी भी महिला/पुरुष के गायब होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस घटना की मजिस्ट्रीयल जांच चल रही है और निष्पक्षता के साथ विवेचना प्रचलित है। अन्य किसी एजेन्सी से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर में अशुद्ध पेयजल आपूर्ति के कारण फैल रहे संक्रामक रोग की रोक-थाम के उपाय

*8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में अशुद्ध पेयजल आपूर्ति के कारण लखनऊ के किन-किन मोहल्लों में संक्रामक रोग फैल रहा है ? क्या सरकार ने इस पर नियंत्रण हेतु कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पेयजल आपूर्ति के कारण लखनऊ के किसी भी मोहल्ले में संक्रामक रोग नहीं फैल रहा है।

जी हां शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त उपाय किये गये हैं। प्रतिदिन पेयजल में समुचित मात्रा में क्लोरीनेशन करके ही पेयजलापूर्ति की जाती है। पेयजल में क्लोरीन की जांच विभागीय प्रयोगशाला, जोनल स्तर पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि जलकल विभाग के अभियन्ता एवं नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा पेयजल का ओ0टी0 परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से पेयजल नमूनों का जीवाणु परीक्षण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ एस0जी0पी0आई0 में मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बेड्स की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

*9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0 लखनऊ में मरीजों की अधिक संख्या के सापेक्ष बेड्स की संख्या बहुत कम है ? क्या सरकार को जानकारी है कि लीवर सिरोसिस तथा गैस्ट्रो जैसी गम्भीर बीमारी के मरीज को दो-दो दिन इमरजेन्सी में रख कर बेड उपलब्ध न होने के कारण अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

संस्थान में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के सापेक्ष केवल गैस्ट्रो इन्ट्रोलाजी, नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एवं हीमैटोलाजी विभाग में शैय्याओं की संख्या कम पड़ रही है।

गैस्ट्रो विभाग में 60 बेड उपलब्ध हैं, जो अधिकतर पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। बेड खाली होने पर ओ0पी0डी0 तथा इमरजेन्सी दोनों के द्वारा रोगी भर्ती किये जाते हैं जो रोगी इमरजेन्सी से भर्ती किये जाते हैं, उनकी गंभीर बीमारी को देखते हुए वहीं पर उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उपरोक्त व्यवस्था के उपरांत कभी-कभी यदि वार्ड में शैय्या उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उन रोगियों को आपातकालीन उपचार के पश्चात् रोगी के हित को ध्यान रखते हुए अन्य चिकित्सालयों जहां उक्त रोगी के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, में जाने की सलाह दी जाती है।

संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है, अतः इसमें शैय्याओं का निर्धारण संचालित पाठ्यक्रमों के आधार पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मानक के अनुसार किया जाता है।

मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एस0जी0पी0जी0आई0 के समान लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ संचालित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक ब्लाक में बोरिंग हैण्डपम्पों का विवरण

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक ब्लाक में वर्ष 2008 से अब तक कितने-कितने हैण्डपम्पों की बोरिंग करने के उपरान्त कैप रखे गये हैं तथा कितने

हैण्डपम्पों में हेड की व्यवस्था कर दी गयी है और शेष में जलापूर्ति हेतु हेड की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-प्रतापगढ़ के प्रत्येक विकास खण्ड में वर्ष 2008 से 31-07-2011 तक बोरिंग किये गये हैण्डपम्प की संख्या, हैण्डपम्प जिनमें हेड लगा दिये गये हैं एवं जिनमें हेड लगाना शेष है, का विवरण निम्वनत् हैः--

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2008 से 31-07-2011 तक बोरिंग किए गए हैण्डपम्पों की संख्या	वर्ष 2008 से 31-07-2011 तक बोरिंग किए गए हैण्डपम्पों की संख्या जिनमें हेड लगा दिये गये हैं।	वर्ष 2008 से 31-07-2011 तक बोरिंग किए गए हैण्डपम्पों की संख्या जिनमें हेड लगना शेष है।
1	सदर	418	381	37
2	मान्धाता	91	81	10
3	संडवा चनद्रीका	551	522	29
4	मंगरौरा	335	304	31
5	पट्टी	283	224	59
6	आसपुर देवसरा	438	313	125
7	बेलखरनाथ	283	190	93
8	गौरा	321	283	38
9	शिवगढ़	490	400	90
10	लक्ष्मणपुर	468	443	25
11	लालगंज	331	324	7
12	रामपुर संग्रामगढ़	271	271	0
13	बाबागंज	286	271	15
14	बिहार	256	244	12
15	कुण्डा	301	294	7
16	कालाकांकर	177	172	5
17	सांगीपुर	417	410	7
	योगः-	**5717**	**5127**	**590**

बोर किये गये शेष 590 नग हैण्डपम्पों में जलापूर्ति हेतु हेड की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2011-12 में करके हैण्डपम्प चालू किया जाना प्रस्तावित है।

2-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा की ग्राम सभा खन्दवा में विधायक निधि से बनवाये गये रैन बसेरा का कथित प्रकरण

3-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा की ग्राम सभा खन्दवा में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कितनी लागत से रैन बसेरा विधायक निधि द्वारा बनवाया गया है ? क्या उक्त रैन बसेरा मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या उक्त रैन बसेरा का उपयोग वर्तमान समय में गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बलिया के विकास खण्ड नगरा की ग्राम सभा खन्दवा में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में विधायक निधि योजना से कोई भी रैन बसेरा नहीं बनवाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंपे गये प्रकरणों की जांच एवं निस्तारण

4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तथा पीड़ितों की रक्षा के लिए वर्ष 2009 में उ0 प्र0 भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंपे गये प्रकरणों में से कितने की जांच पूर्ण हो गयी है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद के सिविल लाइन्स थानान्तर्गत श्री रमाकान्त दूबे, निवासी-24 सरदार पटेल मार्ग के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच फरवरी, 2009 में सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच आख्या उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2009 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन को कुल 99 प्रकरण जांच हेतु प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुल 77 प्रकरणों की जांच पूर्ण की गयी। 22 प्रकरणों की जांच शेष है।

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री कुबेर सिंह-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी कस्बा (शहर) में सीवर लाइन बिछाने के कार्य की प्रगति

6-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी कस्बा (शहर) में बहुत धीमी गति से सीवर लाइन का कार्य चलने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मैनपुरी सीवरेज योजना में प्रस्तावित 114.942 किमी0 सीवर लाइन के सापेक्ष रु0 92.139 किमी0 लाइन बिछाई जा चुकी है। शेष सीवर लाइन बिछाने का कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

7-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

8-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य कराया जाना वर्ष 2005 व 2006 में स्वीकृत था, जो वर्तमान में अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मैनपुरी सीवेज योजना फेज-2 दिनांक 8-9-2006 को स्वीकृत हुई थी। योजना में कुल 114.942 किमी0 सीवर लाइन डाली जानी थी, जिसके सापेक्ष अब तक 92.139 किमी0 लाइन बिछायी जा युकी है।

अवशेष कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी कस्बे में सीवर लाइन बिछाने में हुई मजदूर की मृत्यु तथा अर्थिक सहायता

9-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी कस्बे में सीवर लाइन का काम करने वाले कई मजदूरों की विगत वर्ष 2009 में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो इसके नाम व पते क्या हैं तथा सरकार द्वारा इनको कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। केवल एक मजदूर की मृत्यु हुई थी।

श्री रियासत खां पुत्र श्री मु0 शकील खां, महफूज नगर, जलालपुर चौकी के पीछे, थाना देहली गेट, अलीगढ़।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठैकेदार मे0 कुमार कन्सट्रक्शन मैनपुरी के देयक से कटौती करते हुए उ0प्र0 जल निगम द्वारा रु0 1,30,000.00 चेक सं0 510455 दिनांक 06-06-2009 से एवं रु0 20,000.00 नकद कुल धनराशि रु0 1,50,000.00 मात्र (रु0 एक लाख पचास हजार) का भुगतान श्री खां की पत्नी श्रीमती नसरीन बेगम एवं स्व0 रियासत खां के पिता शकील खां को संयुक्त रूप से कर दिया गया था।

लखनऊ के विकास नगर सेक्टर-8 के सामने पार्क के चारो ओर इन्टरलांकिग टाइल्स लगाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

10-श्री उदय राज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास नगर, लखनऊ के सेक्टर-8 के आवास संख्या-348 से 363 के सामने स्थित पार्क के चारों ओर बनी सड़क के किनारे की पटरियों पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने विषयक श्रीमती नीतू बाजपेयी एवं अन्य के प्रार्थना-पत्र पर मा0 मंत्री जी के कार्यालय पत्रांक 118/क्षेत्र/नं0वि0म0/10, दिनांक 12-8-2010 द्वारा नगर आयुक्त, लखनऊ को दिये गये आदेश पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल पर भवन संख्या-348 से 363 के सामने धनाभाव के कारण इण्टरलॉकिंग का कार्य नहीं कराया जा सका है। पार्क के चारो ओर सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। पार्क के एक ओर इण्टरलॉकिंग का कार्य भी हुआ है।

जनपद महामाया नगर की तहसील मुख्यालय सादाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति

11-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के तहसील मुख्यालय, सादाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि चयन एवं निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

तहसील मुख्यालय, सादाबाद जनपद महामायानगर में शासनादेश संख्या 576/छः-पु0-08-09-02(स्थापना)/07, दिनांक 24-02-2009 के द्वारा अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस हेतु भूमि आवंटित हो गयी है तथा अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

12-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद सुल्तानपुर के थाना अखण्ड नगर में दर्ज मुकदमा सं0 75/2011 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

13-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर स्थित थाना अखण्ड नगर में दर्ज मु0अ0सं0-75/2011, धारा-147/148/323/504/506/452/395 भा दं0 विधान में दिनांक

30-1-2011 में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विवेचना को किसी राजपत्रित अधिकारी को स्थानान्तरित करके नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

थाना अखण्ड नगर, जनपद-सुल्तानपुर में दर्ज मु0अ0सं0-75/2011, धारा-147/148/323/504/506/452/395 भा0द0विधान में विवेचनोपरान्त घटना असत्य पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी है। अतएव गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

जी नहीं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद बांदा में जल निगम यांत्रिक शाखा चित्रकूट द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या का विवरण

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पेयजल समस्या दूर करने हेतु जल निगम यांत्रिक शाखा चित्रकूट द्वारा जनपद बांदा में वर्ष 2007 से 31 मार्च, 2011 तक कितने हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया गया, कितने रि-बोर कराये जाने हैं तथा कितने विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये गये हैं ? क्या ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी व वडोखर खुर्द में मशीन द्वारा यांत्रिक शाखा, जल निगम बांदा द्वारा हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जल निगम यांत्रिक शाखा चित्रकूट द्वारा जनपद-बांदा में जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2011 तक 1215 नये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन तथा 596 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प को रि-बोर कराया गया है। दिनांक 31-02-2011 को 60 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने हेतु अवशेष थे।

जनपद-बांदा में 722 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चित्रकूट मण्डल के अनेकों जनपदो में अपराधों का विवरण एवं इसे रोकने के उपाय

16-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट मण्डल के जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में वर्ष 2007-08 से दिनांक 30-7-2011 तक हत्या, अपहरण, लूट, दहेज हत्या, बलात्कार, डकैती व चोरी की कितनी-कितनी घटनायें घटी हैं ? क्या सरकार द्वारा अपराधों को रोकने हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

अपराध शीर्षक	बांदा					हमीरपुर					महोबा					चित्रकूट				
	07	08	09	10	1-1-11 से 15-7-11	07	08	09	10	1-1-11 से 15-7-11	07	08	09	10	1-1-11 से 15-7-11	07	08	09	10	1-1-11 से 15-7-11
हत्या	48	35	20	36	19	23	34	30	23	13	30	24	15	21	06	27	20	20	13	
अपहरण	39	47	34	39	27	24	27	20	25	21	08	18	12	10	07	06	15	14	16	11
लूट	18	15	05	04	01	01	03	04	04	02	08	10	10	03	03	01	03	04	04	03
दहेज हत्या	33	34	22	18	12	11	23	26	20	08	14	16	12	12	05	07	12	13	14	08
बलात्कार	28	33	18	21	11	09	18	16	16	07	08	08	13	07	06	23	21	16	13	10
डकैती	-	-	-	01	01	-	02	02	01	-	01	03	01	01	-	02	02	01	-	-
चोरी	124	114	87	72	51	21	37	54	62	28	30	53	47	37	12	33	42	36	42	37

जनपदों में अपराधों की रोकथाम हेतु छोटे-छोटे विवादों को चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करायी गयी है एवं माफिया, पेशेवर, कुख्यात अपराधियों का चिन्हीकरण कराकर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करायी जा रही है। रात्रि में प्रभावी गश्त, पेट्रोलिंग, नाका/गाड़ाबन्दी, पिकेट आदि की प्रभावी व्यवस्था की गयी है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है, फलस्वरूप अपराधों पर नियन्त्रण रखा गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत क्षेत्र भोकरहेडी में सीवर लाइन डाले जाने की मांग

17-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत क्षेत्र, भोकरहेडी में सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में मंडल/जनपद मुख्यालयों, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहरों में सीवर लाइन डाले जाने की व्यवस्था प्रथम चरण में की गई है।

जनपद मुजफ्फरनगर में गत वर्षों में तहसीलवार लगे रि-बोर हैण्डपम्पों का विवरण

18-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व वर्ष 2010-11 में वर्षवार एवं तहसीलवार कितने-कितने नये हैण्डपम्प लगे व कितने हैण्ड पम्प रि-बोर किये गये ? क्या सरकार उक्त की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-2008, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में वर्षवार एवं तहसीलवार अधिष्ठापित नये/रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों का विवरण निम्नानुसार है:--

वित्तीय वर्ष	तहसील	नये हैण्डपम्प	रिबोर हैण्डपम्प
2007-08	सदर	657	400
	जानसठ	350	217
	खतौली	217	150
	बुढ़ाना	391	108
	कैराना	678	248
	शामली	313	214
	योग:-	**2606**	**1337**
2008-09	सदर	553	283
	जानसठ	325	137
	खतौली	98	72
	बुढ़ाना	350	382
	कैराना	675	316
	शामली	373	207
	योग:-	**2374**	**1397**
2009-10	सदर	375	351
	जानसठ	196	217
	खतौली	353	117
	बुढ़ाना	174	369
	कैराना	390	459
	शामली	137	281
	योग:-	**1625**	**1794**
2010-11	सदर	432	587
	जानसठ	229	269
	खतौली	88	112
	बुढ़ाना	148	630
	कैराना	351	820
	शामली	152	710
	योग:-	**1400**	**3128**

जी हां। मा0 सदस्य को अलग से उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की कतिपय क्षेत्र पंचायतों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों के कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

19-जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज की क्षेत्र पंचायत घुघली परतावल और पनियरा में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हैं ? इन सड़कों पर कितना कार्य हुआ है और इस पर कितना धन व्यय हुआ है और सड़कों को पूरा न किये जाने का क्या कारण है तथा अधूरे कार्य कब तक पूरे कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत घुघली, परतावल तथा पनियरा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्रमशः 14, 5 व 10 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनके नाम, लम्बाई व लागत के विवरण† संलग्न है।

सड़कों पर किये गये कार्य एवं व्यय किये गये धन का विवरण संलग्न है। अधूरे कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कर एवं निबन्धन विभाग में उप निबन्धक पदों पर पदोन्नति के आधार पर भर्ती की व्यवस्था को बहाल किये जाने की मांग

20-श्री कुबेर सिंह-

क्या संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर एवं निबन्धन विभाग में उप निबन्धक पदों पर मुख्यालय अधिष्ठान के मिनिस्ट्रीयल पदों तथा जिला अधिष्ठान के मुख्य निबन्धक लिपिकों/रिकार्ड कीपर/निबन्धन लिपिकों में से पदोन्नति के आधार पर भर्ती की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार निचले स्तर के कर्मचारियों की प्रोन्नति को पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

वेतन समिति (2008) द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 22-11-2010 में यह निर्णय सूचित किया गया है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में उपलब्ध उप निबन्धक के पदों पर मुख्यालय अधिष्ठान के मिनिस्ट्रीयल पदों तथा जिला अधिष्ठान के मुख्य निबन्धन लिपिकों/रिकार्ड कीपर/निबन्धन लिपिकों में से पदोन्नति के आधार पर भर्ती की व्यवस्था समाप्त की जाय।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रकरण विचाराधीन है।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 251-252 पर)

जनपद गोण्डा में मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय के अनियमितता की जांच

21-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 16-2-2010 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन के पत्र सं0-वी0आई0पी0-70/ 38-7-2010-24 (नियम) 2010, दिनांक 12-3-2010 द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को जांच हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद-गोण्डा में मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री क्रय में की गयी अनियमितता की जांच कर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शासन के पत्र संख्या-वी0आई0पी0-70/ 38-7-2010-24(नियम)/10, दिनांक 12-03-2010 द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को दिये गये थे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व शासन के पत्र संख्या-4389/38-7-09-233 एन0आर0ई0जी0ए0/09, दिनांक 05-01-10 के द्वारा जनपद गोण्डा में ही मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में शिकायतों की जांच संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को दी गयी थी, जिन्होंने कई शिकायती बिन्दुओं की जांच पूरी कर ली है व शेष की जांच की जा रही है। संयुक्त विकास आयुक्त, आजमगढ़ द्वारा अनुरोध किया गया कि एक ही जनपद की एक ही योजना के क्रियान्वयन में शिकायतों की जांच दो अलग-अलग अधिकारियों से कराने में विरोधाभाष पूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं, अतः एक ही अधिकारी से जांच करायी जाय। सम्यक् विचारोपरान्त व आजमगढ़ की गोण्डा से दूरी को देखते हुए अब इन बिन्दुओं की जांच भी संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा द्वारा शासन के पत्र संख्या-वीआईपी0-206/38-7-2011-24नियम/11, दिनांक 30-7-11 के द्वारा निर्देशित की गयी है। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के पुराना विधायक निवास एवं उदयगंज रोड से सुअरों को हटाये जाने की मांग

22-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 लागू है ? यदि हां, तो क्या पुराना विधायक निवास एवं उदयगंज रोड जैसे वी0आई0पी0 क्षेत्र में अभी तक सुअर विचरण करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों से सुअरों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में यदा-कदा सुअर आ जाते हैं।

समय-समय पर सुअरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है। दिनांक 21-5-2009 से 11-3-2011 तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 525 सुअरों को पकड़कर कॉजी हाउस में बन्द कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के उदयगंज के सरकारी प्राइमरी स्कूल के बगल से कूड़ा घर हटवाये जाने की मांग

23-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के उदयगंज रोड पर सरकारी प्राइमरी स्कूल के बगल में सड़क पर कूड़ा डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उदयगंज की आबादी के लिये पूर्व चिन्हित कूड़ा पड़ाव स्थल पर कूड़ा डाला जाता है, जिसे नियमित रूप से प्रतिदिन उठवा कर कूड़ा निस्तारण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के उदयगंज रोड पर सुअरों को पकड़ने की कार्यवाही

24-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-97 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में सुअर पकड़ने के अभियान के अन्तर्गत सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर दिनांक 21-5-2009 से 11-3-2011 तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 525 सुअरों को पकड़ कर कॉजी हाउस में बन्द कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग के व्यक्तियों को सचिवालय स्तर पर गठित सेल में नियमित करने की मांग

25-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में गठित अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग स्थाई रूप से कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो इस विभाग में सचिवालय स्तर पर गठित सेल में सृजित पदों पर 15 वर्षों से कार्यरत कार्मिक स्थायी हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सेल में कार्यरत कार्मिकों को स्थाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग का गठन वर्ष 1995 में किया गया था। यह विभाग वर्तमान में कार्यरत है।

जी नहीं।

सेल में कार्यरत निगम/संविदा के कर्मियों को सचिवालय स्तर पर गठित सेल में नियमित/स्थायी करने का कोई नियम नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

26-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

[दिनांक 05-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर की श्रीमती अन्जू श्रीवास्तव द्वारा दहेज उत्पीड़न विषयक पत्र का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

27-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-114 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो कितने लोगों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार श्रीमती अन्जू श्रीवास्तव पत्नी श्री मोहित श्रीवास्तव को सम्बन्ध विच्छेद कराकर विवाह में खर्च किये गये धन व सामान (जेवर सहित) की वापसी हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मु0अ0सं0-43/2011 धारा-498ए/323/506 भा0दं0वि0 व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट का अभियोग वादिनी श्रीमती अन्जू श्रीवास्तव पत्नी मोहित श्रीवास्तव निवासी 628-शिवनगर मसवानपुर थाना कल्याणपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कल्याणपुर पर मोहित श्रीवास्तव (पति) पुत्र श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, 2-ऊषा उर्फ बिटोला (सास) पत्नी श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, 3-श्रीमती लवली पत्नी बबलू, 4-श्रीमती रेखा पत्नी पप्पू, 5-बबलू पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण याकूबपुर थाना बेला जनपद औरैया के विरुद्ध दिनांक 13-1-2011 को पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना से अभियोग में अभियुक्त मोहित श्रीवास्तव (पति) एवं श्रीमती ऊषा उर्फ बिटोला (सास) के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-334/11 दिनांक 28-6-2011 को प्रेषित करते हुए विवेचना की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

अभियुक्त मोहित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया और अभियुक्ता श्रीमती ऊषा उर्फ बिटोला हाजिर अदालत होकर जेल रवाना हुयीं। शेष तीन अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई।

यह बिन्दु मा0 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद चित्रकूट व लखनऊ में वायु मण्डल से आक्सीजन लेकर आक्सीजन गैस का उत्पादन करने वाले कारखाने की जांच की कार्यवाही की मांग

28-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वायु मण्डल में स्थित/व्याप्त आक्सीजन को लेकर व्यावसायिक कार्य हेतु आक्सीजन गैस का उत्पादन किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस नीति के अनुसार ? क्या सरकार इलाहाबाद, चित्रकूट, लखनऊ आदि जनपदों में आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाले कारखानों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत वायु मण्डल की वायु से व्यवसायिक गतिविधियों हेतु आक्सीजन लेने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

इलाहाबाद, चित्रकूट व लखनऊ में आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली 07 इकाइयां चिन्हित हैं। आक्सीजन उत्पादन करने वाले इन उद्योगों से वायु एवं जल प्रदूषण की संभावना नहीं रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की कतिपय नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की मांग

29-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में चमुदई, मनवर एवं बिशुही नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रदूषित नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चमदई, मनवर एवं बिसुही नदी के जल के नमूने एकत्र कर जांच कराई गई। विश्लेषण परिणामों के अनुसार उक्त नदियों के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गई तथा नदियों के जल में किसी प्रकार के रंग अथवा गंध की समस्या नहीं पायी गयी। इस प्रकार प्रश्नगत नदियों के जल में प्रदूषण की समस्या नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम गोगेपुर के शिव मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

30-श्री राजेश यादव-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम-गोगेपुर में स्थित पौरांणिक शिव मन्दिर को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

इस स्थल के पर्यटन विकास हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के थाना हरैया के थानाध्यक्ष के विरुद्ध निष्पक्ष जांच विवेचना की कार्यवाही की मांग

31-श्री उदय राज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में श्री अमरेन्द्र राय तत्कालीन थानाध्यक्ष, हरैया के विरुद्ध थाना हरैया में धारा-323/409/504/389/342 आई0पी0सी0 में संजय सिंह पुत्र हरपाल सिंह ग्राम/पोस्ट भदावल कलॉ, थाना हरैया, जिला बस्ती द्वारा दिनांक 27-5-2010 को मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री अमरेन्द्र राय, वर्तमान समय में जनपद बस्ती में किसी थाना/कोतवाली में तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री अमरेन्द्र राय को जनपद बस्ती से अन्यत्र स्थानान्तरित कर निष्पक्ष विवेचना की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। धारा-323/452/504/389/342/506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत थाना हरैया जनपद बस्ती पर मु0आ0 सं0-5016/10 बनाम अमरेन्द्र कुमार राय थानाध्यक्ष हरैया दिनांक 18-9-10 को दर्ज कराया गया था, किन्तु विवेचना से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

जी हां। श्री अमरेन्द्र कुमार राय थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती के पद पर जनपद बस्ती में तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

32-33-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

34-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के अम्बेडकर गांवों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास दिये जाने की मांग

35-श्री लालजी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अम्बेडकर गांवों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी गांव के बी0पी0एल0 परिवारों को भी इन्दिरा आवास दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत इन्दिरा आवास योजना के मार्ग-निर्देश में निहित प्राविधान के अनुसार बी0पी0एल0 सर्वे-2002 के अनुसार बी0पी0एल0 सूची से तैयार की गई

स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर वरीयता क्रम में आवास विहीन परिवारों को इन्दिरा आवास दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान

36-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, जालौन में वर्ष 2008 से जून, 2011 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत किन-किन विभागों द्वारा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा न करके मस्टर रोल भरकर अनियमित रूप से किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन में दिनांक 15-8-2008 से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा तथा कमासिन में अग्निशमन उपकेन्द्र खोले जाने की मांग

37-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने अग्निशमन केन्द्र हैं ? क्या सरकार ब्लाक जसपुरा तथा कमासिन में एक-एक अग्निशमन उपकेन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बांदा में एक अग्निशमन केन्द्र है।

अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर शासन द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है।

जनपद इलाहाबाद के थाना कैंट में पंजीकृत मुकदमा तथा कार्यवाही

38-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना कैंट में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0-264/2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर चोरी गई सम्पत्ति की बरामदगी कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

थाना कैण्ट पर दर्ज मु0अ0सं0-264/2010 धारा-454ए380 भा0द0वि0 की विवेचना के दौरान तमाम पतारसी सुरागरसी किये जाने के पश्चात भी चोरी गये माल की बरामदगी न होने के कारण विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट संख्या-20/2011, दिनांक 27-3-2011 को मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में इस्कान मन्दिर के बगल में अनाधिकृत डेरी को हटवाये जाने की मांग

39-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-78 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में इस्कान मन्दिर के बगल में अनाधिकृत डेरी को हटाने विषयक वाद संख्या-921/2008 में स्थगन आदेश हटवाने की कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद के इस्कान मन्दिर के बगल में अनाधिकृत डेरी को हटाने विषयक वाद संख्या-921/2008 श्री त्रिवेणी सिंह बनाम नगर निगम आदि में नगर निगम द्वारा उक्त आदेश को वैकेट कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी महिला के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

40-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या होम्योपैथ चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कई जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, महिला के पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि लखनऊ शहर के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में महिला चिकित्साधिकारी का पद रिक्त न होने के बावजूद होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी महिला पद हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित महिलाओं को तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ में तैनात होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी (महिला) पद हेतु नियुक्ति अतिरिक्त चिकित्साधिकारियों को जनपद के अन्य चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'')-

प्रदेश के 09 जनपदों यथा महोबा, बदायूं, पीलीभीत, ज्योतिबाफूले नगर, संतकबीर नगर, बलिया, बलरामपुर, श्रावस्ती तथा महराजगंज के जिला चिकित्सालयों/मुख्यालयों पर स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में महिला चिकित्साधिकारी के पद रिक्त हैं।

जी हां।

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2011-12 शून्य घोषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट मण्डल में जनपदवार खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

41-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट मण्डल में जनपदवार कुल कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

चित्रकूटधाम मण्डल में अप्रैल, 2011 की सूची के अनुसार जनपदवार खराब हैण्डपम्पों की स्थिति निम्नानुसार है :-

जनपद का नाम	स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की संख्या
बांदा	1280
हमीरपुर	1000
महोबा	302
चित्रकूट	500
योग :-	3082

रि-बोर योग्य खराब हैण्डपम्पों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में ठीक कराया जाना प्रस्तावित है। अस्थाई रूप से खराब इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प ग्राम पंचायतों द्वारा ठीक कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद में गुणवत्ता विहीन अर्द्धनिर्मित पानी की टंकी के लोकार्पण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

42-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 550/रालोद/विमदल/वि0स0/2011, दिनांक 04-04-2011 जो ग्राम बेदई, विकास खण्ड सादाबाद, जनपद महामायानगर में गुणवत्ता विहीन एवं अर्द्धनिर्मित पेयजल योजना की टंकी के लोकार्पण विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जांच उत्तर प्रदेश जल निगम की डी0 ए0 सी0 से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

43-श्री कुबेर सिंह-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा मेडिकल कालेज की भांति जनपद एटा में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

44-श्री कुबेर सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोगियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आगरा मेडिकल कालेज की भांति जनपद एटा में मेडिकल कालेज खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं। प्रदेश में छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ तथा ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (इटावा) तथा 06 राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा झांसी में स्थापित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में 06 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जालौन (उरई), कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर एवं बांदा में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः नये मेडिकल कालेज की स्थापना का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में राज्य कर्मियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग

45-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त सामान्य अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या जी-2-175/दस- 2011-601/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा राज्यकर्मियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो क्या वी0 आई0 पी0 सुरक्षा में तैनात शैडो/गनर को भी उक्त लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिठवल को दो भागों में विभाजित कर नया विकास खण्ड बनाये जाने की मांग

46-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर का विकास खण्ड मिठवल बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्रफल है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विकास खण्ड को दो भागों में अलग-अलग विभाजित करके एक नये विकास खण्ड का सृजन कर तिलौली विकास खण्ड मुख्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद सिद्धार्थनगर का विकास खण्ड मिठवल की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 170311 हैं न्यूनतम एक लाख की आबादी पर नये विकास खण्ड का सृजन किया जाता है।

अतः विकास खण्ड मिठवल को विभाजित कर नया विकास खण्ड सृजित किये जाने का कोई प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

47-48-49-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में मृत कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम ब्याज के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही

50-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में वर्ष 2009 से अब तक सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम ब्याज के कितने प्रकरण लम्बित हैं ? उपरोक्त लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009 से सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम ब्याज के 02 प्रकरण लम्बित हैं।

स्व0 श्री सुशील कुमार गुप्ता के भवन निर्माण अग्रिम के ब्याज का निस्तारण हो गया तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका हैं स्व0 श्री बसन्त बल्लभ पन्त की पत्नी के द्वारा भवन निर्माण अग्रिम की अवशेष धनराशि राजकीय कोषागार इलाहाबाद में जमा करा दी गयी है। उनके ब्याज के सत्यापन हेतु महालेखाकार से अनुरोध किया जा रहा है।

लम्बित प्रकरणों में से एक प्रकरण का निस्तारण हो गया है तथा दूसरे प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में मृत कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन के लम्बित मामले

51-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में वर्ष 2009 में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों की पारिवरिक पेंशन के कितने पी0पी0ओ0 जारी किये जाने हेतु लम्बित हैं ? लम्बित पी0पी0ओ0 को जारी किये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2009 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में सेवाकाल के दौरान मृत 03 कर्मचारियों में से, सभी के पारिवारिक पेंशन के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम सहारनपुर द्वारा क्रेगी नाले के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच

52-श्री इमरान मसूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम सहारनपुर द्वारा निर्माण किये गये क्रेगी नाला का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन एवं आई0टी0आई0 रूड़की से प्राप्त डिजाइन के विपरीत कर शासकीय धन के दुरुपयोग विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक वि0का0-0026/2011, दिनांक 22-04-2011 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

क्रेगी नाले के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई हैं उक्त कमेटी की जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है, किन्तु इस प्रकरण की एक अन्य जांच मण्डलीय तकनीकी परामर्श समिति (टी0ए0सी0) द्वारा की गयी। उक्त जांच में मुख्य रूप से निर्माणाधीन नाले की वास्तविक लम्बाई, प्राक्कलन की जांच व समय की बाध्यता तथा समय से कार्य पूर्ण न कराये जाने के लिये कौन दोषी है, आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है। जांच आख्या में कहा गया है कि विलम्ब के लिये प्राकृतिक एवं स्थानीय समस्यायें कारण रही हैं। इस विलम्ब के लिये प्रत्यक्ष रूप से कोई दोषी प्रतीत नहीं होता है। तकनीकी परामर्श समिति की जांच आख्या मण्डलायुक्त सहारनपुर को प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर नवाबगंज मार्ग से ग्राम बकड़िहवा तक लेपन कार्य कराने की मांग

53-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-3,073325 दिनांक 07-09-2010 जो विधायक निधि वर्ष 2004-05 में मनकापुर नवाबगंज मार्ग कि0मी0 तीन से ग्राम बकड़िहवा चार सौ पचास मीटर लेपन कार्य कराने हेतु जिलाधिकारी, गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य हेतु कार्यदायी संस्था पैक्सफेड को दिनांक 05-03-2005 को धनराशि रु0 6.70 लाख अवमुक्त की गयी थी, किन्तु स्थल विवाद के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 17-07-2010 को उक्त धनराशि वापस कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष क्षेत्र पंचायतों को दी गयी धनराशि

54-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कितना धन आवंटित किया गया तथा आवंटन के सापेक्ष किन-किन क्षेत्र पंचायतों में कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? क्या उक्त आवंटन समानता के

आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवंटित धनराशि सभी क्षेत्र पंचायतों में खर्च कर ली गयी है ? यदि हां, तो कितने जॉबकार्ड धारकों को (पुरुष/महिला) को रोजगार दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद गोण्डा को योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 में 10912.836 लाख रु0 एवं 2010-11 में 11621.836 लाख रु0 आवंटित हुआ है। आवंटन के सापेक्ष क्षेत्र पंचायतों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में धनराशि आवंटन का विवरण †संलग्न है।

धनराशि का आवंटन क्षेत्र पंचायतों के श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजनानुसार क्षेत्र पंचायतों की मांग को आधार मानते हुये किया गया।

उपरोक्तानुसार।

क्षेत्र पंचायतों द्वारा खर्च की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में 99312 (पुरुष-84836 महिला-14476) तथा वर्ष 2010-11 में 113378 (पुरुष-96744 महिला-16634) जाब कार्ड धारकों को रोजगार दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना की क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

55-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना जानकीपुरम् सेक्टर आई के प्रभात तिराहे से मड़ियांव जाने वाला मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं कम चौड़ा होने के कारण आवागमन अव्यवस्थित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उक्त जर्जर सड़क की मरम्मत हेतु रु0 25.00 लाख का आगणन प्रस्तावित है। धनाभाव के कारण वर्तमान में कार्य नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 सचिवालय के प्रवेश द्वारों के बाहर आगन्तुकों हेतु जल पान गृह की स्थापना कराये जाने की मांग

56-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय के प्रवेश द्वार संख्या-05, 09 एवं 10 के बाहर सचिवालय में बाहर से आने वाले आगन्तुकों हेतु सरकार जलपान गृह स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 253 पर)

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय की सुरक्षा के दृष्टिगत सचिवालय के प्रवेश-द्वारों के बाहर जलपान-गृह का निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है।

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों के ग्रामीण क्षेत्र में अधिष्ठापित हैण्डपम्प एवं रि-बोर हैण्डपम्पों का विवरण

57-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द के ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने हैण्डपम्प स्थापित हैं ? उनमें से कितने हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में रि-बोर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बांदा के विकास खण्ड-जसपुरा, तिन्दवारी एवं बड़ोखर खुर्द के ग्रामीण क्षेत्र में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हेण्डपम्पों का विवरण निम्नानुसार है:-

विकास खण्ड	अधिष्ठापित हैण्डपम्प की संख्या
जसपुरा	1960
तिन्दवारी	3138
बड़ोखर खुर्द	2918
योग	8016

निम्नानुसार इण्डिया मार्क-II हेण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं-

विकास खण्ड	स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की संख्या
जसपुरा	70
तिन्दवारी	124
बड़ोखर खुर्द	156
योग	350

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के कतिपय ग्रामों में आवागमन हेतु मार्गों को ठीक कराये जाने की मांग

58-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-कुरसंडा, सरौठा, बिसावर विकास खण्ड-सादाबाद, जनपद-महामायानगर की आबादी भाग का पोखर जलप्लावन के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोखरों की सफाई कराकर ग्रामीणों के आवागमन के मार्गों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

उपरोक्त तीनों ग्रामों का स्थलीय सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी, सादाबाद से कराकर अवर अभियंता (ग्रा0अ0से0) से ग्राम विसावर हेतु रु0 68.031, ग्राम कुरसण्डा हेतु रु0 46.741 तथा ग्राम सरौठ हेतु रु0 30.388 लाख का प्राक्कलन तैयार कराया गया। यह कार्य विकास खण्ड से सम्भव न हो पाने के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हाथरस को प्रेषित कर कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के थाना कोतवाली सादाबाद में पंजीकृत अपराध में अपराधियों को चिन्हित कर कार्यवाहियों की मांग

59-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली सादाबाद, जनपद महामायानगर में पंजीकृत अपराध सं0-400/2010, दिनांक 19-12-2010 धारा-392 के अपराधियों को चिन्हित कर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी से दिन दिहाड़े हुयी लूट की रकम की बरामदगी हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

थाना सादाबाद, जनपद महामायानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-400/10 धारा-392 भा0द0वि0 का नहीं, बल्कि धारा-147/452/323/324/504/506 भा0द0वि0 का है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों से लूट का कोई प्रकरण नहीं है, बल्कि आपसी मारपीट का है। प्रकरण में विवेचना उपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। घटना की तिथि 19-12-10 के अनुसार अभिलेखों के परीक्षण से दिनांक 19-12-10 को मु0अ0सं0 761/10 धारा-392 भा0द0वि0 दर्ज है, जिसमें वादी उदयवीर सिंह राना, पशुधन प्रसार अधिकारी बिसावर है। जिनके द्वारा एक लाख रुपये के लूट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उ0नि0 द्वारा सम्पादित की गयी थी। जिनके द्वारा किसी अपराध का होना न पाये जाने के कारण अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्मखारिजा एफ0आर0 नं0-157 दिनांक 24-12-10 को समाप्त कर दी गयी है। अब इस अभियोग में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की नगर पंचायत सहपऊ में जल निकासी की समस्या हेतु नाला निर्माण कराये जाने की मांग

60-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत सहपऊ, जनपद महामायानगर में जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सहपऊ का पत्र दिनांक 14-02-2009 अनु सचिव, नगर विकास, अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन

को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-1521/नौ-5-2009-53 नियम/2008 दिनांक 04-03-2009 के द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सहपऊ जनपद महामायानगर को अवगत कराया गया कि यदि निकाय नाले का निर्माण अपने वित्तीय संसाधनों से कराने में असमर्थ है तो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मा0 कांशीरामजी नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण लिये जाने का प्रस्ताव निकाय बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ शासन को प्रस्तुत किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में नगर पंचायत से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर कस्बा-सहपऊ में क्षतिग्रस्त पुलिस थाना एवं आवासों की मरम्मत कराये जाने की मांग

61-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा-सहपऊ, जनपद महामायानगर के क्षतिग्रस्त पुलिस थाना भवन एवं पुलिस कर्मियों के आवासों की मरम्मत कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद महामायानगर के थाना सहपऊ के थाना भवन की स्थिति सही है। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों की मरम्मत कराने की योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद, में हैण्डपम्प रि-बोर कराने विषयक प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

62-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में हैण्डपम्प रि-बोर कराने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-457/रालोद/विमदल/विस/2011 दिनांक 11-01-2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 58 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के अनुरोध के सापेक्ष 47 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर चालू किया जा चुका है।

अवशेष रि-बोर योग्य इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की जानकीपुरम् विस्तार योजना की सीवेज लाइन को मुख्य लाइन से जोड़े जाने की मांग

63-श्री लाल जी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीपुरम् विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-09 की सीवेज लाइन को मुख्य सीवेज लाइन से जोड़े जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

सेक्टर-09 की सीवेज लाइन मुख्य सीवेज लाइन से जुड़ी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज मुख्यालय में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित कराये जाने की मांग

64-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र/उपकेन्द्र स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज मुख्यालय में भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थायी अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही सम्प्रति सम्भव नहीं हो पा रही हैं। सीजनल अग्निशमन व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 मार्च, से 30 जून तक तथा 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक कोतवाली कर्नेलगंज में अस्थायी सीजनल अग्निशमन व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है।

जनपद गोण्डा की पुलिस चौकी वालपुर को उच्चीकृत कराये जाने की मांग

65-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की पुलिस चौकी वालपुर को उच्चीकृत कर थाना बनाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद गोण्डा के कतिपय बाजारों में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की मांग

66-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वालपुर बाजार, कौडिया बाजार में नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-गोण्डा के बालपुर बाजार एवं कौड़िया बाजार में पर्याप्त संख्या में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-IIहैण्डपम्प से प्राप्त होने वाला जल रासायनिक अशुद्धियों से मुक्त है एवं शुद्ध पेयजल की समस्या नहीं है।

निर्धारित मानक से कम जनसंख्या होने के कारण उक्त ग्रामों में पाइप पेयजल योजना का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश के पुलिस थानों में सिपाही की तैनाती की समय सीमा एवं शासकीय नीति के विरुद्ध तैनातों के स्थानान्तरण की मांग

67-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक थाने में एक सिपाही की तैनाती की समय सीमा क्या है ? क्या जनपद गोण्डा के कई थानों में सिपाहियों की तैनाती शासकीय नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उन्हें अन्यत्र तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

एक थाने में एक सिपाही की तैनाती की समय-सीमा 03 वर्ष है।

जनपद गोण्डा में किसी भी पुलिस कर्मी की तैनाती किसी भी थाने में शासकीय नीति के विरुद्ध नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

68-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

निम्नलिखित जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं :-

कानपुर नगर, रमाबाईनगर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, ललितपुर, जालौन, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, छत्रपतिसाहूजी महाराज नगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, काशीरामनगर, एटा, महामायानगर, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मुरादाबाद, बिजनौर, ज्योतिबाफूलेनगर, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर।

जी हां।

विशेष चयन 2008 में चयनित 14 खण्ड विकास अधिकारियों की उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की संस्तुति प्राप्त हो गयी है। तैनाती के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। सीधी भर्ती के 15 दिन रिक्त पदों को भरे जाने का अधियाचन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, को भेजा गया है।

पदोन्नति कोटे के 87 पात्र अधिकारियों की पदोन्नति खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर किये जाने के सम्बन्ध में अधियाचन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को भेजा गया है। वर्तमान में परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर बनायी गयी ज्येष्ठता सूची को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका मा0 उच्चतम न्यायालय में अभी विचाराधीन है, जिसके कारण वर्तमान में पदोन्नति संभव नहीं हो पा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालयों बनवाये जाने की मांग

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी की जनसंख्या व मलिन बस्तियों की अधिक संख्या को देखते हुये क्या सरकार पट्टी में नये सुलभ शौचालय बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

जी नहीं, क्योंकि ''उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916'' के अनुसार सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाना सम्बन्धित नगर निकायों के दायित्व क्षेत्र में आता है जो एक सांविधिक स्वशासी निकाय हैं। मलिन बस्तियों के निवासियों को आधारभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्त अधिनियम में अधिसूचना संख्या-341/79-वि0-1-11-1(क) 13-2011, दिनांक 09 मार्च, 2011 द्वारा बजट व्यवस्था हेतु आवश्यक संशोधन भी किये जा चुके हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में खण्ड विकास अधिकारी की नियमित नियुक्ति की मांग

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, बेलखरनाथ धाम में नियमित खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त ब्लाकों में खण्ड विकास अधिकारी की नियमित तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

1-विकास खण्ड मंगरौरा में श्रीमती कुसुम सिंह कार्यरत हैं।

2-विकास खण्ड बेलखरनाथ धाम में श्री जनार्दन प्रसाद यादव कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में थानेवार चेन स्नेचिंग, हत्या एवं डकैती की घटनायें तथा रोकने की नीति

71-श्री दीपक कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में गिरती हुयी कानून व्यवस्था के कारण वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चेन स्नेचिंग, हत्या, डकैती, चोरी की कितनी घटनायें किस-किस थाने में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद-उन्नाव में इंगित वर्षवार/थानेवार सूचना निम्नवत् है :-

क्र0 सं0		चेन स्नेचिंग				हत्या				डकैती				चोरी			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
	कोतवाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	गंगाघाट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	बीघापुर	-	-	01	-	03	01	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-
4	अचलगंज	-	-	-	-	02	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-
5	बारासगवर	-	-	-	-	01	01	02	03	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बिहार	01	-	-	04	01	01	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-
7	सफीपुर	-	-	-	-	01	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	बांगरमऊ	-	-	-	-	01-	-	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मांखी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	एफ-84	-	-	-	-	-	01	01	02	-	-	-	-	-	-	-	-
11	हसनगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	आसीवन	-	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	औरास	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
14	अजगैन	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	पुरवा	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मौरावा	-	-	-	-	02	02	03	02	-	-	-	-	01	-	07	05
17	असोहा	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
18	सोहरामऊ	-	-	-	-	01	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
19	महिला थाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधों का सहज पंजीकरण एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही पर बल दिया जाता है तथा जनपदों में नियमित संदिग्ध दो पहिया वाहनों की चेकिंग टीमें बनाकर की जाती है। पेशेवर कुख्यात एवं इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करायी जाती है तथा अपराधियों एवं अराजक तत्वों को चिन्हित कर सतत् प्रभावी कार्यवाही तथा अन्वेषण एवं अभियोजन की कार्यवाही की जाती है। संगठित गिरोहों को चिन्हित कर विशिष्ट अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है तथा पुलिस एवं अन्य अनुपूरक सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण देकर आधुनिक शस्त्रों एवं उपकरणों से लैस किया गया है। अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए जन सहभागिता से भी कार्यवाही की जाती है तथा जनपद से प्रदेश स्तर तक 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम की सक्रिय सेवाएं उपलब्ध हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद बहराइच के मो0 घसियारीपुरा (नई बस्ती) में जल निवासी व्यवस्था सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

72-श्री शब्बीर अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर बहराइच स्थित मो0-घसियारीपुरा (नई बस्ती) में जल निकासी की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी श्री कृष्ण कुमार ओझा, सदस्य, विधान सभा का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22-09-2009, 15-03-2010 एवं 25-07-2010 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

श्री कृष्ण कुमार ओझा, मा0 सदस्य, विधान सभा का मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित केवल पत्र दिनांक 25-07-2010 प्राप्त हुआ है।

श्री ओझा का उक्त पत्र दिनांक 22-09-2010 को जिलाधिकारी, बहराइच तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम को प्रेषित करते हुये उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे अपनी आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करायें। उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के आगणन बनाने हेतु रु0 2.00 लाख की मांग नगर पालिका परिषद् बहराइच से की गई थी जो उपलब्ध नहीं करायी गई। नगर पालिका परिषद् द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण पुनः शासन स्तर से मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम के पत्र 12-05-2011 की छायाप्रति जिलाधिकारी, बहराइच को दिनांक 3-6-2011 को प्रेषित करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि वे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बहराइच को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे जल निकासी के डी0पी0आर0 बनाने हेतु विरचन शुल्क की धनराशि रु0 2.00 लाख अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम बहराइच को तत्काल उपलब्ध करा दें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर की ग्राम सभा जासू में रोजगारी गारन्टी योजना अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों को भुगतान की गयी धनराशि का विवरण

73-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर की ग्राम सभा जासू में वर्ष 2005 से 2010 तक रोजगार गारन्टी योजना के तहत कितने लोगों को जॉबकार्ड के तहत कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान वर्षवार किया गया है ? क्या यह सही है कि अपात्र व अपने परिवार के लोगों को फर्जी रूप से भुगतान कर पूर्व प्रधान द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त धनराशि की रिकवरी करने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम सभा जासू में वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्षवार जॉब कार्ड धारकों को भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	जॉब कार्ड धारकों की संख्या	धनराशि (रु0 में)
2005-06	शून्य	शून्य
2006-07	97	1,99,694.00
2007-08	106	3,16,400.00
2008-09	65	2,15,400.00
2009-10	132	9,41,800.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में खराब पड़े इण्डिया मार्का-टू हैण्डपम्प को रि-बोर कराकर ठीक कराये जाने की मांग

74-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में ऐसे कितने इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्प हैं जो वर्तमान में खराब हैं ? खराब हैण्डपम्पों की गांव वाइज कितनी संख्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन्हें रि-बोर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

माह अप्रैल, 2011 से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद-मैनपुरी में कुल 1,134 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) पाये गये थे।

स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प की ग्राम वार सूची[†] संलग्न है।

जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष ने जनपद मैनपुरी में 450 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 319 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराया जा चुका है। अवशेष 131 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जल संस्थान डिवीजन द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत आवंटित/व्यय धनराशि का विवरण

75-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जल संस्थान डिवीजन झांसी को वर्ष 2005 से 2011 तक कितनी-कितनी धनराशि ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत आवंटित/व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि झांसी जनपद में फर्जी मस्टररोल के आधार पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

झांसी जल संस्थान, डी0बी0 जनम झांसी को वर्ष 2005 से 2011 तक ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत आवंटित/व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय की गई धनराशि
1	2005-06	1392.58	981.86
2	2006-07	947.39	617.35
3	2007-08	1532.43	1918.20
4	2008-09	1617.57	1388.76
5	2009-10	980.39	1643.64
6	2010-11	3933.97	2755.47

जी नहीं।

[†] (छापी नहीं गयी)

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के रामगंज उत्तरी के बव्वन के मकान की गली में अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

76-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर के वार्ड सं0 39 रामगंज उत्तरी में पकड़ी के पेड़ (ट्रांसफार्मर के पास) यूसुफ के मकान से बव्वन के मकान तक गली में रोड पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसे हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, गोरखपुर के वार्ड संख्या-39 रामगंज उत्तरी में पकड़ी के पेड़ (ट्रांसफार्मर के पास) यूसुफ के मकान से बव्वन के मकान तक गली में रोड पर पूर्व में अवैध कब्जा रहा है जिसे हटवाकर नगर निगम द्वारा नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कराया जा चुका है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा अपने मकान के सामने नाली पर स्लैब डालकर कब्जा किया गया है जिसे हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में गत वर्षों में निर्मित सड़कों के निर्माण का विवरण

77-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में किन-किन गांवों में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में निर्माण कराये गये सड़कों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 2009-10

क्र0सं0	(अ) लोक निर्माण विभाग
1	कमलसागर से नहर की पटरी होते हुए बेलौली फरही नाला तक।
2	मधुबन-मझवारा मुख्य मार्ग से सुल्तानीपुर होते हुए चहिया पोखरा तक।
3	नकिहवा से बरहज घाट वाली रोड तक।
4	मधुबन बेल्थरा मार्ग से दुलईचा दोस्त वाया निधियांव तक।
5	मखमेलपुर नहर से सुल्तानीपुर गांव तक।
6	गजियापुर ढाला से लक्ष्मीपुर ढाले तक।
7	सोनाडीह मार्ग से परशुराम मौर्या के घर से टेगुनिया होते हुए।
8	सरायमेवागिरी बाजार का पुरा तक।

9 मधुबन से परसिया तक। (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना)।

(ब) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

10 सुग्गीचौरा से तिलहवा देवारा मार्ग पर पुलिया एवं पेन्टिंग कार्य।

11 सूरजपुर से पाती अनुसूचित बस्ती तक।

(स) मण्डी परिषद्

12 इब्राहिमपुर पट्टी सैड से ग्राम (महूवी पिव रोड से) डफिया होते हुए ग्राम हरियांव, ब्रम्हबाबा के स्थान तक।

वर्ष 2010-11

(अ) लोक निर्माण विभाग

1 सराय अनन्तमल मुख्य बस्ती सम्पर्क मार्ग।

2 चक्काबोझ चौहान/यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।

3 मधुबन बेल्थरा मार्ग से पहाड़ीपुर अनुसूचित बस्ती तक।

4 जोगरी सड़क से अल्लीपुर अनुसूचित बस्ती तक।

5 नेमडांड पक्की सड़क से हिसानपुर होते हुए अल्लीपुर अनुसूचित बस्ती तक।

6 भैरोपुर बन्धे से करखन्ना गांव तक।

7 मधुबन बेल्थरा मार्ग से लधुवाई तक।

8 सुग्गीचौरी बरहज मार्ग से टांडी तक।

(ब) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

9 शहीद रोड से तिनहरी सोनमरिया अनुसूचित बस्ती तक।

(स) मण्डी परिषद्

10 पम्प नहर की शाखा से छतहरा दलित बस्ती होते हुए पिच मार्ग की पुलिया तक।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति के अन्तर्गत रोजगार हेतु लाभान्वित व्यक्ति

78-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति लागू की गयी है ? यदि हां, तो यह नीति क्या है, इसके अन्तर्गत कितने लोगों ने आवेदन किया तथा 31 मार्च, 2011 तक कितने लोगों को रोजगार हेतु लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

फेरी वाला का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो बिना किसी स्थायी निर्मित संरचना के किन्तु अस्थायी स्थिर संरचना या चलती फिरती दुकान से या सिर पर भार रखकर बिक्री के समान या सेवायें प्रदान करता है। फेरी वालों पटरियों या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों पर स्थान ग्रहण कर स्थिर हो

सकते हैं या इस प्रकार चलते फिरते हो सकते हैं कि वे ठेला गाड़ी पर या साइकिल पर या अपने सिर पर टोकरी रखकर या चलती हुई आदि में अपने सामान का विक्रय कर सकते हैं। नगरीय फेरी वाला के अन्तर्गत व्यापारी और सेवा प्रदाता स्थिर और चलते फिरते फेरी वाले पटरी वाला पटरी व्यापारी आदि सम्मिलित हैं। उक्त के अन्तर्गत 6860 आवेदन प्राप्त हुए। 31 मार्च, 2011 तक 547 लोगों को आईकार्ड/परिचय पुस्तक वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की बजाज शुगर मिल का एवं दतौली शुगर मिल का गन्दा पानी नदी में गिराने की जांच

79-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की बजाज शुगर मिल का गन्दा पानी चमदई नदी में एवं दतौली शुगर मिल का गन्दा पानी विसुही नदी में गिरने से नदी के आसपास सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं तथा जनजीवन के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर इसके निदान हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 बजाज शुगर मिल लि0 जो वर्तमान में आफ सीजन के कारण बंद है, में उत्प्रवाह शोधन की पूर्ण एवं समुचित व्यवस्था स्थापित है। उत्प्रवाह शोधन के पश्चात उत्प्रवाह का निस्तारण नाले के माध्यम से चमदही नदी में मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाता है। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह एवं कूलिंग प्रक्रिया से जनित बहिश्राव को रि-साइकिल भी किया जाता है। दिनांक 2-1-2011 को उद्योग से निस्तारित बहिश्राव का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित कराया गया तथा उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप है। दिनांक 2-7-2011 को चमदही नदी के जल के नमूने एकत्रित कर अद्यतन जांच करायी गयी। जांचोपरान्त नदी में घुलित आक्सीजन की मात्रा संतोषजनक तथा इसमें रंग एवं गंध आदि की समस्या नहीं पायी गयी।

दतौली स्थित मेसर्स मनकापुर चीनी मिल्स लि0 शुगर यूनिट जो वर्तमान में आफ सीजन के कारण बन्द है, में उत्प्रवाह शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा उद्योग के संचालन की स्थिति में उद्योग से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह बोर्ड मानकों की पूर्ति करता हुआ पाया गया।

दतौली मनकापुर स्थित मनकापुर शुगर मिल लि0 (आसवनी इकाई) जो वर्तमान में दिनांक 22-6-2011 से बन्द है, में रेक्टीफाइड स्प्रिट का उत्पादन किया जाता है तथा उद्योग से जनित प्रदूषणकारी औद्योगिक उत्प्रवाह (स्पेण्टवाश) के शुद्धिकरण हेतु रिवर्स आसमोसिस प्लान्ट तथा बायो कम्पोस्टिंग प्लान्ट स्थापित कर शून्य, उत्प्रवाह निस्तारण किये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्प्रवाह के भण्डारण हेतु पक्के लैगून की भी व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में उद्योग से किसी प्रकरण का प्रदूषणकारी उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने की सूचना नहीं है।

मनकापुर दतौली मार्ग पर उद्योग के निकट प्रवाहित हो रही बिसुही नदी, दतौली अपस्ट्रीम तथा बिसुही नदी, डाउन स्ट्रीम मनकापुर सादुल्लानगर रोड ब्रिज अमघाटी से एकत्रित जल के नमूनों की जांच की गयी जिसमें घुलित आक्सीजन की मात्रा मानकों के अनुरूप तथा रंग एवं गंध आदि विद्यमान नहीं पाया गया।

जनपद गोण्डा के वजीरगंज एवं मसकनवां बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

80-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वजीरगंज बाजार एवं मसकनवां बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत वजीरगंज एवं मसकनवां बाजार, नगर पंचायत बनाये जाने के मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में वर्षवार स्वीकृत एवं स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण

81-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने हैण्डपम्प वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक स्वीकृत हुये हैं ? उनमें से कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं तथा कितने लगाये जाने शेष हैं ? शेष हैण्डपम्पों को कब तक लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। जनपद-बांदा में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक निम्नानुसार वर्षवार इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्वीकृत/अधिष्ठापित किये गये हैं :-

क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृत हैण्डपम्प	अधिष्ठापित हैण्डपम्प
1	2007-08	1530	1286
2	2008-09	1646	1890
3	2009-10	1355	1355
4	2010-11	800	800
	योग :-	5331	5331

समस्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों की मांग

82-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी, जसपुरा, बडोखर खुर्द, कमासिन में मार्च, 2011 तक कुल कितने जॉब कार्ड बने हैं तथा कितने मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा काम दिया जा रहा है ? क्या स्थलीय निरीक्षण कराकर सभी मजदूरों को काम दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विकास खण्ड विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :-

विकास खण्ड का नाम	मार्च, 2011 तक बने जॉब कार्ड	मजदूरों को दिया गया रोजगार
तिन्दवारी	21174	21392
जसपुरा	11290	7021
बड़ोखर खुर्द	21556	27066
कमासिन	16490	10090

मनरेगा योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों की मांग पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अतः रोजगार की मांग करने वालों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

83-श्री राजा राम कोरी उर्फ त्यागी-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ की जिला योजना में गांवों की विकास योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

84-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की जिला योजना में वर्ष 2009-10, 2010 एवं 2011 में ग्राम सभा स्तर के विकास हेतु क्या योजनायें तैयार कराई गई हैं ? उक्त योजनाओं के अन्तर्गत खैर विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों को लिये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

खैर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की विकास योजनाओं में वर्ष 2009-10 में रु0 4388.58 लाख तथा वर्ष 2010-11 में रु0 3712.28 लाख के कार्य प्रस्तावित किये गये थे, जिसके आधार पर जिला योजना समिति द्वारा ग्रामवार योजनाओं/कार्यक्रमों को अनुमोदित नहीं किया गया है और कुल मिलाकर वर्ष 2009-10 में रु0 534.87 लाख तथा वर्ष 2010-11 में रु0 337.22 लाख के कार्य प्रस्तावित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् अन्तर्गत निर्मित कराये गये मार्गों के घटिया निर्माण की जांच एवं कार्यवाही की मांग

85-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् लखनऊ के अन्तर्गत निर्मित कराये गये मार्ग जो सेक्टर-10 के (ट्यूबवेल नम्बर-10) के पास से निकल कर भवन संख्या-सी 10/4001 से होते हुये एस0के0डी0 स्कूल की ओर डबल रोड का निर्माण आर0सी0सी0 वर्ष 2010 में

कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त के निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या यह सही है कि निर्माण कराये गये कार्य अत्यन्त घटिया होने के कारण दो माह में ही आर0सी0सी0 उखड़ कर गड्ढ़े होने लगे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की जांच कराकर मार्ग का मानक के अनुसार पुनः निर्माण कराते हुये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

कुल रु0 16.27 लाख स्वीकृत किया गया।

जी नहीं, सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के तुरन्त बाद स्थानीय नागरिकों द्वारा नयी सड़क पर वाहन चलाये जाने के कारण कुछ स्थानों पर सड़क की ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त हो गयी थी जिसकी मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के नगर पंचायत सहपऊ में पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

86-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत सहपऊ, जनपद-महामायानगर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नये ओवर हेड टैंक निर्माण विषयक महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-452/ रालोद/विमदल/वि0स0/2011, दिनांक 11-01-2011 तथा पत्र सं0-451/रालोद/विमदल/वि0स0/2011, दिनांक 11-01-2011 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की नगर पंचायत सहपऊ में मलिन बस्तियों में शौचालय निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

87-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत सहपऊ, जनपद महामायानगर में मलिन बस्तियों में शौचालय निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-451/रालोद/विमदल/वि0स0/2011, दिनांक 11-01-2011 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

जी हां। जनपद महामायानगर की नगर पंचायत सहपऊ में 71 शुष्क शौचालय पाये गये थे जिनको जल प्रवाहित में परिवर्तित किया जा चुका है। ''उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916'' के अनुसार नगर निकायों में सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाना नगर निकायों के दायित्वों में निहित

है। अधिसूचना संख्या-341/79-वि-1-11-1(क) 13-2011, दिनांक 09 मार्च, 2011 से मलिन बस्तियों में आधारभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन भी उक्त अधिनियम में किया जा चुका हैं।

88-श्रीमती अरूणा तोमर-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद इलाहाबाद के नगर निगम द्वारा सार्वजनिक शौचालय धोबी घाट व स्नान घर का निर्माण का कार्य

89-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की योजनान्तर्गत इलाहाबाद नगर निगम द्वारा पर्यावरण सुधार व नगर विकास के अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, धोबीघाट आदि के निर्माण की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और वर्ष 2008-09 से मार्च, 2011 तक कितने और कहां-कहां सार्वजनिक शौचालय, धोबीघाट व स्नानघर स्वीकृत/निर्मित हुये हैं और यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

भारत सरकार की एन0जी0आर0बी0ए0 योजना के पांच स्थल पर घोबीघाट तथा 143 सार्वजनिक शोचालयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसकी वित्तीय स्वीकृति मार्च, 2011 के पश्चात् प्राप्त हुई है जिसके उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य योजना से सार्वजनिक शौचालय, धोबीघाट व स्नान घर स्वीकृत/निर्मित नहीं हुए हैं। उक्त कार्य वर्ष 2013 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।

इलाहाबाद नगर निगम द्वारा कतिपय स्थानों पर निर्धन सफाई कर्मचारियों को स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में भूमि के मूल्य को निर्धारण के सम्बन्ध में जानकारी

90-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम द्वारा 01 जुलाई, 1999 को ममफोर्डगंज, काली स्थान, करैलाबाग, मधवापुर तथा खुल्दाबाद आदि स्थानों पर सफाई कर्मियों के आवास हेतु निर्मित जर्जर कालोनियों को उसमें निवासित लोगों को हायर परचेज पद्धति द्वारा देने हेतु संकल्प संख्या-193 पारित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

करैलाबाग निर्धन स्वच्छकार समुदाय कर्मचारियों को स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में क्षेत्रफल के अनुसार भवन भूमि मूल्य निर्धारित किया गया, जो प्रति क्वाटर 1,24,291.00 रु0 आया है जिसका 10 प्रतिशत जमा करने हेतु कर्मचारियों को नोटिस जारी की गयी तथा शेष धनराशि को

आसान किश्तों में जमा कराने के उपरान्त पंजीकरण एवं स्वामित्व प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी किन्तु कर्मचारियों द्वारा धनराशि जमा नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा की ग्राम पंचायत दुरेडी (बड़ोखर खुर्द) के मजरों में इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प स्थापित कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

91-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की ग्राम पंचायत दुरेडी (बड़ोखर खुर्द) में मजरों सहित कुल कितने हैण्डपम्प लगे हैं तथा वर्तमान में कितने हैण्ड पम्प रि-बोर कराये जाने योग्य है ? क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को रि-बोर कराकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बांदा की ग्राम पंचायत दुरेडी (बड़ोखर खुर्द) में सम्मिलित मजरों सहित कुल 62 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

माह जुलाई, 2011 में 05 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने योग्य अवशेष है।

जी हां।

माह सितम्बर, 2011 तक प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

रि-बोर हैण्डपम्पों को उखाड़कर ले जाने सम्बन्धी मुख्य विकास अधिकारी वादों को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही

92-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-3-2011 जोकि रि-बोर हैण्डपम्प को उखाड़कर ले जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा में रि-बोर हैण्डपम्प लगवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

93-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में रि-बोर हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-2011 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत 11 नग हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने की अपेक्षा के सापेक्ष समस्त 11 नग हैण्डपम्पों को सितम्बर, 2011 तक रि-बोर कराकर चालू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कतिपय स्थानों पर पेयजल समस्या के निदान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

94-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी, जसपुरा जनपद बांदा में सर्वे कराकर हैण्डपम्प लगाकर पेयजल समस्या का निदान कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-2011, जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ब्लाक तिन्दवारी, जसपुरा एवं बड़ोखर खुर्द में कुल 49 स्थलों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने के अनुरोध के दृष्टिगत सर्वेक्षणोपरान्त 19 स्थल हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुरूप पाये गये जिस पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा (पी0सी0एस0) में रिक्तियों के विरुद्ध (ओ0बी0सी0) में सर्वोच्च स्थान प्राप्त के सम्बन्ध में जानकारी

95-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा (पी0सी0एस0) 1985, में उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान (महिला शाखा) के अन्तर्गत विज्ञापित 32 रिक्तियों के विरुद्ध पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) में कु0 ऊषा सिंह एवं जबीं आयशा ने उक्त वर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया था ? यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा इन्हें चयनित घोषित कर शासन को संस्तुति प्रेषित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

चूंकि कु0 ऊषा सिंह एवं जबीं आयशा अन्तिम रूप से चयनित नहीं थीं, अतः उनकी संस्तुति शासन को प्रेषित नहीं की गयी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के जंघई क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

96-श्री जोखू लाल यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया क्षेत्र घोषित किये जाने का मानक क्या है ? क्या सरकार जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत जंघई क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-3 एवं शासनादेश संख्या 6250/9-1-86-77सा(3)/82, दिनांक 10-09-1986 द्वारा टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं :-

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(2) प्रस्तावित क्षेत्र की आय रुपये 30,000/- या उससे अधिक होनी चाहिए।

(3) प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।

(4) प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात अच्छा होना चाहिए।

(5) प्रस्तावित क्षेत्र में शहरी गुण तथा पुलिस थानों, विकास खण्ड, आस-पास व्यवसाय केन्द्र, स्कूल, हेल्थ सेन्टर, बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

जी नहीं। जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत जंघई क्षेत्र निर्धारित मानक की पूर्ति नहीं करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद पंजीकृत अपराध एवं घटनाओं पर कार्यवाही की जानकारी

97-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक लूट, हत्या, राहजनी, बलात्कार, डकैती एवं अपहरण की घटनायें जो पंजीकृत हैं, उनमें से कितनी घटनाओं का खुलासा (पर्दाफाश) हुआ तथा शेष घटनाओं में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

लूट-36.	अनावरित-23, शेष-13 में माल-मुल्जिमान का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
हत्या-154,	अनावरित-144, शेष-10 में 01 सी0बी0सी0आई0डी0, 03 एफ0आर0 एवं 06 में विवेचना प्रचलित है।

राहजनी-5,	शेष 5 में माल-मुल्जिमान का पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
बलात्कार-26,	अनावरित-26
डकैती-2,	अनावरित-2
अपहरण-88,	अनावरित-85, शेष-3 में 1 न्यालय से स्थगनादेश एवं 02 में विवेचना प्रचलित है। प्रश्न नहीं उठता।

पी0सी0एस0 परीक्षा अन्तर्गत पिछड़े वर्ग में पांच एवं एस0सी0 में छः पदों पर चयन एवं नियुक्ति में की गयी गम्भीर अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

98-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1985 में आयोजित पी0सी0एस0 परीक्षा के अन्तर्गत उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान महिला शाखा हेतु पिछड़े वर्ग में पांच एवं एस0सी0 के 06 पदों के चयन एवं नियुक्ति में की गयी गम्भीर अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0) से कराये जाने हेतु दिनांक 09-05-2003 को आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 1985 की घटना होने, प्रकरण के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित होने एवं 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण प्रकरण को सी0बी0आई0 को सौंपने से उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र में मनरेगा में घोटालों की जांच

99-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में चार सौ करोड़ रुपये का मनरेगा में घोटाला करने वाले परियोजना निदेशक व उनके सहयोगी सहायक लेखाकार के विरुद्ध हुई शिकायतों की जांच हेतु सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 श्री विनोद शंकर चौबे राज्य क्वालिटी मानीटर मनरेगा की अध्यक्षता में गठित 16 सदस्यीय जांच दल से कराने के बाद जांच आख्या आयुक्त ग्राम्य

विकास एवं शासन को कब प्राप्त हुई है तथा जांच आख्या में क्या संस्तुतियां की गयी हैं ? जांच परिणाम के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

श्री विनोद शंकर चौबे, राज्य गुणवत्ता मानीटर के नेतृत्व में गठित जांच दलों द्वारा निम्न विवरण के अनुसार जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है:--

विकास खण्ड का नाम	उपलब्ध करायी गई जांच रिपोर्ट की तिथि
म्योरपुर एवं बमनी	02-08-2010
नगवा एवं चतरा	05-08-2010
घोरावल (भटौलिया)	25-09-2010
रावर्ट्सगंज	28-09-2010
घोरावल	29-10-2010

जांच आख्याओं में योजनान्तर्गत कराये गये कतिपय कार्यों में अनियमिततायें किये जाने हेतु विभिन्न स्तर कार्मिकों व वर्तमान तथा भूतपूर्व ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित विभागों/प्राधिकारियों के स्तर से की गयी एवं की जा रही कार्यवाहियों का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा के ग्राम खन्दवा में महामाया आवास आवंटन में हुई अनियमितता की जांच विषयक प्राप्त पर पर कार्यवाही

100-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा के ग्राम खन्दवा में महामाया आवास आवंटन में हुई अनियमितता की जांच विषयक ग्रामवासियों का शिकायती-पत्र मार्च/अप्रैल, 2011 जिलाधिकारी बलिया व खण्ड विकास अधिकारी नगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड-नगरा से कराई गई है। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 07 अपात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है। इन 07 लाभार्थियों से उन्हें भुगतान की गई धनराशि की वसूली हेतु विकास खण्ड-नगरा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री प्रमोद कुमार सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत खन्दवा को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गई है।

उपर्युक्तानुसार।

---

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 254-256 पर)।

वित्त विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों व ग्राम पंचायतों को दिया गया अनुदान

101-श्री प्रदीप माथुर-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायतों जिला पंचायतों व ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो मद सहित उसका विवरण क्या है ? क्या उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 परिशिष्ट-एक क्रमांक 95 पर ऐसी संस्थाओं के आडिट करने हेतु स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो वित्त विभाग द्वारा उपरोक्त संस्थाओं का आडिट न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं। इन्हें संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अनुदान दिया जाता है।

उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 के परिशिष्ट-एक के भाग 'ख' के क्रमांक-95 पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 (क) के अन्तर्गत राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली प्रदेश की अन्य समस्त संस्थाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। प्रदेश के जिला एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा पूर्व में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जा रही थी। ग्राम्य पंचायतों की आडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य सेवा) (संशोधन) नियमावली, 1999 (अधिसूचना संख्या-1511/33-2-99-29-जी-99 दि0 18-5-99) के अनुसार शासनादेश संख्या-आडिट-5132/दस-99-101(29)97 दिनांक 16-3-2000 के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की लेखा परीक्षा का दायित्व मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0 को सौंप दिया गया है। वर्तमान में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 में क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद् व गांव सभा को समावेशित न किये जाने का कारण

102-श्री प्रदीप माथुर-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-2घ में स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा में जिला परिषद् क्षेत्र समिति व गांव सभा को रखा गया है ? क्या इसी अधिनियम की धारा-20 का उपयोग करते हुए वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 सृजित की है ? यदि हां, तो उपरोक्त 2घ की परिभाषा के अनुसार जिला परिषद् क्षेत्र समिति व गांव सभा को उपरोक्त नियमावली के किस परिशिष्ट में उल्लिखित किया गया है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? यदि किसी अन्य नियमावली के अनुसार परिशिष्ट में क्षेत्र पंचायत जिला परिषद् व गांव सभा को समावेशित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारायें प्रीवेल करेगी या अन्य किसी नियमावली का नियम ? यदि अधिनियम प्रीवेल करेगा तो नियमावली, 2005 में उपरोक्त तीनों स्थानीय प्राधिकारियों को समावेशित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

नियमावली के किसी भी परिशिष्ट में इन संस्थाओं का उल्लेख नहीं है। जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों का लेखा परीक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा 1999 तक कराया जाता था। तत्पश्चात् पंचायती राज विभाग द्वारा उ0 प्र0 जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली में संशोधन करने के कारण क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखों का परीक्षण कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतों को सौंप दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं एवं उ0 प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 में दी गयी व्यवस्थाओं के मध्य उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिये उ0 प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-2 (घ) जिसमें स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, में संशोधन किया जा रहा है।

प्रदेश में आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को समयमान वेतनमान की मांग

103-श्री इमरान मसूद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक का आठ साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को समयमान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने विषयक पत्र संख्या-188(शा0)/जी0 20/93, दिनांक 12-03-2010 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

इस सम्बन्ध में पात्र अर्थ एवं संख्या अधिकारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के आदेश नियोजन अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1795/35-2-2011-3/4(13)/2006, दिनांक 19-7-2011 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास बनाये जाने की मांग

104-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में आवासों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए नये आवास बनायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहांपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक का आवास नहीं है ? यदि हां, तो उक्त आवास कब तक बनवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से आवासों का निर्माण कराया जाता है।

जी हां, परन्तु पुलिस अधीक्षक आवास हेतु कैण्ट में बंगला किराये पर है, जिसमें पुलिस अधीक्षक काफी दिनों से अध्यासित हैं।

पुलिस अधीक्षक आवास हेतु भूमि की तलाश की जा रही है। उपयुक्त भूमि उपलब्ध होते ही आवास निर्माण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सई व गोमती नदी में बढ़ते प्रदूषण को समाप्त करने की योजना

105-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सई नदी एवं गोमती नदी में बढ़ते प्रदूषण को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सई नदी में प्रतापगढ़ नगर के घरेलू सीवेज से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सीवरेज योजना बनाई गई है। गोमती नदी में लखनऊ, जौनपुर एवं सुल्तानपुर नगरों के घरेलू सीवेज से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के अनेकों ग्रामों में क्यू0पी0वी0 योजनान्तर्गत ओवर हेड टैंक की खराब गुणवत्ता की जांच

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम प्यारेपुर, गौसपुर, अरैला एवं सराय मधई में क्यू0पी0वी0 योजनान्तर्गत स्थापित पेयजल योजना के अन्तर्गत बनाये गये ओवर हेड टैंक की खराब गुणवत्ता सहित पेयजल उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-2010 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के ग्राम प्यारेपुर, गौसपुर, अरैला एवं सराय मधई में क्यू0पी0वी0 योजनान्तर्गत बनाये गये ओवर हेड टैंक की खराब गुणवत्ता सहित पेयजल उपलब्ध न होने की शिकायतों की जांच उत्तर प्रदेश जल निगम की टी0ए0सी0 से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाक में नरेगा योजनान्तर्गत वर्षवार व्यय धनराशि एवं कार्य का विवरण

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा एवं बेलखरनाथ धाम में नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में जून, 2010 तक वर्षवार कितना धन खर्च किया गया एवं कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड आसपुर देवसरा एवं बेलखरनाथ धाम में वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में 30 जून, 2010 तक वर्षवार व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	
	आसपुर देवसरा ब्लाक	बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लाक
2008-09	519.060	314.610
2009-10	580.381	417.360
2010-11 (30 जून, 2010 तक)	158.352	88.500

उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

108-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी में सीवर लाइन डलवाये जाने की मांग

109-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर लखीमपुर में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखीमपुर नगर में सीवर की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। लखीमपुर नगर जिला मुख्यालय होने के कारण शासन द्वारा सीवरेज योजना हेतु निर्धारित प्राथमिकता में है, परन्तु यूआईडीएसएसएमटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्यय शेष न रहने के कारण सीवरेज योजना भारत सरकार को प्रेषित नहीं की गई।

जनपद इलाहाबाद में लागू नयी विज्ञापन नीति के उल्लंघन में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

110-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में नयी विज्ञापन नीति लागू है ? यदि हां, तो यह नीति क्या है और कब से लागू की गयी है ? वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व वर्ष 2010-11 में विज्ञापन से नगर निगम को कितनी आय हुई है ? क्या नीति का उल्लंघन करने के लिये किसी को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

अधिसूचना दिनांक 24-12-2009 द्वारा विज्ञापन नीति सरकारी गजट में प्रकाशित की गई, जो गजट में प्रकाशन की तिथि अर्थात् 24-12-2009 से लागू की गयी थी।

वर्ष 2007-08 में	रु0 52,544.00
वर्ष 2008-09 में	रु0 2,53,050.00
वर्ष 2009-10 में	रु0 5,12,766.00
वर्ष 2010-11 में	रु0 81,57,141.00

की आय हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में डूडा द्वारा पर्यावरण सुधार तथा विकास हेतु मलिन बस्तियों में सुधार कार्य

111-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक इलाहाबाद डूडा द्वारा पर्यावरण सुधार तथा विकास हेतु किन-किन मलिन बस्तियों की सूची भेजी है तथा उनमें से कौन-कौन स्वीकृत हुयी ? किन-किन मलिन बस्तियों में विकास कार्य पूर्ण हो गये तथा किन-किन मलिन बस्तियों में विकास कार्य होना शेष है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत डूडा इलाहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में क्रमशः भुलई का पुरा, मेहदौरी हौलीपार, जहांगीराबाद नैनी, रसूलाबाद दलित कुम्हराना बस्ती, शिलाखाना, सलोरी (परियाना, मल्हौरी), मेहदौरी पसियाना, बाबा जी का बाग, पूरा फतेह मोहम्मद नैनी, गंगा नगर, बड़ी बगिया, सोहबतियाबाग, नया गांव अल्लापुर, मटियारागांव अल्लापुर एवं सरैया बक्शीखुर्द दारागंज, वित्तीय वर्ष 2008-09 में नया पुरवा, गयासुद्दीनपुर एवं नीमसराय एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में खरिया, रम्मन का पुरा एवं मुण्डेरा गांव पसियाना मलिन बस्तियों के विकास हेतु प्रेषित परियोजनायें, वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2010-11 के मध्य स्वीकृत हैं, जिनमें से दस बस्तियों-भुलई का पुरा, मेहदौरी हौलीपार, जहांगीराबाद नैनी, रसूलाबाद दलित कुम्हराना बस्ती, शिलाखाना, सलोरी (पसियाना मल्हौरी), मेहदौरी, पसियाना, बाबाजी का बाग, पूरा फतेहमोहम्मद नैनी, गंगानगर में विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बस्तियों में से तीन बस्तियों (खरिया, रम्मन का पुरा एवं मुण्डेरा गांव पसियाना) में विकास कार्य नगर निगम, इलाहाबाद करा रहा है, जिन्हें छोड़कर शेष बस्तियों में निर्माण कार्य प्रगति/प्रक्रियान्तर्गत है जो पांच माह में पूर्ण होना संभावित है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में कतिपय मोबाइल कम्पनियों द्वारा स्टाम्प चोरी विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

112-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सैय्यद अली मन्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज, डिग्गी चौराहा, जनपद बांदा का शिकायती-पत्र दिनांक

31-3-2010 फैक्स द्वारा तथा रजिस्टर्ड डाक द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन, उ0 प्र0 इलाहाबाद व प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग को इण्डस टावर्स लिमिटेड, एयर टेल, आइडिया, वोडाफोन मोबाइल कम्पनियों द्वारा करोड़ों रुपये की स्टाम्प चोरी करने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा प्रदेश के समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प को दिनांक 16-4-2010 को दिये गये थे। प्रदेश के समस्त जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मोबाइल टावरों से सम्बन्धित कुल 6,577 लेख पत्र परीक्षित किये गये। इनमें से 5,861 लेखपत्रों में रु0 18,20,45,860/-की कमी स्टाम्प शुल्क पायी गयी, जिसमें से रु0 8,40,23,096/-की वसूली कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में पेयजल संकट दूर करने हेतु नये हैण्डपम्प लगाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

113-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-4-2011 जो पेयजल संकट दूर कराने हेतु नये हैण्डपम्प लगाने विषयक है, जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को सम्बोधित पत्र दिनांक 18-4-2011 पेयजल संकट दूर करने हेतु नये हैण्डपम्प लगाने विषयक प्राप्त हुआ।

पत्र में निम्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगवाये जाने की अपेक्षा की गयी थी :-

1-ग्राम-पड़ेरी, ब्लाक-जसपुरा में श्री राम आधार यादव पुत्र श्री जग्गू यादव के घर के पास।

2-ग्राम-पचनेही में श्री भुजदल यादव पुत्र श्री राजू यादव के घर के पास।

स्थलीय सर्वेक्षण के फलस्वरूप उक्त के सम्बन्ध में निम्न स्थिति पायी गयी :-

1-ग्राम-पड़ेरी में श्री रामाधार यादव पुत्र श्री जग्गू यादव के घर से 72 मीटर की दूरी पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित है एवं चालू है।

2-ग्राम-पचनेही में श्री भुजवल यादव पुत्र श्री रग्घू यादव के घर से 20 मीटर की दूरी पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित है एवं चालू है।

अतः मानकों के परिप्रेक्ष्य में पत्र में प्रस्तावित स्थलों पर हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम नरजिता में पेयजल संकट दूर करने हेतु हैण्ड पम्प लगवाये जाने की मांग

114-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-3-2011, जो ग्राम नरजिता, ब्लाक जसपुरा में हैण्डपम्प लगाने विषयक है मुख्य विकास अधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पेयजल संकट दूर करने हेतु हैण्ड पम्प कब तक लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कुल 08 स्थलों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन की अपेक्षा के सापेक्ष सर्वेक्षणोपरान्त 05 स्थलों पर हैण्डपम्प स्थापना की आवश्यकता पायी गयी। उक्त चिन्हित स्थलों पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में हैण्डपम्प स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, लखनऊ के कार्मिकों की सेवानिवृत्त आयु

115-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी लखनऊ के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है ? क्या यह भी सही है कि विगत पांच वर्षों में उक्त अकादमी में कार्यरत कार्मिकों की 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी होने के पश्चात् ही सेवानिवृत्ति किया गया है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में भी कार्मिकों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

(क) 58 वर्ष।

(ख) जी हां, विगत वर्ष 2005 में अकादमी में कार्यरत एक समूह-घ के कर्मचारी को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी होने के पश्चात सेवानिवृत्त किये जाने के प्रकरण में अकादमी के तत्कालीन श्री ए0के0 सिंह, वित्त अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थापना को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया है, जिनका माह जून, 2007 में बीमारी के कारण निधन हो चुका है।

(ग) प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी में कर्मियों द्वारा छठा वेतनमान की मांग

116-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी में कार्यरत कार्मिकों को छठा वेतनमान का लाभ दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

(क) जी हां।

(ख) शासनादेश संख्या-1500/47-का-3-2011-24/2/2009, दिनांक 3-8-2011 द्वारा उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी में कार्यरत कार्मिकों को छठा वेतनमान का लाभ दे दिया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के कतिपय ग्रामों में नरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण

117-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, ब्लाक मंगरौरा के ग्राम पूरब पट्टी एवं शाहपुर के पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 2008 से दिसम्बर, 10 तक नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नरेगा की मजदूरी हेतु कार्ड धारक मजदूरों के नाम पते क्या हैं तथा जिन मजदूरों को दर्शाया गया है, उन्हें मजदूरी प्राप्त करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

118-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा के ग्राम गढ़ रामऊ एवं ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा रामचन्द्र पट्टी एवं नाही सहित ब्लाक बेलखरनाथ धाम मंगरौरा के ग्रामों में ग्राम प्रधान आदि द्वारा विभिन्न मदों में वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2010 तक कराये गये निर्माण कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-2011 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर कराई जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में राष्ट्रीय एकता महोत्सव के आयोजन हेतु बजट की व्यवस्था

119-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर में क्या सरकार राष्ट्रीय एकता महोत्सव के आयोजन हेतु वर्ष 2011-12 में बजट की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक मुश्त धनराशि प्रावधानित है।

उक्त प्रावधानित धनराशि के समक्ष तैयार किये गये विभाग के वर्ष 2011-12 के वार्षिक कलेण्डर में उक्त कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय मार्ग का निर्माण

120-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत पट्टी-बधवा-पठखौली मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में विगत 4 वर्ष से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत पट्टी-बधवा-पठखौली मार्ग का निर्माण कार्य अप्रैल, 2011 में पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के नरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण

121-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के रामचन्द्र पट्टी के ब्लाक पट्टी के पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 2008 से अक्टूबर, 2010 तक नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण क्या है ? क्या नरेगा की मजदूरी हेतु कार्ड धारक मजदूरों को दर्शाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

रायचन्द्र पट्टी में वर्ष 2008 से अक्टूबर, 2010 तक कराये गये कार्यों एवं निर्गत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कार्य विवरण	निर्गत धनराशि (रु0 में)
1	2	3
2008	1-कुशहा तालाब का आउटलेट/इनलेट निर्माण	28794
	2-चौरवा तालाब का जीर्णोद्धार	199700
2009	1-सम्पर्क मार्ग पक्की सड़क से लक्ष्मण के खेत तक	11000
	2-सम्पर्क मार्ग जहानाबाद से प्रा0 वि0 रायचन्द्र पट्टी तक	10300
	3-सम्पर्क मार्ग पक्की सड़क से केवल बस्ती तक	19100
	4-नाला खुदाई अनु0 बस्ती से पीली तक	17500
	5-चौरवा तालाब का जीर्णोद्धार	80200

1	2	3
2010	1-नाला की खुदाई लाल बहादुर के घर से पीली तक	27400
	2-सम्पर्क मार्ग पक्की सड़क से कहार बस्ती तक	22800
	3-सम्पर्क मार्ग हरिनाथ सिंह के घर से भुलई वर्मा के खेत तक	20100
	4-घूर गड्डा अमरनाथ अनु0 का घूर गड्डा निर्माण	13849
	5-चौरवा तालाब खण्ड ब का जीर्णोद्धार	57286

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

122-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कृषि कार्यों हेतु डीजल को पूर्णतया करमुक्त करने की मांग

123-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को वैट रहित डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कृषि कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले डीजल को पूर्णतया करमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं। सम्यक् विचारोपरान्त जनता/किसानों के हित में व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में वैट व्यवस्था में डीजल पर कर की दर में कमी की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती हैं। सम्यक् विचारोपरान्त जनता/किसानों के हित में व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में वैट व्यवस्था में डीजल पर कर की दर में कमी की गयी है।

जनपद एटा के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को विशेष कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि की मदवार सूची का विवरण

124-श्री कुबेर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में विशेष कार्यक्रम हेतु अनुमानित व्यय रु0 108.23 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या सरकार व्यय की गयी धनराशि की मदवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, एटा को जिला विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्न विवरण के अनुसार राज्यांश की धनराशि प्राप्त हुई थी :-

1-एस0जी0एस0वाई0-	रु0 87.03 लाख
2-डी0आर0डी0ए0 प्रशासन-	रु0 21.20 लाख
योग :-	रु0 108.23 लाख

1-एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत प्राप्त रु0 87.03 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गयी :-

(1) अनुदान मद पर-	रु0 15.75 लाख
(2) रिवाल्विंग फण्ड मद पर-	रु0 2.38 लाख
(3) प्रशिक्षण मद पर-	रु0 2.00 लाख
(4) अवस्थापना मद पर-	रु0 2.38 लाख
योग :-	रु0 22.51 लाख

शेष रु0 64.52 लाख की धनराशि जनपद के शेष विधान सभा क्षेत्रों में व्यय की गयी है।

2-डी0आर0डी0ए0 प्रशासन योजनान्तर्गत प्राप्त रु0 21.20 लाख की धनराशि अभिकरण कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्तों तथा कार्यालय के अन्य प्रशासनिक मदों पर व्यय की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को कतिपय भत्ते एवं मंहगाई भत्ते की किस्त का भुगतान कराये जाने की मांग

125-चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जनवरी, 2011 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 सरकार द्वारा उक्त किस्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों के लिये वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्तों/सुविधाओं का लाभ केन्द्रीय कर्मचारियों की समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये जाने की राज्य सरकार की वचनबद्धता नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार के भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते हैं।

जी हां।

राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2011 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-641/दस-2011-42(एम)/08, दिनांक 06 जुलाई, 2011 निर्गत किया जा चुका है।

जनपद प्रतापगढ़ में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित-पत्र पर कृत कार्यवाही

126-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अनुसार 01 जून, 2009 से अब तक ग्राम्य विकास अनु0-5 के निर्गत शासनादेश के अनुरूप इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-3-2010 एवं 15-04-2010 जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जिलाधिकारी को सम्बोधित-पत्र दिनांकित 18-03-2010 एवं 15-04-2010 प्राप्त हुआ है, जो शासनादेशानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापन किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को जांच कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मंगरौरा दीवानगंज मार्ग में अनियमितताओं की जांच

127-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत मंगरौरा, दीवानगंज मार्ग मानक के विपरीत बनाकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी0 ए0 सी0 से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अपग्रेडेशन हेतु फेज-5 (वर्ष 2006-07) में स्वीकृत किया गया था। उक्त मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 9.00 कि0मी0 है तथा लागत 170.45 लाख है। मार्ग का निर्माण जुलाई, 2007 में प्रारम्भ किया गया था तथा दिसम्बर, 2008 में पूर्ण हुआ है। निर्माण के दौरान दिनांक 25-05-08 को श्री दिनेश कुमार शर्मा, एस0क्यू0एम0 द्वारा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है तथा मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है। इसके अतिरिक्त समस्त परीक्षण मेसर्स स्मैक इण्डिया प्रा0लि0, जो कि राज्य स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनुबन्धित संस्था है, द्वारा भी दिनांक 27-08-10 को कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है और उनके द्वारा भी मार्ग की वर्तमान स्थिति संतोषजनक बतायी गयी है। अतः इस

दृष्टिकोण से कार्य के अधोमानक होना एवं धनराशि का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में उक्त मार्ग पर अनुबन्ध के प्राविधानों के अधीन नियमित अनुरक्षण कराया जा रहा है।

उक्त मार्ग की टी0ए0सी0 द्वारा दिनांक 20-12-08 को जांच की जा चुकी है और टी0ए0सी0 द्वारा भी कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पट्टी-बंधवा पठखौली मार्ग के निर्माण की जांच

128-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील, पट्टी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टी-बंधवा पठखौली मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने के कारण तुरन्त बाद ही सड़क टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं। जनपद प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के अन्तर्गत पट्टी बन्धवा पठखौली मार्ग (वर्ष 2006-07) फेज-5 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अपग्रेडेशन हेतु स्वीकृत किया गया था। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 19.00 किमी तथा अनुबन्धित लागत रु0 451.48 लाख है। वर्तमान में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मार्ग की गुणवत्ता के सम्बन्ध में दिनांक 27-11-2007 को श्री एम0एन0 हलधर, स्टैट क्वालिटी मानीटर द्वारा जांच की गयी, जिसमें कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। इसके अतिरिक्त शासन की टी0ए0सी0 टीम द्वारा भी दिनांक 20-12-2008 को मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। दिनांक 17/18-03-2009 व दिनांक 11-11-2009 को क्रमशः श्री वी0एन0 सिंह तथा श्री शैलेन्द्र कुमार, स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा भी मार्ग की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा चुका है तथा मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है। पुनः दिनांक 27-08-2010 को मेसर्स स्मैक इंडिया प्रा0लि0 (जो कि राज्य स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनुबन्धित संस्था है) द्वारा भी उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम के अधिकांश ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपर्ति की मांग

129-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक-बेलखरनाथ धाम के अधिकांश ग्रामों में पानी खारा होने के कारण लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2003-04 में भारत सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की गुणवत्ता हेतु उपलब्ध स्रोतों के जल के नमूनों का परीक्षण कराया गया था। परीक्षण के आधार पर जनपद के विकास खण्ड बेलखरनाथ धाम की 22 एन0एस0एस0 (नो सेफ सोर्स) बस्तियों के जल के नमूनों के परिणाम भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा से अधिक पाये गये। भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 पाइप पेयजल योजनाएं निर्मित की जा चुकी हैं तथा उक्त सभी 22 बस्तियों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के चिकित्साधिकारियों की स्थानान्तरण नीति एवं रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का स्थानान्तरण कराये जाने की मांग

130-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्साधिकारियों को एक जनपद में कितने साल तक सेवारत रहने का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड की सेवा लखनऊ में 16 वर्ष से अधिक हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उन्हें लखनऊ के बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-

कार्मिक विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष नीति जारी की जाती है, जो कि सभी विभागों पर लागू है। चिकित्साधिकारियों के लिये अलग से कोई प्राविधान नहीं हैं।

जी हां।

डा0 जयराम राय, तत्कालीन रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ0प्र0 के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में दिनांक 16 मई, 2011 को उन्हें निलम्बित कर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, ललितपुर से सम्बद्ध किया गया है।

जनपद उन्नाव के थानों व पुलिस चौकी में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

131-श्री दीपक कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थानों व पुलिस चौकियों में कितने पुलिस कर्मी गत तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे पुलिस कर्मियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद उन्नाव में गत तीन वर्षों से अधिक समय से किसी भी थाने एवं पुलिस चौकियों में पुलिस कर्मी एक ही जगह पर तैनात नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े पम्पों को रि-बोर करवाये जाने की मांग

132-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, नगर पंचायत भावल खेड़ा, न्याय पंचायत शाहगंज, न्याय पंचायत जमुही (सभी भावलखेड़ा ब्लाक में है) तथा न्याय पंचायत घुसगंवा (ब्लाक ददरौल) में कितने नल खराब है इनमें से कितने नल रि-बोर कराये जाने योग्य हैं ? क्या सरकार खराब नलों को रि-बोर करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, नगर पंचायत भावलखेड़ा, न्याय पंचायत शाहगंज, न्याय पंचायत जमुही (सभी भावलखेड़ा ब्लाक में) तथा न्याय पंचायत घुसगंवा (ब्लाक ददरौल) में 401 नग हैण्डपम्प खराब पाये गये थे, जिसमें से 343 नग सामान्य मरम्मत योग्य तथा 58 नग रि-बोर योग्य थे।

जी हां। रि-बोर योग्य खराब हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग भी वित्तीय वर्ष में करायी जानी प्रस्तावित है। सामान्य रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत व रख-रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में समस्त रि-बोर योग्य इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में पुलिस चौकी की स्थापना के मानक

133-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में पुलिस चौकी स्थापित होने का क्या मानक है ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर जनपद की अधिकांश पुलिस चौकियों के भवन जर्जर हो गये हैं तथा इन चौकियों में स्टाफ भी मानक के अनुसार पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिस चौकियों की दशा को सुधारेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

नवीन रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु थाने से 10 कि0मी0 की दूरी एवं 15,000 की जनसंख्या का मानक निर्धारित है।

कुछ पुलिस चौकियों के भवन जर्जर हैं, जिनकी मरम्मत कराया जाना वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर है। पुलिस चौकियों पर स्टाफ मानक के अनुसार पूरा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की रौजा नगर पंचायत में खराब पड़े नलों को रि-बोर करवाये जाने की मांग

134-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर की रौजा नगर पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का-2, नल खराब हैं तथा कितने नल रिबोर होने हैं ? क्या सरकार खराब नलों को ठीक करवाने तथा रिबोर करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शाहजहांपुर नगर की रौजा नगर पंचायत में कुल 3 नग हैण्डपम्प खराब हैं। यह सभी तीनों हैण्डपम्प रि-बोर योग्य पाये गये हैं।

जी, हां।

रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों को माह सितम्बर, 2011 तक रि-बोर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद नगर में नलकूप पेयजल योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में जानकारी

135-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर क्षेत्र में नलकूप पेयजल योजना द्वारा किस तिथि से पेयजल आपूर्ति की जा रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 01-04-2010 से 31 मार्च, 2011 तक प्रतिदिन कितने-कितने घण्टे पेयजल की आपूर्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्ष 1956 से नगर में नलकूपों द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है।

विद्युत आपूर्ति सामान्य होने की दशा में इस अवधि में प्रतिदिन प्रातः 5 से 10 बजे तथा सांयकाल 5 से 10 बजे तक कुल 10 घण्टे पेयजल आपूर्ति की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में संचालित एकल ग्राम समूह पेयजल योजनायें

136-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत ग्राम समूह पेयजल योजना एवं एकल योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजना किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा रही है तथा प्रत्येक पम्प हाउस को दिनांक 01-04-2009 से 31 मार्च, 2011 तक प्रत्येक माह में कुल कितने घण्टे चलाया गया है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 07 ग्राम समूह पेयजल योजनायें एवं 19 एकल ग्राम समूह पेयजल योजनायें संचालित हैं।

योजनावार ग्रामों का विवरण संलग्न† है।

प्रत्येक पम्प हाउस को दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2011 तक प्रत्येक माह में औसतन 04 घंटे प्रतिदिन चलाया गया।

प्रदेश में नागरिक पुलिस व पी0ए0सी0 के हेड कांस्टेबिल व कांस्टेबिल को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति प्रदान किये जाने की मांग

137-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक पुलिस व पी0 ए0 सी0 में तैनात हेड कांस्टेबिल व कांस्टेबिल कर्मियों को 24 वर्षों की सेवा के उपरान्त पदोन्नति दिये जाने का प्राविधान है ? क्या आर्म्स पुलिस में सेवारत ऐसे कर्मियों को भी 24 वर्ष की सेवा के बाद पदोन्नति दिये जाने का प्रावधिान है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने ऐसे आर्म्स पुलिस के हेड कांस्टेबिल एवं कांस्टेबिल हैं जिन्हें अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे कर्मियों के पदोन्नति के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

नागरिक पुलिस व पी0ए0सी0 में तैनात मुख्य आरक्षी व आरक्षियों की सेवा नियमावली 2008 में पदोन्नति का प्राविधान है, लेकिन 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त पदोन्नति दिये जाने का संगत नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार आर्म्ड पुलिस में सेवारत कर्मियों को 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त पदोन्नति का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त सेवा नियमावली 2008 में निहित प्राविधान के अनुसार पुलिस कर्मियों की पदोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा सम्पादित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के नालों की सफाई कराये जाने की मांग

138-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के चोक बड़े नालों जैसे सराय काइया वाला नाला, पुलिस चौकी हछफ वाला नाला, स्टेशन रोड वाला नाला, मो0 भारत द्वाजी वाला नाला तथा दुर्गा होटल वाला नाला की सफाई कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 256-259 पर)।

प्रदेश में डीजल व पेट्रोल पर निर्धारित वैट की दरों को समाप्त करने की मांग

139-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल व पेट्रोल पर वैट की दरें अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है ? यदि हां, तो दरें अधिक होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में डीजल व पेट्रोल पर निर्धारित वैट की दरों को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। अनेक राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में डीजल व पेट्रोल की बिक्री पर कर की दरें कम हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत रूप से कर की दरें निर्धारित की जाती है। सम्यक विचारोपरान्त जनहित में व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में वैट व्यवस्था में डीजल पर कर की दर में कमी की गयी है।

लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालन) नियमावली, 2000 अन्तर्गत कूड़ा हटाये जाने की कार्यवाही

140-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन कूड़ा हरदोई रोड डिडौली मार्ग (रिंग रोड) के किनारे फेंके जाने से चारों तरफ दुर्गन्ध व वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध और हथालन नियमावली, 2000 के अन्तर्गत लखनऊ में कूड़ा प्रबन्धन की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत जेएनएनयूआरएम योजना में भारत सरकार से परियोजना स्वीकृत है जिसकी कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस उ0प्र0 जल निगम है। पी0पी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत कन्सेशनर के रूप में, ज्योति इन्वायरो टेक प्रा0लि0 का चयन कर 30 वर्ष का अनुबन्ध किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत कन्सेशनर को डोर-टू-डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन तथा ट्रीटमेन्ट का कार्य करना है जिसके बदले नगर निगम लखनऊ प्रति मीट्रिक टन कूड़े के अनुसार टिपिंग फीस का भुगतान कन्सेशनर को करेगी। अब तक लखनऊ नगर निगम के 57 वार्डों में घर-घर से कूड़ा संग्रह का कार्य प्रारम्भ किया गया है। मोहान रोड स्थित शिवरी ग्राम में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तथा भूमि भरण स्थल के विकास का कार्य प्रगति पर है जिसे आगामी तीन माह में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के शहरी क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप की रोकथाम के उपाय

141-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी का शहरी क्षेत्र मच्छरों के प्रकोप से पीड़ित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। शहर में मच्छरों की रोकथाम हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा फागिंग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एण्टीलार्वा का छिड़काव कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बारांबकी के थाना घुघटेर में पंजीकृत अपराध में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी

142-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी स्थित थाना घुघटेर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-54/2011 धारा-498ए/326/323/506 आई0पी0सी0 व 3/4 दहेज अधिनियम दिनांक 28-01-2011 में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अभियोग की विवेचना नियमानुसार क्षेत्राधिकारी द्वारा न करके हल्के से सम्बन्धित उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त विधि विरुद्ध कार्यवाही के लिए विवेचक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। दिनांक 28-01-2011 को पंजीकृत मु0अ0सं0-54/2011 में अभियुक्त अरुण कुमार अवस्थी द्वारा दिनांक 11-2-2011 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा पीड़िता ललिता की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 12-02-2011 को धारा-304वीं भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा विवेचना के मध्य पाया गया कि दिनांक 26-01-2011 को पीड़िता श्रीमती ललिता द्वारा मृत्युपूर्व दिये गये बयान में उसने दहेज प्रताड़ना का कोई आरोप अपने पति अथवा अन्य के विरुद्ध न लगाते हुए स्वयं ही कमरे में दरवाजा बंद कर आग लगा लेने की बात कही थी, जिसके कारण उसके पति अरुण कुमार अवस्थी के विरुद्ध 169 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट दिया गया तथा सास श्रीमती रामदेवी जो मृतका को बचाने में स्वयं भी गम्भीर रूप से जल गयी थीं, के विरुद्ध दहेज के लिये जलाने के कोई साक्ष्य नहीं मिल सके जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

प्रश्नगत अभियोग में दिनांक 12-02-11 को पीड़िता श्रीमती ललिता की मृत्यु हो जाने के कारण विवेचना क्षेत्राधिकारी फतेहपुर, बाराबंकी द्वारा की गयी जो विधि सम्मत थी।

जनपद खीरी के थाना गोला के श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री राम लाल द्वारा अपने पुत्र की हत्या की एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की मांग

143-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित थाना-गोला में श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री रामलाल निवासी लाल्हापुर जनपद खीरी द्वारा अपने पुत्र आलोक कुमार की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक, गोला को एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2010 की मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रभारी निरीक्षक द्वारा

एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराकर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं। आवेदक श्री कामता प्रसाद के पुत्र उपेन्द्र कुमार द्वारा मृतक आलोक कुमार की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 30-06-2010 को प्रथम सूचना थाना गोला में दी, जिसमें मारने की बात अंकित नहीं थी। प्रार्थना-पत्र की आमद जी0डी0नं0-21 पर फौरी सूचना अंकित कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा सुरक्षित किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 1-7-2010 को दिया गया प्रार्थना-पत्र जीडी नं0-34 दिनांक 1-7-2010 को आमद कर जांच उप निरीक्षक से करायी गयी जिसमें आरोप की पुष्टि नहीं हुई। इसलिए प्रथक से एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी।

आवेदक के पुत्र द्वारा इसी घटना के सम्बन्ध में न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया गया। न्यायालय के आदेश होने पर थाना गोला पर मु0अ0सं0-1574/2010 धारा-328, 302 भादवि का अपराध पंजीकृत होकर विवेचना की गयी। विवेचना में अपराध प्रमाणित न होने पर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 16-12-2010 को प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी। अभियोग में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित आरोप पूर्णतया असत्य पाये जाने के कारण नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी।

लखनऊ के शारदा नगर रूचि खण्ड प्रथम में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

144-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित शारदा नगर, रुचि खण्ड प्रथम में भवन संख्या-3/432 से 4/60 ए के सामने वाली सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्तमान में नगर निगम निधि में धनाभाव के कारण प्रश्नगत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जिला योजना समिति उन्नाव द्वारा विकास खण्ड बीघापुर में मुक्ति देवी मन्दिर आदि सौन्दर्यीकरण हेतु अनुमोदित योजनाएं

145-श्री सुखलाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना समिति उन्नाव द्वारा वर्ष 2010-11 में ग्राम इन्देमऊ ब्लाक बीघापुर, मुक्ता देवी मन्दिर के विकास हेतु रुपये 10.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उप जिलाधिकारी, बीघापुर, उन्नाव द्वारा अपने पत्र संख्या-28/एस0टी0/मुक्ता स्थल, दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा पर्यटन विकास हेतु प्रभारी अधिकारी (स0का0) उन्नाव को प्रेषित जांच आख्या में मुक्ता स्थल, ग्राम इन्देमऊ ब्लाक-बीघापुर, उन्नाव की जांच न कर किसी अन्य स्थान की जांच कर आख्या प्रस्तुत कर दी थी, जिस कारण मुक्ता

देवी मंदिर का विकास कार्य समय से प्रारम्भ न हो सका ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त मंदिर का विकास कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

वर्ष 2010-11 में जिला योजना समिति द्वारा पर्यटन सौन्दर्यीकरण एवं विकास मद में रु0 20.00 लाख में दो योजनाएं अनुमोदित की गयी थी, जिसमें एक योजना ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर में स्थित मुक्ता देवी मन्दिर का विकास तथा दूसरी योजना निराला जी के ग्राम गढ़ाकोला में निराला स्थल के सौन्दर्यीकरण की थी।

भू-अभिलेखों के अनुसार ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर में स्थित उक्त स्थल की भूमि मंदिर तथा मेला मैदान के नाम अंकित है। नगर पंचायत बीघापुर में मुक्ता देवी स्थल पर पर्यटन विकास हेतु सरकारी/ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उक्त योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय यूनानी कालजों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

146-श्री शाहिद मन्जूर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि राजकीय यूनानी कालेजों में कार्यरत शिक्षक 10 वर्षो से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वह स्थानान्तरण की परिधि में आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 14-5-11 द्वारा स्थानान्तरण सत्र, 2011-12 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण न किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है। उक्त स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत शिक्षकों के स्थानान्तरण किया जाना संभव नहीं है।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजनान्तर्गत सेक्टर-एक से नौ में सीवेज की समस्या के निराकरण की मांग

147-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-एक से नौ में सीवेज की समस्या है ? यदि हां, तो इस समस्या को कब तक दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना के सेक्टर-8 में बनी पानी की टंकी की लीकेज को ठीक कराये जाने की मांग

148-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीपुरम विस्तार योजना लखनऊ के मेक्टर-8 में बनी पानी की टंकी का निर्माण खराब होने एवं सेक्टर-9 में पेयजल की पाइप लाइन में जगह-जगह रिसाव एवं उसकी गुणवत्ता खराब होने के कारण टंकी जलापूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यो की किसी तकनीकी एजेन्सी से जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सेक्टर-8 की टंकी में लीकेज होने के कारण टंकी से जलापूर्ति न करके नलकूप से सीधे जलापूर्ति की जाती है। कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

सेक्टर-9 क्षेत्र पूर्ण विकसित नहीं है। इस क्षेत्र में पाइप लाइन में रिसाव गुणवत्ता खराब होने के कारण नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र के पूर्ण विकसित न होने एवं पानी की कम खपत होने पर पाइप लाइन में अधिक दबाव होने के कारण होता है, जिसे तत्काल ठीक करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में जिला विकास योजनान्तर्गत जलापूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

149-श्री कुबेर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु अनुमानित व्यय रुपये 68.29 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, जिला योजना (नगरीय पेयजल) के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा के नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु रु0 68.29 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से विधान सभा क्षेत्र जलेसर में रु0 29.41 लाख की धनराशि व्यय की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गृह कर व जलकर जमा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

150-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम सीमा में अपने निजी आवासों में रह रहे लखनऊ नगर निगम के वर्ग क, ख, ग एवं घ के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों

द्वारा गृहकर व जलकर जमा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उनकी सूची सदन पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, लखनऊ के मा0 सदन में पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में लखनऊ नगर निगम के केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारी/कर्मचारी व सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो लखनऊ नगर निगम में कार्यरत हैं/रहे हैं तथा शहर में एक ही भवन है और स्वयं निवासित हों, सामान्य कर से मुक्त हैं।

जहां तक जलकर का प्रश्न है, नगर निगम का कोई अधिकारी/कर्मचारी जलकर से मुक्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

आगरा पुलिस लाइन के कान्स्टेबिल स्व0 इन्द्रपाल सिंह के आश्रित को पेंशन स्वीकृत के सम्बन्ध में जानकारी

151-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांस्टेबिल स्व0 इन्द्रपाल सिंह नि0-345 पुलिस लाइन आगरा के आश्रित को पुलिस सेवा नियमावली, 1961 के प्रथम संशोधन (35 नियम-3) के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत में महिला थाना खोले जाने की मांग

152-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में महिला थाना खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासनादेश संख्या-2460पी/छः-पु-6-08-300(33)/08, दिनांक 18-9-2008 द्वारा 30 जनपदों में महिला थाना स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें बागपत भी शामिल है।

प्रश्न नहीं उठता है।

153-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[1ले गुरुवार का अतारांकित प्र0 सं0-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

154-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में दिनांक 01-01-2009 से 31 मार्च, 2011 तक कितने आवेदकों द्वारा पेयजल हेतु इण्डिया

मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा कितने अवशेष हैं ? अवशेष हैण्ड पम्प कब तक लगवा दिये जायेगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखीमपुर की टाउन एरिया सिंगाही में रि-बोर कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या

155-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की टाउन एरिया सिंगाही में रिबोर कराने योग्य इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कब तक रिबोर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

रि-बोर कराने योग्य इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या-07 नग है। रि-बोर का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के टाउन एरिया धौरहरा तथा सिंगाही में सीवर लाइन डालने की मांग

156-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के टाउन एरिया धौरहरा तथा सिंगाही में सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त टाउन एरिया में सीवर लाइन की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

वर्तमान में मण्डल/जनपद मुख्यालयों, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहरों में सीवर लाइन डाले जाने की व्यवस्था प्रथम चरण में की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन तथा श्रीनगर के खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की मांग

157-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की बोरिंग कराये जाने के मानक क्या हैं ? क्या जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन तथा श्रीनगर के खराब सभी हैण्डपम्पों को रिबोर करा दिया गया है ? यदि हां, तो ब्लाकवार ठीक कराये गये हैण्डपम्पों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

शासनादेश संख्या-1167/38-5-09-67सम/07 टी0सी0, दिनांक 17 जुलाई, 2009 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान समय में हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर दूरी एवं असेवित बस्तियों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन का मानक निर्धारित किया गया है।

शासनादेश संख्या-2202/66-1-09-40/09, दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 के माध्यम से डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में हैण्डपम्प बोरिंग हेतु 75 मीटर की दूरी का प्रतिबन्ध हटाकर 100 व्यक्तियों की वर्तमान जनसंख्या के मध्य 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने का मानक है।

रि-बोर योग्य खराब हैण्डपम्पों का रि-बोर कराया जा रहा है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन तथा श्रीनगर के स्थाई रूप से खराब रि-बोर योग्य 615 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों में से दिनांक 20-7-2011 तक 201 नग हैण्डपम्पों को रि-बोर करा दिया गया है। जिसका ब्लाकवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1	निघासन	60
2	रमिया बेहड़ (आंशिक)	25
3	फूलबेहड़	59
4	नकहा (आंशिक)	32
5	बिजुआ (आंशिक)	25
	योग :-	201

अवशेष हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

लखीमपुर नगर में प्राइवेट नर्सिंग होम के कचरे से प्रदूषण मुक्त करने की मांग

158-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर नगर में कितने प्राइवेट नर्सिंग होम है तथा इन नर्सिंग होम को कचरे आदि से प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या लखीमपुर नगर पालिका ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखीमपुर नगर में कुल 15 प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत सिनर्जी वेस्ट डिस्पोजल कम्पनी, बरेली द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है। पालिका द्वारा शेष कूड़े का डिस्पोजल नगर क्षेत्र के बाहर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत होमगार्डों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग

159-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुयी मंहगाई को देखते हुये प्रदेश में कार्यरत होमगार्डो का पारिश्रमिक बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (वेदराम भाटी)-

प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स स्वयंसेवी का ड्यूटी भत्ता समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। शासनादेश संख्या-572/छःनासु-10-258होगा/81, दिनांक 10-3-2010 द्वारा ड्यूटी भत्ता दिनांक

01-4-2010 से रु0 126/-प्रतिदिन से बढ़ाकर रु0 140/-प्रतिदिन प्रति होमगार्ड्स किया गया है। प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ड्यूटी भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में यथासमय विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के थाना सचेण्डी में दर्ज मुकदमें की विवेचना राजपत्रित अधिकारी से कराये जाने की मांग

160-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर नगर में दर्ज मु0अ0स0 33/08, धारा 147/148/149/447/323/504/379 भा0दं0वि0 4/10, वन अधि0 दिनांक 21 जनवरी, 2009 में विवेचक द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2009 को अन्तिम रिपोर्ट सं0 4/09 प्रेषित कर दी गयी थी ? क्या यह यही कि विलम्ब से एफ0आई0आर0 दर्ज करने का लाभ उठाकर अभियुक्तों द्वारा काटे गये पेड़ मौके से गायब कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अभियोग की पुनः विवेचना दें0प्र0सं0 की धारा 173(8) के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

दिनांक 21-1-2009 को थाना सचेण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-33/08 धारा-147/148/149/447/323/504/379 भादंवि व 4/10 वन अधि0 की विवेचना तत्कालीन उ0 नि0 श्री शिव शंकर सिंह द्वारा विवेचना से घटना का घटित होना न पाते हुए अभियोग में एफ0आर0 नं0-4 दिनांक 24-1-2009 को मय जुर्म खारिज रिपोर्ट प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी है।

विवेचना से ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिसमें कि अभियुक्तों द्वारा काटे गये पेड़ मौके से गायब कर देना प्रतीत होता है मुकदमा के लिखाने में देरी वादी द्वारा की गयी है।

प्रकरण की पुनः विवेचना अन्तर्गत धारा 173(8) द0प्र0सं0 इसलिए नहीं करायी जा सकती है क्योंकि जुर्म का होना ही नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चयनित मार्गों के निर्माण का विवरण

161-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मार्च, 2011 तक वर्षभार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से मार्ग चयनित किये गये हैं ? उनमें कब कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण किये गये हैं, उनका विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि सभी मार्ग मानकों के अनुरूप न होने से संचालन योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त जर्जर मार्गो को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विवरण संलग्न† है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों की गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर नेशनल क्वालिटी मानीटर एवं स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा किया गया है और उनके द्वारा कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषजनक बतायी गयी है। विश्व बैंक पोषित मार्गों की गुणवत्ता का निरीक्षण स्मैक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड नामक बाह्य तकनीकी परीक्षण संस्था द्वारा भी किया गया है जिसके द्वारा कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है। सुचारु रूप से चल रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है जो मार्ग अनुरक्षण की परिधि में हैं, उनका अनुरक्षण कराया जा रहा है।

162-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चयनित मार्गों के निर्माण का विवरण

163-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन-कौन सी सड़कों को चयनित किये जाने का प्रस्ताव है ? क्या वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में चयनित सभी मार्गो के कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वर्ष 2010-11 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों का चयन किया गया था :-

1-एमडीआर 98 कि0मी0 24 से ढाढर मार्ग लम्बाई 1.45 कि0मी0

2-एल0 106 कि0मी0 1 से बिजाला अहिराम बारा मार्ग लम्बाई 1.25 कि0मी0

उक्त मार्गों से क्रमांक-2 पर अंकित मार्ग का निर्माण अन्य योजना में करा दिया गया है। क्रमांक 1 पर अंकित मार्ग विश्व बैंक पोषित रूरल रोड प्रोजेक्ट-2 के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित है जिस पर भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है।

वर्ष 2011-12 हेतु अभी मार्गों का चयन नहीं हुआ है।

---

† (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 260-262 पर)

जी हां।

वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में चयनित व पूर्ण हुए मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत वर्ष	लम्बाई (किमी0)	पूर्ण होने का वर्ष	लागत (लाख में)	स्टेटस
1	2	3	4	5	6	7
1	दीवानगंज मंगरौरा मार्ग	06-07	9.00	08-09	146.62	पूर्ण
2	कोहडौर चन्दौका मार्ग	06-07	9.50	08-09	159.83	पूर्ण
3	पट्टी से पटखौली मार्ग	06-07	19.00	जून, 11	299.61	पूर्ण
4	एकेसीपी से लबेदा ठकुरान मार्ग	06-07	2.00	10-11	44.35	पूर्ण
5	नरायणपुर मुजाही बजार से रानीपुर मार्ग	06-07	1.00	10-11	20.41	पूर्ण
6	बीपीडी0 मार्ग से उदईशाहपुर मार्ग	06-07	1.15	10-11	19.38	पूर्ण
7	बीपीडी मार्ग से पारा सम्पर्क मार्ग	06-07	3.00	10-11	57.84	पूर्ण
8	पट्टी चांदा से दाउदपुर मार्ग	07-08	14.00	फरवरी, 11	336.61	पूर्ण
9	रखहा बजार से कोहडौर मार्ग	08-09	15.00	मई, 10	297.63	पूर्ण
10	हल्लूपुर सीएमएस से अमरी मार्ग	08-09	15.00	मई, 10	299.79	पूर्ण

164-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 राज्य सतर्कता अधिष्ठान की अन्वेषण जांच सी0बी0आई0 से कराने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

165-दीनानाथ कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सतर्कता अधिष्ठान की अन्वेषण जांच संख्या 70/2002 की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 25-05-2008 जोकि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उक्त पत्र में सी0बी0आई0 जांच कराये जाने का बिन्दु निहित होने के कारण मा0 सांसद का पत्र दिनांक 25-5-2008 ऊर्जा विभाग को दिनांक 22-7-2009 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0सी0सी0 पोल के घटिया निर्माण की जांच

166-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की जांच संख्या 79/2007 जो पी0सी0सी0 पोल के घटिया निर्माण के सम्बन्ध में है, की जांच कब पूर्ण हुई तथा विलम्ब किसके द्वारा किया गया ? क्या उक्त के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जांच संख्या-79/2007 पी0सी0सी0 पोल के घटिया निर्माण सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह एक बृहद स्तर की जांच है, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही में प्रगति की जा रही है। जांच की कार्यवाही प्रचलित है। जांच की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

शासकीय निर्माण कार्यों के शिलान्यास उद्घाटन एवं भूमि पूजन के सम्बन्ध में व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

167-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय निर्माण कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन एवं भूमि पूजन आदि मा0 विधायक स्थानीय निकाय से निर्वाचित तथा गैर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में कोई नियमावली/शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-6.1 में मा0 विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य द्वारा विधायक निधि से कराये गये कार्यों से स्थानीय लोगों को सूचित करने के लिए निम्न व्यवस्था है :-

''मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य'' लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्य स्थल पर लगवाया जाय।

शासकीय निर्माण कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन आदि के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि ''अधिकारीगण किसी भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोहों, विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग नहीं लेंगे। अपितु शासन की स्पष्ट मंशा है कि ऐसे सभी समारोहों में मुख्य अतिथि/अध्यक्ष यथासंभव जनप्रतिनिधि ही रहेंगे तथा सरकारी कर्मचारीगण द्वारा इन समारोहों को हर संभव सहयोग देकर सफल बनाया जाय।''

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तैनात पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की नीति सम्बन्धी जानकारी

168-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात पुलिस कर्मियों, सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टरों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या सरकार नीति के विरुद्ध तैनात पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासनादेश संख्या-5001/आठ-1-86, दिनांक 11-7-1986 में निहित प्राविधानों के अनुसार उप निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिये एक जनपद में 06 वर्ष तथा परिक्षेत्र में कुल मिलाकर 12 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है। इसी प्रकार निरीक्षक के लिए एक जनपद में 05 वर्ष तथा एक परिक्षेत्र में 12 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है। निरीक्षक हेतु इस अवधि में उसके उप निरीक्षक की सेवा अवधि का काल सम्मिलित होगा। यही प्रक्रिया उप निरीक्षक की सेवा में अवधि के लिये भी लागू होगी। मुख्य आरक्षी की एक जनपद में 10 वर्ष तथा आरक्षी को एक जनपद में 15 वर्ष तक की अवधि तक ही नियुक्त रखा जा सकता है, जिसमें मुख्य आरक्षी के विषय में उसके आरक्षी की नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत आने वाले पुलिस कर्मियों, उप निरीक्षकों एवं निरीक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा की जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था

169-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा एवं बेलखरनाथ धाम के कितने-कितने लोगों को ग्रामवार एवं क्षेत्र पंचायत पद में रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि कार्ड धारकों को उक्त योजना से रोजगार न मिल पाने के कारण अन्यत्र मजदूरी करने जाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाब कार्ड धारकों को उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य दिलाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत विकास खण्ड की ग्रामवार व क्षेत्र पंचायतवार रोजगार दिये जाने की सूचना संलग्न† है।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत जॉब कार्ड धारकों की मांग पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अतः रोजगार की मांग करने वाले जॉब कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में गत वर्षों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के चबूतरों के निर्माण की मांग

170-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में लगाये गये सभी इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के चबूतरे बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शेष सभी चबूतरों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के सभी चबूतरे निर्मित है।। वर्ष 2010-11 में अधिष्ठापित कराये गये हैण्डपम्पों के

---

† (देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 263-268 पर)

ग्रामीण क्षेत्रों के 590 नग एवं नगरीय क्षेत्र के 37 नग चबूतरे अर्थात् कुल 627 नग चबूतरे निर्मित किया जाना शेष है।

जी हां। शेष चबूतरों को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्मित किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में जल निगम द्वारा प्रत्येक विकास खण्डों में इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्पों के चबूतरों एवं रि-बोर कराये जाने सम्बन्धी विवरण

171-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में जल निगम, प्रतापगढ़ को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु ब्लाक वार कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित था तथा उक्त के सापेक्ष प्रत्येक विकास खण्डों में कितने-कितने हैण्डपम्प रिबोर कराये गये और कितने शेष हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त कार्य समय पर न कराये जाने के दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में जल निगम, प्रतापगढ़ को इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के रि-बोर हेतु ब्लाकवार लक्ष्य निर्धारित न होकर सम्पूर्ण जनपद हेतु लक्ष्य निर्धारित था, जो निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों की पुनर्स्थापना का लक्ष्य	रि-बोर किये गये है0प0 की संख्या
1	2007-08	815	915
2	2008-09	2365	2365
3	2009-10	2165	2165
4	2010-11	1470	1470
	योग :-	6915	6915

उक्त समस्त हैण्डपम्प रि-बोर कर पुनर्स्थापित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

172-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[1ले बुधवार के अता0 प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर निगम लखनऊ की कानपुर रोड योजना स्थित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

173-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के सेक्टर जी कानपुर रोड योजना स्थित (सी0आर0पी0एफ0 आफिस के पीछे) की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं एवं बिजली प्रकाश

व्यवस्था न होने के कारण आये दिन चोरियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रीन बेल्ट के पास बनी कालोनियों में प्रकाश की व्यवस्था कराने व टूटी सड़कों को बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कुछ सड़कों का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है। सेक्टर-जी में सी0आर0पी0एफ0 कार्यालय के पीछे मार्ग पर लगे सभी मार्ग प्रकाश बिन्दु वर्तमान में प्रकाशित हैं।

वर्तमान में नगर निगम निधि में धनाभाव के कारण प्रश्नगत कार्य नहीं कराया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के कानपुर रोड के आवास संख्या-एस0एस0 800 से 830 तथा क्षतिग्रस्त पार्क एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

174-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर जी कानपुर रोड, लखनऊ के आवास संख्या-एस0एस0 800 से 830 तक की सड़कें एवं पार्क क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं पार्क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्तमान में नगर निगम निधि में धनाभाव के कारण प्रश्नगत कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के प्रकरण तथा बंधक रखे गये वाहन प्रपत्रों के विलम्ब से न्यायालय में प्रेषित किये जाने की जांच

175-श्रीमती अरुणा तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्राधिकारी हजरतगंज, लखनऊ द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल कितने दुपहिया, तिपहिया व चौपहिया वाहन चालकों के प्रकरण जुर्माना न अदा करने के कारण दिनांक 31 मार्च, 2010 के मध्य न्यायालय को संदर्भित किये गये हैं एवं कुल कितनी धनराशि उनके कार्यालय में जमा कराई गई है ? क्या यह सही है कि क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा बंधक रखे गये वाहन प्रपत्रों को विलम्ब से न्यायालय में प्रेषित करके वाहन स्वामियों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत अवधि में कुल 1895 वाहनों के प्रपत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये गये हैं तथा कुल 716 वाहन स्वामियों से रु0 90,800/-संयोजन शुल्क प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा कराया गया।

क्षेत्राधिकारी हजरतगंज कार्यालय द्वारा बंधक रखे गये वाहन प्रपत्रों को विलम्ब से न्यायालय में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी, लखनऊ को जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं। जांचोपरान्त यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया जाता है तो परीक्षणोपरान्त उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बैंक द्वारा कर्ज वसूली में बल प्रयोग पर रोक लगाने की सरकार की नीति

176-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बैंक द्वारा प्रदत्त कर्ज की वसूली में जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग करने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में बल प्रयोग पर रोक लगाने हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के मा0 न्यायमूर्तिगण डा0 ए0आर0 लक्ष्मणन और अल्तमश कबीर की डबल बैंच ने केस नं0 अपील संख्या (क्रिमिनल) 267/2007 मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 बनाम प्रकाश कौर एवं अन्य के मामले में दिनांक 26-2-2007 को निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया, जिसका हिन्दी में आशय निम्न प्रकार है :-

निष्कर्षतः हम कहते हैं कि हम देश में विधि के शासन से शासित है। वाहनों पर ऋण की वसूली विधि अनुसार की जा सकेगी। ताकत के बल पर कब्जा करने के लिए बैंक गुण्डों का प्रयोग नहीं कर सकते।

मा0 न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को अपने परिपत्र दिनांक 7-7-2007 द्वारा आदेशित किया गया है कि बैंक कर्ज की वसूली में अवैध बल प्रयोग व अवैधानिक कृत्य करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेन्ट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कठोर वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचलों में पेयजल की आपूर्ति

177-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल हेतु तहसील पट्टी में कितनी पानी की टंकियों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितनी टंकियों द्वारा कितने दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं की गई है ? क्या सरकार खराब टंकियों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचलों में 02 ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं एवं 14 एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा पेयजल जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चारों विकास खण्डों में खारे पानी के निराकरण के उपाय

178-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चारों विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या के निवारण हेतु जल निगम की टी0टी0एस0पी0 तथा टी0डी0एस0 योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के चारों विकास खण्डों के 05 ग्रामों-फेन्हा, बारीकलॉ, रत्तीपुर, सराय मदही एवं हरीपुर बरदैता के हैण्डपम्पों के पानी की रासायनिक जांच में टी0डी0एस0 (टोटल डिसाल्व सालिड) की मात्रा मानक से ज्यादा पायी गयी। अतः उक्त ग्रामों में भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 (टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट) योजनायें निर्मित कराकर चालू की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत चयनित मार्गों का विवरण

179-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत किन-किन मार्गों का चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2009-10 तक निम्नलिखित मार्गों का चयन किया गया है :-

वर्ष 2001-02

1-पट्टी बन्धवा से होसियारपुर सम्पर्क मार्ग

2-उसका सम्पर्क मार्ग

वर्ष 2002-03

1-दिवानगंज मंगरौरा से अमसौना सम्पर्क मार्ग

2-बेल्हा पट्टी ढकवा से खभोर मार्ग

वर्ष 2003-04

1-छतौना से नरवारी सम्पर्क मार्ग

2-अमरगढ़ राजाबाजार से उमापुर सम्पर्क मार्ग

3-पट्टी बन्धवा से बेसार सम्पर्क मार्ग

4-धरौली मरधापुर कनाल से रामगढ़ा सम्पर्क मार्ग

5-पट्टी कोहडौर से वारीखुर्द सम्पर्क मार्ग

6-आमापुर से धनीपुर सम्पर्क मार्ग

7-अमरगढ़ तेलियानी नहर से चिलावा मार्ग

वर्ष 2005-06

1-अकबरपुर-कादीपुर-चांदा-पट्टी से मरियमपुर

2-डी0आर0पी0के0 मार्ग से बसौली सम्पर्क मार्ग

3-बेल्हा-पट्टी ढकवा से रामगंज से बरचौली मार्ग

4-बेल्हा-पट्टी ढकवा से गौहानी सम्पर्क मार्ग

5-ढकवा हिम्मतपट्टी मार्ग से बनवीरपुर मार्ग

6-बेल्हा पट्टी ढकवा मार्ग से उमराडीह मार्ग

7-बेल्हा-पट्टी ढकवा मार्ग से भीखमपुर मार्ग

8-कोहडौर चौन्दौका से लौली का पुख्त मार्ग

9-डी0आर0पी0के0 मार्ग से इटहरा सम्पर्क मार्ग

10-डी0आर0पी0के0 मार्ग से नरायनपुर गंगेहटी से सराय सागर मार्ग

11-बेल्हा पट्टी ढकवा मार्ग से ढेढुआ सम्पर्क मार्ग-(अन्य विभाग द्वारा निर्मित होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई से निरस्त)

वर्ष 2006-07

1-डी0आर0पी0के0 से मिश्रौली सम्पर्क मार्ग

2-दिवानगंज-मंगरौरा से कम्पाहारी सम्पर्क मार्ग

3-डी0आर0पी0के0 से रघुरामपुर सम्पर्क मार्ग

4-रानीगंज-कोहडौरा से इसानपुर कंजरौटी मार्ग

5-एन0 एच0-96 से छोलहा से परशुरामपुर मार्ग

6-एन0एच0-96 से कन्धारपुर से सूर्यगढ़ जगन्नाथ

7-पट्टी राजाबाजार मार्ग

8-दीवानगंज मंगरौरा मार्ग

9-कोहडौर चन्दौका मार्ग

10-पट्टी से पटखौली मार्ग

11-एकेसीपी से लबेदा ठकुरान मार्ग

12-नरायनपुर भुजाही बाजार से रानीपुर मार्ग

13-बीपीडी मार्ग से उदईशाहपुर मार्ग

14-बीपीडी मार्ग से पारा सम्पर्क मार्ग

15-ए0के0सी0पी0 से धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से लखनूडीह अहिरान-(अन्य विभाग द्वारा निर्मित होने के कारण पी0एम0जी0एस0वाई0 से निरस्त)

वर्ष 2007-08

1-पट्टी चांदा से दाउदपुर मार्ग

2-रखहा बाजार से कोहडौर मार्ग

3-हल्लूपुर सीएमएस से अमरी मार्ग

वर्ष 2008-09

शून्य

वर्ष 2009-10

शून्य

वर्ष 2010-11

वर्ष 2010-11 में चयनित मार्ग निम्नलिखित हैं :-

1-एमडीआर 98 कि0मी0 24 से ढाढर मार्ग (लम्बाई 1.45 कि0मी0)

2-एल 106 कि0मी0 1 से बिजाला अहिराम बारा मार्ग (लम्बाई 1.25 कि0मी0)

उक्त मार्गों में क्रमांक-2 पर अंकित मार्ग का निर्माण ग्राम सभा द्वारा करा दिया गया है, जबकि क्रमांक-1 पर अंकित मार्ग विश्व बैंक पोषित रूरल रोड प्रोजेक्ट-2 के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अभी भारत सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के अनेकों ग्रामों में खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने की मांग

180-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कोटिया, मरगपुर, महुली, रमगढ़ा, पूरेधनी, भनईपुर, सेतापुर, गहबरा, मानापुर, रसूलपुर, आसपुर देवसरा में लगे खराब हैण्डपम्पों को क्या सरकार रि-बोर कराकर ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। दिनांक 30-6-2011 की स्थिति के अनुसार 14 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य पाये गये

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के कल्याणपुर में निर्मित टंकी से जलापूर्ति पूर्ण न होने के कारण अतिरिक्त पानी की टंकी की मांग

181-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याणपुर लखनऊ की पेयजल हेतु निर्मित पानी के ओवर हेड टैंक से सुबह एवं शाम दो बार जलापूर्ति की जाती है ? क्या यह भी सही है कि उक्त विस्तृत क्षेत्र की आबादी अत्यधिक होने के कारण टंकी का पानी मात्र एक घण्टे से कम समय में समाप्त हो जाता है एवं दूर दराज वाले क्षेत्रों तथा शिवानी बिहार के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई दिनों तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक अतिरिक्त पानी की टंकी अथवा निर्मित पानी की टंकी हेतु दो अतिरिक्त ट्यूबवेलों की स्थापना कराकर उक्त जलापूर्ति की समस्या का निराकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं। गर्मियों में विद्युत व्यवधान एवं लो-वोल्टेज के कारण शिवानी बिहार के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ समय के लिये पेयजल की समस्या होती है जिसके निराकरण हेतु टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा तथा चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि तथा लाभान्वित जॉब कार्ड धारकों की संख्या

182-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा तथा चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा में कच्चे सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से अब तक परियोजनावार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा कुल कितने जाब कार्ड धारक मजदूरों द्वारा कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा काम न करने वाले मजदूरों के फर्जी नाम मस्टर रोल तैयार कर करोड़ों रुपये का घोटाला किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत धनराशि कार्यवार प्राप्त न होकर एक मुश्त प्राप्त होती है। वर्ष 2009-10 से अब तक प्राप्त धनराशि तथा लाभान्वित जॉब कार्ड धारकों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद का नाम	प्राप्त धनराशि (लाख रु0 में)	लाभान्वित जॉब कार्ड धारक की संख्या
चित्रकूट	12654.530	158714
बांदा	6907.470	238943
हमीरपुर	23175.207	173268
महोबा	876.550	42041

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

183-श्री राम विशुन आजाद-

[दिनांक 05-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या-134 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर का मानक

184-श्री कुबेर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर का क्या मानक निर्धारित है ? क्या इससे सम्बन्धित शासनादेश प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मानकों के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995, दिनांक 8-12-1995 एवं अधिसूचना संख्या-22/16/92 टी0सी0-III, दिनांक 20-10-2008 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न† है।

राज्य सरकार द्वारा क्रीमीलेयर के संदर्भ में निर्गत अधिसूचनाएं प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त व जिलाधिकारियों को प्रेषित की गयी हैं। उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत अधिसूचनाओं के प्राविधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत करा दें, ताकि इन प्राविधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

जनपद मेरठ की मवाना चीनी मिल के रसायनिक गन्दा पानी से ग्राम वासियों को हो रहे बीमारी से मिल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

185-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में संचालित मवाना चीनी मिल से रसायनिक गन्दा पानी बाहर आने से आसपास की खेती एवं वहां के ग्रामवासियों धनपुर, तोफापुर, खजूरी, गाजीपुरा, धनपुरा, सीना आदि में रसायनिक युक्त पानी पीने से अनेकों प्रकार की बीमारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मे0 मवाना चीनी मिल, मेरठ में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योग के शुद्धिकरण उत्प्रवाह का नमूना विगत क्रसिंग सीजन में दिनांक 6-12-2010 को एकत्र किया गया था। उक्त उत्प्रवाह सम्बन्धी नमूने को विश्लेषित किये जाने पर विभिन्न परिचालक निर्धारित मानक के अनुरूप पाये गये।

---

† (देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 269-278 पर)

मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम धनपुर, तोफापुर, खजूरी, गाजीपुरा, धनपुरा, सीना आदि में पानी पीने से ग्रामवासियों व ग्राम में रोगों के फैलने की कोई सूचना नहीं है तथा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मवाना चीनी मिल से रासायनिक गन्दा पानी बाहर आने से आस-पास की खेती के नुकसान के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

जनपद आगरा की रजिस्टर्ड फर्म मे0 श्री विनोद पुस्तक मन्दिर द्वारा जॉबवर्क पर पुस्तकों की छपाई के सम्बन्ध में जानकारी

186-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे0 श्री विनोद पुस्तक मन्दिर 11/7, डा0 रांगेय राघव मार्ग आगरा-2, उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड फर्म है और इससे व्यापार कर वसूल किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार फर्जी रूप से पुस्तकों की छपाई कार्य करने वाले फर्म मालिक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मे0 श्री विनोद पुस्तक मंदिर 11/7, बाग मुजफ्फर खां (रांगेय राघव मार्ग) आगरा दिनांक 26-12-2007 से वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है। इनके द्वारा स्थानीय क्षेत्र (लोकल एरिया) के भीतर के पंजीकृत व्यापारी से कागज की खरीद करके दूसरे प्रेस से जॉबवर्क पर पुस्तकों की छपाई कराकर पुस्तकों की बिक्री की जाती है। स्थानीय क्षेत्र के भीतर से कागज की खरीद होने के कारण इनकी कागज की खरीद पर प्रवेश कर की देयता नहीं है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पुस्तकें करमुक्त हैं। अतः इनके द्वारा पुस्तकों की बिक्री पर भी करदेयता नहीं है।

उपर्युक्त स्थिति में इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं बनती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, कृष्ण मगन सिंह, मन्नू लाल कुरील, परमेश्वर पाण्डेय, चेतराम वर्मा, नैन सिंह, सुरेन्द्र सिंह चौहान, खरपत राम, गिरजा शंकर तिवारी, श्रीमती सुशीला रोहतगी, श्री भूप सिंह केन, श्री तुलाराम रावत, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री राम चन्द्र विकल, श्री राम कृष्णा महेश्वरी, श्री राम अधार राय, श्री तेज सिंह तथा श्री रेवती शरण मौर्या के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

'उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का 15 जनवरी, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 28 जून, 1951 को ग्राम रैनापुर, जिला देहरादून में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजेन्द्र सिंह वर्ष 1991, 1993 तथा 1996 में निर्वाचन क्षेत्र मसूरी, जिला देहरादून से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राजेन्द्र सिंह ने श्री राम जन्मभूमि आन्दोलन, भारत बंद

आन्दोलन तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। आन्दोलन के दौरान वे गोरखपुर एवं देहरादून कारागार में कुल ग्यारह दिन बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1992 में श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में उप मंत्री रहे थे, कृषि एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री रोजन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण मगन सिंह का 13 जून, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री कृष्ण मगन सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र रूदौली, जिला बाराबंकी से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र दरियाबाद, जिला बाराबंकी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री कृष्ण मगन सिंह कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र की भलाई के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी।

श्री कृष्ण मगन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मन्नू लाल कुरील का 19 मार्च, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 63 वर्ष के थे। श्री मन्नू लाल कुरील का जन्म 1 जनवरी, 1947 को ग्राम शेरपुर (बरईमानपुर), जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मन्नू लाल कुरील वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र मानिकपुर (अ0जा0), तत्कालीन जिला बांदा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मन्नू लाल कुरील अनेक बार जन आन्दोलनों में दिल्ली, बांदा, महोबा और हमीरपुर कारागारों में बंदी रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे अपने जिले के वनवासी विकास आश्रम के अध्यक्ष थे। संगीत में उनकी विशेष रूचि थी।

श्री मन्नू लाल कुरील के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री परमेश्वर पाण्डेय का 5 मई, 2010 को निधन हो गया। श्री परमेश्वर पाण्डेय ने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री परमेश्वर पाण्डेय वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी छावनी, जिला वाराणसी से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री परमेश्वर पाण्डेय भारतीय मजदूर संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष रहे थे। वे वाराणसी के कई यूनियनों के नेता थे। वे वाराणसी जिला जनसंघ के प्रधान थे तथा तीन बार जेल जा चुके थे। जनसंघ की स्थापना के समय से ही वे इसके कार्यकर्ता थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल में मंत्री भी रहे थे।

श्री परमेश्वर पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चेतराम वर्मा का 11 मई, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री चेतराम वर्मा का जन्म 10 जुलाई, 1927 को ग्राम रुद्रपुर कलां, जिला लखीमपुर खीरी में हुआ था। उन्होंने एम0एस0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चेतराम वर्मा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री चेतराम वर्मा धर्मसभा इण्टर कालेज, लखीमपुर में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता रहे थे। वे पिछड़ी जाति के कल्याण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। रसायन विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री चेतराम वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नैन सिंह का 31 अक्टूबर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री नैन सिंह का जन्म 1934 में ग्राम कसियारा, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नैन सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बघरा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर से प्रजा समाजवादी दल तथा वर्ष 1969 मे निर्वाचन क्षेत्र चरथावल (अ0जा0), जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नैन सिंह वर्ष 1958 से 1961 तक गन्ना सोसाइटी, रोहाना कलां के डायरेक्टर रहे थे। वे कसियारा के ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत, बधाई खुर्द के सहायक सरपंच तथा जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर के सदस्य भी रहे थे। उन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश द्वारा 15 अक्टूबर, 1995 को सन्त कबीर स्मृति पदक प्रदान किया गया था। श्री नैन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान का 25 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान का जन्म 2 जनवरी, 1944 को ग्राम ऊमरी, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 तथा एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान वर्ष 1974 में कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1980 तथा 1985 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर तथा वर्ष 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरौली, जिला अलीगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान वर्ष 1977, 1979 तथा 1980 में चार बार जेल गये थे। वे श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल एवं श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे थे। श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान 7 मार्च, 1990 से 4 अप्रैल, 1991 तक विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे थे। वे श्री नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति के सदस्य थे। समाज सेवा कृषि तथा ग्रामोत्थान में उनकी विशेष रुचि थी और कवि सम्मेलन, मुशायरा आदि से उनका विशेष लगाव था। श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खरपत राम का 2 दिसम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री खरपत राम का जन्म 11 जनवरी, 1937 को ग्राम अमरा, जिला वाराणसी में हुआ था। श्री खरपत राम वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र चकिया (अ0जा0), तत्कालीन जिला वाराणसी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री खरपत राम श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध आन्दोलन में सेन्ट्रल जेल शिवपुर, वाराणसी में बन्दी रहे थे। वे ग्राम सभा के चेयरमैन, चकिया बी0डी0सी0 की जनस्वास्थ्य समिति के सदस्य, जिला परिषद् वाराणसी जनस्वास्थ्य समिति के उपाध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस (आई0) के संगठन मंत्री रह चुके थे। सामाजिक सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा व्यायाम एवं कुश्ती उन्हें प्रिय थी। श्री खरपत राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गिरजा शंकर तिवारी का 30 मार्च, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री गिरजा शंकर तिवारी वर्ष 1967 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र दरियाबाद, जिला बाराबंकी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री गिरजा शंकर तिवारी कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र की भलाई के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री गिरजा शंकर तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सुशीला रोहतगी का 9 अप्रैल, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष की थीं। श्रीमती सुशीला रोहतगी का जन्म 21 अगस्त, 1921 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती सुशीला रोहतगी वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र कानपुर नगर, जिला कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। वे लोक सभा, राज्य सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्य भी रही थीं। श्रीमती सुशीला रोहतगी वर्ष 1960 में नगरपालिका, कानपुर की कारपोरेटर चुनी गयीं। वे आल इण्डिया वोमन्स कान्फ्रेन्स, कानपुर की अध्यक्ष एवं प्रादेशिक शाखा की स्टैन्डिंग कमेटी की सदस्य चुनी गयी थीं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आफ चाइल्ड वेलफेयर एण्ड सिटीजन काउन्सिल आफ उत्तर प्रदेश की वायस चेयरमैन के साथ-साथ भारतीय ग्रामीण महिला संघ, सेन्ट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड, एन0सी0सी0 एडवाइजरी बोर्ड उत्तर प्रदेश, स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड में रहकर सक्रिय रूप से कार्य किया था। वे वर्ष 1980-84 में सेन्ट्रल सोशल एडवाइजरी वेलफेयर बोर्ड में चेयरमैन रहीं। वे केन्द्रीय उप वित्त मंत्री, केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा केन्द्रीय गृह मंत्री रहीं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में नेता विरोधी दल तथा श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रि-मण्डल एवं श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल में मंत्री भी रही थीं। भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा अंग्रजी साहित्य में उनकी रुचि थी। श्रीमती सुशीला रोहतगी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भूप सिंह केन का 8 मई, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री भूप सिंह केन का जन्म 26 जुलाई, 1931 को ग्राम राजपुर, जिला मेरठ में हुआ था। श्री भूप सिंह केन वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र हापुड़ (अ0जा0), तत्कालीन जिला मेरठ से कांग्रेस तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र हापुड़ (अ0जा0), जिला गाजियाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री भूप सिंह केन अखिल भारतीय मानव समाज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के महासचिव, अम्बेडकर यूथ सेन्टर के चेयरमैन तथा अम्बेडकर यूथ होस्टल्स एसोसियेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति रहे थे। कृषि तथा मजदूरों के उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री भूप सिंह केन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तुला राम रावत का 20 मई, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री तुला राम रावत का जन्म 3 जनवरी, 1927 को ग्राम सरायदामू, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तुला राम रावत वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मलिहाबाद-बाराबंकी (आरक्षित), जिला लखनऊ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री तुला राम रावत पेशे से वकील थे तथा जीवनपर्यन्त वकालत से जुड़े रहे। उन्हें दिनांक 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश

विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा का सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। श्री तुला राम रावत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुबर दयाल वर्मा का 17 जून, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री रघुबर दयाल वर्मा का जन्म 10 मार्च, 1935 को ग्राम नगला पैमा, धांधूपुरा, जिला आगरा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रघुबर दयाल वर्मा वर्ष 1977 तथा 1985 में निर्वाचित क्षेत्र फिरोजाबाद, तत्कालीन जिला आगरा से जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 1989 में जनता दल तथा 1996 में समता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित क्षेत्र फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुऐ थे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा आपातकाल और विभिन्न जन-आन्दोलनों में कई बार जिला कारागार, आगरा में बन्दी रहे थे। उन्होंने पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की थी और इसके प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने निषाद, लोधी, बिन्द, कश्यप, एकता मंच की भी स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष भी चुने गये थे। वे सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश महामंत्री, जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष, जनता पार्टी विधान मण्डल दल 1977 के संविधान निर्माण समिति के संयोजक खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के सभापति और जनता दल के राष्ट्रीय महामंत्री रहे थे। वे वर्ष 1985-86 में विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के सभापति रहे थे। वे समता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं समता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता भी रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। कृषि, उद्योग, कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा के उन्नयन तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रघुबर दयाल वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम चन्द्र विकल का 26 जून, 2011 को निधन हो गया वे लगभग 95 वर्ष के थे। श्री राम चन्द्र विकल का जन्म 8 मार्च, 1916 को ग्राम नयागांव बसंतपुर तत्कालीन जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने बी0टी0सी0 की उपाधि प्राप्त की थी। उन्हें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। श्री राम चन्द्र विकल वर्ष 1952 तथा 1957 में निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र दादरी, तत्कालीन जिला बुलन्दशहर से पुनः कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर से निर्दलीय तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र दादरी, तत्कालीन जिला बुलन्दशहर से किसान मजदूर दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे पांचवीं लोक सभा के तथा राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री राम चन्द्र विकल ने अपने कैरियर की शुरुआत अध्यापक के रूप में की थी। वे सदस्य जिला परिषद्, मंत्री, गुरुकुल सिकन्दराबाद तथा कुछ शिक्षा संस्थाओं के मैनेजर रहे थे। वे जिला प्रदेशीय व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। वे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। वे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन भी रहे थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल तथा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे थे। श्री राम चन्द्र विकल संयुक्त विधायक दल के नेता तथा वर्ष 1967 में विरोधी दल के नेता विरोधी दल भी रहे थे। वे किसान मजदूर पार्टी के संस्थापक थे। वे वर्ष 1970-71 में आश्वासन समिति के सभापति भी रहे थे। उन्हें

25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा का सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। अध्ययन तथा खेल में उनकी रुचि थी।

श्री राम चन्द्र विकल के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम कृष्ण माहेश्वरी का 2 जुलाई, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री राम कृष्ण माहेश्वरी का जन्म 7 सितम्बर, 1937 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम कृष्ण माहेश्वरी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र कांठ, जिला मुरादाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री राम कृष्ण माहेश्वरी आर्य गांधी पुस्तकालय, कांठ तथा आदर्श विद्या मंदिर के प्रेसीडेन्ट एवं टाउन एरिया कमेटी, कांठ के सदस्य जैसे पदों पर अनेक वर्षों तक आसीन रहे थे। शिक्षा तथा गरीबों के उत्थान में उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। बागवानी एवं धार्मिक चर्चा में भी वे दिलचस्पी लेते थे। श्री राम कृष्ण माहेश्वरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम अधार राय का 18 जुलाई, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राम अधार राय ने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम अधार राय वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र गोपालपुर, जिला आजमगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री राम अधार राय आपातकाल के दौरान जेल गये थे वे आजीवन किसानों एवं गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। कृषि से उनको विशेष प्रेम था। श्री राम अधार राय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेज सिंह का 28 जुलाई, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे। श्री तेज सिंह का जन्म 17 सितम्बर, 1917 को ग्राम देवटा, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तथा सिद्धान्त शास्त्री की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तेज सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र दादरी, तत्कालीन जिला बुलन्दशहर से कांग्रेस के टिकट पर, वर्ष 1974 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस संगठन के टिपट पर तथा वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र दादरी, तत्कालीन जिला गाजियाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री तेज सिंह वर्ष 1975 की आपात स्थिति में मीसा/डी0आई0आर0 में जेल गये थे। वे गुरुकुल महाविद्यालय, सिकन्दराबाद के मैनेजर, मंत्री तथा प्रधान रहे थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल तथा श्री बनारसी दास मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे अपने क्षेत्र की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे। शिक्षा के प्रसार एवं देशोत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री तेज सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रेवती शरण मौर्य का 3 अगस्त, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री रेवती शरण मौर्य का जन्म मई, 1929 में पूर्वा अहमदनगर (जली कोठी), मेरठ में हुआ था। उन्होंने डी0एन0ई0 कालेज, मेरठ से मिडिल की शिक्षा ग्रहण की थी। रेवती शरण मौर्य वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर (अ0जा0), जिला मेरठ से

कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री रेवती शरण मौर्य, मेरठ नगरपालिका के 5 वर्षों तक सदस्य तथा बिजली बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। वे पिछड़ी जातियों की शिक्षा एवं उनके विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। कुटीर उद्योग में उनकी दिलचस्पी थी। श्री रेवती शरण मौर्य के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

भूतपूर्व मा0 सदस्यों के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें उनके शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन में सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

अरुणांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दोरजी खांडू के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अरुणांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दोरजी खांडू का 30 अप्रैल, 2011 को हेलीकाप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे। श्री दोरजी खांडू का जन्म 19 मार्च, 1955 को अरुणांचल प्रदेश के ग्राम ग्यांगखार, जिला तवांग में हुआ था। थल सेना में इंटेलीजेंस अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के कारण उनको सम्मानित भी किया गया था। वे वर्ष 1982 में तवांग के सांस्कृतिक एवं को-आपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक चेयरमैन बने थे। वर्ष 1983 में पश्चिम कमेंग जिला परिषद् के वाइस प्रेसीडेन्ट के पद पर निर्विरोध निर्वाचित होकर उन्होंने अपने राजनैतिक कैरियर की शुरुआत की थी। श्री दोरजी खांडू मार्च, 1990 में पहली बार मुक्तो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने गये। तत्पश्चात् वे 1995, 1999, 2004 तथा 2009 में पुनः निर्वाचित हुए थे। वे श्री गेगांग अपांग मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे तथा उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वे पहली बार 9 अप्रैल, 2007 को अरुणांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तथा 25 अक्टूबर, 2009 को पुनः मुख्य मंत्री बने।

श्री दोरजी खांडू के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अरुणांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट मौन रखेंगे।

(सदन में सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 अगस्त, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें से 35 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री अशोक कुमार सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में स्थापित 33/11 के0वी0ए0 के दो बिजली घरों में डलमऊ से विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने तथा ट्रांसफार्मरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को डाक्टर द्वारा जंगल में फेंकवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) चौथी सूचना श्री लल्लू सिंह की जनपद फैजाबाद एवं अयोध्या नगर के पन्द्रह किलोमीटर की परिधि को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी नगर निगम द्वारा गलत तरीके से लगाये गये गृह कर के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ के नगर निगम सीमा की बढ़ोत्तरी के उपरान्त लिये गये ग्राम रसैना में जल भराव से मुक्ति तथा प्राथमिक विद्यालय सहित गांव का विकास किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किसानों के लिये सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण फसल उत्पादन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की पी0सी0डी0एफ0 बुलन्दशहर की 40 दुग्ध इकाइयां बन्द होने के कगार पर होने के कारण पी0सी0डी0एफ0 को सशक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (सूचना पढ़ी गई) नौवीं सूचना श्री अशोक कंसल विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर क्षेत्र के कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर आजमगढ़ में स्थापित यूनानी चिकित्सा अस्पताल की दशा खराब हो जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव की जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरुसहाय नगर की मुख्य सड़क पर कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अरविन्द सिंह यादव की विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में सड़कों का निर्माण कार्य अधूरे एवं मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री लालजी यादव की अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड मऊरानीपुर, जनपद झांसी द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की लखनऊ नगर निगम द्वारा जर्जर मकान को न गिराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में दलित अध्यापकों को पेंशन तथा बकाया वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने से हुई उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की जनपद सीतापुर तहसील बिसवां के अन्तर्गत ब्रम्हनावा (रेउसा) विद्युत उप केन्द्र पूर्णतः ध्वस्त होने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री रियाज अहमद की जनपद पीलीभीत के शहर पीलीभीत में रोजाना अघोषित विद्युत कटौती किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के

अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की टूटी हुई सड़कों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सरजू नहर पर हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के जिलाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकरण के नाम पर विभाग द्वारा रसीदें काटने के उपरान्त भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री काशी राम की प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान को बदले जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राजदेव सिंह की जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर बैजारामपुर पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद वाराणसी में स्थायी हज हाउस न होने से दूर-दूर से यात्रा हेतु आने वाले हज यात्रियों की असुविधा के सम्बन्ध में है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं सूचना पढ़ना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष की अनुमति से श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा सूचना पढ़ी गई)

श्री अध्यक्ष-

छब्बीसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाखों लोगों के शोषण किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक पट्टी मगरौरा, आसपुर, देवसरा, बेलखरनाथ धाम में कम वोल्टेज विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के काश्तकारों के हित में सल्लिया नहर पर (सिमिरिया बाबा) एक साइफन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

(श्री अध्यक्ष की अनुमति से डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा सूचना पढ़ी गई)

श्री अध्यक्ष-

तीसवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद बदायूं विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री राजेश यादव की है (उपस्थित नहीं हैं) बत्तीसवीं सूचना श्रीमती मिथलेश पाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना एवं विकास खण्ड जानसठ के कतिपय मार्गों को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड ऐराया में बढ़ रहे झोला छाप चिकित्सकों द्वारा गलत दवाओं के रिएक्शन से जनता को हो रही गम्भीर परेशानियों के कारण इन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर में

नारायणी नदी में खेती के कार्य से जा रहे लोगों की नाव पलटने से हुई मृत्यु के कारण परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर हाई-वे के पास आधुनिक उपकरणों वाला ट्रामा सेन्टर स्थापित कराने के सम्बन्ध में है। उक्त सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानीं जाती हैं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें दिनांक 5-8-2011 को यही सूचना स्वीकार किये जाने के कारण अस्वीकार की गई। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सतीश महाना एवं श्री कुवेर सिंह।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में स्थापित 33/11 के0वी0ए0 के दो बिजली घरों में डलमऊ से बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह-

[मेरे द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में स्थापित 33/11 केवीए के दो बिजली घर क्रमशः विद्युत उप केन्द्र सरेनी एवं विद्युत उपकेन्द्र मल्केगांव को पोषक लाइन, डलमऊ से पूरी विद्युत आपूर्ति न हो पाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0 प्र0 सरकार के अर्द्धशा0प0सं0-1027/चौबीस-पी-3-2010, दिनांक 08 अप्रैल, 2010, ऊर्जा अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया कि ''जनपद रायबरेली के दो 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मल्केगांव को विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्र डलमऊ से 33 के0वी0 पोषक द्वारा प्राप्त होती है। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सरेनी एवं उपकेन्द्र बल्केगांव एक ही 33 के0वी0 पोषक से जुड़े होने के कारण लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। अतः 132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्र डलमऊ से 33/11 के0वी0 मल्केगांव उपकेन्द्र तक 32 किलोमीटर की अलग 33 के0वी0 लाइन बनाने का प्रस्ताव वर्ष 2010-11 के बिजनेस प्लान में प्रस्तावित है।''

उक्त के संदर्भ में, मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2010-11 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत 132 के0वी0 पारेषण उपकेन्द्र डलमऊ से 33/11 के0वी0 मल्केगांव उपकेन्द्र तक 32 किलोमीटर की अलग के0वी0 लाइन बनाने के प्रस्ताव पर कार्य तो प्रारम्भ किया गया, किन्तु कार्य को पूरा न करके उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिससे पहले की समस्या ज्यों ही त्यों बनी हुई है। क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता के मुताबिक बिजली नहीं मिल पाती है और किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। अतः जब तक एक अलग से नयी पोषक न बना दी जाय तब तक दोनों उपकेन्द्र क्रमशः सरेनी एवं मल्केगांव को ''डबल ग्रुपिंग सिस्टम'' से चलाने की कार्यवाही की जाय तथा इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने तथा ट्रान्सफार्मरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[जनपद सिद्धार्थनगर पर्यटकों के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण जनपद है जो भारत नैपाल सीमा पर स्थित है, इसकी सीमायें अंतर्राष्ट्रीय हैं। देश के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी संख्या यहां अधिक रहती है। किन्तु विद्युत कटौती इतनी अधिक की जा रही है कि विद्युत आपूर्ति न के बराबर हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है वहीं पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ और वर्षा के कारण अत्यन्त विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः ऐसी स्थिति में विद्युत आपूर्ति समुचित मात्रा में होना अति आवश्यक है। इसके लिये प्रायः धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। जनपद में ट्रांसफार्मरों की भारी कमी है। जिन गांवों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वहां पर कई माह तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है अतः कई माह तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। जनहित में जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय सहित बांसी, सोहरतगढ़ आदि में कम से कम 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने तथा ट्रांसफार्मर की कमी के कारण लोगों में रोष एवं कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को डाक्टर द्वारा जंगल में फिंकवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान करवरिया-

महोदय, डाक्टर जिन्हें पेशे से भगवान की संज्ञा दी गई है के द्वारा अभी तक अस्पताल में भर्ती न करना अथवा बिना इलाज के ही निकाल देने तो एक आम बात है लेकिन अब तो हद हो गई कि भर्ती मरीज को अस्पताल से निकाल कर जंगल में मरने के लिए फेंक दिया गया। यह घटना 2-8-2011 को इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय सरकारी अस्पताल की है।

स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के एक डाक्टर और उसके तीन सहयोगियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इलाज के लिये भर्ती दो लावारिस मरीजों को अस्पताल से निकाल कर एम्बुलेन्स में लादकर झूंसी के जंगल में फेंकवा दिया गया। मरीजों को फेंक कर भागते वक्त दो वार्ड व्वाय और ड्राइवर को ग्रामीणों ने दौड़कर पकड़ा और पुलिस को सूचना दी तब जाकर राज खुला। इस पूरी प्रकरण में डा0 सोनू शर्मा, वार्ड व्वाय धर्मेन्द्र कुमार सिंह, राजू यादव एवं चालक शिवलाल निर्मल संलिप्त पाये गये। आये दिन एस0आर0एन0 अस्पताल में जूनियर डाक्टर मरीजों के साथ मार-पीट करते रहते हैं तथा पूरी तरह से निरंकुश है और सीनियर डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं यहां तक की एस0पी0 सिंह जो कि एस0आर0एन0 के प्रिंसिपल भी हैं तथा नेत्र चिकित्सालय के एम0डी0 के साथ-साथ डी0डी0ओ0 भी है इस पद पर किसी वरिष्ठ चिकित्सक को होना चाहिए। न तो मरीजों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुफ्त दवा मिल रही है और नहीं साफ-सुथरे बिस्तर की व्यवस्था वार्डों की हालत खराब है तथा दवाइयां बाहर बेंच दी जा रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की मांग करता हूं।

जनपद फैजाबाद एवं अयोध्या नगर के पन्द्रह किलोमीटर की परिधि को विद्युत कटौती से मुफ्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह-

[महोदय, अयोध्या जनपद फैजाबाद का रामजन्म भूमि स्थली होने के कारण उ0 प्र0 ही नहीं पूरे भारत एवं विश्व में प्रसिद्ध है। यह नगर प्रमुख रूप से आतंकवादियों के निशाने पर भी है। विगत वर्षों में कई बार आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट भी किया गया तथा फैजाबाद रेलवे स्टेशन एवं राम जन्मभूमि मन्दिर को उड़ाने की धमकी भी दी गयी जिससे यहां की सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गयी है। परन्तु सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अयोध्या एवं फैजाबाद को विद्युत कटौती से मुक्त नहीं रखा गया है। जिसका लाभ आतंकवादी उठाते हैं। अंधेरे में सुरक्षा कर्मियों को आतंकवादियों से सुरक्षा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवादियों द्वारा मिल रही धमकियों को देखते हुए अयोध्या एवं फैजाबाद नगर की 15 कि0मी0 परिधि को विद्युत कटौती से मुक्त किया जाना चाहिए। इसकी काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे सुरक्षा की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। इस अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकवादी अंजाम देने में सफल हो सकते हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्ब विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा हेतु अयोध्या के 15 कि0मी0 परिधि के क्षेत्र को विद्युत कटौती से मुक्त करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी नगर निगम द्वारा गलत तरीके से लगाये गये गृह कर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, वाराणसी नगर निगम ने बहुत गलत तरीके से गृह कर कई गुना बढ़ाकर मंहगाई से त्रस्त जनता पर बहुत बोझ बढ़ा दिया है।

1-नगर निगम में हवाई सर्वे के नाम पर मेज सर्वे किया है घरों की नाप जोख बिना किये मनमाने ढंग से मकानों पर टैक्स लगाया है। कम क्षेत्रफल वाले घरों पर अधिक और अधिक क्षेत्रफल व अधिक कार्पोरेट एरिया वाले घरों पर कम टैक्स लगाया है अर्थात् बिना किसी वैज्ञानिक मानक के मनमाने ढंग से टैक्स में धुआंधार वृद्धि की है।

2-यह गृहकर इस वर्ष लगाया गया है लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्ष पर लागू मानकर समयानुसार गृहकर जमा किये लोगों पर भी दो वर्ष की एरियर ले रहे हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-धार्मिक स्थान अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थल के बिल्डिंग पर भी यह टैक्स लगाया जा रहा है जिस पर कर लगाने से आम जनता आज मानसिक पीड़न अनुभव कर रही है।

4-गृहकर हर व्यक्ति पर दुगने से तिगुना बढ़ा है इस बढ़ोत्तरी से सीवर टैक्स भी बढ़ गया है जो मंहगाई की मार झेल रही जनता पर एक भारी चोट है।

नगर निगम कहती है कि जो पुनः विचारार्थ प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं उस पर विचार कर टैक्स घटाया भी जा रहा है अर्थात् इस प्रकार भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। जिनकी पहुंच नगर निगम में नहीं है वे टैक्स की मार झेल रहे हैं। जरूरी है कि एक सिरे से सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार किया जाय, टैक्सों की इस बढ़ोत्तरी को समाप्त किया जाय, छूटे हुए घरों पर ही टैक्स लगाया जाय।

जनहित से जुड़े इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार गम्भीरता से विचार करे तथा नगर निगमों द्वारा किये जा रहे इस शोषण से जनता को राहत प्रदान करे, इस हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद मेरठ के नगर निगम सीमा की बढ़ोत्तरी के उपरान्त लिये गये ग्राम रैसना में जल भराव से मुक्ति तथा प्राथमिक विद्यालय सहित गांव का विकास किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय, वर्ष 1995 में नगर निगम की सीमा बढ़ोत्तरी उपरान्त ग्राम रैसना नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आ गया लेकिन आज तक नगर निगम द्वारा उपरोक्त ग्राम में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। सड़कें जर्जर अवस्था में है, तालाब का पानी प्राथमिक विद्यालय एवं मंदिर प्रांगण तथा मुख्य सड़क मार्ग पर भर रहा है जिसके कारण दो स्कूल के बच्चे एवं कई जानवर डूबते-डूबते बचे हैं। पूरे गांव के मुख्य मार्ग पर बाढ़ जैसा नजारा नजर आ रहा है तथा मुख्य सड़क की हालत भी बहुत खराब है। ग्राम रैसना के नागरिक दोहरे मापदण्ड का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ तो नगर निगम क्षेत्र में रहने के कारण बहुत सारे टैक्सों की मार पड़ रही है दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र से भी बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है। नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नगर आयुक्त को ग्राम रैसना की तरफ जाना तो दूर सोचने की भी फुरसत नहीं है। रैसना के नागरिक लगातार नगर निगम एवं नगर आयुक्त, मेरठ के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हैं। अभी कुछ दिन पूर्व शासन द्वारा शासनादेश किया गया है कि नगर निगम सीमा के अन्तर्गत जो ग्रामसभायें आई हैं उनका पूर्ण रूप से विकास किया जायेगा उसमें मेरठ के चार गांव सम्मिलित किये गये हैं जिसमें खड़ौली, गोलाबढ़, मलियाना आदि है। इसी तरह से रैसना को भी उक्त श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए या सम्पूर्ण गांव का विकास तत्काल कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किसानों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण फसल उत्पादन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम गुप्ता-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्र में किसानों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से फसल उत्पादन में बहुत कठिनाई हो रही है। ग्राम-रामपुर, इमादपुर, करियामऊ, मलॉव, दिहुली, आलमपुर, नरही, घूरी बुजुर्ग, कुशुम्भी, बड़नपुर, मनीपुर, औरेई, छिदनी, रिठवां, भैरवा, टीकर, मीसा आदि ग्रामों में सिंचाई की समस्या के निदान हेतु नलकूप लगाया जाना आवश्यक है। यहां के किसानों द्वारा काफी समय से सिंचाई की समस्या के निदान हेतु नलकूप लगाये जाने की मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक सिंचाई का समस्या के निदान के प्रति कोई कार्यवाही न किये जाने से उपेक्षित किसान आन्दोलित हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त ग्रामों में सिंचाई की समस्या के निदान हेतु नलकूप लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पी0सी0डी0एफ0 बुलन्दशहर की 40 दुग्ध इकाइयां बन्द होने के कगार पर होने के कारण पी0सी0डी0एफ0 को सशक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

महोदय, पी0सी0डी0एफ0 लि0 के अन्तर्गत 52 जिलों में 40 दुग्ध इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें पी0सी0डी0एफ0 बुलन्दशहर बन्दी के कगार पर है। विगत 39 माह में मात्र 9 महीने का वेतन भुगतान किया गया है। दुग्ध संघ बुलन्दशहर पर किसानों कर्मचारियों व ट्रान्सपोर्टरों का लगभग 14 करोड़ रुपये बकाया है। इसी प्रकार पी0सी0डी0एफ0 की अन्य इकाइयों पर भी काफी राशि बकाया है। भुगतान न होने के कारण किसानों व कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। बुलन्दशहर दुग्ध के उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला रहा है जहां वर्ष 2006-07 में औसत दुग्ध उपार्जन प्रतिदिन 68.72 हजार कि0ग्रा0 था जो कि 2010-11 में घटकर 11.255 हजार किलोग्राम प्रतिदिन रह गया है। यदि बुलन्दशहर दुग्ध संघ जो कि बन्दी के कगार पर है अगर बन्द हो गया तो प्राइवेट डेरी और बिचौलियों द्वारा दूध सस्ते दामों पर खरीदा जायेगा जिससे किसानों को उनके दुग्ध के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। किसानों एवं कर्मचारियों के हित में पी0सी0डी0एफ0 को सशक्त बनाया जाना आवश्यक है ताकि दुग्ध इकाई बन्द न हो।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोकहित के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए किसानों, कर्मचारियों एवं ट्रांसपोर्टरों के बकाये भुगतान की मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर क्षेत्र के कतिपय मार्गों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कंसल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के प्रमुख सम्पर्क मार्गों के जर्जर हालत में होने के कारण आवागमन में हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मेरी विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर की भोपा रोड से गांव मखियाली के दोनों सम्पर्क मार्ग जिनमें से एक मार्ग चौधरी ओम सिंह के घर से होते हुए चौधरी सुपेन्दर के घर के आगे से होते हुए गांव चांदपुर तक, भोपा रोड से गांव चांदपुर होते हुए गांव तिगरी से जटमुझेड़ा तक जो भोपा रोड पर स्थित है व भोपा रोड से बिन्दल पेपर मिल के सामने से होते हुए गांव भन्डूरा तक एवं गांव भन्डूरा से गांव असदनगर जो भन्डूरा का मजरा है व भोपा रोड से पेप्सीसाइड फैक्ट्री के बराबर से होते हुए गांव कुकड़ा गांव होते हुए जी0सी0 पब्लिक स्कूल के सामने से होते हुए कूकड़ा जोली रोड तक के सम्पर्क मार्गों की हालत बड़ी दयनीय एवं विचित्र है जिसके कारण किसानों, छात्र/छात्राओं एवं जनमानस को आने-जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है सम्पर्क मार्गों की स्थिति खराब होने के कारण दुर्घटना होने का भी भय बना रहता है क्योंकि छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांव से मुजफ्फरनगर शहर आना-जाना पड़ता है। सड़क की स्थिति बड़ी दयनीय होने के कारण एवं सड़क पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण छात्र-छात्राओं व आम नागरिकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन सम्पर्क मार्गों का निर्माण न होने से कानून-व्यवस्था भी बाधित हो रही है जिस कारण रोज आने-जाने वाले आम नागरिक के साथ लूट-पाट होती रहती है। इसलिये उपरोक्त मार्गों का चौड़ीकरण व नवीनीकरण कराने की बहुत आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का अविलम्ब निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, आजमगढ़ में स्थापित यूनानी चिकित्सा अस्पताल की दशा खराब हो जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, आजमगढ़ के अन्तर्गत मेंहनगर में यूनानी चिकित्सालय स्थापित है। लेकिन इस समय यूनानी की दशा खराब है। अस्पताल की दीवार व कमरे व उसकी बाउन्ड्री बिल्कुल टूटकर जर्जर हो चुकी है। यहां पर कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अस्पताल का निर्माण न होने से मरीजों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। यूनानी अस्पताल न होने के कारण जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। अस्पताल का निर्माण कराना जनहित में आवश्यक है। जो जनता की मांग है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल यूनानी अस्पताल का निर्माण कराने की मांग करती हूं।]

जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरुसराय नगर की मुख्य सड़क पर कार्य रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत गुरुसराय नगर की मुख्य सड़क चुंगी से खेर इण्टर कालेज की सड़क को बनाये जाने हेतु आगणन 2.58 करोड़ का स्वीकृत है और उसमें मात्र पचास लाख रुपये भेजे गये हैं जिस पर ठेकेदारों द्वारा कार्य रोक दिया गया है। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। तत्काल आगणन के हिसाब से सड़क का स्वीकृत आगणन की धनराशि उपलब्ध करायी जाय तथा रुके हुए कार्य तत्काल शुरू कराये जायं। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है इस पर आवागमन काफी रहता है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं आम जनता को आने-जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यह महत्वपूर्ण कार्य है। बार-बार अधिकारियों को अवगत कराये जाने के बाद भी आगणन के अनुसार धन स्वीकृत नहीं किया गया और मजबूर होकर ठेकेदारों द्वारा कार्य रोक दिया गया जिससे जनमानस में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं। स्वीकृत आगणन की धनराशि अवमुक्त किये जाने की भी मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ जनपद कन्नौज में सड़कों का निर्माण कार्य अधूरे एवं मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ अन्तर्गत जी0टी0 रोड सिकन्दरपुर से करमवा तक सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया जिसमें से एक कि0मी0 छोड़ दिया गया है और कहा जाता है कि धन की कमी आ रही है। इससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, तत्काल इस अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जी0टी0 रोड मण्डी छिबरामऊ से बड़े पुल होते हुए शंकरपुर का शेष भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है इसकी भी मरम्मत कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस पर भी काफी आवागमन रहता है और किसान अपने साधनों से आते-जाते हैं जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन दोनों कार्यों के न कराये जाने से स्थानीय लोगों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक हो सकती है। लोग आन्दोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड मऊरानीपुर, जनपद झांसी द्वारा शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड मऊरानीपुर जनपद झांसी ने वर्ष 2007-08 में सहायक अभियन्ता के पद पर रहते हुए फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्रोन्नति ले ली और तमाम अनियमिततायें इनके द्वारा की गयीं। मऊरानीपुर में तैनात रहते हुए श्री छेदी लाल गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कई करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। बुन्देलखण्ड की कुरार परियोजना को पूर्ण नहीं कराया गया है जिससे किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। पहाड़ी बांध परियोजना का कार्य तीन वर्ष में पूरा किया जाना था। परन्तु चालीस करोड़ रुपये की शासकीय लूट इस अभियन्ता द्वारा की गयी। महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद ने पहाड़ी बांध परियोजना पर व अर्जुन सहायक परियोजना व अप्रोच रोड के नाम पर काफी धनराशि का घोटाला करने की शिकायत की है। प्रमुख अभियन्ता सिंचाई तथा मुख्य अभियन्ता परियोजना बेतवा द्वारा 30-6-11 में शासन से अनुशानात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है। परन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सारे प्रकरण को दबा कर रखा गया है। जिससे जनमानस में रोष व्याप्त है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जांच कराये जाने एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ नगर निगम द्वारा जर्जर मकान को न गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, श्रीमती गनेशी गुप्ता पत्नी श्री सन्तराम गुप्ता निवासी मकान नं0 86/33 सरोजनी देवी लेन कुर्मी टोला मकबूलगंज, लखनऊ द्वारा अपनी मर्जी से गिराये जाने का अनुरोध बार-बार किया, चूंकि यह मकान जर्जर है और गिर जायेगा तो कोई घटना हो सकती है। नियमानुसार जो विभागीय शुल्क पड़ता है वह भी जमा करने के लिए तैयार है परन्तु बार-बार प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ व नगर निगम कार्यालय को देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है इससे यह परिवार भयभीत है और बराबर रेन्ट का मकान गिराये जाने की मांग कर रहे हैं ताकि नये सिरे से नया मकान बनाकर रह सकें, यह गम्भीर विषय है। लोक महत्व का है तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है तथा इसमें विलम्ब करने वाले नगर निगम के अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण विभाग में दलित अध्यापकों को पेंशन तथा बकाया वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग में दलित अध्यापकों को तमाम तरह की सरकार से सुविधाएं न दिये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग के दलित अध्यापकों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है जबकि वृद्धा, विधवा, विकलांग आदि को पेंशन दी जाती है। इस विभाग के अध्यापकों का बकाया वेतन (एरियर) पूरा नहीं दिया तथा पूरे वर्ष में चार या पांच माह का वेतन बकाया रह जाता है। अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित मानकर प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिया गया एवं प्रशिक्षण मुक्ति का शासनादेश सम्बद्ध विद्यालयों की भांति 2003 का शासनादेश हुआ, मगर संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डल को इसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी गयी। जिला परिषद् की भांति समाज कल्याण के विद्यालयों को सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है तथा इस विभाग के विद्यालयों को साज-सज्जा, भवन निर्माण, शौचालय आदि की सुविधा के लिए धन भी नहीं जाता है। जिस कारण समाज कल्याण विभाग के अध्यापकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा पठन-पाठन करने वाले बच्चों को टूटे-फूटे मकानों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी हो रही है। इन तमाम असुविधाओं के कारण क्षेत्रीय अध्यापकों एवं बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों में घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने से हुई उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान महिला कल्याण विभाग में आया के पद पर तैनात जुबेदा खातून के सम्बन्ध में आकर्षित कराना चाहता हूं। इसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर से शासन व निदेशक को कई जन्मतिथियों की शिकायतें प्राप्त हुईं जिस पर 09 जुलाई, 2009 को सम्बन्धित अपचारी कर्मचारी को आरोप-पत्र दिया गया। जिस पर निदेशक द्वारा विगत दिनों उसे विभिन्न जन्मतिथियों के मामले में धन उगाही करके दोष मुक्त कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सिटी मॉडल पब्लिक स्कूल सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ को शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1997 में मान्यता भी प्राप्त नहीं थी अतः उक्त वर्ष में स्कूल से जुबेदा खातून द्वारा जो शैक्षिक प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया गया है वह शैक्षिक प्रमाण-पत्र अवैध है चूंकि उक्त स्कूल को जब मान्यता ही प्राप्त नहीं है तो उस स्कूल के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को सही नहीं माना जा सकता। जुबेदा खातून की सेवायें समाप्त कर फर्जी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्राप्त की गयी नौकरी में लगाये गये प्रमाण-पत्र को अवैध मानते हुए इसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराकर सरकारी खजाने से प्राप्त की गयी वेतन भत्तों में धनराशि की वसूली भी की जानी चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में सरकार को जुबेदा खातून की सेवायें समाप्त कर वेतन भत्तों में दी गयी धनराशि की वसूली करने व एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर, तहसील बिसवां के अन्तर्गत ब्रम्हनावा (रेउसा) विद्युत उपकेन्द्र पूर्णतः ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

[महोदय, जनपद सीतापुर में तहसील बिसवां के अन्तर्गत ब्रम्हनावां (रेउसा) विद्युत उपकेन्द्र की विद्युत सप्लाई व्यवस्था पूर्णतयः ध्वस्त है। जर्जर विद्युत लाइन खम्भों के स्थान पर पेड़ों से तार बंधे हैं तेज हवा चक्रवात से तार टूट जाते हैं जिससे तमाम दुर्घटनायें होती रहती हैं। तम्बौर से रेउसा होते हुए बिसवां विद्युत लाइन पूर्णतयः ध्वस्त है तथा कुछ दिन पूर्व इसी जर्जर विद्युत लाइन के टूटने से जहांगीराबाद के एक गुड्डू नामक युवक की तार टूटने से दुर्घटना में मृत्यु भी हो चुकी है खानपुरमुइया में 3 महीने से ट्रान्सफार्मर खराब पड़ा है, बदलना है रमजान का महीना है। महीनों ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते, ग्राम रेउसा में उपभोक्ता के क्रय से बहुत ही कम क्षमता का ट्रान्सफार्मर रखा होने के कारण हमेशा विद्युत सप्लाई बाधित रहती है। कम से कम 100 के0वी0 के दो ट्रान्सफार्मर रखना आवश्यक है। ग्राम हिम्मतपुरवा (सुपौली) में लगभग तीन माह से ट्रांसफार्मर फुंका पड़ा है, अभी तक बदला नहीं गया है। इस वक्त रमजान का महीना भी चल रहा है जिससे विद्युत व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने की भी आवश्यकता है परन्तु जर्जर विद्युत लाइन के चलते विद्युत सप्लाई न मिलने से जनमानस में भयंकर असन्तोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से जर्जर विद्युत लाइन को दुरुस्त कराने एवं उक्त के सहित समस्त खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को बदले जाने की शासन से मांग करते हुए ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।]

जनपद पीलीभीत के शहर पीलीभीत में रोजाना अघोषित विद्युत कटौती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रियाज अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद पीलीभीत के शहर पीलीभीत में रोजाना अघोषित बिजली से व्यापारी, छात्र व आम नागरिक त्रस्त हैं। पांच-पांच मिनट बाद बिजली आ जा रही है। क्योंकि शहर पीलीभीत में 2007 के बाद से बिजली के तार जो कि नीचे लटक गये हैं तथा पुराने एवं जर्जर हो गये हैं। इनकी न तो मरम्मत हुई है और न ही उनको बदला गया है। पीलीभीत में लगे ट्रांसफार्मर भी अत्यन्त दयनीय स्थिति में हैं। मांग को देखते हुए इतने कम पावर के ट्रांसफार्मर लगे हैं। एक तो बिजली शहर में आती ही बहुत कम है। दूसरे आती भी है तो वोल्टेज की समस्या से लोगों में जबरदस्त बेचैनी एवं रोष है। पीलीभीत शहर में बिजली का कोई शेड्यूल लागू नहीं है जबकि अन्य शहरों में शेड्यूल के हिसाब से बिजली आ रही है। पीलीभीत के साथ यह सौतेला व्यवहार काफी लम्बे समय से चल रहा है। इससे स्थानीय जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की टूटी हुई सड़कों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद-मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की मुख्य सड़क मथुरा-भरतपुर मार्ग से गोवर्धन वाया मगोर्रा, फौंडर, लोरियापट्टी, सौंख एवं सौख से कुम्हेर रोड तथा ओल से चौकीपुरा, भदेरूआ लुहारा मार्ग जो लोक निर्माण के द्वारा निर्मित सड़कें हैं इन उपरोक्त सड़कों की मरम्मत के अभाव में पूरी तरह टूटी पड़ी हैं। आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा आवागमन अवरुद्ध हो रहा है तथा अभी भी पानी भरा हुआ है। यह सड़कें अति महत्वपूर्ण हैं जो कि अन्य सभी ग्रामों को जोड़ती हैं।

उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यानाकर्षण करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सरजू नहर पर हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरयू नहर परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ किया गया था। यह परियोजना अधिकारियों की लापरवाही से पूर्ण नहीं हुई। इस परियोजना से पूर्वांचल के कई जनपदों के कृषकों को लाभ मिलना था। इसी परियोजना से जनपद-गोण्डा में सरयू नहर खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं ड्रेनेज खण्ड एवं बाढ़ खण्ड द्वारा नहर का निर्माण कार्य कई वर्षों से करवाया जा रहा है जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं परन्तु परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है और न ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा है। उक्त अधिकांशतः कई खण्डों के कार्यालय बलरामपुर, बहराइच, बस्ती आदि जनपदों में हैं। वहीं से अभियन्ताओं द्वारा जनपद गोण्डा में एवं विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सरयू नहर का कार्य करवाया जा रहा है। जिसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। अभियन्ताओं द्वारा अपने जनपद एवं अपने चहेते ठेकेदारों से नहर की खुदाई एवं मरम्मत का कार्य एवं पुल/पुलिया का निर्माण कार्य सेलेक्शन बाण्ड बिना टेण्डर के मनमाने तरीके से कार्य करवाते हैं। अभियन्ताओं द्वारा करोड़ों रुपये के ह्यूम पाइप खरीदे गये हैं जिनकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। अधिकांश स्थानों पर ह्यूम पाइप पड़े हुए हैं इस तरीके से सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा शासकीय धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। मेरे द्वारा प्रश्नों के माध्यम से विधान सभा में भ्रष्टाचार के माध्यम से उठाया है परन्तु उन्हीं लोगों से जांच करवायी जाती है जो भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं। जिसकी उच्च स्तरीय जांच होना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए टी0ए0सी0 से जांच करवाकर दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के जिलाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप सण्डा-

[मान्यवर, प्रदेश के कई जनपदों में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण का अधिकार उस जिले में तैनात सम्बन्धित विभागीय अधिकारी/जिलाधिकारी को है जिसमें कई बार अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता न बरतते हुए मनमाने ढंग से व्यक्तिगत राग-द्वेष के आधार पर तबादले किये जाते हैं। उदाहरणार्थ जिलाधिकारी छत्रपति शाहूजी महाराजनगर द्वारा पत्र संख्या-1100/पं0/सचिव-तैनाती/2011-12, दिनांक 20 जून, 2011 जारी करके एक ही विकास खण्ड में 7 या 7 से अधिक वर्षों से तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किये गये। कुल 62 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया किन्तु जिलाधिकारी के कृपा पात्र ग्राम पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश दुबे जो विकास खण्ड गौरीगंज में वर्ष 2000 से तैनात हैं, उन्हें 11 वर्षों से लगातार एक ही विकास खण्ड में कार्यरत रहने के बावजूद स्थानान्तरित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि तबादले नीतिगत आधार पर नहीं व्यक्तिगत राग-द्वेष के आधार पर किये गये। इससे स्थानान्तरित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों व प्रबुद्ध नागरिकों में आक्रोश है। इस प्रकरण में शासन का हस्तक्षेप आवश्यक है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकरण के नाम पर रसीदें काटने के उपरान्त भी निर्वाध विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं, जनपद बांदा में विद्युत विभाग द्वारा सैकड़ों गांव में विद्युतीकरण के नाम पर विभाग द्वारा रसीदें काटी गयी हैं तथा बिना खम्भा लाइन पहुंचाये उनके घर विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं जिससे जनता में आक्रोश है। ग्राम-छापर व ग्राम नारायण के बजरंग डेरा में दर्जनों ग्रामीणों से विद्युत कनेक्शन हेतु रसीदें काटी गयी हैं लेकिन अभी तक तार, खम्भे व बजरंग डेरा में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। इसी तरह से ग्राम-जखौरा (मटौध) में 40 उपभोक्ता कनेक्शन लिये हुए हैं। 63 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की मांग की जा रही है। लेकिन 10 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो आये दिन जल जाता है। नियमतः 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाया जाना आवश्यक है। इसी तरह खप्टिहाकला के नये डेरा में 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया जाना आवश्यक है तथा ग्राम अमलीकौर, भगदराडेरा, सिगवाडेरा, बरेहटा, मांचा में 10-10 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उपरोक्त ग्रामों में लाइन, खम्भे व ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के आदेश देने की कृपा करें।]

प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी राम

[महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

पुलिस कर्मचारियों का वेतनमान वर्ष 1986 में 364 रुपये था जो कि वर्ष 1996 से 3050 और अध्यापकों का वेतनमान 4500 रुपये था। वर्ष 2011 से पुलिस कर्मचारियों का 5200 रुपये और अध्यापकों का वेतन 9300 रुपये कर दिया गया। पुलिस कर्मचारी 24 घण्टे जोखिम भरी ड्यूटी करते हैं और उनको वेतन एक अध्यापक से भी कम मिलता है। ऐसी विसंगति पूर्ण नीति के कारण पुलिस कर्मचारी आर्थिक कठिनाइयों के कारण पूरे मनोबल से कार्य करने में अक्षम हो रहे हैं और अधिक आर्थिक कठिनाइयों से घूसखोरी को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए जनहित में और जोखिम की ड्यूटी को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों को वेतन भी अध्यापकों की भांति 9300 करना उचित होगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस वेतन विसंगति को दूर करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर बैजारामपुर पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजदेव सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। जनपद-जौनपुर में गोमती नदी पर बैजारामपुर घाट के पास सेतु का निर्माण नितान्त आवश्यक है, जो कि राष्ट्रीय मार्ग-56 से लुम्बनी-दुद्धी मार्ग तक पहुंच से जुड़ जायेगा, जिससे नये परिसीमन में विधान सभा क्षेत्र मल्हिनी का भ्रमण जन सुलभ होगा, इससे लाखों लोगों का अन्य जनपद व पूर्वांचल विश्वविद्यालय, मल्हिनी विधान सभा क्षेत्र हेतु आवागमन विशेष बहुजन प्रयोगी होगा।

अतएव आपसे आग्रह है कि जनहित में जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत बैजारामपुर घाट गोमती नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के लिये शासन में लम्बित आगणन के सापेक्ष वांछित धनराशि अवमुक्त करने हेतु सदन में निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद वाराणसी में स्थायी हज हाउस न होने से दूर-दूर से यात्रा हेतु आने वाले हज यात्रियों की असुविधा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

महोदय, पूर्वांचल से हजारों जायरीन हजे मुबारक के लिए विगत चार साल से स्थायी हज हाउस न होने से बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। मेरे द्वारा विधान सभा के पिछले सत्र में पूछे गये प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया था कि जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में एक समिति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का गठन कर दिया गया है जो जमीन तलाश कर हज हाउस का निर्माण करायेगी लेकिन खेद है कि अभी तक उक्त कार्य को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हजारों जायरीनों को प्रति वर्ष होने वाले कष्ट से निजात दिलाये जाने हेतु नगर के मध्य में एक आवश्यक सर्वसुविधा सम्पन्न हज हाउस का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाना आवश्यक है। सूच्य हो कि उक्त मांग की पूर्ति हेतु कई संस्थाओं द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन और उपवास भी किया गया है तथा कई ज्ञापन भी शासन प्रेषित किया गया है लेकिन उक्त दिशा में कोई सार्थक पहल होना न दिखने से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले हजारों की संख्या में जायरीनों में क्षोभ और आक्रोश हैं लोकमहत्व की दृष्टि से इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर जमीन प्राप्त कर अतिशीघ्र स्थायी हज हाउस का निर्माण आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना की तरफ शासन का आकृष्ट करते हुए सार्थक पहल प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की मांग तथा सम्बन्धित मा0 मंत्री द्वारा उत्तर की अपेक्षा करता हूं।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लाखों लोगों के शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर महायोजना के वर्ष 2007 में स्वीकृत होने के बाद भी जी0डी0ए0 की सुस्त कार्यप्रणाली, लालफीताशाही तथा विभाग में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार के कारण गोरखपुर महानगर के करीब 2 लाख नागरिकों का जीवन नारकीय होता चला जा रहा है। जी0डी0ए0 के द्वारा दिये जा रहे तनाव के कारण उनमें से बहुत से लोग मानसिक सन्ताप की स्थिति से गुजर रहे हैं।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण नागरिकों को दोहरी चक्की में पीस रहा है। एक ओर जी0डी0ए0 ने स्वयं ही बहुत सी वैद्यानिक कालोनियों को विकसित किया या कराया है, जिनमें अवस्थापना सुविधाओं का विकास अद्योमानक एवं निम्न गुणवत्ता का होने के कारण नगर निगम उनका हस्तान्तरण नहीं कर रहा है और वहां के नागरिक सारे शुल्क जमा करने के बावजूद नगर निगम द्वारा विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अभियन्ताओं की मिलीभगत से जी0डी0ए0 के नाम से नीचे ईस्टनपुर कालोनी, आर्यनगर, विवेकानन्दपुरी, श्रीराम नगर कालोनी, गायत्रीनगर लालगंज, झरनाटोला, मौर्याटोला, नन्दानगर, दरगहिया, सैनिक कुन्ज, सैनिक विहार विस्तार, विवेकानगर, आदर्शनगर, विवेकनगर, शान्तिनगर, मुलायमनगर, गोरख नगरी, महादेवपुरम्, शक्तिनगर, शिवाजीनगर, राजीवनगर, शुभम कालोनी, पार्वतीनगर, साकेत नगर, सिद्धार्थनगर जैसी कालोनियों सहित महानगर के गायघाट महादेव झारखण्डी, वशारदपुर, भखलिया खुर्द, जंगल तुलसीराम, मदुई सुधारपुर, जंगल मातादीन, लक्ष्मीपुर, बरगद, चिलमापुर आदि क्षेत्रों में सैकड़ों अवैधानिक कालोनियां विकसित हो गयी हैं, जिनके नागरिकों को जी0डी0ए0 नक्शा पास कर या न करें, लाखों की संख्या में अब हटाया नहीं जा सकता है।

महायोजना को स्वीकृत हुए 4 वर्ष बीत गये लेकिन न तो जी0डी0ए0 के अधिकारियों ने नगर निगम की आपत्तियों के तहत विकास कार्य कराकर वैद्यानिक कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने में सफलता पायी और न ही सैकड़ों अवैद्यानिक कालोनियों का विनियमितीकरण करके उनका नक्शा ही स्वीकृत किया।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत उठाने की स्वीकृति देते हुए सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक पट्टी मंगरौरा, आसपुर, देवसरा, बेलखरनाथ धाम में कम वोल्टेज विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर, देवसरा, बेलखरनाथ धाम में कम वोल्टेज के कारण अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, प्रतापगढ़ एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण, इलाहाबाद के द्वारा पैकेज स्वीकृत कर वित्तीय लिंकेज हेतु मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद जोन को प्रेषित किया गया है और कुछ क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव उपरोक्त अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ता, पट्टी/अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। बिजनेस प्लान वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत अधिक क्षमता के विद्युत ट्रांसफारमर अधिष्ठापित किये जाने की योजना है। जिसके तहत विभागीय अड़चन उत्पन्न होने से मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद जोन कार्यालय द्वारा वित्तीय सम्बद्धता दिये जाने में विलम्ब किया जा रहा है जिससे गम्भीर जन-असुविधा के साथ-साथ आदमी के जनजीवन से जुड़े विद्युत आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण बिन्दु का निराकरण नहीं हो पा रहा है जिसे तत्काल कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ पट्टी विधान सभा क्षेत्र के उपलब्ध विद्युत उपकेन्द्रों के ट्रांसफार्मर अतिभारित हो गये हैं जिसके कारण लो-वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो गयी है। प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्रों के ट्रांसफारमरों की क्षमता का आंकलन कराने एवं अतिरिक्त की व्यवस्था कराने की आवश्यकता है। जले हुए ट्रांसफारमर बदलने में 30 से 60 दिन तक का समय स्टोर द्वारा लगाया जा रहा है तथा स्टोर तक जले ट्रान्सफारमर को पहुंचाने एवं बदले हेतु प्राप्त होने वाले ट्रान्सफारमर को किसानों द्वारा चन्दा इकट्ठा कर लाने एवं स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है और उसका भुगतान विभागीय अधिकारी अपने कक्ष में करके वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं किसान परेशान हैं। निजी नलकूप धारकों को सामान्य योजना में विद्युत कनेक्शन दिये जाने में भी जनपद-प्रतापगढ़ में गम्भीर अनियमितता की जा रही है। जिससे कृषकों को गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके निराकरण के लिए अति आवश्यक कदम विभाग द्वारा उठाये जाने चाहिए जो नहीं उठाये गये।

उपरोक्त से गम्भीर जन-असुविधा के साथ-साथ कई हजार लोगों को लो-वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है और जो भी विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही है उसका भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के काश्तकारों के हित में सल्लिया नहर पर (सिमिरया बाबा) एक साइफन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम टिकरा से जमालपुर, सल्लिया, वसिलिया, कुरसंडा, भावलखेड़ा, भटपुरा होता हुआ ग्राम तिउलक तक के काश्तकारों को बरसात के मौसम में बड़ी ही भयानक स्थिति से गुजरना पड़ता है। 30 ग्रामों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई, पानी भर गया, उसमें कोई फसल नहीं हो सकती, जब तक पानी भरा रहे, पानी निकलने के लिये ग्राम टिकरा से तिउलक तक एक नाला खुदवाने की तत्काल आवश्यकता है। इसका सर्वे भी कराया गया था परन्तु नाला खुदने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इस समय भी इन ग्रामों के सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी भरा है। इसका दूसरा विकल्प यह भी है कि सिंचाई विभाग की ओर से राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना द्वारा संचालित सल्लिया नहर पर सिमरिया बाबा के पास एक साइफन बन जावे तो भी इस समस्या का निदान हो सकता है। जनहित में साइफन बनना आवश्यक है। हमारी सरकार से मांग है कि शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के काश्तकारों के हित में **सल्लिया नहर पर (सिमरिया बाबा)** के पास एक साइफन बना दिया जाये ताकि सैकड़ों काश्तकारों का जीवन सुरक्षित हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि काश्तकारों के हित में सल्लिया नहर पर साइफन (सिमरिया बाबा) के पास बना दिया जावे।]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की ओर दिलाना चाहता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि तहसील निघासन जिला लखीमपुर खीरी में यथाशीघ्र मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होगी। इस कड़ी में शासन द्वारा भूमि की भी व्यवस्था कर ली गयी है किन्तु अभी तक धन का आवंटन न होने के कारण अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है। जबकि तहसील मोहम्मदी के लिए धन का आवंटन कर दिया गया है। मुंसिफ कोर्ट की स्थापना सम्बन्धी पत्रावली न्याय विभाग एवं वित्त विभाग उ0 प्र0 शासन में लम्बित है। निघासन में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद मुंसिफ कोर्ट की स्थापना न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। तहसील की जनता को न्याय पाने के लिए सैकड़ों कि0मी0 दूर जिला मुख्यालय आना पड़ता है। जनहित में तहसील निघासन के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना होना नितान्त जरूरी है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की कृपा करें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बदायूं विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिन पर डामर कार्य कराने की अत्यधिक आवश्यकता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्गों पर डामर कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

1-वेनी नगला मार्ग से शिव मन्दिर बुर्रा अहिरवारा तक डामर कार्य लम्बाई लगभग डेढ़ कि0मी0 (विकास खण्ड उझानी)

2-उझानी भदरौला मार्ग से पटपरागंज के आगे से मेन रोड से 300 मी0 आगे से भल्ले की नरसरी से अल्लाहपुर चमारी तक डामर कार्य लम्बाई लगभग तीन किलो0मी0 (विकास खण्ड कादरचौक)

3-चमारी से चेतू नगला तक डामर कार्य लम्बाई लगभग दो किलोमीटर (विकास खण्ड उझानी)

4-चन्दऊ से कठौली नगला तक डामर कार्य लम्बाई लगभग एक कि0मी0 (विकास खण्ड उझानी)

5-ग्राम शकूरपुर मजरा-व्योर विकास खण्ड सालारपुर यह गांव पूर्णतया अनुसूचित जाति का गांव है, गांव के चारों तरफ नाला बह रहा है, मेन रास्ता शकूरपुर से रिफयाबाद तक लगभग डेढ़ किलोमीटर कच्चा रास्ता है।

अतः ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए इस गांव में सड़क एवं विद्युत की व्यवस्था कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें। जिससे ग्रामवासियों को जनजीवन सुचारु रूप से हो सके।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना एवं विकास खण्ड जानसठ के कतिपय मार्गों को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मिथलेश पाल-

[जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना एवं विकास खण्ड जानसठ के निम्नलिखित मार्ग जर्जर हैं :-

1-ग्राम-गादला के रकबे में राजवाहे के पुल से कासमपुर पठेडी की ओर कच्चा रास्ते पर खड़न्जा निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2.5 किमी0।

2-ग्राम भुआपुर से श्री सतबीर के चक तक लम्बाई लगभग 2 किमी0 (यह रास्ता ग्राम-दरियाबाद, मीरावाला, खरपोड़ को जोड़ने वाला रास्ता)।

3-ग्राम-बेहड़ा थू में श्री धीर सिंह के घेर से पश्चिम की ओर ग्राम रसूलपुर नन्हेडा, गादला, बरुकी को जोड़ने वाला रास्ता लम्बाई लगभग 1 कि0मी0।

4-ग्राम-शाहदरा में श्री सतीश प्रधान के खेत से श्री संसार सिंह के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य लगभग 1.5 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-ग्राम-शाहदरा के पुल से कासमपुर पठेडी की ओर खाईखेडी मिल को जाने वाला रास्ता लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0।

6-ग्राम-बेहडा सादात से ग्राम ककरौली तक लेपन कार्य 2.00 कि0मी0।

7-ग्राम-नगला मुबारिक-जानसठ मुजफ्फरनगर मार्ग से काटका राजवाहे तक लम्बाई लगभग 3 कि0मी0।

8-भोपा रोड स्थित इस्सीपुर बस अड्डे से तिस्सा अलीपुरा की ओर जाने वाली सड़क लम्बाई लगभग 4 कि0मी0।

9-ग्राम रहकड़ा में भोपा रोड से श्री भीम सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह के खेत तक लम्बाई लगभग 1 कि0मी0।

10-ग्राम रसूलपुर में मस्जिद से राजवाहा तक लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1 कि0मी0।

अतः उपरोक्त जनहित के निर्माण कार्यों को तुरन्त कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड एरायां में बढ़ रहे झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा गलत दवाओं के रिएक्शन से जनता को हो रही गम्भीर परेशानियों के कारण इन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया-

[जनपद फतेहपुर में इस समय विकास खण्ड एरायां में झोलाछाप चिकित्सकों की बहुतायत के कारण मरीजों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उनके जीवन को प्रायः खतरा उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के रूप में झोलाछाप डा0 श्री श्रीराम पुत्र श्री सुखलाल प्रजापति जो बहेरा चौकी चौराहे पर बैठकर खुलेआम अपना क्लीनिक चला रहे हैं और उनके कृत्यों से आये दिन मरीज मौत के शिकार होने के साथ ही साथ गलत दवाओं के रियेक्शन के कारण गम्भीर परेशानी से जूझ रहे हैं जबकि झोलाछाप डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक है।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही कराने की मांग करते हैं।]

जनपद कुशीनगर में नारायणी नदी में खेती के कार्य से जा रहे लोगों की नाव पलटने से हुई मृत्यु के कारण परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0 के0 राय-

[मान्यवर, दिनांक 03 अगस्त, 2011 को पिपराघाट, तहसील तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में प्रातःकाल नारायणी नदी में खेती कार्य से जा रहे लोगों की नाव पलट गयी जिसमें 12 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों को ही बचाया जा सका, शेष 02 लोग क्रमशः 1-जगदीश सिंह (उम्र 60 वर्ष) पुत्र श्री रज्जू एवं 2-धुरन्धर शर्मा (उम्र 45 वर्ष) पुत्र श्री चन्द्रबली शर्मा, पिपराघाट की डूबकर मौत हो गयी। ऐसी घटनाएं यहां प्रायः होती रहती हैं क्योंकि नदी पार करके गांव के लोगों को घर जाना पड़ता है परन्तु आपदा राहत प्रबन्धन के तहत मानसून के दौरान जब नदी उफान पर होती है तब वहां न तो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोताखोर की व्यवस्था है और न ही जाल की व्यवस्था है जिससे कि दुर्घटना होने पर वहां पर शीघ्र बचाव कार्य करके लोगों को बचाया जा सके।

जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा डूबे हुए लोगों के परिजनों को 05-05 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर हाई-वे के पास आधुनिक उपकरणों वाला ट्रामा सेन्टर स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, गढ़मुक्तेश्वर जनपद मुख्यालय से लगभग 80 कि0मी0 दूर नेशनल हाई-वे व स्टेट हाई-वे के बीच स्थित है तथा पवित्र गंगा नदी का पौराणिक व हरिद्वार की तर्ज पर विकसित होने वाला पौराणिक बृजघाट नगर है। आज हाई-वे का जंक्शन होने से प्रतिदिन दुर्घटनायें हो रही हैं जिससे तुरन्त अच्छी चिकित्सा व चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण वर्ष में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जनहित व जनता की भारी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक उपकरणों वाला ट्रामा सेन्टर अतिशीघ्र व अत्यन्त अनिवार्य है। मैं गम्भीरता से शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 अगस्त, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं।

प्रदेश सरकार के एक मंत्री के विरुद्ध हत्या जैसा गम्भीर मामला पंजीकृत होने पर सदन में बैठक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

जिन सूचनाओं को नहीं सुना जाएगा उसमें पहले है माननीय अम्बिका चौधरी जी, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसको मैंने अग्राह्य कर दिया है। मैंने आपका नोटिस लिया था।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, क्या आप हमारी इस सूचना को सुनने से पहले ही अग्राह्य कर देंगे ? क्या यह सुनने से पहले ही अग्राह्य होगी ?

श्री अध्यक्ष-

सूचना को सुनने के पहले निर्णय तो हो जाते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सदन में नया दृष्टान्त है, आप इस पर पुनर्विचार करें। सुनने से पहले अग्राह्य करने से अगर संसदीय कार्य मंत्री जी संसदीय परम्पराओं के लिये खुश हो रहे हैं तो उनको

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुबारकबाद पेश करता हूं लेकिन ऐसी परम्पराओं पर तो उनको दुखी होना चाहिए। मान्यवर, आप अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा। आपने अनुमति दी इसलिये धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, मैं नियम-300 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे दूसरे नियमों में लगा दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह अग्राह्य है, आप दूसरे नियमों में लगा दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी नियम-300 में है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद-163 और 164 राज्य मंत्रि-परिषद् की नियुक्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था करता है। अनुच्छेद-163 में राज्य मंत्रि-परिषद् की स्थापना का प्राविधान है और अनुच्छेद-164 में महामहिम राज्यपाल मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, जो उनके प्रसाद पर्यन्त इस पद को धारण करेंगे। श्रीमन्, नियमावली का नियम-6 जिसमें सदस्यों के आसन की व्यवस्था है कि कौन किस आसन पर बैठेगा। मान्यवर, नियमावली के नियम-6 में लिखा हुआ है, सदस्यों की आसन व्यवस्था। सदस्य सामान्यतया अध्यक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार बैठेंगे, कोई भी अन्य व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा जो सभा मण्डप में सदस्यों के लिये अधिकृत है। इसमें नेता प्रतिपक्ष का आसन चिन्हित है। मा0 मंत्रीगण का आसन चिन्हित है।

श्री अध्यक्ष-

यह अग्राह्य हो चुकी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप कहने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। श्रीमन्, मैं अगर नियमावली के बाहर जाऊं तो आप सब निकलवा दीजियेगा। श्रीमन्, मा0 मंत्रीगण के आसन चिन्हित है, मान्यवर, उनके लिये चिन्हित आसनों पर वे बैठते हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष का आसन चिन्हित है। बाकी सदस्यों के दल का आसन चिन्हित है। वे उस पर बैठते हैं। उनका नाम उस पर नहीं लिखा गया है। मान्यवर, तीसरा मैं सी0आर0पी0सी0 की बात करना चाहता हूं जो इसमें एप्लीकेबिल है, इसका सेक्शन-41(ए) है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना अग्राह्य है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी नोटिस आप देख लें। आप अग्राह्य कर देंगे लेकिन मेरी नोटिस आप देखें। मैंने यह कहा है कि न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपी मानकर

उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लें। अब मैं यह कहना चाहता हूं, आप आगे सुनिये कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा ने सम्पूर्ण रूप से विचार करके आदेश कर दिया कि इस सरकार के मंत्री अवध पाल सिंह जी प्रथम दृष्टया हत्या के अभियुक्त है। मान्यवर, उनके विरुद्ध आदेश हुआ कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष जैथरा, एटा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित.....

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ये नियम-300 में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, जब मैंने इस सूचना को शुरू में अग्राह्य कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, बात सुनकर इसे खारिज कर दें। आपने पहले एक मंत्री को हटा दिया। लोकायुक्त ने राजेश त्रिपाठी के खिलाफ रिपोर्ट दी तो उनको हटा दिया गया। एन0आर0एच0एम0 का घोटाला डा0 चौहान और मान्यवर, इसके पहले दो सी0एम0ओ0 की हत्या में जिन मंत्रियों के नाम आये उन दोनों को हटा दिया गया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। इसमें कारण क्या रहा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी बात तो आ जाने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे देख लें यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब जब मैंने शुरू में ही इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नियम-300 में कहीं से भी नहीं आता है। मान्यवर, यह केवल यहां पर धमकी देकर हाउस चलायेंगे। मान्यवर, इस तरह से तो सही बात भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा मान्यवर, यह ठीक नहीं है इसलिए मान्यवर, क्या यह केवल हमारी जिम्मेदारी है इस सदन को चलाना। क्या यह केवल हमारी मजबूरी है कि यह सदन कायदे से चले। ये जो कहते जाएं हम वह सुनते जाएं और इनकी तरह से पागल और दीवालिया नहीं कह सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x] और हमको बोलने भी नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं शुरू में ही इस सूचना को नियम-300 में अग्राह्य कर चुका हूं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

शुरू में ही मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है और यह मेरी व्यवस्था है। यह सूचना मा0 चौधरी साहब, नियम-300 की परिधि में नहीं आती है और यदि यह नियम-300 की परिधि में आती तब भी आपने सब-कुछ कह दिया। चौधरी साहब आप वरिष्ठ सदस्य है अगर आप की बात मानी जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जबरी करें। अगर मैं सम्मान करता हूं तो इसका मतलब नहीं की आप जबरी करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह केवल हमारी अकेले की मजबूरी नहीं है इस सदन को चलाना। मान्यवर, सदन नियमों से चलेगा और अगर नियमों की इस तरह से धज्जी उड़ायेंगे, आपके निर्णय के बाद भी विपक्ष वाले यदि इस तरह से नियमों की धज्जी उड़ाते हैं तो इस कृत्य की मैं घोर निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब यदि हम आपका सम्मान करते हैं और शुरू में ही मैंने कह दिया कि हमारी व्यवस्था आ गई है, इस सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया है तो फिर आप क्यों जबरी चिल्ला रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी को हम कह रहे हैं, उनका सम्मान है लेकिन चौधरी साहब जब मैंने शुरू में इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है, तो क्यों जबरी चिल्ला रहे हैं। जब मैं इसको पहले ही अग्राह्य कर चुका हूं तो उस पर इतना बल देने का क्या मतलब है। इससे तो पूरी व्यवस्था ही टूट जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

सूचना जब पहले ही अग्राह्य हो चुकी है तो यह बात ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह सूचना अग्राह्य नहीं थी, बिल्कुल अग्राह्य नहीं थी। वह पहली सूचना थी अग्राह्य कहां से हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने शुरू में ही इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी श्री अवध पाल मंत्री जी के खिलाफ-----।

श्री लाल जी वर्मा-

फिर वहीं बात। मा0 अध्यक्ष जी सदन चले या न चले हम इस बात को सुनने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, हम लोग यहां पर यह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अब यह तय करेंगे कि हम क्या बोलें क्या न बोले।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं, शुरू में ही। मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया।

श्री लाल जी वर्मा-

हम यह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, इनके कहने से हम यहां पर नहीं बैठे हैं, जनता ने हमें भेजा है। सदन नियमों से चलेगा।

(इसी मध्य श्री अम्बिका चौधरी, श्री इमरान मसूद, श्री उदयराज, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा आदि समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे)

(शोर से व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, [x x x] और मान्यवर, उनको बचाने के लिए, हत्यारों को बचाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, ये हम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम यह आरोप सुनने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। हम पर आरोप लगाने से पहले इन्हें अपने आपको भी देखना चाहिए। राम गोपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव ने और हमारे यहां के पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह यादव ने उनके और उनके भाई जोगिन्दर सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजय वर्मा और उनके परिवार की हत्या की है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं, जब सूचना पहले ही अग्राह्य हो चुकी है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी से घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलता है और आपने नियम की व्यवस्था के अनुसार उसे अग्राह्य किया है और नियमों में है कि अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई विरोध नहीं किया जायेगा और वह अंतिम होगा। आपने एक व्यवस्था दे दिया उसके बाद भी उसी को बार-बार उठाया जाना मान्यवर, यह सदन के समय को बर्बाद करना है और जानबूझकर बर्बाद करना है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के ओदशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि इस पर एक व्यवस्था दें ताकि जिन कार्यों के लिए हम लोग आये हैं, उसके साथ सदन को संचालित किया जा सके।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं इस सदन को नियमों और परम्पराओं के आधार पर ही चलाना चाहता हूं और चला है। मैंने शुरू में ही अम्बिका चौधरी जी की इस सूचना पर व्यवस्था दे दिया है कि इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं, यह नियम-300 की परिधि में नहीं आती है। एक हमारी व्यवस्था हो गई है और उस व्यवस्था के खिलाफ आप दबाव डालें, यह कहां की परम्परा है ? आप किसी दूसरे नियमों में दीजिए, जहां इसकी ग्राह्यता हो। मैं आपको कहां रोक रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम-314 में है कि ''अध्यक्ष का विनिश्चय किसी प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।'' मान्यवर, आपका विनिश्चय हो गया और उसके बाद भी मान्यवर, केवल इसलिए कि [x x x] बचाने के लिए उसकी बसों को जलाने का प्रयास करते हैं, मान्यवर यह पार्टी इटावा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के द्वारा इनकी सरकार के समय में एक निर्दोष व्यक्ति छः महीने जेल में रहा है और वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा कर एक निर्दोष को जेल में भेजा गया, पिछली सरकार के जमाने में, वह छः महीने के बाद जिन्दा वापस आया। मान्यवर, इस तरह यह [x x x] (वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे लगातार व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं, आप लोग शान्त होकर अपनी सीट पर जाकर बैठें, सदन की कार्यवाही चलने दें। इस सूचना के सन्दर्भ में मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 18 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 में प्राविधान होने के बावजूद विधान सभा के उपवेशनों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि एक संवैधानिक विषय पर आपने मुझे ग्राह्यता पर कुछ शब्द रखने का अवसर दिये हैं। बहुत ही तनावपूर्ण माहौल के बाद चूंकि बात

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुरू हो रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी मान्यवर, मैं आपके ध्यान और आपके संज्ञान में ला रहा हूं, कृपापूर्वक सुन लें। हमारे संसदीय कार्य मंत्री बिलकुल एक बेवफा आशिक की तरह हैं। यह ऐसा है कि जो वायदे करते ही इसलिए हैं कि तोड़ दिये जायें। यह हमेशा हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे मित्र जब भी सदन उठने लगता है तो यह बहुत प्यार से समझाते हैं कि अबकी जरा जल्दी थी अगली बार जरा लम्बा बैठ लेंगे। पर इनका अगली बार कब आयेगा मैं नहीं जानता पर इस सदन का लगभग अंतिम या अनन्तिम एक सत्र और हो सकता है विन्टर में, होने वाला है और जो मानसून सत्र का कार्यक्रम आया है वह 12 तारीख को समाप्त हो जायेगा सिर्फ 6 दिन और अभी तक कुल मिलाकर यह बैठे हैं मुश्किल से 20 दिन।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं बोलूंगा नहीं अर्ज करना चाहता था कि :-

मोहब्बत में बुरी नजर से कुछ सोचा नहीं जाता,
कहा जाता है लेकिन बेवफा समझा नहीं जाता।

जो कह रहे हैं उसको इन्हीं के मन से समझिये, मान्यवर।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो लाल जी वर्मा जी की तारीफ कर रहा था, उनके गुण बता रहा था मुझे नहीं मालूम था कि इनका भी है मगर इन्होंने अपना बता दिया है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। मान्यवर, भारत का संविधान 168 बहुत स्पष्ट है उसी के अधीन विधान सभा का गठन होता है फिर उसी के अधीन एक नियमावली बनी है जिससे हम आप संचालित होते हैं 1958 की। अगर इसके अध्याय 4 नियम-14 को देखें तो सभा के अधिवेशन और अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत रहते हुए श्री राज्यपाल जी मंत्रि-परिषद् के आग्रह पर सदन के उपवेशन को आहूत करते हैं। अब मान्यवर, यह भी स्पष्ट है कि 3 सत्र होने चाहिए सत्र बजट अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन जो चल रहा है और शीतकालीन अधिवेशन। इसमें साफ लिखा है कि सामान्यतः 90 दिन का होना चाहिए और इसमें और भी स्पष्ट कर दिया गया है आपकी कृपा से आपकी पीठ से बैठकर आदेश हुआ था कि समान्यतः प्रत्येक, यह बाद में जोड़ा गया है मान्यवर, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं कि दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाना चाहिए। यह बाद में जोड़ा गया है पहले जब नियमावली बनी थी तब नहीं था। कितने दो महीने बीत गये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार यहां पर गठित हुई है आज तक इन्होंने अपनी बनाई नियमावली का स्वयं पालन नहीं किया है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि यहां सरकारें नहीं रही हैं और मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि आज तो आप 20 दिन सदन नहीं चला रहे हैं लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 1938 में 80 दिन, 1939 में 84 दिन, 1947 में 72 दिन, 1950 में 138 दिन और 1954 में 110 दिन, 1962 में 103 दिन और बहुत दूर न जायें मान्यवर, 80 के बाद का अगर देख लें तो 80 में 48 दिन, 81 में 43 दिन, 82 में 50 दिन, 83 में 48 दिन, 84 में 45 दिन, 41 दिन, 47 दिन चले हैं। 1989 के बाद लगातार सदन का सामना करने में जो भी सरकारें आईं वह इसका कार्यकाल घटाती चली गयीं लेकिन मान्यवर, अब तो इसकी सीमा टूट चुकी है अब तो 25 दिन

भी नहीं पूरे होने वाले अगर आप इसको शुक्रवार को समाप्त कर देंगे। तो मान्यवर, मैं बात को बहुत आगे न बढ़ाकर सदन से यह कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप 120 दिन नहीं बुला सकते और अगर कम से कम 90 दिन भी आप नहीं बुला सकते तो 90 के आधे 45 दिन तो बुला लीजिए, 2 महीने के बाद मिलने में क्या दिक्कत होती है आपको इसका एक सीधा सा मतलब निकलता है कि जनसमस्याओं के प्रति आप जागरूक नहीं हैं आप जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। हां जब संवैधानिक मजबूरी आती है संविधान बड़ा स्पष्ट है कि 6 महीने के कार्यकाल में एक बार सदन को आहूत करना चाहिए। तो जब 5 महीना 15 दिन 27 दिन हो जाता है, संवैधानिक मजबूरी आपके सामने आ जाती है तो आप सदन की बैठक बुलाते हैं, फिर आते हैं और चले जाते हैं और जाते-जाते आज भी कहेंगे माननीय वर्मा जी, मुझे मालूम है, मैं मुस्करा कर इसलिए कह रहा हूं कि अभी वह तनाव में थे और मुस्कराकर कहेंगे कि इस बार जाने दीजिये, अगली बार जब हम बैठेंगे तो लम्बा सत्र चलायेंगे। ईश्वर चाहेगा तो अगली बार आपको सदन नहीं चलाना होगा, अगली बार तो हम लोग सदन चलायेंगे और जरूर 90 दिन सदन चलायेंगे। लेकिन इतना जरूर है और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह प्रायश्चित का समय है, अभी जो बाकी समय है, इसमें आप सदन चलाकर 40-45, 50 दिन पूरा कर लीजिये इधर जाना हो तो चले जाइये लेकिन 2 महीने बाद फिर 10 दिन का सदन बुला लीजिये, दो महीने बाद फिर 10 दिन बुला लीजिये, ताकि जनता की समस्यायें आती रहें। मान्यवर, मैं इस संवैधानिक प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और सिर्फ व्यवस्था ही नहीं चाहता हूं बल्कि आपका निर्देश भी चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-300 की सूचना पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, जो बातें माननीय तिवारी जी ने कही हैं, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और एक बात विशेष रूप से बल देकर कहना चाहता हूं जैसे कि नियमों में व्यवस्था है कि हर दो महीने के बाद 10 दिन का सत्र आहूत करने की व्यवस्था है नियम-14 में, इसी के तहत हमारा सारा बिजनेस संचालित होता है। इसी के तहत हम अपनी सारी कार्यवाही यहां पर करते हैं। मान्यवर, यह सत्र जब बुलाया गया वह 5 से लेकर 12 तारीख तक के लिये बुलाया गया, इसमें भी मान्यवर, 10 कार्यकारी दिवस नहीं हैं। जो वर्तमान व्यवस्था है, जिसके तहत हम संचालित होते हैं और आज जो यह सदन बुलाया गया है, यह भी मात्र 6 दिन के लिये बुलाया गया है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि 10 दिन के लिये अगर यह भी सदन बुला लिया जाता तो भी मैं समझता कि शायद यह सरकार नियमों का पूरी तरह से पालन करने के प्रति गम्भीर है। मान्यवर, जिस दिन से यह सरकार बनी अगर आप देखें तो 2007 में केवल 22 दिन सत्र चला, उसके बाद 2008 में 22 दिन चला, 2009 में केवल 13 दिन चला, 2010 में मान्यवर, केवल 20 दिन चला और इस बार जो बजट सत्र था वह भी केवल 8 दिन में समाप्त कर दिया गया। पूरा कार्यकाल जो एक साल में 90 दिन का होना चाहिए, अगर इस सत्र को छोड़ दें तो अभी तक मात्र 85 दिन सवा चार साल में सदन चला है। मान्यवर, जब सरकार स्वयं नियमों का पालन करने में गम्भीर नहीं है तो बाकी लोगों से नियमों का पालन कराने में सरकार किस प्रकार से गम्भीर हो सकती है, यह सोचने का प्रश्न है। मान्यवर, आप

हमारे संरक्षक हैं, हम यह जरूर चाहते हैं कि इस सदन को आगे बढ़ाया जाये, बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, बहुत सी चर्चायें, बहुत सी समस्यायें ऐसी होती हैं, जिनका समाधान सदन के माध्यम से निकल सकता है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और समझता हूं कि पूरे सदन की यह मंशा और अभिलाषा है कि सदन को बढ़ाया जाये ताकि बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर आ सकें। मैं अपनी बात पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सदन के कार्य दिवसों में बढ़ोत्तरी की जाये।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं हो रही है। आप बैठ जायें।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, हम कई बार कह चुके हैं इसी सदन में कि सत्र लम्बा चलना चाहिये, 90 दिन चलना चाहिये। बजट सत्र कम से कम 45 दिन चलना चाहिये। अगर 45 दिन बजट सत्र चला होता तो सभी विभागों पर बहस भी हो जाती। बहस हो सकती थी। बहुत सी समस्याएं अभी भी हैं, बहुत से इश्यूज अभी हैं लेकिन पांच दिन के सत्र में वह सारे इश्यूज उठाये नहीं जा सकते हैं। यह मानसून सत्र केवल पांच दिन के लिए बुलाया गया है। अभी बाढ़ की समस्या है, छात्रों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। कानून-व्यवस्था की समस्या है और सभी विभागों में शायद ही कोई बचा हो जिसमें भ्रष्टाचार न हो। अगर सभी विभागों पर यदि बजट सत्र में बहस हो जाती और सभी विधायकों को उस पर बहस करने का अवसर दिया जाता तो काफी सुझाव आ जाते और शायद शुरू में ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता था। आज भ्रष्टाचार बुरी तरीके से फैल चुका है इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि सत्र 90 दिन चलना चाहिए। मानसून सत्र 6 दिन के बजाय कम से कम 15 दिन चलना चाहिए जिससे कि जितने भी इश्यूज हैं चाहे वह छात्रों से सम्बन्धित हों चाहे कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित हो और चाहे भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हों उन सभी पर बहस हो सके और सभी मा0 सदस्यगण चाहे वह सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों उन सभी के अच्छे सुझाव आ सकें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। मान्यवर, हम सभी लोगों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व है इसलिए सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए और कम से कम 90 दिन सत्र चलाया जाय।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या संज्ञान में लाना है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है विधान सभा सचिवालय से उसमें मान्यवर, मैंने जो प्रश्न लगाये थे उसमें तृतीय बुधवार, तृतीय शुक्रवार लिखा है। मान्यवर, अगर सत्र 12 तारीख तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्धारित है तो मान्यवर, द्वितीय सोमवार आने की भी कोई गुंजाइश नहीं है फिर भी तृतीय सोमवार के प्रश्न मेरे पास आये हुए हैं। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि यह पता है कि सत्र 12 तारीख तक चलना है तो फिर द्वितीय सोमवार और तृतीय सोमवार के जो पत्र हमारे पास आये हैं यह या तो भेजे न जायें अगर भेजे गये हैं तो सत्र चलाने की व्यवस्था करें। यह महत्वपूर्ण बात है इसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, साधारणतया 90 दिनों तक सत्र चलना चाहिए ऐसा नियमों में है। मान्यवर, साधारणतया जो स्थितियां रहती हैं और सदन के सामने जो कार्य रहता है उसके अनुसर कभी-कभी स्थितियां बदलती रहती हैं। मान्यवर, हमारी यह चाहत रही है कि सदन ज्यादा से ज्यादा दिन चले लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी आयीं जिनके कारण कार्य निष्पादित हो गया और समय बढ़ाया नहीं जा सका। मान्यवर, काफी लम्बे समय में बहुत बार कम दिन भी सत्र चला है और ज्यादा दिन भी चला है और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि संतोषजनक ढंग से सदन का कार्य संचालित हो।

विपक्ष के सदस्य-

असंतोषजनक ढंग से ?

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं मान्यवर, संतोषजनक ढंग से। सन्तोषजनक ढंग से जो विषय है, सदन के संज्ञान में आयें, उसमें बहस हो, विचार हो, अच्छे सुझाव आयें। आप स्वयं इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं और माननीय सदस्यों को काफी वक्त भी देते हैं कि वह अपनी बात को अच्छे ढंग से सदन में लायें और उसके अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने अवसर देकर, अधिक समय तक बैठकर समय देने का काम किया है, उससे काफी सदस्यों को अपनी बात सदन के संज्ञान में लाने का अवसर मिला है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलते हुए सभी लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, इससे अच्छे सुझाव आयेंगे और सरकार को भी उसका लाभ मिलेगा। अपरिहार्य कारण होते हैं जिसकी वजह से कभी बहुत बार ऐसे अवसर आये हैं कि सदन का समय कम रहा है फिर भी हमारा यह प्रयास है, जो स्थितियां हैं, हमारा जो बिजनेस है उसके अनुसार जो समय रखा गया है, वह पर्याप्त है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मंत्री जी की भी इच्छा है, विपक्ष की भी इच्छा है तो समस्या कहां है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो कार्य हमारे सामने हैं, जो बिजनेस है उसके अनुसार यह समय पर्याप्त है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि अगर शासन की इच्छा है, विपक्ष की इच्छा है तो क्या आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी इच्छा नहीं है। यह गलत बात है यह

आपके साथ नहीं कर सकते, कम से कम मेरे रहते हुए। यह सारा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि सरकार भी चाहती है, विपक्ष भी चाहता है, आप नहीं चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

श्री तिवारी जी इस मामले में निपुण हैं कोई बात अपने से कहने के लिए दूसरे का सहारा ले लेते हैं। आरोप स्वयं लगा रहे हैं और सहारा मेरा ले रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

इनको कहना चाहिए था कि मा0 अध्यक्ष जी की भी इच्छा है, सत्तापक्ष और विरोधपक्ष की भी इच्छा है। जानबूझकर आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ जरूर है और मैं पिछले सत्र से देख रहा हूं। खैर छोड़िये। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नहीं चल रहा है सदन, इरादा भी नहीं है चलाने का और आज भी वायदा नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं और व्यवस्था का प्रश्न भी इसमें जुड़ा हुआ है कि क्या बात है आज सदन का पहला दिन है और दो मंत्रियो की जुबान लड़खड़ा रही है। पहले वाले मंत्री (नगर विकास मंत्री) कह गये कि मुख्य मंत्री जी गरीबी नहीं हटाना चाहतीं, गरीबी से बड़ा प्रेम है। आप कह रहे हैं कि असन्तोषजनक ढंग से सदन चलाना चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने गलत सुना, मैंने सन्तोषजनक ढंग से शब्द कहा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह ऐसा अवसर है कि निकल गया, जाने दीजिए, कभी-कभी जुबान लड़खड़ाती है। मेरा तो सिर्फ कहने का आशय यह है कि क्या बात है कि पहले ही दिन दो वरिष्ठ मंत्रियो की जुबान लड़खड़ा रही है, कहीं सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, विनाशकाल तो सामने नहीं दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना व नेता प्रतिपक्ष जी को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

दिनांक 5 अगस्त, 2011 को सदन में कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस औचित्य के विषय पर आपसे व्यवस्था की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, दिनांक 05 अगस्त, 2011 को सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही सदन में कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा हंगामा मचा दिया गया। मा0 अध्यक्ष पीठ पर कागजों के गोले बनाकर फेंके गये, सुरक्षा सहायकों की टोपियां छीनकर उछाली गयीं, इस प्रकार मा0 सदस्यों के अमर्यादित आचरण से सदन की मर्यादा भंग हुई है। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्यों द्वारा इस प्रकार का आचरण करना निंदनीय है तथा कतिपय मा0 सदस्यों के इस अमर्यादित आचरण से सदन की महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पायी तथा अकारण ही समय व्यर्थ चला गया। हंगामे के बीच सरकार की बात न तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विपक्ष को ज्ञात हो पायी और न विपक्ष अपनी कोई बात सरकार के संज्ञान में ला पाया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के नेता अपने-अपने दलों पर प्रभावी नेतृत्व करते हुए अपने दलों की भावनाओं को सदन में रखें तथा दलीय नेता अपने दल के माननीय सदस्यों को हंगामा तथा अमर्यादित आचरण न करने के लिए दबाव बनाएं ताकि सदन का समय व्यर्थ न होने पाए जिस उद्देश्य से सदन की बैठक बुलाई गई है उन विषयों पर विस्तार से चर्चा हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस नियम-300 के अन्तर्गत इस सूचना को दिया है यह सदन से सम्बन्धित है आपके संज्ञान में है। यह पूर्णतया नियम-300 के अन्तर्गत आती है इसलिए कृपापूर्वक मैं इस पर आपकी व्यवस्था की मांग करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी जिन सदस्यों ने इस तरह के आचरण किये हैं इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आप व्यवस्था देने का काम करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम-300 के माध्यम से एक प्रश्न प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना मैं अभी ले रहा हूं। ओ0पी0सिंह की सूचना पर व्यवस्था दे दूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री ओझा जी, क्या ओ0पी0सिंह की सूचना पर बोलना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, आपसे एक जानकारी करना चाहेंगे। बार-बार माननीय सदस्य ने अमर्यादित आचरण कहा उनका इशारा विपक्ष के सदस्यों की ओर था। मैं जानना चाहता हूं क्या हमको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

पूरा अधिकार है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

फिर अमर्यादित आचरण की बात कहां से आ गई। मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। हमारा आचरण अमर्यादित नहीं है संसदीय है।

श्री अध्यक्ष-

जो असंसदीय होगा उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

जो विपक्ष के दायित्व हैं उसकी जानकारी हमें है हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। उसको अमर्यादित कहना उचित नहीं है। इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

जो असंसदीय होगा उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, क्या सुरक्षा कर्मियों की टोपी उछालना मर्यादित है ?

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि माननीय ओ0पी0सिंह जी ने सूचना दिया है 5 तारीख को माननीय सदस्यों द्वारा जिस तरह से माननीय अध्यक्ष पीठ की तरफ व हमारे सुरक्षाकर्मियों के साथ जो व्यवहार किया गया है मैं अमर्यादित नहीं कहूंगा मेरी बराबर कोशिश रहती है कि संसदीय परम्परा का महत्व हो, सदन की गरिमा रहे मैं अपनी गरिमा या अपने सम्मान में ठेस खाने के लिए तैयार रहता हूं कि हमारा सदन गम्भीर हो, लोकतांत्रिक हो हमको भी अगर कहीं अपमानित होना पड़ता है यहां तक भी मैं तैयार रहता हूं। इस तरह से सदन को चलाने में मैं वरिष्ठ साथियों का सहयोग चाहता हूं लेकिन इस बात का जरूर मुझे दुख रहा। माननीय ओ0पी0सिंह ने तो सूचना लगा दिया जिसको नियम-300 में सुनने के लिए ले लिया तब भी मैं इसे अग्राह्य ही करूंगा लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं सभी दलों के नेतागण बैठे हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सदन में जो भी हमारे व्यवहार और आचरण हों प्रदेश की जनता उसको देखे। उस दिन वास्तव में सुरक्षाकर्मियों की टोपी हमारे ऊपर फेंकी गई कुछ गोले हमारे ऊपर आये तब भी हंसते हुए मैंने उसको टाल दिया क्योंकि हमसे आप लोगों को उम्मीदें हैं। ढेला, चक्का या टुकड़ा वहीं फेंका जाता है जो फलदार वृक्ष हो। कभी बबूल और खजूर पर नहीं फेंका जाता है। हमसे कुछ उम्मीदें हैं इसलिए कुछ कागज के टुकड़े आपने फेंके होंगे या सुरक्षाकर्मियों की टोपी फेंके होंगे लेकिन जब सूचना आ गई तो मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसकी गरिमा आप लोग रखें। हम आप ही लोगों द्वारा, नेता सदन द्वारा बैठाये गये हैं मेरे सम्मान में भी आप सहयोग करें तो मैं इसका पक्षधर रहूंगा। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, मुझे दुख हो रहा है कि आपको सदन में बैठकर ऐसा कहना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। संसदीय प्रणाली के सहारे ही चलाना चाहते हैं वाणी से जो बात कही जा सकती है, तर्कों से जो बात कही जा सकती है वह और किसी ढंग से नहीं कही जा सकती है। आप पर अगर टोपी फेंकी गई या जैसा आप कह रहे हैं कि आप पर गोला फेंका गया तो उसके विषय में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे दुख पहुंचा है इस घटना की पुनरावृत्ति न हो हमें यह आश्वासन देना चाहिए।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हम लोग उसकी निन्दा करते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा दल इस बारे में विश्वास रखता है कि जो बात कह सकते हैं और आप खूब सुनते भी हैं तो यह काम करना गलत है, और यह नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वैसे तो आपने यह सूचना अग्राह्य की। यह आश्वासन तो पूरे सदन की तरफ से है मान्यवर। इसमें पूरे सदन के सदस्यों से यह आश्वासन है, यह किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं है। सभी सदस्यों का यह प्रयास होगा कि पूरा सहयोग करें और ऐसा कोई आचरण न करे जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक में किये गये खतरनाक प्राविधानों से विधान मण्डल की शक्तियों के हनन के साथ संवैधानिक व्यवस्था पर प्रहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मा0 मैं अपनी सूचना के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम-300 के अन्तर्गत मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्, भारत सरकार उन्होंने अभी एक ड्राफ्ट बना करके एक बिल को अभी भेजा है और पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित किया गया है। उस ड्रफ्ट में जो कुछ है अगर वह पारित होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का वजूद और साथ-साथ मान्यवर, इस विधान मण्डल का वजूद खतरे में पड़ जायेगा। मान्यवर, मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद-1 की तरफ लाना चाहता हूं। भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह मान्यवर, फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्यों का संघ है ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार वहां बैठती हो और बाकी उसके हिस्से हों। नगर पालिका हों या जिला पंचायतें हों संघ की। राज्यों का अपना वजूद है मान्यवर, भारतीय संविधान के अन्तर्गत और शक्तियां केन्द्र और राज्यों दोनों की स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं। तीन सूचियां उसमें हैं। मान्यवर, इस एक्ट के माध्यम से, मैं नाम बता दूंगा आपको इसका। इसका नाम है हिन्दी में सम्प्रदायिक परिलक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक। इंगिलश में इसका नाम है मान्यवर, 'प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल एन्टीग्रेटेड वायलेन्स एक्सेस टू जस्टिस आन रिप्रेजेंटेशन बिल 2011' यह बिल है। इसमें है क्या ? इसे मान्यवर, परिभाषित किया गया है कौन सी हिंसा कैसी होगी ? क्या उनका प्रोसीजर होगा ? क्या उसके ऊपर दंड होगा और उसको रोकने की जिम्मेदारी मान्यवर, एक एथॉरिटी बनाई गई है। एथॉरिटी के प्रस्ताव पर बनाई गई है सात व्यक्तियों की, जो इसका पूरा-परा परिवीक्षण भी करेगी, परीक्षण भी करेगी और उसी की जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार की पुलिस हो या केन्द्र सरकार की पुलिस हो यह सबके सब उत्तरदायी होंगे उसके प्रति। अगर मान्यवर, उस एथॉरिटी के माध्यम से प्रदेश के अधिकारी, प्रदेश के पुलिस प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो करके एक अलग एथॉरिटी के प्रति उत्तरदायी होगी। जिसको अधिकार यह होगा मान्यवर, कि अगर अधिकारी उस एथॉरिटी की इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो उनको दंडित करने का अधिकार भी उन्हीं को होगा। मान्यवर, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अब तक जो व्यवस्था है संविधान में कि राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, इस एक्ट के पारित होने के बाद राज्य सरकार की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होगी। सीधे-सीधे वो एथॉरिटी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकारों और विधान मण्डलों का क्या होगा ? मान्यवर, मैं आश्चर्य चकित हूं कि इतने दिनों से चर्चा चल रही है और चर्चा चलने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्यो नहीं आई ? बाकी राज्यो ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। इस सन्दर्भ में मीडिया में भी आ रहा है। मान्यवर, मैं चार पंक्ति 5 अगस्त, 2011 के दैनिक जागरण में प्रकाशित है, से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हेडिंग है राज्यों पर सीधा प्रहार। इसके माध्यम से अर्थात् इस एक्ट के माध्यम से केन्द्र राज्यों पर फिर से दादागिरी चलाना चाहता है और राज्यों के प्रशासन पर अपना दबदबा चाहता है। यही नहीं इसके माध्यम से साम्प्रदायिक अपराधों के वर्गीकरण के कुटिल प्राविधान लागू करने का भी प्रयास हो रहा है। मान्यवर, आगे और है। यह साम्प्रदायिक हिंसा के बहाने से राज्यों को कमजोर करना चाहता है और कानून व्यवस्था कायम रखने के राज्यों के अधिकार को हड़पना चाहता है। यह प्रस्ताव राज्यों के नौकरशाही और पुलिसकर्मियों को बताना चाहता है कि दिल्ली में बैठा बड़ा भाई आप पर नजर रखे हुए है। स्पष्ट है कि केन्द्र इन निरंकुश शक्तियों को फिर से हासिल करना चाहता है। जो विमल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले धारा-356 के तहत उसके पास थी। मान्यवर, अगर यह खतरनाक बिल पास होता है तो इसके बहुत बड़े भयानक परिणाम होने वाले हैं। दो वर्गों में धर्म के आधार पर विवाद है एक तरफ अल्पसंख्यक खड़े कर दिये हैं, दूसरी तरफ बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक के लिए दूसरा कानून और बहुसंख्यक के लिए दूसरा कानून, मान्यवर, इस आधार पर प्रदेश में कानून बनाए जाएंगे तो पूरा सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा, लचर हो जाएगा। हमें प्रयास यह करना चाहिए, हालांकि जिम्मेदारी तो आपकी थी कि आप एक प्रस्ताव लाएं और हम आगाह करें कि हम ऐसे काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे प्रदेश सरकार की शक्ति क्षीण होती है। इसी बारे में एक संदर्भ और देना चाहूंगा मैंने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में, यह 7-मेम्बर की नेशनल अथॉरिटी होगी उस अथॉरिटी में क्या होगा-

''द गवर्नमेन्ट बिल हैव टू मेक अवेलेबल पुलिस एण्ड अदर इन्वेस्टीगेटिव एजेन्सीज टू दिस अथॉरिटी दिस अथॉरिटी शैल हैव ए पावर टू कन्डक्ट इन्वेस्टीगेशन्स एण्ड एण्टर बिल्डिंग्स, कन्डक्ट रेड्स एण्ड सर्चेस टू मेक इन्क्वारीज इनटू कम्पलेट्स एण्ड टू इनीशिएट स्टेम्प्स।''

यह अधिकार मान्यवर, अब तक स्थानीय पुलिस के होते थे स्थानीय प्रशासन के होते थे, यह सारा का सारा कार्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में होता था। अगर प्रदेश सरकार के नेतृत्व के बिना एक अधिकार दूसरे प्राधिकरण को मिल जाएगा तो यहां क्या होगा आप संविधान की अनुसूची-7 देखें, लोक व्यवस्था यानि कानून व्यवस्था, लॉ एण्ड आर्डर, स्टेट सब्जेक्ट है, अब आपने एक एक्ट के माध्यम से संविधान को भी धराशाही कर दिया, नजरअंदाज कर दिया और समस्त अधिकार एक ऐसी अथॉरिटी को दे दिए जिस अथॉरिटी का सर्वे आप करने जा रहे हैं जिसकी कोई जिम्मेदारी न तो पार्लियामेंट के प्रति होगी और न इस विधान मण्डल के प्रति होगी। ऐसे एक्ट को कैसे यह सरकार सहन करेगी और कैसे जनता सहन करेगी। मैं एक दो लाइनें और आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जो केस होगा उसकी स्थिति यह होगी-

''द नेम एण्ड आइडेन्टिटी आफ द विक्टिम कम्प्लेनेन्ट विल नॉट वी डिस्क्लोज्ड प्रोग्रेस आफ द केस विल वी रिपोर्टेड वाइ द पुलिस टू द विक्टम कम्पलेन्ट द ओकरिन्स आफ आर्गनाइज्ड कम्युनल

एण्ड टारगेटेड वाइलेन्स अण्डर दिस एक्ट शैल एमाउन्ट टू ऐन इन्टरनल डिस्टर्वेन्स इन ए स्टेट विद द मीनिंग आफ आर्टिकल 355।''

इस एक्ट के अन्तर्ग जो अपराध परिभाषित होंगे उसके बाद में केन्द्र सरकार को अनुच्छेद-355 के अन्तर्गत सब के सब अधिकार मिल जाएंगे और 355 में अधिकार यह है कि इन्टरनल सिक्योरिटी डेन्जर न हो, आन्तरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा खतरे में हो तो केन्द्र सरकार अपनी सेना भेजकर, अपने अधिकारी भेजकर नियंत्रण का काम कर सकती है। यह 355 अनुच्छेद चल रहा था उससे भी ऊपर कानून बनाकर प्रदेश सरकार को पंगु बनाने का षड़यंत्र है। यह महत्वपूर्ण विषय मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाया कि सदन इस प्रदेश में सत्ता का मूर्त स्वरूप है, सरकार है जो सदन के प्रति उत्तरदायी है। अगर सरकार की शक्ति क्षीण होती है तो सदन की शक्ति भी क्षीण होती है और प्रदेश सरकार का वजूद केवल एक नगरपालिका के रूप में रह जाएगा, आप जब चाहें इसे भंग कर दें जब चाहें इसकी शक्ति ले लें इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार समग्र रूप से प्रस्ताव लाकर पारित करे कि हम इस प्रकार की व्यवस्था को कतई सहन करने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-300 की जो व्यवस्था है उसको आप देखें तो उसमें इस तरह का प्रश्न नियम-300 का नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री हुकुम सिंह जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

लखनऊ शहर में पेयजल संकट से निजाद दिलाने हेतु मोहल्ला भवानीगंज मेंहदीगंज, हैदरगंज व टिकैतगंज वार्डों की जलापूर्ति हेतु जोन पम्पिंग स्टेशन तक चालू न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष जी, यह सदन बहुत कम दिनों के लिए चलता है और दूर-दूर से आकर हमारे विधायकगण इस आशा में प्रश्न लगाते हैं कि प्रश्न के माध्यम से वह जनसमस्याओं को उठा पायेंगे और समस्याओं का समाधान करवा पायेंगे। लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब सदन में वरिष्ठ मंत्रीगण बयान देते हैं और बयान देने के बाद वह बयान, मैं 'झूठा' शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, असत्य निकल जाता है और जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी हैं, वह इन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में मेंहदीगंज में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन वर्ष 2006-07 में पास हुआ था, वह बनकर तैयार हो गया है, माननीय मंत्री जी का यह आश्वासन था कि यह पम्पिंग स्टेशन मार्च, 2011 में चालू किया जायेगा। आज जुलाई चल रही है, अभी तक चालू नहीं हो पाया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे अग्राह्य करता हूं। राधेश्याम जायसवाल जी नहीं हैं।

(श्री अशोक कंसल एवं अन्य सदस्यों द्वारा अपनी सूचना ली जाने की मांग करने पर)

ठीक है, चलिए, हो गया। शेष सभी सदस्यों की सूचनाएं अग्राह्य की गईं।

(समाजवादी पार्टी की सदस्य, श्रीमती राजमती निषाद तथा कुछ अन्य सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

कंसल साहब, आपका रोड के चौड़ीकरण का मामला है, यह नियम-300 में नहीं आता है।

श्रीमती राजमती निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पति श्री जमुना प्रसाद निषाद की हत्या की सी0बी0आई0 जांच तथा अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, राजमती जी उप चुनाव में जीतकर आने के बाद शपथ के अलावा एक शब्द भी नहीं बोली हैं, इनकी व्यक्तिगत बात है, सुन लीजिए।

श्रीमती राजमती निषाद-

अध्यक्ष जी, हमारे पति जमुना निषाद की सड़क पर ले जाकर हत्या हुई है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए। हमारे और हमारे बेटे के ऊपर हमला करने की धमकी दी जा रही है। हमें सी0बी0आई0 जांच चाहिए। हमें सुरक्षा भी चाहिए। हमारे पति के मरने के बाद लोग लकड़ी अपने हाथ से जलाये, मुंह तक देखने नहीं दिए, हम लोगों को वहां से हटा दिए, पुलिस ने कहा कि भागो। हमारे बेटा से जबर्दस्ती सिपाही लोग आग लगवा दिये। बड़ा बेटा बनारस गया था, उसने कहा कि वह आयेगा तभी आग लगेगी लेकिन पुलिस ने कहा कि जल्दी से लाश हटाओ और बेटा से जल्दी से आग लगवा दिए। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमें सी0बी0आई0 जांच चाहिए और मेरे बेटे की तथा मेरी सुरक्षा चाहिए। हमें सी0बी0आई0 जांच चाहिए। मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, यह मर्डर है। उस ट्रैक्टर का नम्बर भी नहीं है, वह गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हमें सी0बी0आई0 जांच चाहिए, मेरे बेटे की और मेरी सुरक्षा चाहिए। हमारे पति जेल में थे, बाहर आने पर एक महीना भी नहीं बीता कि मार दिए गये।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सदस्य की मार्मिक अपील है, इनकी मांग है, इन्क्वायरी और सुरक्षा और खासकर अगर किसी माननीय सदस्य को अपनी जान का भय है तो उसमें तो विलम्ब नहीं होना चाहिए। मान्यवर, अगर एक महिला सदस्य यहां पर प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, आपसे अपेक्षा कर रही है तो मान्यवर, यह सदन खामोश न बैठा रहे। अगर यह सदन अपने सदस्य को सुरक्षा की गारन्टी नहीं दे सकता तो यह सदन किसको गारन्टी देगा। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। मैं और मेरा दल खुद को उनसे सम्बद्ध करते हुए उनकी बात पर बल देता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, श्रीमती राजमती निषाद पिछड़े वर्ग से चुनकर आयी हैं। पहले इनके पति मंत्री जी थे और मंत्री रहते हुए उनको जबरदस्ती जेल भेज दिया गया और उसके बाद जब वह लखनऊ आये और लखनऊ से जब वह वापस जा रहे थे तो साजिश थी, श्रीमती राजमती जी को संदेह है और यहां से बहुत से लोगों को संदेह है कि उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या हुई है। साजिश के तौर पर उनको मरवाया गया है। तो वह अब यह चाहती हैं कि उस हत्या की जांच सी0बी0आई0 से हो जाये। अभी उनको भी खतरा है उनके लड़के को खतरा है। वह अभी नई विधायक चुनकर आयी हैं और जब वह अपनी बात कह रही हैं तो हम उनकी बात पर बल दे रहे हैं तो सत्तापक्ष के लोग हंस रहे हैं और हम जानते है और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी इतने निरंकुश हो चुके हैं, इतने बेलगाम हो चुके हैं तभी उत्तर प्रदेश में हत्यायें बढ़ती जा रही हैं। यहां तक कि विधायकों का इस सरकार में कहीं सम्मान नहीं। आपने सुना होगा कि कानपुर के हमारे विधायक श्री इरफान सोलंकी जी केवल जनता की समस्याओं को लेकर एक अधिकारी से मिलने गये थे। मैंने इस बारे में जानकारी आपको दी थी, विधायक वहां पर खड़ा था और खड़ा रखने के बाद विधायक के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया गया जबकि अधिकारी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। विधायक को अधिकारियों से मिलने का विशेषाधिकार है। चाहे सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो, यहां के अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुनते और मैंने तो इस राज्य में अपनी आंखों से विधायकों को अधिकारियों के पैर छूते देखा है। गिड़गिड़ाते देखा है। यहां तक कि मंत्रियों को कैबिनेट सचिव के पैर छूते देखा है और जब विधायक लोग अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो अधिकारी उनको खड़े होकर रिसीव नहीं करता है। जब जाते हैं तो खड़े होकर सीऑफ नहीं करता है। यह हाल है उत्तर प्रदेश में और आप हंस रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विधायकों की सुरक्षा हो, विधायकों का सम्मान हो। हम तो यहां तक चाहते हैं और समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी भी अपराधी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर निर्दोष लोगों को जेल में बंद किया जाएगा। उन पर झूठे मुकदमें लगाये जायेंगे तो फिर ज्यादा समय नहीं हैं। 6 महीने का समय है। 6 महीने तक जुल्म कर लीजिये, अत्याचार कर लीजिये, झूठे मुकदमें लगा लीजिए। अब 6 महीने बाद जनता इसका पूरा जवाब दे देगी। इसलिये हमारी आपसे और सरकार से मांग है कि राजमती जी और उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये और उनके पति स्व0 श्री जमुना प्रसाद निषाद की दुर्घटना से मृत्यु की जांच करायी जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्या ने व्यक्तिगत तौर पर खड़े हो करके कहा कि हमारी जान को ,खतरा है, आप इसे दिखवा लीजिये।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें यह लिखा गया है और उस्मानी साहब चाहते हैं कि निघासन में एक पोस्टमार्टम हाउस संचालित किया जाये। नियम-300 में पोस्टमार्टम हाउस वाला आयेगा ? श्री कंसल जी चाहते हैं कि रोड को चौड़ा करा दिया जाये। श्री राम विशुन जी पूर्वांचल जिला निधि का चाहते हैं।

श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, सड़क का काम तो शुरू हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखवा के भिजवा दीजिये, मैं सरकार को भिजवा दूंगा। हमको दीजिये मैं भेज दूंगा।

(श्री राम सेवक सिंह पटेल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पटेल जी बस इतना ही है और किसी का नियम-300 में नहीं है, सबको अग्राह्य करता हूं।

श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित-

मान्यवर, मेरा एक व्यक्तिगत विषय है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मेरे परिवार और मेरी जानमाल की सुरक्षा का विषय है। मुझे झूठे आरोपों में बार-बार फंसाया जाता है, मेरी सुरक्षा वापस ले ली जाती है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मुझे कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब विधान सभा का सत्र खत्म हो जायेगा तो गुड्डू पण्डित को फिर फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने का काम यह सरकार करेगी। मेरे पास इसका डाक्यूमेण्ट्री प्रूफ है कि गुड्डू पण्डित की राजनैतिक हत्या हो सकती है। मान्यवर, बार-बार मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाया गया, दो बार जेल फर्जी भेजा गया जिसमें मा0 न्यायालय ने कहा है कि यह अपराध बनता ही नहीं है। यह वही मामला है जिसमें उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है और मुझे पास करने का आर्डर किया और कहा है कि वह बिल्कुल फर्जी केस है, इसमें कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिये गुड्डू पण्डित को जमानत देने का काम न्यायालय करती है। मा0 अध्यक्ष, महोदय जी, मेरे ऊपर एक आरोप और लगा दिया जाता है लड़की का जिसमें दो पन्ने की चार्जशीट बनायी गयी। इसमें लड़की कहती है कि मैं गुड्डू पण्डित को जानती नहीं और यह केस खत्म कर दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे बी0डी0सी0 अपहरण काण्ड में फर्जी जेल भेजा जाता है। मुझे और मेरे परिवार को घर से बुला करके अरेस्ट करा दिया जाता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मेरी जानमाल की सुरक्षा की जाये क्योंकि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाये गये हैं, उनकी यह सदन जांच कर ले। अगर सच पाया गया तो आज ही सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विधायक जी की व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न उठाया गया है। इनकी जानमाल को खतरा है, इसको दिखवा लीजिए।

श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित-

मान्यवर, मुझको फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश की जा रही है और विधान सभा के सत्र के बाद मेरी हत्या भी करायी जा सकती है। इसमें एक [XXX] दोनों साजिश में शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह मा0 सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है। इसको मैं देखूंगा। इसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित-

मान्यवर, मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करायी जाये। मेरे पास इसका डाक्यूमेण्ट प्रूफ है, मेरे पास हर चीज का सबूत है। पिछले चार साल से यह सरकार कहती आ रही है कि गुड्डू पण्डित की राजनैतिक हत्या हो सकती है। मान्यवर, सी0बी0आई0 ने भी कहा है कि गुड्डू पण्डित की राजनैतिक हत्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

कोई मा0 सदस्य जब अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात उठायेगा तो मैं सुनूंगा चाहे इधर के हों या उधर के हों। मैं मा0 विधायकों के सम्मान के लिये सुन रहा हूं।

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

मान्यवर, बार-बार [XXX] का नाम ले रहे हैं। जो इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं। यह उचित परम्परा नहीं है। कृपया इसको दिखवा लें।

नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, भगवान सिंह उर्फ गुड्डू पण्डित.....

श्री अध्यक्ष-

आज थोड़ा-थोड़ा सबकी फंस रही है, अगर इनकी फंस गई तो क्या हुआ।

(सदन में हंसी)

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी,.....

(श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं, यह सीख लीजिए आप जब मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हों तो किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सदस्य हो।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित ने अपनी समस्या को रखी हैं, इन्हें सुरक्षा की जरूरत है और इन्हें फर्जी केसों में भी फंसाया जा रहा है और उन्होंने बहुत से डॉक्यूमेंट भी

नोटः-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दिखाये हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को ले करके इनका परीक्षण करा दें और उनके सुरक्षा के और उन पर झूठे मुकदमें न लगाए जाएं। विधायक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सदन की है और सरकार की है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो मैं व्यक्तिगत समय दे रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

तो उनकी सुरक्षा की और ये डॉक्यूमेंट हैं, इनका परीक्षण करा लें। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

(श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आप बैठ जाइये, हमने व्यवस्था दे दी है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, स्थिति खेदजनक तब होती है, जब सदस्य इधर रहता है तो वह अपराधी हो जाता है और जब उधर चला जाता है तो उसका अपराध समाप्त हो जाता है। यह व्यवहार कुछ लोगों का है। मैंने सदन में देखा है मान्यवर, यहां पर तत्कालीन मा0 नेता विरोधी दल ने एक मा0 मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए और जब बहुजन समाजवादी पार्टी बहन कु0 मायावती जी ने कार्यवाही की कानून के अनुसार, कानून का पालन किया और यह जेल चले गए तो उनका संरक्षण करने का काम जो आरोप लगाने वाले थे, वह करने लगे। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो आज प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं उनकी नजर में, कानून सबके लिए बराबर है, अपराधी-अपराधी है वह चाहे सत्तापक्ष में हो या विपक्ष में और कानून के अनुसार कार्यवाही करना सरकार की जिम्मेदारी है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया, आप लोग शांत रहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह चरित्र कुछ लोगों का है, कि इधर आने पर अपराधी हो जाता है और उधर जाने पर वह अपराधी नहीं रहता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि अपराधी, अपराधी है और कानून सबके लिए बराबर है अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वह विधायक है, चाहे वह सांसद है और चाहे वह मंत्री है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जहां तक इनके प्रश्न का सवाल है। मान्यवर, आपकी उदारता निश्चित रूप से उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मान्यवर, नियम-300 में आप देखने का काम करें किसी भी दशा में, किसी भी शब्द के अन्दर यह नहीं आता है। मैं चाहूंगा की आप इसे अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इनकी नियम-300 में कोई सूचना नहीं है। ये मा0 सदस्य व्यक्तिगत खड़े हो रहे थे, क्यों कि इनकी सुरक्षा का सवाल है, जिसे ये सदन में लाना चाहते थे, इसलिए हमने इन्हें दो-दो मिनट सुना है। इनकी नियम-300 में कोई सूचना नहीं है।

सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सदस्यो में सुरक्षा के सम्बन्ध में भेद किये जाने पर आपत्ति

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा मैं उससे अपने आपको जोड़ता हूं, बात बहुत अच्छी है और अच्छी बात कोई भी कहे तो अच्छी है, आप कह रहे हैं तो और अच्छी है, यह बिल्कुल सही बात है कि अपराधी जब तक आपके साथ है, तब तक बहुत अच्छा है, इधर आ जाये तो बहुत बुरा है, यह बात बिल्कुल सही है, इससे हमें पूरा इक्तेफाक है, हमारा कहना यह है कि क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को यह दायित्व सबने मिलकर दिया हुआ है कि चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों या इधर बैठने वाले सदस्य हों सबके साथ न्याय हो, अगर कहीं बातों में जिसे कहते हैं अंग्रेजी का एक शब्द है ''पैरिटी'' नहीं है, तो वह होना चाहिए। सुरक्षा के मामले में भी इस सरकार की सोच तमाम सदस्यों के बराबर होनी चाहिए। नेता कांग्रेस ने बड़ी भावुकता में कहा और दिल को लगी बात, एक महिला सदस्य ने, यह पहली बार सदन में आई हैं, जिनकी भाषा हमारी और आपकी भाषाओं जैसी नहीं है, एक सादी-सूदी जबान में घेरलू जबान में अपनी पीड़ा को उन्होंने रखा। आपने भी देखा।

मान्यवर, हालांकि प्रोसीडिंग में आपने उससे इंकार कर दिया, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहकहा लगाया, एक सादी महिला के पति की हत्या, बेटे और उनके अपने जीवन के खतरे में होने पर, माननीय सदस्यों ने कहकहा लगाया, यह पूरे सदन ने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश ने देखा।

मेरा मान्यवर, मानना यह है कि आपकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी से ज्यादा है, आज सारा दिन यह देखा गया है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरह से गुस्से से आपकी कुर्सी को सम्बोधित किया है, आप प्रोसीडिंग देख लें जो आपने कहा है वह भी देख लें, जाहिर है हमने सुना है, आपने अपनी पीड़ा का इजहार इन शब्दों में किया है और आपने यह कहा है कि नहीं, बार-बार आपने कहा है कि आपका कहना सही नहीं है, मैं इसे पहले ही अग्राह्य कर चुका हूं, लेकिन जिस तरह से आपको सम्बोधित किया गया है, जितने गुस्से से और जिन शब्दों के साथ, संसदीय कार्य मंत्री को वह भाषा शोभा नहीं देती। हमारा कहना यह है मान्यवर कि संसदीय कार्य मंत्री सदन को चलायें, अपनी सरकार को चलायें, लेकिन आपके आदेशों से ऊपर नहीं हो सकता है। मान्यवर, यह अधिकार हमारा जानने का है कि एक महिला सदस्या की पीड़ा का संज्ञान सरकार ने क्या लिया, यह हमारे जानने की जरूरत है और यह भी हम जानना चाहते हैं मान्यवर, कि क्या इधर के सदस्यों की जिन्दगी की कीमत कम है, उधर के सदस्यों की जिन्दगी की कीमत ज्यादा है अगर किसी को जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, अलग से कोई वाई, एक्स मिली हुई है और उसके आधार पर गनर्स की कमी हो जाती है, बात समझ में आती है, लेकिन अगर ऐसा कोई अलग से आदेश नहीं है कि एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी अगर ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है तो क्या यह हमारा आपसे जानने का अधिकार है कि उधर बैठे हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों को दो-तीन-चार गनर किस बुनियाद पर दिये गये हैं और दूसरी तरफ एक सदस्य, महिला सदस्य अपने

पति की हत्या के बाद अपने बेटे और अपनी जिन्दगी को खतरे में महसूस कर रही है उस पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वह सदस्य जिन्हें एक से ज्यादा गनर सत्ता पक्ष के सदस्यों को दिये हुए हैं क्या उन्हें वापस करने की घोषणा सरकार यहां करेगी और ऐसी महिला जिसने अपनी और अपने बेटे की जिन्दगी के खतरे को यहां दर्शाया है, क्या इसके बारे में आपकी तरफ से कोई निर्देश जारी होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय आजम खां साहब,

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज सबकी फिसल रही है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय आजम खां जी ने गुस्से का इजहार किया, मान्यवर हम लोगों ने सबने देखा है कि गुस्सा करते हुए, हमेशा सत्ता पक्ष के प्रत्येक मंत्री और प्रत्येक सदस्य का आपके प्रति आदर, सम्मान और पूर्ण विश्वास है, आपके निर्णय पर कोई आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न किया जा सकता है मान्यवर, निश्चित रूप से उनको याद आ जाती है बार-बार इनको अध्यक्ष पीठ का जिस तरह से यहां पर रहते हुए हम लोगों ने देखा है वही उनको बार-बार याद आ जाती है। मान्यवर, उसी का वर्णन करते-करते उस दिशा में मुड़ जाते हैं। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी की नजर में कानून सबके लिए बराबर है पूरे प्रदेश के सभी आम जनता की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और उसको पूरी तरह से बिना भेदभाव के माननीया मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है।

मान्यवर, जहां तक सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था है मान्यवर उसके लिए नियम बने हुए हैं जो जिले की कमेटी रिपोर्ट भेजती है उसी के अनुसार प्रदेश स्तर पर निर्णय लिये जाते हैं। मान्यवर, प्रत्येक विधायक को एक सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में ही और समिति की रिपोर्ट के आधार पर, उसकी एक व्यवस्था दी गयी है, उसके अनुसार ही निर्णय लिये जाते हैं। उसमें कोई भेदभाव के आधार पर, कोई सत्ता और विपक्ष के आधार पर निर्णय नहीं लिये जाते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई चर्चा नहीं हो रही है, व्यक्तिगत सुरक्षा की बात इसमें कही गयी है।

*कुं0 रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

मान्यवर, अभी यह कहा गया कि गनर देने की व्यवस्था के लिए नियम बने हुए हैं। मान्यवर, मैं सभी लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि इसमें कौन से नियम हैं। मान्यवर, इस तरफ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके पास एक से अधिक गनर नहीं हैं जबकि जो उधर की तरफ बैठे हुए हैं उनमें कोई भी विधायक ऐसे नहीं होंगे जिनके पास एक से अधिक गनर न हों। मान्यवर, आप हाथ उठवा कर देख लें। मान्यवर, जिले के एस0पी0 अपनी रिपोर्ट देते हैं लेकिन उसमें भी अपवादस्वरूप संस्तुतियां की जाती हैं। मान्यवर, जैसा कि अभी आजम खां साहब ने भी कहा, मान्यवर हम लोगों को

भी सरकार में रहने का मौका मिला है। मुझे भी 19 साल से विधायक होने का सौभाग्य प्राप्त है। मान्यवर, गनर का मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें इतनी चर्चा हम करें। नियम बने हैं लेकिन उसका सदस्य की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिले के पुलिस अधिकारी जिले के कलेक्टर अपनी संस्तुति करते हैं और उसके आधार पर शासन निर्णय करता है। मान्यवर, आज जिले के कलेक्टर को पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए गनर की संस्तुति की जानी है। विपक्ष के किसी भी विधायक के लिए गनर की कोई सुरक्षा कर्मी की कोई संस्तुति करने का साहस किसी जिले का कप्तान या कलेक्टर नहीं कर सकता है। मान्यवर, आज आप हाथ उठवा कर देख लें कि किसके पास एक गनर है और किसी के पास एक से अधिक गनर है। सच्चाई सबके सामने आ जायेगी। मान्यवर, आप सदन के मुखिया हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपके निदेशानुसार सबके साथ निष्पक्षता बरतने की व्यवस्था की जायेगी और जिस तरह से उधर गनर दिये गये हैं उसी तरह से हम लोगों को भी पात्र समझा जायेगा। मान्यवर, रातोंरात जब सदस्य दल बदलकर सत्ताधारी दल में चले जाते हैं तो उनको जेड केटिगरी की सुरक्षा भी मिल जाती है और जो लोग बसपा छोड़कर इधर आते हैं तो उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अपनी सुरक्षा के लिये जिन माननीय सदस्यों ने कहा है, उस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, कि इसको दिखवा लेंगे। इसमें राजा भइया का भी है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (सिविल)†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (संख्या-2) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां)†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-3 राजस्व प्राप्तियां 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन†

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष जी मे आपकी अनुमति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए(3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव एवं गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र) नियमावली, 2009††

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गई ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव एवं गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र) विनियमावली, 2009'' (सी0एन0सी0ई0 विनियमावली, 2009) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2653/30-4-10-4(2)-2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010†

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

माननीय अध्यक्ष जी मै, आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2653/30-4-10-4(2)-2010, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212(3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1572/30-4-10-167-91 टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त, 2010†

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

माननीय अध्यक्ष जी मै, आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1572/30-4-10-167-91 टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त, 2010 को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-29(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-9-2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-9-2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1407/33-2-2011-72जी/2011, दिनांक 30 मार्च, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से, पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1407/33-2-2011-72जी/2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय 11 की धारा-237 की उपधारा-(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-4-2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-4-2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2841/14-2-2010-67-(एल)/2010, दिनांक 04 अगस्त, 2010†

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2841/14-2-2010-67-(एल)/2010, दिनांक 04 अगस्त, 2010 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-78 की उपधारा-(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4180/14-2-2010-67-(एल)/2010, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010†

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4180/14-2-2010-67-(एल)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-78 की उपधारा-(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 1999 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 1999 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा-(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-08 की द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-08 की द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 की उपधारा-(4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-08 की द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक में की गयी संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-08 की द्वितीय रिपोर्ट (दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) में की गयी संस्तुतियों पर राज्य सरकार का अभिमत/कृत कार्यवाही के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 की उपधारा-(4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-19 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन† †

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का आठवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1998-1999, 1999-2000 एवं 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का नवां प्रतिवेदन††

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का नवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1997-1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2002-2003) के ''अष्टम् प्रतिवेदन'' में निहित संस्तुति के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

† † छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन††

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-1999) का ''विशेष प्रतिवेदन'' सार्वजनिक निगमों को कार्यकुशल बनाने से सम्बन्धित निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1994-1995 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड तथा रिपोर्ट 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं रिपोर्ट 1982-1983 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बारहवां प्रतिवेदन†

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बारहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिर्पोट 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा रिर्पोट 1997-1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरिक्षक का 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित शिक्षा (उच्च) विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सम्परीक्षा आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

डॉ0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित श्रम विभाग शिक्षा (उच्च) विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित सम्परीक्षा आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन†

डॉ0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित पर्यटन विभाग तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग से सम्बन्धित सम्परीक्षा आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का षष्ठ प्रतिवेदन†

डॉ0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2010-2011) का षष्ठ प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित परिवहन विभाग, पुरातत्व विभाग तथा नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित सम्परीक्षा आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2010-2011) का 'चतुर्थ प्रतिवेदन' जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (2002-2003) में उल्लिखित संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन निकायों-भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-30 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 अगस्त, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 06 अगस्त, 2011 से 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

अगस्त, 2011

06 शनिवार
07 रविवार } बैठक नहीं होगी।

---

† छापी नहीं गयी।

अगस्त, 2011

08 सोमवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं उसका पारण।

3-श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाय।''

4-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।''

5-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदासनगर को सम्मिलित करते हुये पूर्वांचल प्रदेश का गठन किया जाय।''

6-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।''

7-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर तथा चौधरी सत्यपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 21 अगस्त, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल एवं सिंचाई के लिये भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।''

09 मंगलवार 1-12.20 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं उसका पारण।

3-उत्तर प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार।

4-श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।''

(2) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनायी जाय।''

(3) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनायी जाय।''

5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबंधित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाई जाय।''

10 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं उसका पारण।

11 गुरुवार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार एवं उसका पारण।

12 शुक्रवार विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यो के निर्वाचन के स्थान पर माननीय अध्यक्ष विधान सभा को सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, कुछ प्रस्ताव है जिन्हें सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक से निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित

नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर माननीय अध्यक्ष विधान सभा को सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सम्बन्धित नियमो की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री कॉशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यो के निर्वाचन के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन मान्यवर, श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमो के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं उक्त श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त मान्यवर, श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 25 अगस्त, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, विधेयक 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, विधेयक 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, विधेयक 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 25 अगस्त, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 25 अगस्त, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरः स्थापित करता हूं।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 अगस्त, 2011 को नियम-311 की 10 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, दिनांक 5 अगस्त, 2011 को अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशानुसार चयनित सूचना को क्रमांक एक पर रखा गया है एवं आज प्राप्त सूचनाओं में से चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह, श्री उदयराज, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, डा0 पी0के0 राय, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री रियाज अहमद, श्री जावेद अंसारी, श्री राम बिशुन आजाद, श्री आरिफ अनवर हाशिमी, श्री शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जोखू लाल यादव, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री उदयभान करवरिया, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा, श्री सलिल विश्नोई, श्री श्यामलाल, श्री सुरेश्वर सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, श्री अशोक कंसल, श्री राघव लखन पाल शर्मा, श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमिता सिंह, श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री आर0के0 चौधरी की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में हजारों करोड़ रूपये के घोटाले के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फैजाबाद के जोरियम गांव में हुई दर्दनाक हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री राम बिशुन आजाद, श्री लाल जी यादव, श्री महेन्द्र कुमार सिंह की भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों एवं पूर्वांचल के जिलों में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर निगम द्वारा कन्टेनरों से कूड़ा न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा में बी0एस0यू0पी0 परियोजना अन्तर्गत बन रहे मकानों में राजकीय निर्माण निगम द्वारा की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी और श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ शहर में दूषित पेयजल पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी स्थित रामनगर में पी0सी0डी0एफ0

पराग डेरी में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राघवलखन पाल शर्मा की सहारनपुर में कुमारी अरूणा शर्मा के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशिमी की बी0आर0जी0एफ0 योजना के लिये आये धन का दुरूपयोग किये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री बैजनाथ दूबे की जनपद गोण्डा के ग्राम गोनवां पूरे में 5 बच्चों की डूबकर हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश में रमजान माह में विद्युत आपूर्ति भी बदहाली एवं क्षतिग्रस्त विद्युत तारों से हो रही दुर्घनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद स्थित गढ़मुक्तेश्वर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्रीमती मिथलेश पाल की अधीक्षण अभियंता मध्य गंगा मेरठ द्वारा किये जा रहे धन के दुरूपयोग की जांच करने एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई उनके नाम है। श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री अरविन्द सिंह यादव, श्री कौकब हमीद खाँ, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, चौधरी सत्यपाल सिंह, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री पूरन प्रकाश, श्रीमती मिथलेश पाल, श्री राम बिशुन आजाद, डा0आर0ए0 उस्मानी श्री जर्नादन प्रसाद ओझा, श्री अरविन्द सिंह यादव, श्री दीप नारायण सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री विशम्भर, प्रसाद निषाद, डा0 पी0के0 राय, श्री उदयराज यादव, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री कुबेर सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री लाल जी यादव, श्री कैलाश चौरसिया, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री लल्लू सिंह।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना भारत सरकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। इसके कुछ उद्देश्य भी थे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और इसके अन्तर्गत मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नीचे लाना इसका लक्ष्य है। लेकिन मान्यवर, जैसे ही यह योजना आई, यह योजना भ्रष्टाचार में बदल गई। सुनियोजित और संगठित संस्था इस लूट का नाम हो गया है। मान्यवर, 5 वर्ष में 8200 करोड़ रूपये इस योजना को प्राप्त हुए और 5 साल में ही 7450 करोड़ रूपये इसमें खर्च भी दिखाये गये। और पहले ही दिन से आदेश हो गए थे पूरे उत्तर प्रदेश के सी0एम0ओ0 को, कि इस योजना से 10 से लेकर 100 परसेन्ट बचाकर ऊपर पहुंचना है यह काम शुरू हो गया। मान्यवर अगर यह योजना विधिवत लागू की जाती तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत सीसमस्यायें हल हो सकती थी। हमारा प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में ऊपर पहुंच सकता था। भारत सरकार ने गाइड लाइन भी दी थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह गाइड लाइन निधांरित की थी कि उक्त परियोजना प्रदेशों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित की जाएगी। यह गाइड लाइन थी किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानकों के विपरीत जाकर के, परिवार कल्याण के नाम से अतिरिक्त विभाग का गठन कर दिया गया। यह सरकार को अधिकार नहीं था। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण के नाम से पृथक विभाग गठन किए जाने पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री सुजाता राव ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 28 जुलाई, 2010 को एक पत्र

लिखकर परिवार कल्याण विभाग के अलग गठन किए जाने पर आपत्ति की थी और सुझाव भी दिया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एकीकृत किया जाए अलग न किया जाए।

उसके बाद भी प्रदेश सरकार ने विभागों को बांट दिया और परिवार कल्याण विभाग में एक अलग से क्रय समिति बनाकर बहुत सा सामान, मान्यवर, जो सामान खरीदा गया है ए0फार0यू0 किट 35 करोड़ की यह किट खरीदी गई, और आरो सिस्टम 75 करोड़ का खरीदा गया। जो भी किट खरीदी गई जो आरो लगाए गए वह सड़ते रहते हैं उत्तर प्रदेश की पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 पर जो 75 करोड़ के आरो लगाए गए कहीं पर भी किसी भी मरीज को किसी भी पब्लिक के आदमी को पानी नहीं मिला। और अगर मौके पर देखा जाए तो है ही नहीं आरो। इसी तरह से एफ0आर0यू0 किट का और जो आरो सिस्टम का 75 करोड़ रुपया निकाला गया उसमें पहले ही दिन आदेश थे, सरकार के आदेश थे कि 10 से लेकर 100 परसेन्ट तक ऊपर जहुंचाना था यह सभी सी0एम0ओ0 को आदेश थे। और इसी तरीके से बिवारमेण्ट टेबलेट, जो पेट के कीड़ों की दवा है, 10 करोड़ रुपये, ई0एस0आई0 रेट कान्ट्रेक्ट और इसी तरीके से लेपोस्कोपिक मशीन 40 करोड़, यू0एन0ओ0 ओ0पी0यू0एस0, दिल्ली, विविधि दवाइयां 90 करोड़ इन दवाइयों का पता नहीं किसको मिली, किसको नहीं मिली और 90 करोड़ की दवाई बंट गई। इसमें बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, मंत्री शामिल है। मुख्य मंत्री जी, मैं चाहता हूं, जबसे आपकी सरकार बनी है, कौन-कौन मंत्री थे, कितने-कितने समय में मंत्री थे ? स्वास्थ्य मेला भी लगने थे, स्वास्थ्य कैम्प भी लगने थे। मैं जानना चाहता हूं कि कितने स्वास्थ्य मेले लगे, कितने कैम्प लगे और इसी तरीके से जनरेटर के लिए 100 करोड़ रुपया। आज अगर देखा जाए, सीएचसी और पीएचसी पर कहीं पर भी जनरेटर नहीं है, मौके पर देखा जा सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए थी, केवल डिब्बा रखा है, उसमें मशीन है नहीं और डीजल ले ली गई 100 करोड़ की। ग्लो साइन बोर्ड 219 करोड़, प्रिटिंग का सामान 150 करोड़ और टैक्सियां 130 करोड़, जबकि आदेश नहीं थे, टैक्सी का एक भी आदेश नहीं था, आदेश था कि टैक्सी नहीं ले सकते हैं, यह भारत सरकार की गाइड लाइन थी।

मूवर्स और मोबाइल 40 करोड़, संविदा डाक्टर्स एवं एएनएम का वेतन 200 करोड़ और इसी तरीके से जननी सुरक्षा योजना जिसमें 1400 रुपये प्रति डिलेवरी। महिला को बच्चा होगा तो उस महिला को 1400 रुपये मिलेगा, यह व्यवस्था है और इसके लिए 400 करोड़ रुपया 3 साल में खर्च हुआ। तो कितने बच्चे पैदा हुए ? उसके हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख बच्चे पैदा हुए हैं, बीपीएल में तो जनरल कितने बच्चे पैदा हुए होंगे ? किस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी ? लेकिन यह फर्जी तरीके से दिखाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सीएचसी और पीएचसी पर कितनी डिलेवरी हुई और जिसमें 400 करोड़ रुपया चला गया। ब्लड बैंक का सामान 16 करोड़, एनआरएचएम नार्म्स के अन्तर्गत 40 अस्पतालों का उच्चीकरण 143 करोड़। अस्पतालों की सफाई और साज-सज्जा पर खर्च 70 करोड़। सज्जा के लिए कोई कम्पनी भी होगी, कोई ठेका भी दिया होगा ? टेण्डर भी होना चाहिए था लेकिन कोई टेण्डर नहीं और इसी तरीके से आई इक्यूपमेण्ट लेंस और चस्में की खरीद 42 करोड़। इस तरीके से 8 हजार 200 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो गया है, करीब 7 हजार 450 करोड़ रुपया और अगर इसकी जांच हो जाए तो लगभग-लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपया चला गया है जो इस विभाग के मंत्री थे, उच्चाधिकारी है। और इस योजना के लिये कितने अधिकारियों, मंत्रियों की ड्यूटी

होती है। हर तीन महीने में इसका आडिट भी होना चाहिये। मैंने तो लिखित में और आपके माध्यम से आडिट रिपोर्ट मांगी थी। हर तीन महीने में विभागीय आडिट होता हैं लेकिन मांगने पर भी नहीं मिला। लेकिन जो इस विभाग का मंत्री था तो उसकी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन वह देखभाल क्यों करता क्योंकि उसको तो 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक चाहिये था। तो लगभग चार-पाच हजार करोड़ रुपये की लूट हो गयी। और फिर 2-2 सी0 एम0 ओ0 की हत्यायें हो गयी। 27 अक्टूबर, 2010 को सी0 एम0 ओ0 परिवार कल्याण डा0 विनोद आर्या की हत्या हो गयी। 02 अप्रैल, 2011 को सी0 एम0 ओ0 परिवार कल्याण डा0 वी0 पी0 सिंह की हत्या हो गयी और 22 जून, 2011 को डिप्टी सी0 एम0 ओ0 डा0 वाई0 एस0 सचान की जिला कारागार में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गयी। जेल का विभाग किसके पास है। क्या मुख्यमंत्री जी को यह नहीं देखना चाहिये था कि यह क्या हो रहा है। जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में हत्या हो गयी। मैंने तो सुना है कि जहां पर भी यह पूरा पैसा इकट्ठा होता था, यह बंगले क्यों हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये यह सुविधायें क्यों हैं, इतना बड़ा काफिला, इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों है। तो क्या यह सुविधायें, सरकारी बंगले और यह गाड़ियां क्या जनता के पैसे को लूटने के लिये है। क्या मंत्री पद लेते समय ईश्वर की शपथ नहीं ली थी ? मान्यवर, आपने भी यहां पर ईश्वर की शपथ दिलायी थी कि हम सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। कहीं भेदभाव नहीं करेंगे। कहीं बेईमानी नहीं करेंगे। इस पैसे को स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने में लगाया जाना चाहिये था। मान्यवर, सी0 ए0 जी0 जो इस मामले की जांच करेगी तो उसको भी खतरा पैदा हो गया है उसको भी सुरक्षा चाहिये और जो भी सी0 एम0 ओ0 के उस पद पर जाएगा उसको भी खतरा है। डा0 वाई0 एस0 सचान की हत्या क्यों हुयी। जेल में कैसे हत्या हो गयी ? जेल में कौन लोग गये थे ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है। क्या उसमें बड़े-बड़े अधिकारी शामिल नहीं है। क्या इतना बड़ा घोटाला बिना मंत्री की जानकारी के इतने छोटे अधिकारी सी0 एम0 ओ0 कर सकते थे और हर तीन महीने में आडिट होता है। तो क्या मंत्रियों और अधिकारियों को नहीं देखना चाहिये। जेल में कैसे हत्या हो गयी। हत्या तो इसलिये हो गयी है कि डिप्टी सी0 एम0 ओ0 सचान अगर कोर्ट में जाते तो पूरा का पूरा राज खुल सकता था। बड़े-बड़े अधिकारियों का इसमें लिंक था, बेईमानी हो रही थी और सीधे-सीधे भ्रष्टाचार के तार मुख्यमंत्री तक जुड़े थे, मंत्रियों तक जुड़े थे। असलियत तो यह है कि अगर दो-दो मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं तो 2 सालों तक यह विभाग मुख्यमंत्री के पास भी था, जेल विभाग की मंत्री भी मुख्यमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए था, हो सकता था नैतिकता थी ? जिस दिन डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या हुयी थी उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतना बड़ा घोटाला हुआ और दो-दो साल तक यह विभाग मुख्यमंत्री के पास भी रहा था। वैसे तो इसमें मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जेल में हत्यायें हो रही हैं। क्या इस समय उत्तर प्रदेश में जंगलराज कायम नहीं है ? क्या इसके लिये बड़े अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ? आखिर हत्यारे जेल में कैसे पहुंचे ? ये हत्यायें सांठ-गांठ करके हो गयीं और अभी तक हमारे कई विभागों में इसी तरह से यह चला है, यह सब इसी सरकार में चला है।

पी0डब्लू0डी0 में औरैया में एक अधिशासी अभियन्ता की हत्या हुयी है। आवास विभाग के प्रमुख सचिव आवास की भ्रष्टाचार के नाते ही हत्या हुयी क्योंकि जो अधिकारी ठीक से काम करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचायेगा तो उसको गाली भी पड़ेगी, हत्या भी होगी। अभी कोई मंत्री कह रहे थे, मेरा कहना है कि क्या कैबिनेट सचिव इसमें जिम्मेदार नहीं हैं ये सब काम

देखने को, काहे के कैबिनेट सचिव हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी ? जब ऐसा अयोग्य पायलट, कौन नहीं जानता है कि उसकी डिग्री फर्जी है ? पायलट को कैबिनेट सचिव बना दिया गया, प्रमुख सचिव, आई0ए0एस0 को गाली और गाली देने के बाद जो भ्रष्टाचार हो रहा था तो सीनियर अधिकारी हरमिन्दर राज सिंह की क्या हत्या नहीं हुयी है या आत्महत्या की हो ? जब अधिकारी अपमानित होंगे तो फिर मजबूरन यही होगा ? अगर कोई अच्छा अधिकारी है, ईमानदारी अधिकारी है तो वह मजबूर हो गया। इसकी भी जांच हुयी लेकिन आज तक राज नहीं खुला है। जेल में हत्या कैसे हो गयी आज तक राज खुला नहीं है। कैसे पहुंचे वहां अपराधी, क्या प्रमुख सचिव गृह के इशारे से नहीं पहुंचे थे ? वैसे तो सर्विलांस पर सभी टेलीफोन टेप हो जाते हैं। बात हो जाती है, अपराधियों को संरक्षण मिल जाता है। जिस प्रदेश में प्रमुख सचिव का अपराधियों को संरक्षण होगा। डी0जी0पी0 लॉ एण्ड आर्डर का संरक्षण होगा। मैं तो समझता था कि डी0जी0पी0, लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक आदमी है, ठीक काम करता है लेकिन क्या मौन रहना और कोई निर्णय न लेना, क्या बेईमानी नहीं है ? क्या ये शामिल नहीं है ? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में ? क्या उत्तर प्रदेश की बदनामी नहीं हुयी है ? भ्रष्टाचार के नाम पर कितनी बड़ी बेईमानी है। चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना हो। तो क्या भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं और मंत्रियों की नहीं है ? मैंने तो कहा था और पिछले बजट सत्र में ही मा0 मुख्यमंत्री से इशारा किया था लेकिन मा0 मुख्यमंत्री तो केवल सम्पत्ति और पैसा इकट्ठा करना चाहती है। यह सब बेईमानी है और उसके साथ-साथ मंत्री यहां बैठे हैं। मैंने इशारा किया था कि कौन से विभाग हैं और कहां जा रहा है पैसा ? और केन्द्र सरकार को भी जो यह योजना थी केन्द्र सरकार की। यहां पर पालसाहब भी बैठें हैं और हमारे प्रमोद तिवारी जी भी बैठे हैं, जब केन्द्र सरकार, भारत सरकार की योजना थी, तो क्या उन्हें इसकी देखभाल उनको नहीं करना चाहिए था कि पैसा ठीक से लग रहा है। उन सबको देखना चाहिए था। यह सही है, सही है खतरा इनको भी हो सकता था ऊपर से। जहां पैसा इकट्ठा होता था, जिस बंगले में पैसा इकट्ठा होता था, जो पैसा गाड़ी में छह नम्बर से पांच नम्बर पर ले जाता था, वह आदमी बचा है। मर गया है वह भी हत्या हो गयी है उसको और कह दिया गया कि हार्ट अटैक हो गया। वह जूनियर वकील था किसका जूनियर वकील हो सकता है। हमें नाम अभी मालूम नहीं है अभी बाद में नाम दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

नाम हम सी0बी0आई0 को देंगे, आपको नहीं देंगे।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, अध्यक्ष जी उसकी भी हत्या हो गई। उसको भी जहर दे दिया गया। अगर किसी को जहर दे दोगे तो क्या उसका हार्ट फेल नहीं होगा, लीवर खराब नहीं होगा, क्या उसकी किडनी खराब नहीं होगी ? जहर देकर के उसको भी मार डाला गया, सबूत मिटाने के लिए। अब जब सी0बी0आई0 की जांच होगी, तब यह सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रहम करे, रहम करो, मंत्री जी रहम करो, संसदीय कार्य मंत्री रहम करो। 6 महीने बाद आपको तो जेल जाना है, उन अधिकारियों की लम्बी नौकरी है, उन पर रहम करो, उन अधिकारियों पर तो कम से कम रहम करो, उन्हें बचाये रखो। जब-जब इनकी सरकार रही 23 जुलाई, 2000 को इनकी सरकार

थी निदेशक परिवार कल्याण डॉ0 बच्ची लाल की हत्या हो गई। 25 दिसम्बर, 2000 को अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ0 राधेश्याम शर्मा की हत्या हो गई, 27 अक्टूबर, 2010 सी0एम0ओ0 परिवार कल्याण डॉ0 विनोद कुमार की हत्या हो गई। ये सभी हत्याएं, परिवार कल्याण विभाग में जो भी हत्याएं हुई हैं, इन्हीं बसपा के राज्य में हुई हैं। मान्यवर, इस तरीके से भारत के विकास आयुक्त लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2003 को समस्त प्रदेशों की इस आदेश के साथ संलग्न 358 आइटमों की सूची जारी करते हुए निर्धारित किया था कि प्रदेश के लघु उद्योग निगमों द्वारा सम्बन्धित आइटमों को खरीदा जाए, यह भी गाइड लाइन में था। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेशों के विपरीत जाकर उक्त आदेशों में निर्धारित 358 आइटमों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लघु उद्योग के माध्यम से 35 करोड़ एफ0आर0यू0 किट प्रसव के समय, जब बच्चा पैदा होता है, प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण खरीदे गए थे, किसी पी0ए0सी0, सी0ए0सी0 में यह उपकरण उपलब्ध नहीं है। कहीं कोई सुविधा नहीं मिली। मेसर्स रजत फार्मा जिसके पास पूर्व में आपूर्ति का अनुभव था, वह सभी शर्तें पूरी करता था। वह उसकी दरें लगभग 70 हजार प्रति किट की थी और जो अन्य कम्पनियों में सबसे न्यूनतम थी, उसके बावजूद भी उस कम्पनी के टेण्डर निरस्त कर दिये गये और दिल्ली स्थित मेसर्स सर्जिकान सर्जिकल कम्पनी जो अनुभवहीन एफ0आर0यू0 किट की मूल उत्पादनकर्ता फर्म नहीं थी, जो गुजरात में ब्लैक लिस्ट कम्पनी एन0आर0 फार्मा के पक्ष में उच्च दरों पर क्रय कर ली गई। पांच लाख में, जहां एक तरफ 70 हजार की प्रति किट थी, लेकिन 70 हजार को नहीं दिया, अपितु पांच लाख प्रति किट की मूल्य पर सप्लाई का ठेका दे दिया उस कम्पनी को जो कि ब्लैक लिस्टेड भी थी। कितना इसमें घोटाला हुआ, चार लाख तीस हजार का घोटाला एक किट में हुआ। इसी तरीके से आर0ओ0 सिस्टम में घोटाला हुआ, 75 करोड़ इसमें व्यय किये गये लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में कहीं भी यह सिस्टम है ही नहीं, देखिये जाकर के अगर कहीं हों। लैप्रोस्कोप एक मशीन है, चालीस करोढ़ की खरीदी गयीं, वह किसी भी हार्ट सेण्टर में नहीं लगीं, सब मशीने स्टोर में पड़ी सड़ रही हैं, जेनरेटर के डीजल में सौ करोड़, प्रचार-प्रसार में 119 करोड़, टैक्सी के मद में बताइये किसी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में कितनी टैक्सियां खरीदी गई ? किसी भी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में टैक्सी हैं ? और जो खरीदी गई आप तक एक नहीं और पेमेण्ट हो गया और टैक्सियां कहीं खड़ी-खड़ी सड़ रही हैं, जब तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी तो टैक्सियां खरीदने की जरूरत क्या थी ? टैक्सियों की जगह एम्बुलेंस मान लें। टैक्सी के बारे में मैं बता चुका हूं, टैक्सियों में भी किया और एम्बुलेन्स में भी किया और टाटा मोटर्स ने 56 करोड़ 36 लाख में 779 एम्बुलेंस दी जिसमें से 159 वाहन जिलों में खड़े हैं और 620 एम्बुलेंस टाटा लखनऊ गोदाम में खड़े सड़ रहे हैं, कमीशन ऊपर पहुंच गया ? तो इस तरीके से घोटाले हुए।

मान्यवर, इसकी एक कापी हम आपको देना चाहते हैं, इसी तरह से बहुत से विभागों में घोटाले हुए हैं, और बहुत से लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि एक कापी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को पहुंच जाय, इसकी जांच हो जाय और हमारी तो मांग है जो जितना घोटाला हुआ है, जो पैसे का गबन हुआ है उसकी एफ0आई0आर0 होनी चाहिए, चाहे मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, इनकी एफ0आई0आर0 होना चाहिए जो गबन हुआ है, जो घोटाला हुआ है और उनको जेल जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। वैसे तो बहुत से मामले हैं इस तरीके के जिसमें हत्याएं हुई हैं, इसमें तो काफी कुछ मैंने बता दिया है और काफी कुछ की जानकारी हम आपको इसकी प्रति के माध्यम से दे देंगे,

अगर पूरे मामले हम यहां रखेंगे तो समय बहुत लग जायेगा, हमारे बहुत से साथियों को भी बोलना है। तो इस पर हमारी दो ही मांगे हैं, इस घोटाले में एफ0आई0आर0 होना चाहिए और इस पर चर्चा करा दो।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सारे नियमों को शिथिल कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें। मेरे पास पूरे इतने डिटेल हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मेरे बुलाने से अधीकारी आ जायेंगे और मुझे कुछ आंकड़ें मिल जायेंगे लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। यह तो मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया है। अधिकारी बुलाने पर भी नहीं आते हैं। मैंने कई बार लिखा भी है। मेरे पास जो यह सूचना है यह मैं आपके पास भिजवा रहा हूं आप मा0 मुख्यमंत्री जी के पास इसे भिजवा दें और जांच करा दें। लेकिन जब मान्यवर मा0 मुख्यमंत्री जी के तार जुड़े हुए हों तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता तो यही है। और यह मेरी मांग है कि इस पर चर्चा करा दें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह दो चीजों पर विश्वास करता है एक तो भगवान पर और दूसरे चिकित्सा व्यवस्था पर। लेकिन मान्यवर प्रदेश सरकार ने एन0आर0एच0एम0 में घोटाला ही नहीं किया है कुछ पैसे का भ्रष्टाचार ही नहीं किया है बल्कि आम जनता के साथ धोखा किया है जो भगवान के बाद चिकित्सा व्यवस्था पर विश्वास करता है। मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अलग-अलग मदों के बारे में बताया। मेरी सूचना के अनुसार यह पूरा घोटाला आठ हजार, साढ़े हजार करोड़ रु0 का है। क्या यह पैसा जो गरीब जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए है वह सब खा जायेंगे ? मान्यवर, एक गरीब महिला जिसे जननी सुरक्षा योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए उसकी डिलीवरी के समय आवश्यक जांचें होनी चाहिए उसको दवा मिलनी चाहिए उसके हास्पिटल तक पहुंचने की सुविधा मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, मैं अलग-अलग मदों में चर्चा न करके शार्ट में मैं अपनी बात कहूंगा। 1400 रु0 जो मिलता है उसमें 'आशा' का भी आधा-आधा बंट जाता है। फिर जो उसको 500-600 रु0 मिलने होते हैं उसमें भी और कैसे खाने को मिल जाये यह सरकार के कर्मचारी चिन्ता करते हैं। आज किसी तरह का कोई भय नीचे तक के कर्मचारियों में नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अधिकारी की कोई शिकायत की जाय तो वह डरता नहीं है क्योंकि उनके तार सीधे ऊपर से जुड़े हुए हैं। तो जब सारे तार उच्चतम स्तर से जुड़े हुए हैं तो घोटाला हो रहा है। दवायें खरीदी जाती है उसमें शिकायतें हैं। यह दवाओं की चर्चा आज ही नहीं हो रही है एन0आर0एच0एम0 में, पिछले वर्षों में भी जब पोलियों ड्राप्स के खराब किस्मों के होने की चर्चा हुई थी तो बात आयी थी कि घटिया किस्म के पोलियो ड्राप्स खरीदे गये। मान्यवर, छोटे बच्चों को जिन्हें पोलियो मुक्त ड्रॉप्स पिलाने की बात की जाती है वह भी नकली निकले और उसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो मान्वयर फिर इससे बड़ी दूसरी बात और कोई नहीं हो सकती है। मान्यवर, जल्लाद आज मिलते नहीं है यदि किसी को फांसी की सजा हो जाय लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से जल्लाद की श्रेणी में आने वाले लोग हैं जो इस तरह से लोगों की बच्चों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की हत्या करते और लोगों के स्वस्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। (शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर जो करते हैं और जो करवाते हैं वह सब इसी एक ही श्रेणी में आते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हास्पिटल के रख-रखाव के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया उसकी बिल्डिंग मेन्टीनेंस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। साज-सज्जा के लिए बड़ा पैसा खर्च किया गया। अभी नियम-300 में हमारे माननीय सदस्य ने एक विषय पढ़ा मैंने भी सोचा यह क्यों पढ़ना चाहते हैं नोटिस ? हास्पिटल से मरीज को उठाकर जंगल में छोड़ आये। यह सुधार है मान्यवर, स्वास्थ्य की सेवाओं में। हमारे कानपुर के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और केवल कानपुर की बात नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में बात पहुंची होगी एक सप्ताह पहले कानपुर के सरकारी उर्सला अस्पताल में मरीज को कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला यह प्रमाणिक है। कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जिसकी सूचना नहीं है जिसकी जानकारी नहीं है ?

मान्यवर, हास्पिटल प्रशासन के पास उन कुत्तों की आवारा कुत्तों की जो मरीज को नोचकर मार रहे हैं उनको भगाने की, उनको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है ? और खर्च कितना हो रहा है हजारों करोड़ रुपया। प्रसव के लिए कोई महिला हास्पिटल जाती है तो उसको भर्ती नहीं करते हैं। नकली दवाएं और घटिया दवाओं को खरीदने का प्रचलन सा चल गया है। अस्पताल में दवा नहीं मिलती, अस्पताल में सीधा कह दिया जाता है कि बाहर से दवा लेकर आओ हमारे पास किसी प्रकार की दवा नहीं है। स्वास्थ्य की चिन्ता भी सरकार नहीं कर सकती, जानमाल की चिन्ता सरकार नहीं कर सकती, रोजी-रोटी की चिन्ता सरकार नहीं कर सकती तो यह सरकार है किसलिए ? क्यों आये यहां पर चुनकर क्यों हम यहां सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठे हुए हैं क्या है हमारी जिम्मेदारी ? मान्यवर, मन के अन्दर गुस्से के साथ बहुत पीड़ा है। सोचना चाहिए इन सब बातों को। जो जिम्मेवारी हमें जनता ने दी है अगर हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तो हम अपने आप के साथ भी पाप करने का काम करते हैं। कुछ पैसे को इकट्ठा करके उस पैसे की भूख कहां तक हमको ले जायेगी ? एक सीमा होती है खानी दो ही रोटी है और उस सीमा के बाद आपके पैसे का कोई महत्व नहीं है उसके बाद सड़क पर चलने में गरीब आदमी आपकी इज्जत नहीं करना चाहेगा। मान्यवर, यहां पर हमको आपको सबको मालूम है कि पहले जिले में एक सीएमओ होता था। एक सीएमओ परिवार कल्याण का अतिरिक्त पद सृजित कर दिया गया। अब वहां पर जिले में रहने वाले डाक्टर्स को दो सीएमओ की बात माननी पड़ती है एक सीएमओ की तो जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके नाते माननी पड़ती है और दूसरे सीएमओ से हिसाब किताब करना पड़ता है इस नाते से माननी पड़ती है। क्या जरुरत थी। मान्यवर, जिस समय यह मुकदमा हुआ, यह बात सामने आई उस समय इस सदन के दो माननीय सदस्यों को जो माननीय मंत्री थे उन पदों पर बैठे हुये थे उनको हटा दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन माननीय मंत्रियों को इसके कारण हटाया गया था उनका कसूर क्या था यदि उनका नहीं कसूर था तो उनको हटाया क्यों गया और यदि उनका कसूर था तो उनको क्या सजा मिली है यह सदन के सामने बात आनी चाहिये। अगर किसी को हटाया गया तो कुछ न कुछ कारण होगा वह कारण क्या था ? केवल लीपापोती कर अपनी बात को दूसरे तक ट्रांसफर करने तक सीमित था तो उनको हटाया कि अपनी जिम्मेदारी से वह व्यक्ति बच जाय और किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाकर उसको चढ़ा दिया गया यह कारण था या वास्तव में उनका इनवाल्वमेन्ट था अगर इनवाल्वमेन्ट था तो सजा मिलनी चाहिए अगर उनका इनवाल्वमेन्ट नहीं था तो उनको हटाया नहीं

जाना चाहिये था। कोन बतायेगा कि इसके पीछे कौन था। मान्यवर, आज पिछले दिनों एक सीएमओ की हत्या कर दी गयी सुबह टहलने के लिये निकले थे उसके थोड़े दिन बाद आर्या की हत्या कर दी गयी उसके थोड़े दिन बाद डा0 वी0 पी0 सिंह की हत्या कर दी गयी। हर चीज अखबार में दे करके सरकार ने कहा कि यह-यह चीजें जांच में सामने आ गई हैं। तीसरी बार एक डिप्टी सी0 एम0 ओ0 डा0 सचान की हत्या कर दी गयी जेल में, उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी यहां से जेल हटायी गयी थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं अन्यथा अलग विषय हो जायेगा। अत्याधुनिक मांडल सुविधाओं से युक्त जेल बनायी गयी, माडल सुविधायें क्या थीं सरकार के मानकों के अनुसार यदि जेल के अन्दर किसी की हत्या हो गई तो वह न तो किसी सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरे में आयेगा, न वह व्यक्ति आता नजर आयेगा न जाता नजर आयेगा। मान्यवर, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है, सड़क पर चलते एक डाक्टर की हत्या हो जाती है तब भी सरकार की जिम्मेवारी हो गई कि दोषियों को सजा दे और एक भवन के अन्दर जिसे जेल कहते हैं जिसके अन्दर लिमिटेड लोग रहते हैं, कौन आया और कौन गया, मान्यवर, बिना लिखा-पढ़ी के कोई व्यक्ति न तो अन्दर आ सकता है और न ही कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। अगर इस सदन के मा0 सदस्य भी कभी जेल विजिट करने गये होंगे तो उनकी भी लिखा-पढ़ी होती है, दस्तखत होते हैं तभी उन्हें अन्दर जाने दिया जाता है। मान्यवर, जब एक स्थाान पर चिन्हित लोग एकत्रित हैं उसके बाद अगर जेल में हत्या हो जाती है और हत्या के डेढ़-दो महीने बाद भी हत्यारे पकड़े नहीं जाते तो कहीं न कहीं शंका होती है कि कहीं हत्यारों को सरकार का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। कौन पकड़ेगा उन्हें, क्या इससे असुरक्षा का भाव हर व्यक्ति के अन्दर व्याप्त नहीं हो जायेगा। अब इसके बाद कौन से डाक्टर का नम्बर आयेगा कौन से व्यक्ति का नम्बर आयेगा, इन 6 महीने में और क्या-क्या होगा यह कहना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मान्यवर, यह सम्पूर्ण जांच का विषय है, सम्पूर्ण अपराध का विषय है और जनता के विश्वास का विषय है। मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा कराने की आप कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक तरफ तो मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इस विषय की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है लेकिन मैं बहुत दुःखी भी हूं कि आज आजाद भारत में एक ऐसे विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपसे अनुमति लेनी पड़ी है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया है। मान्यवर, लूट तो लूट है लेकिन जब कफन लूटा जाता है, जब कफन की चोरी होती है तो मान्यवर, आत्मा हार जाती है। एक तरफ तो कहा जाता है कि केन्द्र सरकार से हमें पूरी सहायता नहीं मिलती, योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। लेकिन मान्यवर, केन्द्र सरकार की एक योजना को किस तरह से लूटा गया है, अभी मा0 नेता विरोधी दल ने आंकड़े रखे, मैं भी लेकर आया था लेकिन कहना नहीं चाहूंगा मैं उनके द्वारा रखे गये आंकड़ों से अपने को सम्बन्ध करता हूं। अभी महाना जी ने कुछ तथ्य रखे, मैं उनको भी नहीं दोहराना चाहता हूं। लेकिन मेरे मन में एक

सवाल आता है कि क्या लूट की कोई सीमा होगी या लूट कुछ इस तरह होगी कि गरीब व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, जो असहाय हैं उनको पैसा भेजा जाता है क्या उसकी भी लूट होगी और कितनी होगी, मेरे हिसाब से तो करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए जो केन्द्र से चलकर आया और प्रदेश ने उस पैसे को रोगियों, मरीजों तक नहीं पहुंचने दिया बल्कि खुद कुछ लोगों ने उसे लूट लिया। यह लूट तो हजारों में हैं लेकिन जब पैसा नहीं पहुंचा, दवाएं नहीं पहुंची, एम्बुलेन्स नहीं पहुंची तो वह अरबों रुपए में पहुंच गया और जो जानें चली गई इस लूट की वजह से उसका जिम्मेदार कौन है ? यदि कोई जिम्मेदार नहीं है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए दोषी ठहराता हूं। काश यह दवाएं, काश यह उपचार का सामान, काश यह पैसे लूटे न गये होते तो। तो उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों की हम जान बचा सकते थे। अरे लूटने से पहले सोच तो लेते कि जो तुम लूट रहे हो, वह किसका लूट रहे हो। जो निसहाय, गरीब रोगी हैं, उनकी दवाओं को बाजार में बेच रहे हो, क्या इससे बड़ा भी कोई पाप हो सकता है। उनकी खरीदी गई दवायें, जो कभी खरीदी ही नहीं गयीं, जो केवल कागज पर खरीद होती रही, अगर उसको लूट रहे हो तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा अपराध होगा मान्यवर, जो अक्षम्य है, जिसकी सजा शायद हिन्दुस्तान के कानून में न हो लेकिन कहीं ऊपर के कानून में जरूर होगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मान्यवर, कि हर हत्या के पीछे एक मोटिव होता है, कोई हत्या यूं ही नहीं हो जाती रास्ते चलते, बल्कि हर हत्या के पीछे कोई मोटिव होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले हत्या हुयी थी डा0 आर्या की, 27 अक्टूबर, 2010 को, बिल्कुल उसी हालात में, लगभग वैसे ही हथियार, लगभग वहीं समय, उसके बाद मान्यवर, डा0 विनोद आर्या की हत्या की चर्चायें भी अभी खत्म नहीं हुयी थीं कि 2 अप्रैल को बी0 पी0 सिंह की हत्या गोमती नगर में हो जाती है, पहले विकास नगर में हुयी थी यह दोनों हत्यायें सिर्फ 6 महीने के अंदर हुयी। उसके बाद अभी 22 जून को जेल में डा0 सचान की हत्या हुयी। मान्यवर, मैं इसकी कड़ी जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, इसके पीछे कोई मोटिव तो था जिसके पीछे पहले एक सी0एम0ओ0 मारा गया, फिर दूसरा सी0एम0ओ0 मारा गया और फिर तीसरा, जब दूसरे दिन बयान देने जा रहा था तो उसे जेल के अंदर मार दिया गया। आखिर किसने मारा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर सड़क पर मारा गया तो कानून व्यवस्था गड़बड़ है और अगर जेल के अंदर मारा गया तो आपकी सरकार की नीयत गड़बड़ है इसे जरा समझना पड़ेगा। सरकार और पुलिस कस्टडी में राजधानी की जेल में कोई मारा जाये, तो मान्यवर, मुझे भी थोड़े दिन हाईकोर्ट में वकालत करने का अनुभव है, मैं खुद कुछ चीजें समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर कोई गुत्थी को सुलझा दो तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, मैं सचान जी की बात करता हूं, जो मारे गये, उनको आठ चोटें थीं। आठ चोटों में सात चोटें शरीर के विभिन्न हिस्सों में थीं और कहा जाता है मान्यवर, कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेडिकल ज्यूरिस के इतिहास में आज तक किसी आत्महत्या करने वाले ने सात-आठ चोटें अपने को नहीं पहुंचाई। केवल एक या दो ही पहुंचाई। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उसने आत्महत्या कर लिया तो जिस हथियार से उसने आत्महत्या की थी, वह हथियार आज तक क्यों नहीं मिला। सड़क पर नहीं था जो कोई उठा ले गया, यह जेल के अन्दर की घटना है। क्या जिसने आत्महत्या की, उसने आत्महत्या करने के बाद उस हथियार को भी छिपाकर रख दिया। अब मान्यवर, उस आखिरी चोट के बारे में कहना चाहता हूं, पहले उन सात चोटों के बारे में बता दूं कि इन चोटों की सीट आफ इंजरी, जहां चोट लगी है, और जिस तरह की चोट लगी है, वह ब्लेड से नहीं हो सकती। वह यातना पहुंचाने के लिये, टार्चर करने के

लिये किसी कसाई के चाकू का इस्तेमाल किया गया है। या तो मान्यवर, स्कप्लर जो आपरेशन में लगता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। मान्यवर, आखिर क्या इरादा था, उसको एक झटके में भी तो मारा जा सकता था। आखिर क्यों पहुंचाई गयी उसको आठ चोटें। इसलिये कि यातना देने के पीछे उसको रोकने का इरादा था, कल तुम मत बोलना, एक मारी, दो मारी, तीन मारी, यानि कि उसको यातना देकर समझाने की कोशिश की गयी कि अब भी संभल जा लेकिन वह नहीं समझा तो वह आज हमारे बीच नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है वह ब्लेड, जिससे उसने आत्महत्या की और दूसरा सवाल मै पूछना चाहता हूं, उससे आपकी भी आत्मा कांप जायेगी। यह सात चोटें एंटीमार्टम हैं और आठवीं चोट पोस्टमार्टम है। यहां कई डाक्टर बैठे हैं, एंटीमार्टम का मतलब है जो मरने के पहले पहुंची और पोस्टमार्टम का मतलब है जो मरने के बाद पहुंची हों जब खून का थक्का जमना शुरू हो गया उसके बाद चोटें आयी। हिन्दुस्तान का जो जलवायु है, टेम्परेचर है उसमें कम से कम डेढ़-दो घण्टे खून जमने में लग जायेगा। यानि 7 चोटें पहले पहुंचायी, 8वीं चोट में, गले में फांसी बेल्ट की चोट है। मान्यवर, मैं बधाई दूंगा। इस सरकार को कि जिन्दा लोगों को स्वस्थ चलाना चाहिये, पर वाह रे गजब की सरकार कि तुम तो मुर्दा लोगों को भी चला देते हो, मरने के एक घण्टा बाद वह उठता है, बेल्ट लगाता है और लटक जाता है और उसके बाद आपकी सरकार ढेढ़ दिन तक, दो दिन तक उन पापियों की रक्षा करती रहती है। क्या जरूरत थी आपको उसे आत्महत्या, आत्महत्या कहने की। क्या आपको किसी ने टेक्निकल राय नहीं दी कि यह हत्या है। मत उसकी सुरक्षा करो, क्यों उस पाप के फंदे में आपने अपना गला डाल दिया। एक साधारण सा डाक्टर, एक साधारण सा मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेन्स का ज्ञानी बता देता कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, आप कहते रहिये कि हत्या नहीं, आत्महत्या है।

मान्यवर, यह बहुत वीभत्स है। पहले होता था, अपराधी जब भागता था, डरता था तो जेल इसलिये चला जाता था कि उसे सुरक्षा मिल जाया करती थी। अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है। जेल में डिप्टी सी0एम0ओ0 का मर्डर होता है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विषय में यह न सोचें कि आपकी सरकार है इसलिये आलोचना कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस घटना से जितनी जल्दी आप अपने को अलग कर लें, उतना ही आपके लिये भी ठीक है, इस घटना को आप बढ़ायेंगे तो बढ़ती जायेगी। आप कह सकते हैं कि मैं इस हत्या की बात कर रहा हूं। मैं उसके मोटिव पर आ रहा हूं। मान्यवर, तीन-तीन हत्यायें हुई है, कौन है जिसको बचाने के लिये तीन हत्यायें, दो सी0एम0ओ0 और एक डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 8 हजार से 10 हजार करोड़ रुपये की लूट में यह हत्यायें करायी गयी है। भारत बहुत प्रगति कर गया है, आप 70 साल की महिला से भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, आपकी सरकार को बधाई, जिनको आपने योजना में पैसा दिया है उसकी उम्र 70 साल है। वाह रे आपकी सरकार की प्रगति, आपकी सरकार का विकास, आपकी सरकार की तरक्की, आपकी सरकार का जलाल। मान्यवर, मैं अगर आपसे बात करूं, मुझसे कहें तो मैं साफ-साफ शब्दों में कहूंगा कि एन0आर0एच0एम0 के लूट के बंटवारे में ये तीनों हत्यायें हुई है, चोरी के माल के बंटवारे में ये हत्यायें हुई हैं। शर्मनाक है कि आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सी0बी0आई0 की जांच हो रही है, लेकिन क्या आप सी0बी0आई0 की जांच सीधे मान गये। आपने तो हर कोशिश की कि डा0 आर्या के मर्डर की जांच न हो, आपने हर कोशिश की कि डा0 सिंह की हत्या की जांच न हो। आपने एडीशनल एडवोकेट जनरल से लेकर एडवोकेट जनरल तक

को खड़ा कर दिया और जब कोर्ट ने फटकारा, मैं बधाई देता हूं न्यायपालिका को, जब उन्होंने फटकारा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जाईये और कार्यवाही करिये। जब आप पकड़े गये तो आपने एक दिन पहले चिट्ठी लिख दी की कि हम सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति करते हैं। जिस दिन यह हत्या हुई थी, जिस दिन विधवा से मिलने गये थे अगर उसी दिन सी0बी0आई0 जांच के आदेश कर दिये होते तो आपकी यह स्थिति न होती। आज भी आप गलती कर रहे हो, आप एन0आर0एच0एम0 के घोटाले को लखनऊ तक सीमित रख रहे हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर दामन साफ है तो पूरे उत्तर प्रदेश के एन0आर0एच0एम0 के बारे में जांच सी0बी0आई0 के हवाले कर दो और अगर नहीं करोगे तो भी यह जांच होगी होगी, होगी और हम इसे करायेंगे। लेकिन हम आपको मौका देते हैं कि जो गन्दे एलीमेन्ट हैं उनको निकालकर बाहर कर दो। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि बिना न्यायालय के निर्णय के, जांच के दोषी ठहरा दूं लेकिन जांच का अधिकार हमें है। अब आप क्या कह रहे हैं कि हम 'कैग' से जांच करवायेंगे। दो सी0एम0ओ0 और एक डिप्टी सी0एम0ओ0 मार दिये गये अब एकाउण्टेट जनरल जांच करेगा। अरे कहना मान लो, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का सिर शर्म से झुक चुका है, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गये हैं। अभी भी आपसे आग्रह करूंगा कि इन्हीं सी0बी0आई0 जांच के साथ एक पत्र लिखवा दें कि एन0आर0एच0एम0 का जितना पैसा पिछले चार साल में आया उसकी जांच हम सी0बी0आई0 के हवाले करते हैं और अगर सी0बी0आई0 उचित समझे तो उसमें यह संशोधन कर दो कि वह कैग की भी सहायता ले सकते हैं।

राय साहब लगता है कि आप कुछ कह रहे हैं अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। आप बैठे-बैठे बोलते हैं। हम तो आपकी सरकार के खिलाफ बोलने के लिये खड़े हुये हैं। आप कह रहे हैं तो आप 2005 से करा लें इसी पर सहमत हो जायं कि 2005 से जितना एन0आर0एच0एम0 का घोटाला है उसकी सी0बी0आई0 जांच करें और सी0ए0जी0 उसकी सहायता करे। मैं फिर कह रहा हूं इशारा कर रहा हूं कि जांच होगी सी0बी0आई0 करेगी पर आप तब कराओगे जब आपके बिल्कुल लगे दम हो जाएगा आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं तब आप चिट्ठी भेज देंगे। यह जांच होगी मान्यवर, मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं एन0आर0एच0एम0 घोटाले की दुर्गन्ध जब दिल्ली तक फैली तो हमारे नेता राहुल गांधी गये उन्होंने आपके यहां बैठकर इस पर प्रश्न पूछा प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा था प्रश्न का जवाब देने से आप इन्कार कर रहे थे जो सूचना का अधिकार एक साधारण आदमी को है वह जब गये तो उनको भी आपने मना कर दिया और कहा कि इतना खर्चा आएगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लूट और जो जो कहना चाहिये कह दीजिये लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आइए इसमें हम दलों से ऊपर उठकर सरकार में थोड़ी मानवीयता आए और जो यह कफन की चोरी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

जो इसमें कफन की चोरी हुई है जो सीधे-सीधे गरीबों का बीमार रोगियों का किया गया है उसको न्याय दिलाइए इसको पैसा खर्च कराइए वरना एक सवाल आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से सरकारें चल रही थी यह दो सी0एम0ओ0 आपने क्यों रखे हमें यह बता दीजिए स्वास्थ्य अलग परिवार नियोजन अलग क्यों। इतनी सरकारें आती रही एक सी0एम0ओ0

से काम चलाती रही लेकिन दो सी0एम0ओ0 रखे गये मान्यवर, मैं बहुत दुखी और व्यथित मन से यह तथ्य इसलिये रख रहा हूं सुझाव के रूप में भी कह रहा हूं कि सरकार को दृढ़ता से काम करना चाहिए यह ऐसा दाग है जो धोए नहीं धुलेगा आपको उस हिस्से को काटकर बाहर करना पड़ेगा जो कैंसर आ गया है नहीं करेंगे तो पूरे शरीर में यह कैंसर फैल जाएगा और आपकी सरकार को ले डूबेगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि एन0आर0एच0एम घोटाले की पूरे के लिये मामले की सी0बी0आई0 जांच हो और आवश्यकता पड़े तो सरकार इसमें कठोर कदम उठाए।

*श्री कोकब हमीद खां-

मान्यवर, अफसोस कि हम इस सदन में एक ऐसे मामले में चर्चा कर रहे हैं जिसको सोचकर सुनकर परेशानी हो रही है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एन0आर0एच0एम0 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिये उत्तर प्रदेश उन सूबों में है जहां 60-70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। और उसमें से हमारी बदकिस्मती भी है कि उत्तर प्रदेश में 40 फीसदी आदमी गरीबी रेखा में नीचे है। हम उन प्रदेशो में नहीं बन पाए जहां तरक्की करके लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया हो। हम नीचे जा रहे हैं और अगर भारत सरकार 9000 करोड़ रुपया चार-पांच साल में देती है। इन 5 साल के अन्दर। तो हम योजना बनाने लगे। यह योजना न बनायें कि इनकी देखरेख कैसे होगी, इसका इलाज पर कैसे खर्च होगा ? इनको कैसे बेहतर सुविधायें दे सकते हैं यह नहीं किया हां यह योजना जरूर बनाई कि यह खाया कैसे जाय। इसको अपने गरीबों में न पहुंचे, मरीजों में न पहुंचे। वैक्सीन न मिले, दवाएं बाहर बिकने लगे और अस्पताल खाली हो जाय। यह योजना न बने कि इसमें दवाएं मिल जाएं। हां यह योजना जरूर बने कि यह पैसा आ गया है इसका बंटवारा कैसे हो ? एक सी0एम0ओ0 एक जमाने से चला आ रहा था। कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सोचा गया कि एक से तो काम चलेगा नहीं। इतना बड़ा पैकेज खाने के लिये दो सी0एम0ओ0 तो कम से कम हो चाहिये तो आपने एक सी0एम0ओ0 परिवार कल्याण का बना दिया और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से पैसा खाना पीना शुरू हुआ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दो सी0एम0ओ0 और एक डिप्टी सी0एम0ओ0 मारे जायं, जनता में हाकाकार मचे और सरकार इस बारे में गौर भी न करे। मान्यवर, 2010 में डा0 आर्य की हत्या हो जाती है और उस दौर का टाइम देखिये सरकार को कोई चिन्ता नहीं है कि उसका स0एम0ओ0 क्यों मारा गया। कोई चिन्ता नहीं है मान्यवर उनको कोई परेशानी नहीं है। मान्यवर इसके बाद 2 अप्रैल को डा0 बी0पी0 सिंह की हत्या हो जाती है। मान्यवर, सरकार कुछ तो सोचती लेकिन इनको क्या दिक्कत है। दो सी0एम0ओ0 जहां पैसा बाहर से आ रहा है, सी0एम0ओ0 की हत्या हो रही है आपको कुछ तो सोचना चाहिये था, कुछ तो करना चाहिये था। हां आपने इसके बाद यह मान लिया और आपने खुद अपने दो मंत्री हटाये। इससे आपने यह साबित कर दिया, यह मान लिया कि हम कुसूरवार हैं। जब मान रहे हैं कि हम कुसूरवार हैं तो मान्यवर, सरकार को बकायदा इस्तीफा दे देना चाहिये था। अगर यह नहीं मानते हैं कि हम कुसूरवार हैं तो आपने दो मंत्री क्यों हटायें ? उनका कुसूर क्या था ? मान्यवर, इसके बाद फिर डिप्टी सी0एम0ओ0 की 22 जून को जब वह अदालत में बयान देने जाने वाले थे, उनकी हत्या हो जाती है और कहा जाता है कि उसने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आत्म हत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। मान्यवर, खुदकुशी कर ली उसने। मरके भी कर ली उसने उसके आठ नौ जख्म भी हुये कुछ जिन्दा के हुये, कुछ मर के हुये और सरकार चिन्तित नहीं और सरकार बकायदा मना करती रही कि हम सी0बी0आई0 इनक्वायरी नहीं चाहते। हम तो खुद सक्षम हैं। हमारी पुलिस खुद तय कर लेगी कि यह कैसे मरे ? हम तो सी0बी0आई0 जांच नहीं करायेंगे। जब कोर्ट ने कहा तो यू टर्न हुआ और कहा कि नहीं हम तैयार हैं। मान्यवर, यह सोचने की बात है कि आखिर 8-9 हजार, करोड़ रुपया किस तरह से खत्म कर दिया गया। न तो एक्बुलेंस कहीं आई न गई टैक्सी या एम्बुलेंस तो भी हैं। कोई वैक्सीन नहीं है। मैं दावे के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि आप अभी एक टीम बनाये और भेंजे किसी भी जगह जहां आप समझें। वहां जाकर देंखे लें कि आज क्या हालत है। क्या चीज वहां आज मिल रही हैं तो वह सारे का सारा पैसा खा गये। जब पैसा खा गये मान्यवर, तो यह नतीजा तो होना ही था। तो मान्यवर, इससे बहुत साफ सी बात है मान्यवर, कि इतना शर्मनाक, इतना गलत एक सरकार बकायदा बैठकर योजनाबद्ध तरीके से हत्याएं करवायें और हत्या कराकर पैसा किस तरह से लूटा जाय बकायदा लूटने का तरीका बनाये और ऐसे नहीं मान्यवर कि 4-5 साल से योजना बनी कि यह तरीका खाने का क्या बनेगा। मान्यवर मैं इस मत का हूं कि इसकी पूरी जांच कराई जाए और मैं सरकार से कहता हूं क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है आप न आवेंगे तो कोई दूसरा आयेगा, यह परम्परा चलती रहेगी लेकिन यह सदन रहेगा और कम से कम इस तरह की शर्मनाक डिबेट से हम बच सकेंगे आप पूरे प्रदेश की सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी करायें कि यह नौ हजार करोड़ रुपया कहा चला गया कैसे चला गया ? यह हत्यायें किस तरह से हुई ? मैं तो इसको योजनाबद्ध तरीके से कराई गई हत्यायें मानता हूं कि पैसा खा लिया जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पूरी धांधली पर चर्चा कराई जाए।

(श्री आर0 के0 चौधरी का नाम पुकारा गया)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दो लोग हैं बुलवा लें यह अमानवीय जघन्य कृत्य है और सरकार की तरफ से हत्या को छिपाने की कोशिश की गई इसमें दो-तीन लोग एक-एक दल से बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष-

अगर माननीय दल के नेता की पूरी जानकारी न हो तो दूसरे लोग उनके समर्थन में बोल दें। लेकिन अगर वह पूरी घटना को जान रहे हैं सब बातें आ गई तब क्या बात है। चर्चा नहीं हो रही है कि सबको बुलायें।

(श्री राम विशुन आजाद के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये आप। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। विषय गम्भीर है पूरे देश में लोग बीमार होते हैं वह दो तरह के होते हैं एक तो वह लोग है जो सम्पन्न लोग है और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं लेकिन देश में बड़े पैमाने पर गरीब, निरीह,

कमजोर, पिछड़े लोग हैं, यह लोग अगर सरकारी अस्पताल न हो तो इनका इलाज नहीं हो पाएगा। हमें लगता है यही सोचकर केन्द्र सरकार ने एक योजना बनाई 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' इससे देश के कोने-कोने में कितना लाभ हो रहा है यह मैं नहीं कहूंगा लेकिन इस योजना का उत्तर प्रदेश में धन को लूटा जा रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस योजना का बंदर बांट हो रहा है और लम्बे समय से हो रहा है सबसे दुख की बात यह है कि बंदर बांट में शासन सत्ता के शीर्ष बैठे लोग संलिप्त है। मान्यवर, अगर बड़े पैमाने पर शीर्ष पर बैठे लोग इस लूट में शामिल है तो निश्चित रूप से इसका असर प्रदेश के अन्य हिस्सों में पड़ा है अस्पताल में पड़ा है अस्पतालों में न दवा है न उपकरण है न सामान है। बल्कि जगह-जगह जो डाक्टर तैनात हैं उनका रवैया इतना खराब है जिसका नमूना अभी इलाहाबाद के साथी ने अपनी सूचना के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। मान्यवर, इलाहाबाद में स्वरूप रानी अस्पताल में डाक्टरों ने दो गरीब मरीजों को जंगल में फिकवा दिया। सुल्तानपुर में जिला अस्पताल से एक गरीब व्यक्ति के हाथ का आपरेशन हुआ और कटा हुआ पंजा कुत्ते ने खा लिया। यह इसलिये कह रहा हूं कि ऊपर बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है और उसका असर नीचे भी पड़ रहा है। मान्यवर प्रदेश सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना' का घोटाला और तीनों सी0एम0ओ0 की जो हत्या हुई है सरकार उस पर पर्दा डालने पर लगी हुई है।... पूरे प्रदेश में चर्चा है कि इस सरकार में 'गुण्डा राज, कमीशन खोरी, लूट मची है सीना जोरी'। मान्यवर, तीन हत्याएं हो गयी और यह हत्याएं आसानी से नहीं हो गई बल्कि लखनऊ के सी0एम0ओ0, परिवार कल्याण, डा0 विनोद आर्य की हत्या 27 अक्टूबर, 2010 को विकास नगर में कराई गई। मान्यवर, दूसरे सी0एम0ओ0, परिवार कल्याण, डा0 बी0पी0 सिंह 2 अप्रैल, 2011 को गोमती नगर में हत्या के शिकार हो गए, उनकी हत्या कराई गई। हमारे दलीय नेताओं ने काफी कुछ कह दिया है।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, डिप्टी सी0एम0ओ0, डा0 सचान साहब आरोपी बनाये गये, घोटाले में भी, हत्याओं की साजिश में भी, जेल भेजे गये। डा0 बी0पी0 सिंह की हत्या के मामले में एस0ओ0, गोमती नगर जेल में बयान लेने गये थे, बयान देते समय डा0 सचान के मुंह से निकला कि मुंह मत खुलवाइये वरना इस मामले में हम नीचे से ऊपर तक के नाम लेंगे। मान्यवर, 23 जून को माननीय न्यायालय में पेशी थी, 23 जून आए, उसके पहले ही 22 जून को उनकी हत्या करा दी गई। मामला इतना गम्भीर है, बड़ा है, मेरा सीधा आरोप है कि इस बन्दरबांट में, घोटाले में, हत्याओं में नीचे के लोग नहीं, कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, दबंग गुण्डे शामिल है, माफिया शामिल है और शीर्ष स्तर से जो सत्तापक्ष के नेता बैठे हैं, वह भी शामिल है। मान्यवर, अगर इन्हें बचाने की प्रक्रिया न होती, सत्तापक्ष द्वारा इन अपराधियों और घोटाले में शामिल लोगों को न बचाना होता जैसा शुरू से ही इस मामले में सरकार भी और पुलिस के लोग भी यही कहते रहे कि डा0 सचान की हत्या नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। इसके अलावा इस मामले में डा0 सचान के साथ-साथ एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी और भी थे, उन पर भी बराबर का चार्ज लगाया गया था, घोटालों के मामले में और हत्याओं के मामले में लेकिन क्या कारण था कि डा0 सचान को जेल भेज दिया गया और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को जेल नहीं भेजा गया ? निश्चित तौर पर सरकार और पुलिस दोनों ही सन्देह के घेरे में है। इसके अलावा शुरू से ही पुलिस ने यह रट लगाई थी कि हम एम0आई0टी0 से जांच करायेंगे, सी0बी0आई0 जांच नहीं करायेंगे। बल्कि सी0बी0आई0 से जांच कराने की जो याचिका

पब्लिक की ओर से दायर की गई थी, उसमें सरकारी वकील ने बार-बार अनुरोध किया था कि हम मामले की सी0बी0आई0 जांच न कराई जाए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस इतनी काबिल है कि डा बी0पी0 सिंह की हत्या के बाद उनके शव से 5 प्लेट्स मिले, अभियुक्तों के पास से पिस्तौल मिली, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जानी चाहिये थी लेकिन नहीं कराई। क्या कारण था कि उनकी जांच नही कराई गई ? इसी तरह से डा0 आर्य की हत्या के बाद उनके शव के पास से एक प्लेट मिला, हत्या में उपयोग की गई पिस्तौल भी बरामद हुई लेकिन उसकी फोरेन्सिक जांच नहीं कराई गई। मान्यवर, वाई0एस0 सचान की लाश के स्थान से यद्यपि तत्काल कोई हथियार बरामद नहीं किया गया, शरीर पर कुल 9 घाव मिले, 8 घाव हत्या के पहले के थे, 1 घाव हत्या के बाद का था। यह हत्या कैसे हुई इसको पता लगाने के लिये बिसरा को प्रिजर्व करना चाहिये था लेकिन बिसरा प्रिजर्व नहीं कराया गया। मान्यवर, मेरा सीधा आरोप है कि इसमें सरकार के लोग शामिल है, अधिकारी भी शामिल हैं, दबंग ठेकेदार भी शामिल है। सरकार को चाहिये था कि वह पहले ही इस मामले की सी0बी0आई0 जांच किये जाने की सिफारिश कर देती। मामला हाईप्रोफाइल का है। मैं चाहूंगा कि इस मामले पर सदन में चर्चा करायी जाये जिससे चन्द लोगों को ही नहीं बल्कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले और इसका हल निकले। अगर प्रदेश सरकार और पुलिस इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी तो पूरा प्रदेश वैसे भी चौपट है और भी चौपट हो जाएगा। मैं मांग करता हूं कि सदन में इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, माननीय ओम प्रकाश सिंह जो, माननीय सदस्यों के अनुरोध पर हमने निर्णय लिया था कि सत्र का समय सूक्ष्म है तो अधिक से अधिक माननीय सदस्यों की समस्यायें सुन लें। अभी लगभग 10-12 सूचनाऐं है, जबकि नियम 56 में इतनी सूचनाएं नहीं ली जाती थी। सिर्फ दो सुनी जाती थी, शेष पर ध्यानाकर्षण होता था। लेकिन तब भी मैंने सोचा कि इनकी सूचनाओं को सुन लिया जाये। इस पर सभी दलों के सम्मानित नेता बोल चुके हैं। अगर आप समयबद्ध कर सकें क्योंकि आगे और भी सूचनाएं है उन पर भी विचार आ सकें। मैं बस इसीलिये कह रहा था। हमारा यह मतलब नहीं था कि कोई और नहीं बोलने पाये। एक सूचना पर हर दल के कम से कम 15-20 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। अब यह दावा पेश करें कि मेरा नोटिस पर हस्ताक्षर है मुझे भी बोलना है। अब मैं आप ही से अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें यह स्थिति है।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, एक डाक्टर को सुन लें।

श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा-

मान्यवर, एक महिला को भी सुन लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपके चैम्बर में तो यह तय हुआ था कि हर दल से नेता बोल लेंगे और नेता का प्रतिनिधि और एक और बोल लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं यह नहीं तय हुआ था।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अब इसका कोई लिखित तो है नहीं। सत्तापक्ष तो यह चाहेगा ही कि इस पर चर्चा न हो। यह तो आपकी उदारता थी मान्यवर कि आपने चर्चा स्वीकार कर लिया। वर्ना यह तो चाहते ही नहीं थे कि चर्चा हो। जैसे सी0बी0आई0 इंक्वायरी नहीं चाहते थे वैसे ही चर्चा नहीं चाहते थे। मान्यवर, कम से कम इस पर 2-2, 3-3, लोग बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

समय-सीमा का निर्धारण तो मैं कर सकता हूं। मुझको अधिकार है। मैंने अभी दल के नेताओं को समय-सीमा निर्धारित किया था कि 10-10 मिनट में अपनी बात रख दें। नेता प्रतिपक्ष के लिये हम कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हाथ उठाया जा रहा है, एक-एक दल के 10-10 लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आगे की सूचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं है उस पर भी सदन में बातें आ जाये। उस दिन तो तय हुआ था कि हर दल के लोग अपनी बात रख देंगे। लेकिन 2-2 मिनट की समय-सीमा निर्धारित कर रहा हूं तो 4-5 दल के लोग हैं अगर एक-एक पर आप सहमत हों तो बोलें नहीं तो माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करें। 2-2 मिनट में आप अपनी बात रख दें इतना मैं कर सकता हूं। आप अपनी तरफ से एक-एक सदस्य बुलवा दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हर दल के एक-एक सदस्य को 5-5 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

हमको कोई एतराज नहीं है। मैं तो आपके एडजस्टमेंट के लिये अनुरोध करता हूं। मैं तो खुद सुबह 10.00 बजे से बैठा हूं कि कहीं हमारे दलीय नेताओं को किसी तरह का कोई अवरोध न हो। किसी तरह का कष्ट न हो। मैं खुद कहीं न कहीं आपको सुनने के लिये और सम्मान देने के लिये बैठा रहता हूं। आप 5-5 मिनट कहेंगे, 6 नेता बोलेंगे तो 25-30 मिनट हो जाएगा। ज्यादातर बातें आ गयी है अगर 2-2 मिनट में अपनी बात रख दें। आगे इन्हीं लोगों की नियम 56 में सूचनाएं है अगर इनको नहीं सुनेंगे तो सब लोग दुखी होंगे कि आपने हमारी सूचना को सुनने के लिये लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आज सदन 10 बजे तक चला दें।

श्री अध्यक्ष-

चला दें 10 बजे तक, हम तो सुनने के लिये तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपने सदन 2 बजे तक चलाया है। चलिये, एक-एक सदस्य दो-दो मिनट में बोल लीजिये।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एन0आर0एच0एम0 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना लागू हुयी उत्तर प्रदेश में। 2005-06 से इसकी शुरूआत हुयी है और उसके पीछे मकसद यह था कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे नीचे की कतार में खड़ा हुआ है, जो सबसे नीचे है जहां मातृत्व

मृत्युदर सबसे ज्यादा है, इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा मृत्युदर है तो वह उत्तर प्रदेश में है जो 359 माताओं की मृत्यु हो जाया करती है और वहीं पर हिन्दुस्तान में यह आंकड़ा 212 का है। उसी तरह से शिशु मृत्युदर में भी हम सबसे ऊपर हैं और हिन्दुस्तान का जो आंकड़ा है तो अगर उत्तर प्रदेश में 59 है तो देश का आंकड़ा 50 का है। लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षी योजना में प्राप्त धनराशि को सुनियोजित, संगठित और संस्थागत तरीके से लूटने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नीचे ऊपर तक लोग इसमें हिस्सेदार रहे हैं। मैं पी0एम0एस0 से जुड़ा हुआ रहा हूं, डॉक्टरों के बारे में कुछ बातें यहां पर आयी है, जिन डाक्टरों ने इस प्रकार का अमानवीय आचरण किया है, मैं उसकी भी निन्दा करता हूं। डॉ0 बी0पी0 सिंह ने पी0एम0एस0 में हमारे साथ काम भी किया है, पी0एम0एस0 मे ंवे पदाधिकारी भी रहे हैं, डॉ0 आर्या भी मेरे साथ रहे हैं। इन लोगों के क्या अपराध थे कि जो इनकी हत्यायें की गयी। लेकिन कहीं न कही पर एन0आर0एच0एम0 की धनराशि की लूट में वे भागीदार नहीं थे या उन्होंने व्यवधान किया तो सम्भवतः इसी वजह से उनकी हत्या की गयी। अखबारों में छपा कि एन0आर0एच0एम0 लूट इन यू0पी0 विल बी ओवर रूपीज 3700 कोर्स और उसमें यह आया कि सी0एम0ओ0 हैज द इंस्पेक्शन टू सेव 5 परसेंट टू हण्ड्रेड परसेंट ऑफ द बजट और उसमें जो आंकड़े बताये गये मा0 नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर रखे है, उन सारे आंकड़ों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुये मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा कि यदि आप उसका एवरेज निकाल लीजिये तो जो 7445 रुपये खर्च किये गये हैं, अगर उसका एवरेज निकाल लिया जाये 50 परसेंट का तो 3700 करोड़ से लेकर के 4000 करोड़ के बीच में बचत की गयी है और उस धनराशि को ऊपर पहुंचाने का काम किया गया है। दूसरी हेडिंग क्या है कि सिस्टमेटिक स्विण्डिलिंग ऑफ द फण्ड्स। तीसरा है कि रेड्रर्स ऑफ द हेल्थ फण्ड। ये किसके लिये है, यह उत्तर प्रदेश सरकार में ऊपर बैठे हुये लोग है और जो उनके अधिकारी है। इसी के साथ-साथ एन0आर0एच0एम0 के पैसे को लूटने के लिये 1000 बैंक एकाउण्ट्स मेन्टेन किये गये हैं। केवल एन0आर0एच0एम0 के पैसे को लूटने के लिये 1000 बैंक एकाउण्ट्स मेन्टेन किय गये और दवाओं के मद में, दवाओं का आलम यह रहा मान्यवर कि दवायें या तो खरीदी नहीं गयी और अगर खरीदी गयी तो उन दवाओं पर 80 परसेंट कमीशन उन पर दिया गया है। जो दवा 18 रुपये में 10 गोली यहां पर खरीदी गयी, वहीं दवाई आयरन फोलिक एसिड जो खून की कमी में गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, उस दवा का दाम उत्तर प्रदेश में 18 में 10 गोली और बाकी प्रदेशों में वही दवाई 12 से 14 रुपये में 100 गोली। उत्तर प्रदेश में 8.50 रुपये जो रेट कॉण्ट्रैक्ट था ग्लब्ज का स्टरलाइज ग्लब्ज का, उस ग्लब्ज का 34 रुपया पर पेयर इन्होंने दिया है। जो एक एण्टीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन का दाम 500 एम0एल0 का 39 रुपया है, उसके दाम का भुगतान उत्तर प्रदेश न 270 रुपया किया है। हैण्ड वॉश, उसकी हेडिंग थी कि मेडिसिन्स इग्नोर्ड एण्ड फोकस ऑन हैण्ड वॉश, इसमें जो 200 एम0एल0 का जो हैण्ड वॉश है उसकी कीमत 470 रुपये दिया गया है जबकि रेट कॉण्ट्रैक्ट था 120 रुपये में 1000 एम0एल0 लिक्विड सोप का।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) पीठासीन हुये)

...200 एम0एल0 का 470 रु0 लिया गया। 20 गुना ज्यादा दाम खाली हाथ धोने वाले साबुन के ऊपर इस एन0एच0आर0एम0 के पैसे से लूटा गया है, जो गरीबी के इलाज के लिये, अस्पतालों में सुविधाएं देने के लिये, दवाइया मुहैया कराने के लिये, जो व्यवस्था की गयी थी, जिसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लोगों की तैनातियां की गयी थी, आयुष के डॉक्टरों को भर्ती किया आपने।

आयुष के डॉक्टरों की भर्ती की गयी, यहां के लोग हो या वहां के लोग हो हर व्यक्ति जानता है कि, हर माननीय सदस्य जानता है कि शुरूआती दौर में उससे पैसे लिये गये और उससे एक महीने का वेतन एडवांस में लिया गया और उसके बाद भी दस्तखत कराया गया कुछ और पर और भुगतान किया गया कुछ और। आपने जो पैसा दिया 10-10 हजार रुपये जो दिया गया वह पैसा भी केवल कागजों पर दिखाया गया और वह पैसा भी ले लिया गया। कागजों पर चिकित्सकों की संख्या ज्यादा दिखाई गई और उनका पूरा का पूरा भुगतान उठा करके और उनकी सैलरी उठाकर के ऊपर पहुंचाने का काम किया गया इसलिये मैंने कहा कि इससे ज्यादा सुनियोजित और संस्थागत तरीके के आज की तारीख तक गरीबों को लूटने का काम किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। एन0आर0एच0एम0 को अगर नेशनल रकम हड़पों मिशन के नाम से जाना जाएं तो बेहतर होगा क्योंकि इसमें केवल मिशन यह था कि धनराशि को कैसे हड़प लिया जाए। मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रेक्चर जहां-जहां पर सबसे ज्यादा लूट हुई है, उसके सम्बन्ध में दो बातें कहकर में अपनी बात को समाप्त करूँगा। इन्फ्रास्ट्रेक्चर में मद में किन-किन संस्थाओं को चुना गया। यहां पर मा0 सदस्य बैठे हैं, इन्फ्रास्ट्रेक्चर के मद में पैक्सफेड को चुना गया, सी0एण्ड डी0एस0, लेबर डिपार्टमेन्ट को चुना गया और यू0पी0 प्रोजेक्ट को चुना गया और बिना बिडिंग के कोई भी बिडिंग नहीं हुआ और बिना बिडिंग के एडवांस पेमेण्ट 90 प्रतिशत तक कर दिया गया और बिना कार्य पूरा किये हुये 100 प्रतिशत तक पेमेण्ट कर दिया गया। यू0पी0एस0आई0सी0एल0 जैसी संस्था उत्तर प्रदेश स्मॉल स्केल इन्ड्रस्टी कारपोरेशन लिमिटेड को कितने का काम दिया गया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा था एफ0आर0यू0 किट्स, यह एफ0आर0यू0 किट्स क्या है फस्ट रेफेरल यूनिट किट्स, जो सी0एस0सी0 में देते हैं, उन किट्स के दाम में किस तरह की लूट मची है कि 70 हजार की किट्स 5 लाख रुपये में खरीदी गयी है और किसके द्वारा खरीदी गई है, यू0पी0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा खरीदी गयी है। यू0पी0एस0आई0सी0एल0 ने किट्स दिया, यू0पी0एस0आई0सी0एल0 ने अंधों के लिये चश्मा दिया, यू0पी0एस0आई0सी0एल0 ने टॉयलेट्स का सौन्दर्यीकरण किया, यू0पी0एस0आई0सी0एल0 ने आपकी बिल्डिंग का निर्माण किया और यू0पी0एस0आई0सी0एल0 को 20.35 करोड़ का एक काम दिया गया और उस काम का 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया, अप्रैल, 2010 तक उस कार्य को पूरा करना था और वर्ष 2011 तक कार्य पूरा नहीं हुआ और भुगतान पूरा का पूरा कर दिया गया। आज भी 18 करोड़ रुपया उसके पास पड़ा हुआ है। मान्यवर, उसी तरीके से जो लूट हुये है, माफियाओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा उसमें इनफॉरमेंशन, एजूकेशन और कम्युनिकेशन आई0ई0सी0 इसके तहत जो 300 करोड़ रुपया हर साल इस मद के लिये चिन्हित था, और जिसमें आपके द्वारा ग्लोसाइनके बोर्ड लगाये जाने थे, आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना था, आपको स्वास्थ्य मेले लगाने थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और सारा-का-सारा जिसके बारे में डायरेक्टर्स से आदेश हुआ है वह सारा-का-सारा पैसा ऊपर-ही-ऊपर खा लिया गया है। 2010-11 में बिहार में 10 हजार स्वास्थ्य मेले लगे हैं और आपके उत्तर प्रदेश में पता लगा लीजिये कि 2010-11 में एक भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन नहीं किया गया है और इस तरीके से इस एन0आर0एच0एम0 के पैसे की लूट की गयी और गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम, गरीबों को मरने के लिये मजबूर करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर इसमें पहले जो भी सदस्यों ने कहा कि एन0आर0एच0एम0 में पूरे प्रदेश को सी0बी0आई0 जांच के लिये सुपुर्द करना चाहिये क्योंकि सी0ए0जी0 ने भी 26 जिलों का चयन किया है और आज ही के समाचार पत्रों में है कि सी0ए0जी0

के तरफ से यह भी दर्शाया गया है.....आशंका दर्शायी गयी है कि हमारी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाय वरना हो सकता है हमारा भी हश्र उन्हीं सी0एम0ओ0 साहबान सा होगा जो उसमें संलिप्त रहे हैं। हम अपने सी0एम0ओ0 साथियों को, चिकित्सक साथियों को व्यक्तिगत हैसियत से उनको श्रृद्धासुमन अर्पित करते हुये, आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इसमें निष्पक्ष कार्यवाही हो और जो भी दोषी हों, हालांकि सी0बी0आई0 जांच कर रही है, उनके विरुद्ध ऐसी सजा मिलनी चाहिये कि जिससे ऐसी लूट की पुनरावृत्ति इस सरकार में, किसी भी सरकार के द्वारा न की जा सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने हमारी नियम-56 की इस सूचना पर मुझे ग्राहयता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, मान्यवर जो हमारे हमसे पूर्व के वक्ताओं ने जिन बातों को यहां पर रखा है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, मान्यवर, 2007 में जब यह सरकार बनी थी, तो उसका बनने का आधार था, कानून और व्यवस्था। इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई कि प्रदेश की जनता किसी भी सीमा पर इस सरकार को हटा किसी को भी लाने के लिये उस वक्त उतावली थी। 2007 में मान्यवर, जो स्थिति पैदा हुई थी आज वहीं स्थिति पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रही है कि कानून और व्यवस्था का प्रश्न पूरे प्रदेश की जनता के सामने बहुत ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है मान्यवर, जहां तक इस सूचना का सवाल है, इसमें मैंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि डॉ0 सचान की हत्या हुई, डॉ0 सचान की हत्या से पहले दो सी0एम0ओ0 की और हत्या हुई, पूरे प्रदेश की जनता मान्यवर यह जानना चाहती है कि बी0पी0 सिंह की हत्या के पीछे और डा0 आर्या की हत्या के पीछे और डॉ0 सचान की हत्या के पीछे कौन-कौन वह बड़े-बड़े लोग है जिन लोगों ने उनकी हत्या कराई। एक सी0एम0ओ0 की हत्या मान्यवर, एक सामान्य घटना नहीं हो सकती, एक हत्या हुई उसको सामान्य तरीके से लिया गया, दूसरी हत्या दो अप्रैल को दूसरे सी0एम0ओ0 की हुई उसको भी सामान्य तरीके से लिया गया। मान्यवर और फिर डिप्टी सी0एम0ओ0 को जेल में भेज दिया गया। मान्यवर, दो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, पूरे प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि इसके पीछे विस्तार से वह कौन-कौन से तार है जिनकी वजह से दो मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। आज तक यह सवाल जनता के मन-मस्तिष्क में अनुत्तरित हैं, मीडिया अपने तरीके से परिभाषित करता है, इलेक्ट्रानिक मीडिया इसके ऊपर स्टोरी बना-बना कर पेश करता है, लेकिन यह तथ्य सामने आना चाहिये, प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कौन-कौन से हाथ है। मान्यवर, सत्ता और सरकार का दरवाजा तब खटखटाया जाता है कि जब हम उससे न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है, जब सत्ता और सरकार में बैठे हुये लोग उन साक्ष्यों पर पर्दा डालते हैं, उस स्टोरी को झुठलाते है। हत्या को आत्महत्या कह के प्रदर्शित करते हैं मान्यवर और उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो लोग हत्या में किसी न किसी रूप में संलिप्त होते हैं। मान्यवर, सचान की हत्या इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि जेल के अन्दर हत्या होती है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि एन्टी मार्टम या पोस्ट मार्टम की गई लेकिन एक बात के ऊपर जरूर जोर देना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर दो दिन तक पूरी जनता में यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संदेह बना रहा कि आखिरकार यह हत्या है फिर यह हत्या क्यों नहीं दर्शाया जा रहा है। जब उनके परिवार वालों की तरफ से आया, 5-5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और जिस बेल्ट से मान्यवर वह आत्महत्या दर्शाना बताया गया था, गर्दन की जो नस आत्महत्या का, हैगिंग से जो नस टूटनी चाहिये थी, अन्दर से जिस नस के टूटने से हत्या होती है वह जब नहीं टूटी तब पूरे प्रदेश में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। तब फिर यह बताया गया कि उनकी कोहनी में, उनके गले में, उनकी जांघ में किस प्रकार से कट लगाये गये कि तेजी से रक्त स्राव हो जाये और किसी तरीके से उनकी मौत हो जाय और उसके कारण क्या थे मान्यवर, अदालत का वह बयान, उनके बेटे ने सी0बी0आई0 के सामने इस बात का खुलासा किया, इन्वेस्टीगेटिव आफीसर के सामने इस बात का खुलास किया कि उन्होंने कहा था कि हम हर सफेदपोश के ऊपर से नकाब हटा देंगे, हमारा अदालत के सामने बयान होने तो दो। मान्यवर, कुछ चीजे प्रत्यक्षरूप से दिखाई पड़ती है, कुछ सरकमटेन्स गवाह, अगर किसी स्थान पर कुछ सरकमटेन्सेज गवाही ऐसी होती है।...और जो झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर किसी स्थान पर धुंआ निकलता हो तो उससे इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई न कोई धुंऐ का स्रोत ऐसा होगा जिससे धुंआ अगर पैदा हुआ और कहीं न कहीं आग लग रही होगी। जिससे वह धुंआ पैदा होता है। मान्यवर, इस घटना से यह जाहिर है कि जेल में जिस प्रकार की घटना हुई कि सचान का मुंह बन्द करने की वजह से सचान को मारा गया। और सचान को मुंह कौन बंद करवाना चाहता था। जेल में कोई आम आदमी जाकर किसी की हत्या कर देगा। मान्यवर, पूरा एक जेलर को लाकर वहां की जेल पर बिठाया गया आखिरकार वह कौन सी ताकत थी जिसने जेलर को लाकर वहां पर बिठाया और एक पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया ऊपर से नीचे तक। कुछ सरकमस्टान्शियल इवीडेंस ऐसे होती है जो साफ बोलती है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मैं तो पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि पूरी सरकार इस घटना के लिये कठघरे में है। दो मंत्रियों का इस्तीफा, दो-दो सी0एमओ0 पूरे प्रदेश में पोस्ट किये जाते हैं एक सी0एम0ओ0 प्रशासनिक व्यवस्था देखता है और दूसरा सी0एम0ओ0 लूट का हिसाब करता है। यह सब कुछ पूरे प्रदेश की जनता के सामने हो रहा है मान्यवर और सरकार आंख पर परदा डाले बैठी है।

आखिरकार कौन सी वजह यह थी कि जिसकी वजह से यह तमाम चीजें करने की छूट दी गयी। अपराधियों के साथ खड़ा हुआ गया। साक्ष्यों को मिटाया जाता रहा। अपराधियों को संरक्षण के साथ खड़ा हुआ गया। साक्ष्यों को मिटाया जाता रहा। अपराधियों को संरक्षण दिया जाता रहा। मान्यवर, जिस दिन आर्या की हत्या हुई उसी दिन उन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किया जाना चाहिये था। जिस दिन बी0पी0 सिंह की हत्या हुई उसी दिन अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाना चाहिये था। और ठीक उसी प्रकार से जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस सचान की हत्या में इन्वाल्व है उन लोगों को भी उसी वक्त राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत निरुद्ध होना चाहिये था वह कौन लोग है ऊपर से नीचे तक सबको मालूम है। अखबार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन-कौन हैं। सरकार के किस लेविल के लोग इसमें इन्वाल्व है लेकिन मान्यवर सरकार जानकर भी अनजान बनी हुई है। मजबूरी में सरकार ने सी0बी0आई0 को रिकमेंड किया है यह केस। अगर हाईकोर्ट की स्थिति नहीं आती तो सी0बी0आई0को केस नहीं जाता। मान्यवर हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि पूरा का पूरा एन0आर0एच0एम0 का घोटाला चाहे 2005 से हो तो या 2007 से हो इसके ऊपर पूरी सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी होनी चाहिये। और सम्पूर्ण

सरकार को एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इस हत्या के मामले में इस्तीफा देना चाहिये। हम इसके ऊपर जाकर महामहिम राज्यपाल जी से भी मांग करेंगे कि अगर सरकार इस्तीफा न दे तो इसे बर्खास्त किया जाना चाहिये।

†डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राहयता पर अवसर देने के लिये आपका आभारी हूं। मेरे से पूर्व वक्ता नेता प्रतिपक्ष जी बोले हो या सभी दलों के नेता उन सबसे अपने को सम्बद्ध करते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं। उनके भाषणों में पूरी बात बड़े विस्तार से आयी है। मैं कुछ निवेदन चिकित्सकीय पेशे से जुड़े होने के नाते जरूर करना चाहता हूं। आप लेप्रोस्कोप की बात करते है मान्यवर उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों में संभवतः पूरे प्रदेश के पी0एम0एस0 कैडर में एक दो डाक्टर होंगे जो लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल करके सर्जरी कर सकते हैं। मैं एक दिन अपने इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर को देखने के लिये गया अल्ट्रासाउंड की मशीन वहां पर रखी हुई थी डिब्बे में पैक थी मैंने पूछा वहां के प्रभारी से कि इसमें क्या रखा है। बताया गया कि इसमें अल्ट्रासांउड की मशीन रखी हुई है। मैंने कहा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है पूरे हाथरस जनपद में एक भी रेडियोलाजी का डाक्टर नहीं है तो फिर इस मशीन को आपने इस छोटे से गांव में रख दिया जो इसका क्या अर्थ होगा। मैं दावे से यह भी कहता हूं कि जननी सुरक्षा योजना की बात करती है सरकार। दावे से कह रहा हूं कि पूरे हाथरस जनपद में यह सब लोग जानते हैं कि सामान्य प्रसव लगभग 90 प्रतिशत होते हैं लेकिन 10 प्रतिशत केसेस में सिजेरियन आपरेशन की जरूरत पड़ती है। पूरे हाथरस जनपद में एक भी निष्चेतना विशेषज्ञ नहीं है सिजेरियन सेक्शन की जब जरूरत पड़ती है तो हाथरस जिला चिकित्सालय एक रिफरल यूनिट की तरह काम करता है। गरीबों को मदद पहुंचाने की मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार की कहीं नीयत है। बहुत छोटी बाते रखी हैं। एन0आर0एच0एम0 की पहली बार मीटिंग हुई थी हमारे जनपद में मैंने पूछा कि भैय्या यह बताओं कि बच्चे पूरे जनपद के अन्दर जीरों से 5 साल के साढ़े पांच लाख और पल्स पोलियो प्रोग्राम में आप लोग दवा पिला देते हो 8 लाख मुझे लगता है कि बच्चे के साथ उसकी मम्मी को भी यह सरकार दवा पिला डालती है। कुछ ऐसा शायद रिवाज चल रहा है। बहुत छोटी चीजे हमने कहा एन0आर0एच0एम0 आ रहा है तो कम से कम मच्छर के लिए आपने एक नीति बना ली कि एक हजार लोगों की स्लाइड देखेंगे अगर 3 लोग उसमें मलेरिया पाजिटिव आ गये तो हम उस जगह मच्छरमार दवाई का छिड़काव करायेंगे यह सब फिजूल की बात है। आपके पास पैथालोजिस्ट नहीं है एक जिले में एक का औसत आयेगा अगर इसको निकालने लग जायेंगे एमपी पाजिटिव एक टेक्निकल बात कोई जरूरी नहीं है कि जिसको मलेरिया हो उसका एम0पी0 पाजिटिव आ जाय फिर आपने ऐसा नियम क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि एन0आर0एच0एम0 का इस्तेमाल करिये। शायद सभी सदन में बैठे लोग सहमत होंगे कि इस वर्ष मच्छरों का प्रकोप फरवरी माह से ही पूरे सूबे में बहुत जबरदस्त है।

हमने मांग की थी। मैं मध्य प्रदेश गया था एक छोटे गांव के अन्दर मैंने देखा शाम के वक्त भड़भड़ करने की आवाज आयी मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है बोले साहब मच्छरमार दवाई का छिड़काव हो रहा है। हमने कहा कि यह कब होता है बोले सप्ताह में तीन बार। एन0आर0एच0एम0

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो जाता अगर आप फांगिंग मशीन खरीद लेते और पी0एच0सी0 में दो-दो, तीन-तीन खड़ी कर देते। एक न्याय पंचायत स्तर पर खड़ी कर देते तो उस पैसे का सदुपयोग होता। आपके पास डाक्टर नहीं है उसके बिना यह लफ्फाजी करना है कि जननी सुरक्षा योजना चला देंगे हरेक को बीमारी से मुक्त कर देंगे। आपके पास टांके लगाने के लिए कोई नहीं है। अगर एक चिर जाय तो टॉके लगाने के लिए कोई नहीं हैं, आपके स्वीपर टांके लगाते हैं आपके पास फर्मासिस्ट नहीं हैं सर्जन की बात तो दूर रही। इस हालातों के बीच शहादत देने वाले अपनी शहादत देकर चले जाते हैं और आम जनता क्या चर्चा करती है वह भी बता देना चाहता हूं। मैं बृज से आता हूं हमारे यहां 84 कोस की परिक्रमा लगती है एक महीने में पूर्ण होती है केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक का आदमी उसमें सम्मिलित रहता है। इस 84 कोस की परिक्रमा में केरल का एक व्यक्ति शामिल था और मेरे इलाके के एक बुजुर्ग किसान जस्सा बाबा उनका साथ दे रहे थे जब वह थक गये तो दोनो एक साथ बैठ गये और पिछले एक दो माह से चर्चा का विषय अगर कोई अखबार में है तो वह केरल के पद्मानाथस्वामी मंदिर का है। केरल वाले को बड़ा गर्व था कि हमारे त्रिवेद्रम में पद्मनाथस्वामी मंदिर है जिसमें इतनी अकूत सम्पत्ति निकली है उसके चर्चे हैं अखबारों में। जस्सा बाबा को लगा कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया। हर कोई चाहता हैं कि मेरे इलाके का नाम रोशन हो। जस्सा बाबा ने जवाब दिया कि तेरे मंदिर की पोल तो इसलिए खुल गयी कि सुप्रीमकोर्ट ने आदेश कर दिया। एक मन्दिर हमारे यहां भी है लखनऊ में उसके तहखाने जब सुप्रीमकोर्ट के आदेश से खुलेंगे तो स्वामीनाथन मन्दिर से कम से कम सौ गुनी सम्पत्ति उसके अन्दर पाई जायेगी। तो उस केरल वाले ने कहा कि आपके इस दृढ़ विश्वास का कारण क्या है तो मेरे जस्सा बाबा ने बड़े फक्र से कहा कि तेरे पद्मानाथस्वामी विष्णु भगवान का अवतार, बछे आरामदायक शैय्या पर लेटे रहते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के अन्दर तो देवी हैं, जिसका खप्पर तो खून से भरा जाता है। पहले दो सी0एम0ओ0 की शहादत ली और दो मंत्रियों की भी शहारत ली, अगर बाकी मंत्रियों और बाकी सी0एम0ओ0 की शहादत की भी जरूरत पड़ेगी, तब भी तेरे खजाने से 100 गुना बडा हमारा खजाना निकलेगा। यह राय है इस सरकार के बारे में, एक आम आदमी की। गरीबों का इलाज छोड़िये, कौन सा ऐसा मसला है जिसमें आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान को ही ले लीजिये, कमरे बनते नहीं, पेमेंट हो जाता है। और अब एक नया तमाशा मिल डे मील के नाम पर आपने शुरू किया है। एक स्कूल के अन्दर एक किचेन बनी हुई है, आपने दूसरी किचेन बना डाली। शायद सब लोग मेरी बात से सहमत होगें। आपने दो-दो किचेन बना दी, क्योंकि पैसे का घालमेल करना था। उतने से तसल्ली नहीं हुई, आज मथुरा के अखबार की हेडलाइन रंगी हुई है, माननीय मंत्री जी और उनके परिवारीजन काले तेल का कारोबार कर रहे हैं, मथुरा रिफाइनरी के डीजल और पेट्रोल को चोरी कर-करके, बेच-बेच के पैसे वाले हो रहे हैं। (शेम-शेम की आवाजें) इन हालातों में इस सरकार को सोचना चाहिये कि 6 महीने बाद चुनाव में जाना है, कम से कम कुछ बहाने के लिये ही ऐसा काम कर लें कि कम से कम यह सफाई दे सकें कि हमने यह किया था, धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुष्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, करीब सवा दो घन्टे तक ग्राह्यता के नाम पर माननीय सदस्यों द्वारा इस बिन्दु को सदन के संज्ञान में लाने का काम किया गया मैं दृढ़ता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार पर जो आरोप लगाये गये वह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित, बेबुनियाद और तथ्यहीन हैं।

मान्यवर, बहन कु0 मायावती जी के तेतृत्व में सरकार बनने के बाद 13 मई के बाद 19 मई को माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के अधिकारियो की बैठक करके इस बात को स्पष्ट कहने का काम किया।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

मान्यवर, मैंने सवा दो घन्टे तक सुना है अगर सवा दो घन्टे तक हमने सुना है बिना रोकटोक के और किसी भी माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य ने एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया है तो संसदीय लोक तंत्र की मर्यादा रखते

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सभी मा0 सदस्य जब किसी गम्भीर विषय पर बहुत मांग करते थे तो वह ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की मांग करते थे। डॉ0 सचान की जेल में मृत्यु होने के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करके इस बात का संकेत देने काम किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। इस बात की आलोचना करने के स्थान पर आपको तारीफ करनी चाहिए थी। ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के द्वारा जब तथ्य संज्ञान में आया तो तुरन्त ही उन्होंने सी0बी0आई0 इन्क्वायरी के लिए संस्तुति करने का काम किया। डॉ0 वाई0एस0 सचान के साथ ही साथ डॉ0 विनोद कुमार आर्या, डॉ0 बी0पी0 सिंह की हत्या की विवेचना जबकि पूरी हो चुकी थी, आरोप-पत्र दाखिल हो चुके थे, उसके बावजूद भी कहीं इन घटनाओं का आपस में लिंक न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों घटनाओं की सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति भी की। इसके साथ ही साथ एन0आर0एच0एम0 कार्यालय में घोटाले की जांच किसी विपक्ष के नेता ने नहीं उठायी थी। एन0आर0एच0एम0 में घोटाला है या उसमें अनियमितता है इस बात की जांच बी0पी0 सिंह की हत्या के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश पर शुरू करने का काम किया गया है किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। इसमें कोई अनियमितता हुई है या नहीं इसके सही सथ्य सामने आयें और यदि अनियमितता हुई है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एन0आर0एच0एम0 लखनऊ कार्यालय की जांच सी0बी0आई0 से कराने की संस्तुति की गई है, इसकी भी सभी मा0 सदस्यों को तारीफ करनी चाहिए। मान्यवर, अगर कहीं वित्तीय अनियमितता है तो उसके लिए जांच की सबसे बड़ी संस्था सी0ए0जी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त एन0आर0एच0एम0 कार्यालयों के फण्ड की जांच के लिए सी0ए0जी को कहा। मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि सी0ए0जी ने उस जांच को प्रारम्भ भी कर दिया है। अगर हमें किसी तथ्य को छिपाना होता या किसी व्यक्ति को बचाना होता तो निश्चित रूप से इन घटनाओं की जांच सी0ए0जी सी0बी0आई0 या ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कराने का निर्णय न लिया जाता। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश रहा है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए और हमने जब इस बात को कहा तो उसे करके भी दिखाने का काम किया। मान्यवर, औरैया की घटना, अगर हमारे विधायक दोषी होते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच करके।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह औरैया कहां से आ गया। मान्यवर, इतने गम्भीर सवाल पर दूसरी जगह की बातों को शामिल किया जाना ठीक नहीं है। एन0आर0एच0एम0 की सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति सरकार ने नही बल्कि सरकार के विरोध के बावजूद हुई है।

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री ओम प्रकाश सिंह, नेता, भारतीय जनता पार्टी और संसदीय कार्यमंत्री एक साथ अपनी बात कहते रहे।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल का पूरा वक्तव्य निकाल लीजिए अगर उसमें आया नहीं हो तो हमें कहें। मान्यवर, सवा दो घण्टे तक हमारे सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने पूरी दृढ़ता के साथ और पूरे संयम के साथ सुनने का काम किया है। मान्यवर, अभी मैं खड़ा हूं चौधरी साहब कृपया बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष- चौधरी साहब कृपया बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम सुन रहे हैं, सी0बी0आई0 की जांच इनकी कृपा पर नहीं हो रही है। सी0बी0आई0 की जांच सरकार के विरोध के बावजूद हो रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी हर चीज को घुमा रहे हैं, यहां एन0आर0एच0एम0 पर चर्चा हुई है उसी तक सीमित रहना चाहिए, मंत्री जी औरैया के विधायक की बात कर रहे है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 नेता भा0ज0पा0 आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैंने प्रतिपक्ष की पूरी बात सुनी, चाहे जैसा आरोप लगाया लेकिन हमने धैर्य के साथ सुनने का काम किया, आप भी धैर्य से सुनिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

हमने जो भी आरोप लगाये उसका एक-एक का डाक्यूमेण्ट्री प्रूफ दिया है।

(प्रतिपक्ष व सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने आसन पर बोलते रहने से शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी या अन्य सदस्य बोले हों कहीं न कहीं अपनी बात को और गम्भीर बनाने के लिए कुछ घटनाओं का उद्धरण दिया गया है, घटनाओं को जोड़ा है। उसमें इधर से भी एन0आर0एच0एम0 के अलावा और जोर दिया गया कि सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है, तमाम तरह की बातें जोड़ी गयी हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी ने सरकार की पारदर्शिता के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमारी पहली सरकार है जिसने विधायक के खिलाफ जांच किया उसकी प्रभावी कार्यवाही की गयी और न्यायालय ने भी आजीवन कारावास की सजा देने का काम किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह, अपनी पार्टी के मा0 सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मुझे याद है परिवार कल्याण के सी0एम0ओ0 डा0 बच्ची लाल की हत्या, मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह जी को पार्टी की सरकार थी उस समय हुई थी। उस समय सी0बी0आई0 जांच कराने का काम नहीं किया गया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं हमारे एक मंत्री के खिलाफ तत्कालीन मा0 नेता विरोधी दल ने आरोप लगाया था, मा0 मुख्य मंत्री जी ने उससे इस्तीफा लिया, पुलिस में पैरवी की, सी0बी0आई0 ने जांच नहीं किया बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहिन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में जांच किया और जांच के बाद चार्जशीट लगायी और कोर्ट के द्वारा उनको सजा दिलवाने का काम किया गया। हमने कभी भी पक्षपात करने का काम नहीं किया कि वह सत्तापक्ष का व्यक्ति है या विपक्ष का व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसमें जांच करके कार्यवाही करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस तरह से हमने कुछ छिपाने का काम नहीं किया है। इस प्रकार से जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है मा0 नेता विरोधी दल ने बहुत लम्बा-चौड़ा आरोप लगाने का काम किया।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे शोर उत्पन्न हो गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है, यह बताईये। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह इस विभाग की मंत्री रही है।

(प्रतिपक्ष व सत्ता पक्ष के सदस्य अपने-अपने आसन से बोलते रहे)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आयुर्वेद घोटाला इन्ही की सरकार के कार्यकाल में हुआ है और सी0बी0आई0 ने जांच करके इन्हें दोषी करार देने का काम किया था और आपके मंत्री के खिलाफ सी0बी0आई ने आरोप-पत्र भी दाखिल करने का काम किया था।

आबकारी, लो0नि0, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, असली कुण्ठा यह है कि परसों, शुक्रवार को बी0जे0पी0 ने लीड ले ली और आज भी लीड ले ली, अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। मान्यवर, बी0जे0पी0 के लोग चले गये अब पीछे-पीछे यह भी जाना चाहते है।

श्री अम्बिका चौधरी-

बी0जे0पी0 ने लीड ले ली लेकिन इस देश में लूट में बी0एस0पी0 ने लीड ले ली है। आप भी लूट में नम्बर-1 पर हैं, जहां पर कोई नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, सरकार का भी वर्जन आ जाने दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सी0बी0आई0 ने प्रमाणित किया है आयुर्वेद घोटाला, सरकार ने प्रमाणित किया है भूमि आवंटन घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है भूमि आवंटन घोटाला।

श्री अध्यक्ष-

सरकार की भी बात सुनें, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार के तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, उसे आप सुनें। आपके ऊपर कोई आरोप होगा तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी क्या कह रहे है, मैं वह सुनना चाहता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

जैसे हम लोगों ने धैर्य से सुना उसी तरह से आप लोग भी धैर्य से सुन लें आपने चाहे जितनी भी बातें की हैं चाहे वह असत्य ही रही हों लेकिन हम लोगों ने उन्हें धैर्य से सुनने का काम किया। अब मैं चाहूंगा कि हमारी सही और तथ्यपूर्ण बातों को तो आप धैर्य से सुन लें। इनकी सरकार के समय में घोटाला हुआ था जिसमें सी0बी0आई0 ने दोषी करार दिया था और आरोप-पत्र भी दाखिल किया था। दूसरी तरफ यह वह पार्टी है जो अपने विरोधियों को फंसाने के लिए जिन्दा लोगों को मरा दिखाकर फंसाने का काम करती है। रमेश शाक्य 6 महीने जेल रहा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उन्हें जब केस खुलेगा तो आजीवन जेल जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी उस समय विभाग की मंत्री मुख्य मंत्री थीं उस पर मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं रमेश शाक्य ने पूरे गांव के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है और एक अपहरण करके उसे गायब कर लिया खुद ही रिपोर्ट लिखा दी और रिपोर्ट लिखाकर फिर जेल भिजवा दिया फिर पुलिस को पता चला जब पुलिस को पता चला ...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी भी बात कह लेने दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए जब बोलने का मौका मिले तब बोलें। अम्बेडकर जी आप बैठिए बीच-बीच में मत खड़े हों। शैलेन्द्र जी आप बैठ जाइए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी मैं मांग करता हूं कि उस पूरे केस की जांच सी0बी0आई0 से करा लें।

श्री अध्यक्ष-

विषय पर आइए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जिस व्यक्ति की हत्या के नाम पर जेल भेजा गया वह जिन्दा निकल आया।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए सी0बी0आई जांच के लिए कह रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के बारे में बताइए जो मैंने इस्तीफा मांगा है।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी थोड़ा आप भी धैर्य रखें माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे हैं। आप सुन लें अगर न पसन्द हो तो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने उसे आपके पास भी भिजवा दिया है।

श्री अध्यक्ष-

वह आ गया है। लेकिन अगर उनकी कुछ बातें नापसन्द हों या तथ्य के विपरीत हों तो आपको पूरा अधिकार है आप खड़े होकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इतना बड़ा घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बता चुके हैं। अब जरा आप सरकार का वर्जन सुन लीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मंत्री जी सब गलत बोल रहे हैं। जो आंकड़े हमने आपको दिये हैं, यहां पर बोले हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय यादव जी, माननीय मंत्री जी को भी सुन लीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जो आंकड़े हमने दिये हैं, यहां पर जो बताया है उसका जवाब नहीं आ रहा है इसलिए हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते हुए अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सत्य की सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मान्यवर, सच को आंच नहीं और जो सच होता है उसको चाहे जैसा भी आरोप लगे उसको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, बहुजन पार्टी

की सरकार बहिन मायावती जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है सच के आधार पर ईमानदारी के आधार पर कानून के आधार पर काम कर रही है इसलिये माननीय सदस्यों ने जितने भी आरोप लगाये हम लोगों ने धैर्य के साथ सुनने का काम किया। लेकिन चूंकि यह सच नहीं है भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण देने में लिप्त रहे हैं, अपराधियों को साथ लेकर चलने में लिप्त रहे हैं इसलिए हमारी सच बात को सुनने की हिम्मत नहीं है इसलिये सदन से बर्हिगमन कर रहे हैं। मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था कि जब आयुर्वेद घोटाला होता है, उसमें सी0बी0आई0 नें जांच किया उसमें दोषी करार दिया मान्यवर, जमीन आवंटन का घोटाला जिसमें न्यायालय ने भी उसको अनियमित बताने का काम किया मान्यवर, राजू पाल की हत्या दिन दहाड़े हत्या होती है, दौड़ा-दौड़ा कर मारा जाता है। एक सम्मानित विधायक की लाश भी उनके परिवार को नहीं दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के लोग केवल यह मांग करते थे कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच करवा दीजिये समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसकी सी0बी0आई0 जांच कराने की मांग को स्वीकार करने का काम नहीं किया। मान्यवर, निठारी का काण्ड होता है, सैकड़ों बच्चों की हत्या होती है और नेता प्रतिपक्ष उसमें मंत्री थे जाते हैं कि छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। सैकड़ों लोगों के मरने के बाद भी यह कहते हैं छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। मान्यवर, उस पर खेद भी व्यक्त करने का काम नहीं किया जाता है। मान्यवर, मैंने पहले बताया कि इटावा की जो घटना का जिक्र किया। एक नहीं अनेकों घटनायें हैं मान्यवर, समाजवादी पार्टी तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का मकड़जाल है, इनसे अलग होकर समाजवादी पार्टी जीवित रह ही नहीं सकती। (मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। डाक्टर बच्ची लाल की हत्या हुई थी क्या सी0बी0आई0 जांच कराई थी। सन्तोष शुक्ला की थाने में हत्या हुई थी, क्या सी0बी0आई0 से जांच कराई थी। ताबूत घोटाला केन्द्र की सरकार में हुआ था जो शहीदों के लिये ताबूत खरीदा जाता है उसमें भी घोटाला करने वाली पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। इस तरह से निश्चित रूप से इनको पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी, जिसका अगर आज पर्यायवाची है तो केवल घोटालों के ही आधार पर है।

मान्यवर, टूजी स्पैक्ट्रम 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का घोटाला राष्ट्रमंडल खेल 60 हजार करोड़ रुपये का घोटाला, बोफोर्स घोटाला क्या इससे इस देश को शर्मिन्दा नहीं होना पड़ा। क्या इन घोटालों से देश को दुनिया के सामने शर्मिन्दा नहीं होना पड़ा। घोटालों की अगर जननी है तो यह कांग्रेस पार्टी है और मान्यवर, आज वह पार्टी आरोप लगाती है तो अच्छा नहीं लगता है। मान्यवर, लोक दल के सदस्य, सिंचाई विभाग किसी के पास एक आयोग बना। मान्यवर, सारे निर्माण के काम की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के एक उस आयोग और उसके चेयरमैन या क्या कहें मैं उसको नहीं कहना चाहता सारा काम केवल उसी को देने का काम किया और वह लोकदल पार्टी आज घोटाले की बात करती है। कविता की हत्या होती है जिसमें मंत्री दोषी पाया जाता है वह पार्टी घोटाले की बात करती है। मैं इस बात को पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपयोग की गई धनराशि का विशेष आडिट सी0ए0जी0 भारत सरकार से कराये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार को पत्र भेजा और सी0ए0जी0 ने जांच ग्रहण भी कर लिया है। राज्य सरकार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की योजना है। इस योजना का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा जारी

गाइड लाइन्स के आधार पर किया जाता है। इसके अन्तर्गत सभी कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा परियोजनावार प्रदान की जाती हैं जिसके कार्यान्वयन का नियमित रूप से अनुश्रवण भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कुछ खामियां नजर आई थीं और इस योजना में हर स्तर पर पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिये इसके तहत मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के कार्यों को नियमित अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रबन्धकीय ढांचे को प्रभावी बनाने, समस्त वित्तीय प्रस्तावों के परीक्षण तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया साथ ही जनपदों में बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के 72 पदों का सृजन किया गया जिस पर तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही साथ वित्तीय अनुशासन बेहतर बनाने के लिए फाइनेन्शियल मैनुअल तैयार करके अगले 15 दिनों में लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन कायम रखा जा सके। मान्यवर, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि हमने परिवार कल्याण विभाग नया बना दिया मैं समझता हूं कि परिवार कल्याण विभाग 1991-92 से ही अलग है। स्वास्थ्य विभाग से। कोई नया बनाने का काम हमने नहीं किया। मान्यवर, हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने का काम किया। चाहे वह प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हो, सी0एच0सी0 हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कालेज हो, हर स्तर पर जो जनता को स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने का काम करती हैं उनको बेहतर बनाने की दिशा में काम किया और मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता में जहां भी उन्होंने जाने का काम किया सबसे पहले उन्होंने जिला अस्पतालों का निरीक्षण करने का काम किया। अगर कहीं भी कोई अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया गया तो तत्काल उसके खिलाफ कार्यवाही किया गया और मान्यवर यह बताने में मुझे खुशी हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने दवाओं के लिए जो व्यवस्था करने का काम किया है अस्पतालों को जो सुदृढ़ करने का काम किया है। उसके अनुसार 2007 से करीब-करीब दोगुना से तीन गुना ज्यादा मरीजों को देखने का काम किया जा रहा है। गरीब मरीजों को विशेष सुविधा देने का निर्णय लेने का काम किया।

मान्यवर, 2005-06 में इस योजना को संचालित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है योजना की शुरुआत के समय प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एक लाख की जनंसख्या पर 517 थी जो वर्ष 2006 में एक लाख की जनसंख्या पर 440 आ आ गई थी राज्य सरकार के प्रयासों के चलते, सैम्पुल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट वर्ष 2009 के अनुसार वर्ष 2009 में यह संख्या घटकर एक लाख की जनसंख्या पर 359 हो गई। मान्यवर, इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर कार्यक्रम के प्रारम्भ में एक हजार पर 73 थी जो घटकर 63 हो गई है 2009 में। वर्ष 2005-06 में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत मात्र 21 था जो अब बढ़कर सफल क्रियान्वयन के कारण 62 हो गयी है। टीकाकरण कार्यक्रम में वर्ष 2007-08 में 30 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2009 में 41 प्रतिशत यह उपलब्धि प्रदेश में हुई है। मान्यवर, मोबाइल मेडिकल यूनिट योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2011 से प्रदेश के 15 जनपदों में 135 एम्बुलेन्स के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जनसामान्य को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मान्यवर,

निश्चित रूप से प्रदेश की संवेदनशील सरकार प्रदेश के आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पबद्ध है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्याय, अत्याचार को समाप्त करने के लिए अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। जहां तक मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत इसकी चर्चा की बात है। मान्यवर, यह तो मैंने कई बार कहा है और माननीय सदस्य कभी-कभी उसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं और विशेष रूप से माननीय तिवारी जी यह कहेंगे कि यह तो मान्यवर, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी उदारता है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं किसी भी दूसरी पार्टी की स्थिति होती या आपके अलावा कोई दूसरा उस पीठ पर बैठा होता तो शायद इस विषय पर एक शब्द भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन सच को आंच नहीं और उसी सच्चता के आधार पर मान्यवर, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार दृढ़ता के साथ अपराधियों को जेल में पहुंचाना चाहती है इसलिए इसमें हमें कुछ भी छिपाना नहीं है, किसी को बचाना नहीं है और जो भी व्यक्ति दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही हुई। मान्यवर, नियम-56 में है कि 'ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।' मान्यवर, इस मामले की जांच सी0बी0आई0 और सी0ए0जी0 द्वारा की जा रही है। अतः यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है। इसलिए आपसे सादर आग्रह करना चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने पूरी संसदीय प्रक्रिया का पालन किया है, जितनी बातें माननीय मंत्री जी कहते रहे, धैर्यपूर्वक सुनता रहा। मान्यवर, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के घोटाले गिनाये जा रहे हैं। जो मुख्य चर्चा का विषय था। उसका तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया नहीं। मैंने एक सीधा सा प्रश्न किया था कि एन0आर0एच0एम0 की जो लखनऊ की जांच है, जिसमें तीन-तीन हत्याएं हो चुकी हैं क्या पूरे प्रदेश के एन0आर0एच0एम0 की जांच के लिए आपकी सरकार भारत सरकार को लिखेगी, भारत सरकार से अनुरोध करेगी कि पिछले वर्षों से जब से आपका कार्यकाल हो और यदि आप बढ़ाना चाहो, जैसा राय साहब ने सुझाव दिया है, 2005 तक कर लो, मुझे आपत्ति नहीं है, सम्पूर्ण घोटाले की जांच की संस्तुति करेगी ? इस विषय पर हमने जो बात कही थी, मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा मान्यवर, इन्होंने घोटालों के बारे में कहा, विगत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं, आज तक जितने आरोप आपने लगाये, गलत साबित हुए। एक भी आरोप कांग्रेस पर कभी सही साबित नहीं हुआ, हां, आपके गलत आरोप लगाने के कारण हमने अपना सबसे आदरणीय और महत्वपूर्ण नेता, राजीव गांधी खो दिया। वह आपके गलत आरोप थे। लेकिन एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं कि कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं, आप भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, कौन है जननी भ्रष्टाचार की ? हम नहीं जानते लेकिन बसपा की सरकार लूट और भ्रष्टाचार की नानी है और इस नानी के खिलाफ और इस नानी के कार्यकाल के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय कौकब हमीद साहब को सुना, आर0 के0 चौधरी जी को सुना, प्रमोद तिवारी जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के प्रति गम्भीर नहीं है, जो सवाल हमने और हमारे मा0 सदस्यों ने पूछे सरकार ने उनका जवाब नहीं दिया। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद खां के साथ राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मैं यह सूचना अग्राह्य कर चुका हूं।

अभी 10 सूचनाओं को सुनना है, माननीय सदस्य 2-2 मिनट में अपनी बात कह लें।

*श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसी सप्ताह जनपद फैजाबाद में तीन ऐसी दर्दनाक हृदयविदारक घटनाएं हुयी हैं जिनको लेकर इस आदरणीय सदन में नियम-311 के अन्तर्गत हमने नोटिस दी थी। आपने बड़ी ही उदारता से इसको नियम-56 में परिवर्तित करके इन विषयों पर मुझे सुनने का काम किया है। श्रीमन्, दिनांक 5 अगस्त को जनपद फैजाबाद में कुमारगंज नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय है जो सारे देश में प्रसिद्ध है। उसी के बगल में एक जेरियम गांव है। जेरियम गांव की एक महिला जो वहां के एक स्कूल में अध्यापिका है। वह 18 वर्षों से पढ़ाकर उधर से हमेशा आती जाती थी। लेकिन 5 अगस्त को जैसे ही स्कूल बन्द होता है साढ़े पांच बजे वह अपने घर को जा रही थी और जैसे ही वह जेरियम गांव के निकट पहुंचती है कुछ दरिन्दों ने उसको पकड़कर अपनी हवस मिटाने का काम किया। श्रीमन् कहते हुए तकलीफ होती है कि उन दरिन्दों ने उसके बदन पर दांत से घाव किया, अपनी हवस मिटाया और हवस मिटाने के बाद उसको मारकर बगल के धान के खेत में फेंक दिया। उसका संगीता नाम है। उसके पति का नाम वीरेन्द्र सिंह है। संगीता एक 40 साल की महिला है। उसका एक जवान बेटा भी है और उसके बेटे की शादी भी हो गयी है। यहीं नहीं श्रीमन्, अभी 6 तारीख को पटरंगा थाने में जो जनपद फैजाबाद में ही आता है एक लक्ष्मण पासी, बिरादरी की लड़की शिवमानी बकरी चराने के लिए गयी थी। 4 बजे बकरी खोलती है और 5 बजे उसकी तीनों बकरियां वापस आ जाती हैं लेकिन शिवमानी वापस नहीं आती। उसके परिवार के लोग उसको ढूंढने लगते हैं लेकिन उसका पता नहीं मिलता है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे शिवमानी जिसकी उम्र मुश्किल से 11 साल की थी उसको नग्नावस्था में गन्ने के खेत में मारकर फेंक दिया गया और प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ दरिन्दों ने बलात्कार किया है। श्रीमन्, यह दो घटनायें हुयीं। तीसरी घटना है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वहीं के बगल से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, गोसाईगंज एक बहुत बड़ा कस्बा है। तीन तारीख की सुबह गोसाईगंज में राजेश नाम का एक सोना व्यवसायी जिसकी उम्र मुश्किल से 38 साल थी, गोसाईगंज व्यापार मण्डल का अध्यक्ष, अपने भाई रमेश जिसकी उम्र 32 साल थी, साढ़े पांच बजे बगल के स्कूल में टहलने के लिए जाता है, जब वह स्कूल में पहुंचता है तो उस समय बूंदाबांदी होने लगती है तो बूंदाबांदी में वह स्कूल के बरामदे में बैठ जाता है। स्कूल के बरामदे में एक पल्सर गाड़ी जाती है जिस पर दो जवान बैठे रहते हैं, तड़ातड़ गोलियां मारते हैं और जिन गोलियों से श्रीमन् दोनों रमेश और राजेश, राजेश का छोटा भाई रमेश दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। श्रीमन् यह 3 तारीख की घटना है। पूरे गोसाईगंज से लेकर फैजाबाद तक पूरा बन्द है। कहीं पर चाय की दुकानें नहीं खुली हैं, कहीं पर दवाई की दुकानें नहीं खुली हैं और आज फैजाबाद शहर से लेकर समूचा जिला पूरी तरह से बन्द है। कुमारगंज जहां पर संगीता सिंह नाम की महिला की घटना है। इलाके के जितने भी डिग्री कालेज हैं, लड़कियों के जितने इण्टर कालेज हैं, इलाके की जितनी प्राइमरी पाठशालायें हैं, आज पूरी तरह से बन्द हैं। कुमारगंज में आज शोकसभा हुयी है, कम से कम 25000 लोग उस शोक सभा में थे। लोग इस बात को सोचने के लिये मजबूर हो गये हैं, आतंक का वातावरण है, भय का वातावरण है और इन तीनों दर्दनाक घटनाओं को जिनको मैंनें आदरणीय सदन में आपके समक्ष रखने का काम किया है। श्रीमन् बड़ी विडम्बना है कि सरकार की तरफ से कड़े निर्देश जारी होते हैं कि बलात्कार की घटना में ये होगा, वो होगा। दोषियों को दण्डित किया जायेगा लेकिन इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी है। आपने तीनों घटनाओं का जिक्र कर दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है कि एक दलित और गरीब की बेटी जिसकी उम्र 11 साल की हो और उसके साथ बलात्कार करके उसको फेंक दिया जाये। इससे ज्यादा कानून की धज्जियां कैसे उड़ायी जा सकती है कि एक टीचर जो 40 वर्ष की थी उसके साथ बलात्कार करके उसको फेंक दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

श्रीमन् आज महिलाओं के साथ क्या-क्या घटनायें हुयी हैं। एक यादव बिरादरी के 35 साल के नौजवान की सिड़हिर में मार करके कुयें में फेंक दिया गया। यह तमाम घटनायें एक महीने के अन्दर हुयी हैं। एक महीने के अन्दर दर्जनों दर्दनाक घटनायें हुयी हैं। ये घटनायें दर्दनाक हैं, हृदयविदारक हैं, इससे बड़ी दर्दनाक घटनायें क्या होंगी और यह घटनायें सरकार के मुंह पर कलंक है।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया, आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

जिस प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन जी महिला हों, जिस देश की राष्ट्रपति महिला हों और महिलाओं पर विशेष तौर से दलितों के साथ जो घटनायें हो रही हैं। इन पर हम मा0 सदन के माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दरिन्दे हैं जो भी अपराधी हैं, तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाये और जो चारों तरफ भय, आतंक और आक्रोश व्याप्त है। चाहे कुमारगंज की घटना है जो मिल्कीपुर क्षेत्र में आता है, चाहे गोसाईगंज थाने की घटना है, चाहे पटरंगा थाने की घटना है, ये सारी घटनायें पूरे जनमानस के मन में व्याप्त हैं, इनको सरकार गम्भीरतापूर्वक ले और जिसमें लक्ष्मण पासी और महिला के साथ हुआ है। मैं मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपये हर्जाना दिया जाये और कातिलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें जिससे भय और आतंक का जो वातावरण बन गया है उसको खत्म किया जाये। जिससे स्कूल कालेज चलने लगें। मैं इस पर सदन में चर्चा की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं इस बात को जो भी घटनायें हुयी हैं, ये दुखद हैं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि दोषी कितना भी बड़ा क्यों न होगा, निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी होगा जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी और जरा सी भी ढिलाई नहीं दी जायेगी। मान्यवर, मैंने स्वयं उक्त घटना के बाद अधिकारियों से वार्ता की और पूरी तन्मयता के साथ पुलिस लगी हुयी है, दोषियों को पकड़ने में और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही होगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

घटनाओं के सम्बन्ध में किसी की गिरफ्तारी हुई है श्रीमन् यह हम जानना चाहते हैं, यह पुलिस पूरी तरह से बौनी हो चुकी है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, बाजार बंद हो गया है, डिग्री कालेज बंद है, फैजाबाद बंद है, मिल्कीपुर बंद है। एक सप्ताह हो गया है अब तक क्या हुआ श्रीमन् यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने स्वयं बैठक की है अब इतनी गम्भीरता आपने बताया। मैंने, अवधेश जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसिलए इसे अग्राह्य करता हूं। बाढ़ से सम्बन्धित सूचना चार लोगों की है, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री राम बिशुन आजाद, श्री लाल जी यादव और श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू जी। यह सभी एक विषय से सम्बन्धित हैं, पांच लोग हैं, एक-आध लोग 2-2 मिनट में अपनी बात कह दें। इससे ज्यादा होगा तो बात नोट नहीं की जायेगी।

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे लखीमपुर खीरी में भारत, नेपाल सीमा पर बह रही कर्णाली, शारदा व घाघरा नदियों से बाढ़ से हो रही तबाही से गांवों को बचाने के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक दशक पूर्व कर्णाली नदी व ग्राम-सूरतनगर क्षेत्र में मुहाना नदी में मिलती थी परन्तु बीते वर्ष नेपाल राष्ट्र से वर्दिया जिले को राजापुर मण्डी को कर्णाली नदी के तट पर करीब आधा किलोमीटर लम्बा बांध बनाकर नदी की धारा को तिकुनिया की तरफ मोड़ने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, मा0 अध्यक्ष जी इस नदी की धारा को रोकने के लिए जो शासन से पैसा गया उस पैसे का भी बंदरबांट कर लिया गया। सिंचाई विभाग लखीमपुर खीरी द्वारा आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सिंचाई विभाग में कठोर एवं चुस्त वित्तीय प्रबन्धन के अन्तर्गत निर्माण एवं आवंटन कार्य के निष्पादन एवं अनुरक्षण कार्य के आवंटन एवं निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी विधि एवं नियमों व मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी शासनादेशों, निहित प्राविधानों एवं निर्देशों का पालन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं, जिनमें कतिपय अनियमितताएं निम्न हैं-शासनादेश संख्या ए-864 प्रति संलग्नक के रूप में स्पष्ट है कि निर्माण एवं मरम्मत सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु रुपये 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर करना अनिवार्य होगा परन्तु अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड लखीमपुर खीरी ने 30 करोड़ के जी0पी0ओ0 बैग तथा परकूपन आदि का क्रय बिना टेण्डर आमंत्रित कर शासनादेश की अवमानना कर शासन को निविदा, विक्रय और स्टैम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व लगभग 25 लाख की क्षति करते हुए विभाग को लाभ से वंचित कर दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, इस तरीके के करोड़ों रुपये हड़प लिये गये जनपद लखीमपुर खीरी में निघासन तहसील के ग्राम बल्लीपुर से अदलाबाद तक बांध न होने के कारण और जो शारदा नदी कटान कर रही है उसमें ठोकरें ने नहीं बनाये जाने के कारण दर्जनों ग्रम-खमरिया, मटैया, रसालटांडा, गोमचखलवा, जंगल नम्बर-11, बंजरिया, बिल्वा, घोसयाना आदि तमाम गांव शारदा और घाघरा नदी की कटान से कट गए हैं। पूरा का पूरा लखीमपुर जनपद, पलिया तहसील, निघासन तहसील और लखीमपुर तहसील इन नदियों से तबाह हो गयी है और सिंचाई विभाग के जो अधिशासी अभियन्ता हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो....।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब समाप्त करें, अभी 15 सूचनाएं हैं आगे विधेयक भी हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए तो मैं सुन रहा हूं क्योंकि यह गम्भीर मामला है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी हम बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए थे, वहां पर सांप ने मुझे काट लिया था, हम आठ दिन डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में भर्ती रहे। मा0 अध्यक्ष जी वहां पर बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी हैं। कागजों पर की गयी हैं, कि वहां पर बाढ़ नियंत्रण के उपाय किये गए हैं, दवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें सांप ने काटा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिकुनिया में एक भी सांप के काटने का इंजेक्शन नहीं, कोई दवाएं नहीं एक टिटबैक भी

नहीं जो मुझे लगा दिया जाता उसके बाद मुझे निघासन लाया गया, जहां मुझे ग्लूकोज बोतल लगायी गयी उसके बाद लखीमपुर लाया गया।

एन0आर0ए0एच0एम0 के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया, वहां पर जो वी0आई0पी0 वार्ड बना है लखीमपुर में उसकी दुर्दशा आप देख लीजिए, उसमें न तो लेट्रिन ठीक है, न तो बाथरूम ठीक है, न दवाएं उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष जी इतना ही नहीं नेपाल से जो नदियां आ रही हैं, उनका रूख मोड़ दिया गया है जनपद लखीमपुर की तरफ जिससे शारदा नदी समेत वहां की सभी नदियों में भारी तबाही आई है। तिकुनिया सहित कई क्षेत्र बाढ़ से बिल्कुल बरबाद हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

समय समाप्त, अब आप समाप्त करें। उस्मानी जी अपनी बात को थोड़े समय में रखा करें। ज्यादा कहने से कुछ तथ्य सामने नहीं आता, आप सिर्फ तथ्य रखिये जिस विषय पर सूचना दी है। राम बिशुन आजाद जी आप अपनी बात कहें, सिर्फ दो-दो मिनट का समय दिया जा रहा है, इसी में आप लोग अपनी बात समाप्त कर दें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है, मैं अपनी बात पर बल देते हुए मांग करता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय और जो दोषी अधिकारी है, जिन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। मान्यवर, इस गम्भीर लोकमहत्व के मामले पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाय, धन्यवाद।

*श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत मेरी सूचना आप सुनने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मान्यवर, भीषण बाढ़ से प्रदेश के पूर्वान्चल के कई जनपदों के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है जिससे वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। मान्यवर, पूर्वान्चल के जो जनपद हैं, गोण्डा, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर, गाजीपुर, बलिया आदि जनपदों में मान्यवर, शारदा, गंगा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। मान्यवर, घाघरा और सरयू के रौद्र रूप से जनपद गोण्डा में जिस तरीके से घाघरा के तेज बहाव से एल्गिनब्रिज, चरसरी तटबन्ध के कट जाने से मान्यवर, कर्नलगंज तहसील, तरबगंज तहसील के कई दर्जनों गांव बाढ़ से पीड़ित हैं और बाढ़ का पानी गांव में घुस जाने से मान्यवर, जन-जीवन पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो चुका है। पीड़ित व्यक्ति मचानों पर, पेड़ों पर रहने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाई जा रही हैं, जो बाढ़ चौकियां हैं वहां पर राहत कार्य न के बराबर है, शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, न उनको पन्नी की व्यवस्था की गई न उनको मिट्टी के तेल की व्यवस्था की गई, न उनको खाद्यान्न की व्यवस्था की गई, न उनको दवाइयों की व्यवस्था की गई, कोई व्यवस्था शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिससे पीड़ित व्यक्ति बहुत परेशान हैं। मान्यवर, अगर देखा जाये तो जिस तरीके से विकास खण्ड

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नवाबगंज में सरयू की बाढ़ से कई गांव मान्यवर, माधाराठ, तटबरगंज आदि गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। मान्यवर, तट बन्ध क्यों टूटा ? सिंचाई विभाग अगर समय से जागरूक रहता तो तटबन्ध कतई न टूटता। 2005 में जो तटबन्ध 14 करोड़ की लागत से बनाया गया एल्गिन ब्रिज, चरसरी बांध मान्यवर लेकिन जिस तरीके से सिंचाई विभाग ने लूट मचा करके 56 करोड़ रुपये मरम्मत के नाम निकाल करके घोटाला किया है अगर 56 करोड़ रुपये वास्तव में खर्च किया जाता तो तटबन्ध पक्का बन जाता और जो तटबन्ध की कटान हुई है वह कटान कतई नहीं होती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से गांव के लोग परेशान हैं, प्रशासन चुप है। मान्यवर, मंत्री जी भी वहां पर गये थे, देखने के लिए कि किस तरीके से टूटा है, लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिशासी अभियन्ता है, बाढ़ खण्ड के लिए वह आराम से लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं बाढ़ के नाम पर, जब बाढ़ आने का समय होता है मान्यवर, अप्रैल और मई के महीने में मान्यवर, अगर यह पहले से ही पत्थर और बोल्डर गिराना शुरू हो जाता तो यह स्थिति नहीं आती। सिंचाई विभाग के जो अभियन्ता हैं मान्यवर, यह पहले से ही भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं कि बाढ़ आये और हमको माल मिले, चूंकि उसके पहले काम करेंगे नहीं और जब बरसात आ जायेगी तो फर्जी तरीके से एक ट्रक को हजार ट्रक पत्थर दिखा करके पैसा पेमेन्ट कर लेंगे और पानी गांवों में बह जायेगा और यह बांध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनके आवास बह गये हैं। मान्यवर, उनके मकान बनाये जायें और उनको मुआवजा दिया जाय और जो फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी क्षतिपूर्ति करायी जाय और दूसरी राहत की सारी व्यवस्थायें की जायें जिससे उनको राहत मिल सके। मैं इस गम्भीर विषय पर एक घण्टे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर द्वारा बाढ़ग्रस्त जनपद में करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता राशिद अली एवं सहायक अभियन्ता डी0 के0 त्रिपाठी और जायसवाल द्वारा और कुछ सहयोगी अवर अभियन्ता की मिली भगत से अनेकों कार्य बगैर कार्य फर्जी भुगतान कर दिया गया है। बाढ़ रोकथाम में प्राप्त भारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। इन लोगों ने अपने चहेते ठेकेदारों के नाम बैक डोर से निविदा आमंत्रित कर बाण्डों का गठन कर बिना कार्य किये वर्ष 2010-11, 2011-12 में फर्जी भुगतान किया गया। बांसी पनघटिया बांध जो जीरो से 11 किलोमीटर पर ट्रेक्टर लगाकर जोत दिया गया और जबकि बांसी पनघटिया बांध पर 11 से 20 किलोमीटर जो जर्जर बांध है और जिस पर कार्य कराया जाना था वह नहीं किया गया। पत्थर जो ट्रकों से आया उसमें बिना चट्टा लगाये बिना माप किये नदियों के किनारे पत्थर पिचिंग करायी गयी। माननीय मंत्री जी विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी हुई कि पत्थरों की पिचिंग एक मीटर होनी चाहिए लेकिन 50 सेंटीमीटर पत्थर की मोटाई की पिचिंग की गयी जबकि यह कार्य मार्च, अप्रैल में होना चाहिए था शासनादेश के अनुसार यह उस समय हो जाना चाहिए था। लेकिन मार्च, अप्रैल में न कराकर जब वर्षाकाल की पिचिंग करायी जा रही है जिसमें आधे अधूरे कार्य हुए हैं। फर्जी भुगतान की प्रक्रिया जारी है। बांसी पनघटिया बांध एवं विभाग के अन्य बंधों पर अनुरक्षण मद एवं 22/45

आपदा मद में प्राप्त लगभग 15 करोड़ रुपये की फर्जी भुगतान करने की कार्यवाही जारी है। जिससे जनमानस में रोष व्याप्त है और इसी विभाग के अशोकवा नगवा बांध के ग्राम सतवाढ़ी तथा डढ़िया कटान स्थल, मदरवा, अशोकवा, बांध के ग्राम बड़ोइया कटान स्थल, ककरही गोनहा बांध के गोहना कटान स्थल, सोनखर डेड़िया बांध के गुलरिया कटान स्थल, बी0जी0ए0 बांध के ग्राम गायघाट कटान स्थल बांसी पनघटिया बांध के बंजरहा डुमरिया, कुढ़जा तथा जलवहा कटान स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा हेतु लगभग 40 करोड़ रु0 शासन से प्राप्त हुए परन्तु इन अभियन्ताओं द्वारा कार्यों का सम्पादन मानक के अनुरूप न कराकर बिना चट्टा लगाये पत्थरों का ठोकर बनाने का काम किया जा रहा है। मात्र 30-35 प्रतिशत तक ही पत्थर लगाये जा रहे हैं और करोड़ों का फर्जी भुगतान किया जा रहा है और वर्षाकाल की प्रतीक्षा किया जा रहा है। मैंने स्वयं जिलाधिकारी के साथ स्वयं दौरा किया गुलरेहिया कटान का और कहा कि बांसी पनघटिया बांध का भी निरीक्षण कर लीजिये। उन्होंने उप जिलाधिकारी, बांसी की ड्यूटी लगायी वह मेरे साथ दौरा किये। दौरे के समय एस0डी0एम0 की उपस्थिति में मैंने पनघटिया के डुमरिया कटान पर स्वयं एई और उप जिलाधिकारी से चेक कराया वहां पर 50 से0मी0 पत्थरों की पिचिंग देखी गयी जबकि विभागीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिली एक मीटर ऊंचाई की पिचिंग होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह स्वयं किसी सक्षम अधिकारी से जांच करा लें और दोषी अधिकारियों को दण्डित करें। अगर कटान हुई तो बांसी मेंहदावल के सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे और बांसी पनघटिया बांध का जो बंजरहा कटान स्थल है जो सबसे दयनीय है जहां बीसों साल से करोड़ों रु0 खर्च हो चुके हैं उस पर इस वर्ष कुछ काम नहीं कराया गया। जबकि पी0डब्लू0डी0 भी सिंचाई मंत्री के अधीन है वहां का टेण्डर जिलाधिकारी के माध्यम से खोला जाता है और स्थानीय अखबारों में छपता है। लेकिन सिंचाई विभाग का कोई भी टेण्डर जिलाधिकारी के माध्यम से खोला गया और न ही स्थानीय पेपर में छापा गया। मुझे जानकारी हुई अधिशासी अभियन्ताओं से कि ऊपर से बड़े अधिकारियों के चहेते ठेकेदारों को नियुक्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री लालजी यादव-

सिंचाई विभाग के इस प्रकरण पर इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने एवं सतर्कता व टी0ए0सी0 से जांच कराने की मांग करता हूं।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया धन्यवाद आपको। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, गोरखपुर, बलिया में नदियों का कहर जारी है। मैं अपने सीतापुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र बेहटा और बिसवां तहसील और महमूदाबाद तहसील लहरपुर की बात कहना चाहता हूं। इन तीनों तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले गांव बाढ़ और कटान से बुरी तरह से प्रभावित रहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटान आज भी जारी है आज भी हमारे बिसवा तहसील में ग्राम मल्लापुर, काशीपुर, मानपुरवा चौकीपुरवा इनमें लगातार कटान हो रहा है और महमूदापुर तहसील को शोधीपुरवा, मनेरा और कनरखी इन गांवों में आज कटान जारी है। जो कटान जारी है उनमें गांव कट रहे है जिसमें मल्लापुर और काशीपुर का पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो गया है। इन कटे हुए गांवों का हाल यह है कि यहां पर रहने की बसने की लोगों को दिक्कत है यहां पर अगर कहीं बनाने की जगह है तो वहां पर पानी भरा हुआ है रह नहीं सकते हैं सड़क पर अगर बना लें तो लोगों को चलने में दिक्कत होती है अधिकारियों की गाड़ियां वहां निकल नहीं पाती हैं 5 किलोमीटर दूर अधिकारी गाड़ी खड़ी करते हैं। तब जाकर मौके पर अधिकारी पहुंच पाते हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि इनको बसाने के लिए इनको स्थान दिया जाय। क्योंकि न इनके ऊपर छत है और न रहने के लिए जमीन है। हमारे यहां पर जो पक्के या कच्चे मकान कटते है उनको मात्र दो हजार की चेके दी जा रही है। पक्के मकान के कटने पर प्राविधान है कि उन्हें 35 हजार रूपये मिलना चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जो चेके वितरित की जा रही है यह अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरित न कर ब0स0पा0 के जो प्रभारी नियुक्त किये गये है उनके द्वारा वितरित कराई जा रही है यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है। यह चेके जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह अधिकारियों के द्वारा वितरित कराई जाय न कि ब0स0पा0 के प्रभारी के द्वारा। इनके द्वारा यह कतई न कराया जाय। एक अनुरोध है कि सीतापुर और लखीमपुर जिले में फसल और जमीन सब कट गयी है इसका मुआवजा उन्हें दिलाया जाय जो मकान कट गये है उनको इन्दिरा आवास और जो पक्के मकान कट गये है उनको 35 हजार रुपया दिलाया जाय। इसके साथ ही जानवरों के चारे की भी समस्या पैदा हो गयी है जब कृषि योग्य भूमि कट गयी है तो उनको चारा नहीं मिल रहा है इसलिए उनके चारे की व्यवस्था और प्रस्तावित जो बंधा है दूसरी तरफ ऐरा से कमरिया तक पूर्व में बंधा निर्मित हो चुका है जिसके कारण पूरी बाढ़ दक्खिन की तरफ आती है उधर बंधा प्रस्तावित है मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बंधा प्रस्तावित है उसका निर्माण कराया जाय जिससे बाढ़ की विभीषिका से आम जनता को राहत मिल सके। मैं इस पर एक घंटे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, मुझे दो मिनट दे दें।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, इसकी जो सूचना लगाई गयी है इसमें विभाग से कोई सूचना तो मेरे पास नहीं आई है लेकिन कुछ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से उस्मानी साहब ने जो बात कही है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बाढ़ से संबंधित सुरेश्वर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं उनको कह लेने दें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 के अन्तर्गत मुझको सुनने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जनपद बहराइच में बेलहा बहरौली बांध 1955-56 में निर्मित हुआ था इसी सदन के माध्यम से हमने बजट सत्र 2010 में एक नोटिस लगायी थी जिसमें हमने आग्रह किया था कि बिसवा गांव के सामने नदी मात्र 8-900 मीटर की दूरी पर बह रही है यदि वहां स्पर बनाकर व्यवस्था न की गयी तो तटबन्ध कट जायेगा। विभाग से जवाब आया कि 800-900 मीटर की दूरी पर नदी बह रही है और वहां पर स्पर बने हुए हैं। आज की स्थिति यह है कि कि0मी0 63 पर बेलहा तहरौली तटबंध के मात्र 300 मीटर पर नदी बह रही है। उसके बगल में कि0मी0 64 पर जो स्पर बना हुआ है नवनिर्मित स्पर है उसकी नोज कट गयी है जाने का रास्ता भी अवरूद्ध होने वाला है उसमें मण्डलायुक्त भी मौके पर गये थे, जिलाधिकारी भी परसों गये थे, मैं भी वहां पर गया था मानक के अनुरूप पर कार्य नहीं हो रहा है। वहां पर इस समय बोल्डर भी उपलब्ध नहीं है यदि नदी का प्रभाव इसी तरह से रहा तो हो सकता है कि 10 दिन के अन्दर तटबंध के करीब में नदी आ जाये और यदि तटबंध के करीब नदी आ गयी तो कम से कम दर्जनों गांव जैसे बिस्वा, जैतापुर, भरमाहपुर, बैरवा गुजौंलीकलां, गुजौलीखुर्द, साईगांव, बेहटाचूरा, बिलवा, भदहीं, कलेरा, गोइनिया, अमवा करतापुर, बनियारी, भदवानी नलहन, केरवा इस तरह से लगभग 64 हजार की आबादी है, यह 64 हजार की आबादी प्रभावित होगी और हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जायेगी। यह बहुत गंभीर प्रकरण है। बराबर इस पर नोटिस दी गयी और विभागीय अधिकारियों ने सदन को गुमराह करने का काम किया और जब-जब बाढ़ आ जाती है, हमने अपनी नोटिस में कहा भी था कि 15 जून के अन्तर्गत यह कार्य पूरे हो जाने चाहिये थे, लेकिन 15 जून तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया, जब स्पर के ऊपर पानी भर गया तो बोल्डर डालने का काम शुरू किया गया है और जब तटबंध कटने लगा तो विभाग के पास वहां एक भी बोल्डर उपलब्ध नहीं है जिससे तटबंध बचाया जा सके। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वहां स्वयं दौरा करके और उच्च अधिकारियों का दौरा करा करके समुचित व्यवस्था कराई जाय।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैनें सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी है। जहां-जहां की जो शिकायतें है, हर शिकायत को तो मैं नोट नहीं कर पाया हूं। जो भी माननीय सदस्य बोले हैं अथवा नहीं बोले है अगर अधिकारियों की इस तरह की शिकायतें है कि मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है या टेण्डर में घपलेबाजी हो रही है, टेण्डर की जगह बांड के जरिये या किसी और जरिये काम दे रहे हैं तो आप लिखकर दे दें तो सक्षम अधिकारी उस क्षेत्र के नहीं, दूसरे क्षेत्र के अधिकारी को भेजकर के मैं उसकी जांच करा लूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो बहुत सी जानकारियां इनके द्वारा भी मुझे मिलती हैं, भले ही यह विपक्ष में बैठे हैं, बहुत सी जानकारियां हमें आप लोगों से ऐसी मिल जाती है जो हमें अपने विभाग से नहीं मिलती हैं। तो मैं इसके लिये आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं एक-एक बात तो नोट नहीं कर पाया, थोड़ी-थोड़ी बात ही नोट की है आप लिखकर दे दें, मै एक-एक की जांच करा लूंगा। यदि कही भी कोई कमी पायी गयी तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अभी मैंनें उस्मानी जी की बात सुनी, लालजी

यादव जी की बात सुनी, डुमरियागंज की बात कही गयी, अभी महेन्द्र सिंह जी की बात सुनी, सुरेश्वर सिंह जी की बात सुनी। आपकी जो भी शिकायतें हैं, मैं उसको करा दूंगा। लेकिन जहां तक राम विशुन आजाद जी की बात है, उसमें मान्यवर, पहले मैं अपने विभाग के अधिकारियों की जो गलती है, उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या है, उस पर मैं बाद में आता हूं। यह सही है कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि समय से उस बंधे को ठीक कर दें, एल्गिन-चरसरी की जो बात इन्होने कही है। मान्यवर, उसका पैसा भी तीन-चार महीने पहले अवमुक्त कर दिया गया, जनवरी के महीने में। स्टेयरिंग कमेटी में, जो मेरी अध्यक्षता में है, उसमें पास कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विलम्ब किया, यह बात सही है और इसीलिये उनके विरुद्ध हमने कार्यवाही भी की और ए-टू-जेड सबको सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक बात आपने सच्ची कही, क्योंकि बहुत तेज आप बोलते हैं। मैंने हर बात आपकी स्वीकार की और आप भी मेरी बात को स्वीकार कीजियेगा। बोलने को मैं आपको नहीं रोक सकता, आप चाहे जितनी तेज बोलें, मैं केवल आपके माध्यम से अनुरोध कर सकता हूं। आपने कहा कि एल्गिन-चरसरी बांध 2005 में बनाया गया और उसमें 56 करोड़ रुपये खा लिये गये। 2005 में कौन था, 56 करोड़ रूपये किसने खा लिये।

श्री राम विशुन आजाद-

मैनें यह नहीं कहा था। मैनें यह कहा था कि 16 करोड़ की लागत से बंधा बना था और बाद में 56 करोड़ रूपये उसकी मरम्मत के नाम पर खा लिये गये।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

देखिये जो सही बात है उसको मैं स्वीकार करता हूं और सही बात स्वीकार करने की आदत सबको डालनी चाहिये। मैं चाहता तो लाग-लपेट करके ऐसा जवाब दे देता कि आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, मैं भी चला जाता और आप भी चले जाते, इसलिये मैं लाग-लपेट नहीं कर रहा हूं। सच्चाई यही है जो आपने 2005 की बात कही। मान्यवर, आज यह कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं कि 2005 में यह बंधा बना, एक माननीय मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस समय वह इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन एक माननीय मंत्री जी थे, मान्यवर, मैंने उस बंधे को एक बार नहीं, अपितु दस बार देखा है। उसका उन्होंने अपने फायदे के लिये, अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिये पूरा एलाइनमेंट चेन्ज करा दिया, वह सीधे बंधा चला आ रहा है और जैसे ही उसके नजदीक उनके खेत, उनके रिश्तेदारों के खेत अथवा मुझे नहीं मालूम है, पड़े, पूरा बंधा यूं घुमा दियाा गया, उसके बाद आगे फिर सीधा कर दिया। उसको ले जाकर नदी के पास ले गये। एलाइनमेंट चेन्ज करने की वजह से यह सारी प्रॉब्लम हुई है और कई बार बंधा टूटा हैं एलाइनमेंट सीधा करने के लिए ही हमने स्क्रीनिंग कमेटी में पास किया, पैसा रिलीज किया, पैसा हमने तीन-चार महीने पहले रिलीज कर दिया लेकिन अधिकारियों ने अभी तक लैण्ड एक्वायर करके काम नहीं शुरू किया है, जिसके कारण यह प्राब्लम सामने आयी है। लेकिन असली जड़ वह है जो आपके मा0 मंत्री जी ने अपने तथा अपने लोगों के फायदे के लिए कर दिया था और यह सही है कि उसमें करोड़ों रुपया बेकार गया तत्कालीन मा0 मंत्री जी के कारण। अब मान्यवर, उसे सही करेंगे, हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की है, अधिकारियों की गलती थी, हमने ए-टू-जेड सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा अभी देखेंगे जहां-जहां कमी होगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मा0 सदस्यों का सम्मान है, जो भी आप बतायेंगे उस पर हम नये

सिरे से जांच कराकर आपके सम्मान को बरकरार रखते हुए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, यह नियम-56 में नही आता है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 आर0ए0 उस्मानी, राम बिशुन आजाद, लाल जी यादव जी को और मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री राम बिशुन आजाद, श्री बैजनाथ दुबे के एक साथ खड़े हो करके अपनी बात कहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि कहीं अनियमितताएं हों या कही पर बाढ़ प्रभावित कार्य हों तो उसके बारे में मा0 सदस्य अवगत करा दें, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ''झीन बाबू''-

मा0 मंत्री जी खड़े हो गये तो हिम्मत पड़ गयी कि हम भी एक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। मान्यवर, हम लोग विधान सभा में चुनकर आते हैं आपको भी ज्ञात है कि 15 साल से यहां आ रहे हैं। क्षेत्र में जाते हैं, वहां मरते हैं, कुढ़ते हैं, दौड़ते हैं, उस क्षेत्र का जन-प्रतिनिधि होने के नाते और इस विधान सभा में चुनकर आने के नाते मुझे यह पीड़ा है यह बोझ है कि जो चेकें वहां वितरित की जा रही है वह यदि जन-प्रतिनिधियों से न वितरित करायी जाये तो कम से कम बसपा के प्रभारियों से जो किसी पद पर भी नहीं हैं उनसे न वितरित करायी जायें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेते हैं, जो एकार्डिंग्स-टू-रूल होगा वही किया जायेगा।

श्री बैजनाथ दुबे-

मानयवर, हमारे यहां जो अधिशासी अभियन्ता है, जो चीफ हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 दुबे जी, सारी बातें आ गई और मा0 मंत्री जी ने भी स्पष्ट कह दिया कि आप लिख करके दे दीजिए, वह कार्यवाही करेंगे। अब आप कृपया बैठ जायें।

(श्री राम बिशुन आजाद के बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजाद जी मा0 मंत्री जी ने आपको इतना स्पष्ट कर दिया है, अब तो आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी वहां पर गये और आपने देखा कि अनियमितताओं के कारण आपने अभियन्ताओं को डाटा है अखबारों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिलती है। लेकिन मान्यवर, जो तटबन्ध टूटा है तो तटबन्ध टूटने से पानी का जो तेज बहाव था वह क्षेत्र पंचायत जो तहसील तरबगंज है, तहसील तरबगंज के क्षेत्र पंचायत नवाबगंज के जो सरयू किनारे के गांव हैं उन दर्जनों गांवों में

पानी घुस रहा है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से तेज बहाव के कारण नवाबगंज के इलाकों में पानी घुस रहा है, उसके लिए आप कुछ व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने मा0 मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया है वह इसे दिखवा लेंगे। दूसरे जो परिस्थितियॉ चेन्ज हुई हैं एलाइनमेंट चेंज होने के कारण उसको ठीक करने के लिए मा0 मंत्री जी ने बजट का प्रावधान किया है, कार्य-योजना भी तैयार है, उससे भी हो सकता है कि कुछ समस्याएं हल हो जायें। फिर भी आपने जो इंगित किया है उसे मा0 मंत्री जी दिखावा लेंगे।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कार्यस्थगन की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, तीर्थ और पर्यटन नगरी काशी में इन दिनों गन्दगी का साम्राज्य है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत जो केन्द्र सरकार से धन दिया गया उससे वाराणसी के अन्तर्गत और कुछ नहीं किया गया बल्कि सैकड़ों की संख्या में कंटेनर खरीद कर शहर में लाये गये और उन कंटेनरों को शहर के विभिन्न-विभिन्न इलाकों में, जगह-जगह दुकानों के सामने, कारखानों के सामने रख दिया गया। उसमें कूड़ा रखना शुरू हो गया। अब पिछले 9 दिनों से यह स्थिति है, बीच में बारिश भी हुई और कंटेनरों में रखे जो कूड़े, वह खाली नही किये गये। बारिश होने बाद उन कंटेनरों में कूड़ा सड़ जाने से दुर्गन्ध फैलने लगा जिससे उसके आप-पास के दुकानदार व निवासियों का जीना हराम हो गया। मान्यवर, मैं यह भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि काशी की यह दुर्दशा, प्रदूषित जलापूर्ति, सीवर जाम, ओवरफ्लो और शिकायत दर शिकायत के बाद भी जल संस्थान और नगर निगम के सफाई कर्मचारी उसकी सफाई नहीं करते। यह समस्या विभिन्न नियमों के माध्यम से आपकी कृपा से इस सदन में मैं उठा चुका हूं और मा0 नगर विकास मंत्री जी से सिवाय आश्वासन के काशी की जनता को कभी कुछ नहीं मिला। आपकी एक खूबी है कि आप मुस्कुराते रहते हैं, पता नहीं मुस्कुराहट में क्या राज छिपा है, मुझे समझ में नही आता। यह जो मैं दर्द बयां करता हूं उस पर हंसते है या वह अपनी अक्षमता पर हंसते है मुझे यह नहीं मालूम। मा0 अध्यक्ष महोदय, काशी का क्या महत्व है, सभी लोग जानते है और यह मेरा सौभाग्य है कि वहां की जनता की कृपा से मैं यहां चुन करके आता हूं ...

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब सभी को दो-दो मिनट सभी को अवसर दे रहा हूं। अब कृपया समाप्त करिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, दो मिनट की जगह तीन मिनट हो जाए तो क्षमा करेंगे। उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं, आज भी गलियों के अंदर सीवर जाम हो रहे है। मैं आपको शपथ-पूर्वक कह सकता हूं कि 10-10 दिनों से जनता की शिकायत, जनप्रतिनिधि की शिकायत अटैण्ड नहीं की जाती है, लोगों के घरों के आंगन में गंदा पानी फैल रहा है। मैं जब आपके चैम्बर में यह

अनुरोध करने गया था कि मेरी यह सूचना स्वीकार कर लीजिए तो उस समय भी फोन आ रहे थे। मान्यवर, यह हालत है जबकि नगर निगम अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं तथा धारा-385 में जो नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य है जिसे करना ही करना है, उनकी शहर की सफाई, शहर की गन्दगी को उठाना, उसका निस्तारण करना ये सारे कार्य उनके कर्तव्यों में है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, एक मिनट और दे दें उसमें मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह पिछले 9 दिनों से जो कूड़ा नहीं उठ रहा है उसके कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, सीवर जाम हो गये हैं, ओवर फ्लो की स्थिति है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, कूड़े नहीं उठाये जा रहे है और नगर निगम बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गया है, जलकल विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आपकी सारी बात आ गयी है, एक ही चीज को आप बार-बार दोहरा रहे है अभी 13 मा0 सदस्य और रह गये है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

इस दर्द को नियम-56 के कार्यस्थगन के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यह जो काशी की जनता का दर्द है, आखिर उसका कोई निदान होगा, आखिर उसकी कोई दवा होगी ? इतनी बड़ी सरकार और इतने बड़े मंत्री नगर विकास, कुछ करेंगे या आज भी आश्वासन दर आश्वासन, जैसे कचेहरी में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती है क्या वह आश्वासन दर आश्वासन देकर मुझे टरका देंगे। मैं अपनी कार्य-स्थगन की सूचना पर बल देता हूं और सदन का सारा कार्य रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अभी चौधरी साहब ने मंत्री जी के मुस्कराने पर कुछ एतराज जताया तो मैंने सोचा कि उसका भी स्पष्टीकरण दे दूं।

यूं देखकर जो हम मुस्कराने लगे
चौधरी साहब के करम याद आने लगे
यूं देखकर जो हम मुस्कराने लगे
चौधरी साहब के करम याद आने लगे
एक लमहे में आप रूठकर चल दिए
और मनाने में हमको जमाने लगे। अभी आप कई बार आए गए।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

आपकी नेता का आदेश हो तो आप लोग एक टांग पर खड़े रहेंगे। मैं अपने दल के अनुशासन से बंधा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों टांग पर रहिए।

मैंने इस सूचना पर माननीय श्याम देव राय चौधरी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती तब भी माननीय मंत्री जी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने इतनी देर तक अपनी बात कही जनता की बात कही तो इसमें उत्तर तो आना चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह जनहित से जुड़ा मसला है। इसको आप दिखवा लीजिए। अगर इस तरह की दुर्व्यवस्था है तो उसे दिखवा लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, दिखवाकर उसका समाधान कराने का प्रयास किया जायेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैंने समय से सूचना दी थी क्या यह उचित नहीं था कि उसकी जो जानकारी है वह मंगा लेते।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो जानकारी दी है उसे मंत्री ने विश्वास करके सही मान लिया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

लगता है कि माननीय मंत्री जी जो सूचना आई होगी उसको छिपा रहे है। नगर विकास मंत्री जी खड़े हुए थे मेरी बात का जवाब देने के लिए। लेकिन यहां शेर सुनाकर काम खत्म कर दिया गया।

नगर विकास, पर्यावरण शहरी, समाज विकास, कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मंत्री जी ने मेरी तरफ से जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि दिखवाकर अवगत करा दूंगा इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी आपने नियम-56 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया माननीय अध्यक्ष जी जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरब रेन्यूअल मिशन केन्द्र सरकार की एक ऐसी योजना है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे प्रदेश के 7 शहरों में व्यापक सुधार और व्यापक विकास की परिकल्पना की गई थी। इसी के अन्तर्गत एक कम्पोनेन्ट है पी0एस0यू0पी0 जिसमें निर्धनों के लिए आवास बनाए जाने थे जो आवास बनाए जा रहे हैं पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन सात शहरों में जिसमें हमारा शहर मथुरा भी शामिल है उन सात शहरों में जो काम दिया गया वह यू0पी0 राजकीय निर्माण निगम को दिया गया और आप यदि उठाकर देखें तो सन् 2006-7 से लेकर 2011-12 तक लगभग 19 अरब 6 करोड़ 88 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया गया और लगभग 11 अरब 52 करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी हुई और जो अवशेष राशि थी वह राशि शासन को समर्पित कर दी गई जो गरीबों के लिए मकान बनने थे उसमें जो कार्य होने थे उसके लिए 18 महीने का समय निर्धारित किया गया था पर 27 महीने होने जा रहे हैं आप देखेंगे कि कानपुर आगरा मथुरा में अभी तक मानक के अनुरूप गरीबों के लिए निर्धनों के लिए मकान नहीं बनाए गए हैं उन मकानों की आप क्वालिटी देखिए वह मकान कभी भी गिर सकते हैं मै समझता हूं कि केन्द्र सरकार की एक परियोजना में जिसमें कि एक शहर में 20 प्रतिशत मार्जिन और बाकी में 50 प्रतिशत मार्जिन स्टेट गवर्मेन्ट का है इसमें भी बड़ा भयंकर घोटाला है। अभी हम एन0आर0एच0एम0 के बारे में बात कर रहे थे यह जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन जो केन्द्र सरकार की वित्तपोषित परियोजना है यदि इसकी जांच प्रदेश सरकार कराए तो इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि आप यह पाएंगे कि एन0एच0आर0एम0 जिसमें घोटाला हुआ आवासीय घोटाला आपके सामने आएगा। मान्यवर, गरीबों और निर्धनों के साथ धोखा आप उसकी क्वालिटी देखिए गुणवत्ता देखिए मकान फर्श चटक रहे हैं फर्श धंस रहे है छतें झुक रही है और उन निर्धानों को जो मकान आवंटित किया जा रहा है उसमें भी आवंटन के नाम पर पैसे लिए जा रहे है। न तो सीमेंट बालू मोंरग के अनुपात को ध्यान में रखा जा रहा है।

मान्यवर, यदि आप देखें तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा हमारे मथुरा शहर में राधेश्याम कालोनी में भू-माफियाओं, बिल्डरों और कालोनाइजर्स से मिलकर इस यू0पी0 निर्माण निगम के लोगों ने खेतों में मकान बना दिये गरीबों के और वह कालोनाइजर्स जो प्राइवेट रूप में उन गरीबों के मकानों को बेच रहे है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना के सन्दर्भ में बोलिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं सूचना के संदर्भ में ही बोल रहा हूं यह सूचना बी0एस0यू0पी0 परियोजना के अन्तर्गत बन रहे मकानों से राजकीय निर्माण निगम द्वारा की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी तरह यदि आज देखें कि जब मकान में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी तो लाभार्थियों के नाम थे पर वह सब 90 प्रतिशत नाम बदल दिये गये और यू0पी0राजकीय निर्माण निगम के लोगों ने धांधली करके और लोगों को मकान एलाट कर दिये। आज स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस स्कीम में इतना भयंकर घोटाला है। मैं चाहूंगा कि इस कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को बदलिये और किसी और अच्छी संस्था को लगाइये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बस हो गया। दो-दो मिनट में कहने के लिये मैंने कहा था।

श्री प्रदीप माथुर-

टोटल काम का 50 परसेन्ट काम भी नहीं हुआ है और यह सारे का सारा पैसा सरेन्डर किया जा रहा है अवशेष धनराशि को। मैं समझाता हूं कि अवशेष धनराशि की सरेन्डरिंग जो प्रदेश सरकार का कन्ट्रीब्यूशन है उसका कम्पनसेंट करने के लिये हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

बस दो-दो मिनट हमने कहा था। आप लोग समय ज्यादा लिये ले रहे है। अब समाप्त करिये। माथुर साहब अब आप बैठिये। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। इतना कह दिया, अब आ गया जो सूचना के विषय आपने दिया है उसमें है। हाशिमी साहब को सुन लें, इनका रोजा है।

श्री प्रदीप माथुर-

यह कार्यदायी संस्था आर0एन0एन0 को बदलिये। इनको कोई अनुभव नहीं है गरीबों के मकान बनाने का, कोई आईडिया नहीं है गरीबों के लिये मकान बनाने का। जिनको यह मकान आवंटित होंगें उनका जीवन भी खतरे में है यदि वे इन मकानों में रहेंगे। मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के सातों शहरों से राजकीय निर्माण निगम से यह कार्य छीनकर किसी कायदे की कार्यदायी संस्था को दिया जाय जिससे कि बी0एस0यू0पी0 में गरीबों के साथ धोखा न हो निर्धनों के साथ धोखा न हो और केन्द्र सरकार की इतनी बड़ी रकम में जो घोटाला हुआ है उसका सातों शहरों में और यू0डी0आई0एस0एम0पी0 के तहत जो शहर आते हैं जांच कराई जाय। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय प्रदीप माथुर जी को सुना उन्होंने अपनी सूचना में राजकीय निर्माण निगम द्वारा कुछ कार्यों में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में दिया है। वैसे यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं अग्राह्य करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं। इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय मंत्री जी इसका जवाब तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आपने सूचना दी थी। मैंने आपको सुना और शासन का ध्यान इस पर आकृष्ट कर दिया है। मंत्री जी को कह दिया है कि इसको दिखवा लीजियेगा।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी सूचना पर बोलने का अवसर दिया। गोण्डा, बलरामपुर जनपद में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्दर आये धन का बंदर बांट कर लिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। बड़े पैमाने पर जो निर्माण एजेन्सियों को धन आवंटित किया उन्होंने निर्माण कार्य बेनामी ठेकेदारों को बेच दिया जिसमें मिनी सचिवालय, एन0एम0 सेन्टर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग बाहुल्य गांवों में मान्यवर, सी0सी0 रोड और सोलर लाइट लगाने का काम था और बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला कर लिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसकी भी जांच कराई जाय और सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। बड़े मंत्री जी एक शेर पढ़ गये थे। मैं भी एक शेर पढ़कर इस नोटिस पर बल देते हुए अपनी बात कहूंगा। हमने यह बात बुर्जुगों से सुनी है मंजर, जुल्म ढ़ायेगी तब सरकार बदल जायेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनवर हाशमी जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नही आती है मैं इसको अग्राह्य करता हूं और जिस विषय की ओर इन्होंने संकेत किया है उसको दिखवा लिया जाए।

श्री बैजनाथ दुबे-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र जनपद गोण्डा के तहसील कर्नलगंज में ग्राम गुन्डवा में पांच बच्चे पढ़ने गये थे प्राथमिक विद्यालय गुन्डवा में, जिनका नाम है रंजना पुत्री मंगल प्रसाद .....

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी बैठिए।

श्री बैजनाथ दुबे-

जाति की कुम्हार है आयु 12 वर्ष। अर्चना पुत्री मंगल प्रसाद आयु है 10 वर्ष, सुभाष पुत्र रामदेव आयु 12 वर्ष मुकेश पुत्र रामदेव, रिंकू पुत्र बबलू आयु 10 वर्ष यह सभी लोग गुंडवा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गए थे। उधर से जब यह लोग जब लौट रहे थे तभी पानी बढ़ गया और अचानक बाढ़ आ गई उसी में डूब कर यह मर गए। पूरा गांव शोक संतृप्त हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इनके परिवारों को दो-दो लाख रूपया मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री बैजनाथ दुबे जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं और इस दुखद घटना की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कार्यस्थगन के प्रस्ताव के तहत ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यह प्रकरण पूर्वाचल के एक जुझारू और संघर्ष शील नेता की हत्या का है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और हिन्दी वाहिनी प्रदेश संयोजक बस्ती के निवासी थे और नाम था विष्णु दत्त ओझा, 45 साल की उम्र थी और पूरी जिन्दगी में उनके ऊपर किसी प्रकार के मुकदमें आदि नहीं थे। शस्त्र का लाइसेंस भी उन्होंने आज तक नहीं लिया है और कोई असलहा भी अपने साथ नहीं रखते थे। राष्ट्रवादी और हिन्दूवादी राजनीति के लिए समर्पित थे इसमें गलत बात नहीं है। उन्होंने एक जमीन खरीदी थी और उस जमीन के सिलसिले में उन्होंने कोर्ट में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा किया और कोर्ट के मुकदमें के बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और वह कोर्ट का निर्णय मैं अपने साथ लेकर आया हूं माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से विरोधी पक्ष को निर्देश दिया कि जमीन पर विष्णुदत्त ओझा का कब्जा है और वैधानिक रूप से अधिकार है इन्हें यह कब्जा करने में किसी प्रकार का अवरोध न पैदा किया जाए और इन्हें जो ध्वस्त चहारदिवारी है वह बनाने का अधिकार दिया जाए और जो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा विपक्षी पक्ष के पास कमरे के रूप में है दो महीने के अन्दर वह इस कमरे को खाली कर दें। अन्यथा विष्णु दत्त ओझा को यह वैधानिक अधिकार होगा कि वह न केवल उस कमरे को गिरा सकें बल्कि गिराने के बाद वह उसका खर्चा भी वसूल सकें। यह आदेश न्यायालय का था जिसकी प्रति मेरे पास है माननीय मंत्री जी अगर चाहेंगे तो वह मैं उनको दे दूंगा उसके बाद उन्होंने डी0आई0जी0 से सम्पर्क किया एस0पी0 सिटी से सम्पर्क किया। उसके बाद वह मन्दिर गए और योगी आदित्य नाथ जी से सम्पर्क किया वहां से दो बार फोन डी0आई0जी0 को किया गया और इतनी सारी पैरवी के बाद वैधानिक रूप से जो उनसे माननीय न्यायालय ने कहा था उस जमीन का कब्जा लेने वहां गए। समाजवादी पार्टी के जिला मंत्री श्री मुकुट बिहारी और श्री घनश्याम मिश्र एक ही परिवार के सदस्य है इन लोगों ने घेरकर उन्हें मारा और उनके सिर पर चोट आई उसके बावजूद भी वह पकड़कर उन अपराधियों को वह खुद थाने ले गये। 307 का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ। अध्यक्ष महोदय, मुकदमा दर्ज होने के तीन घंटे के अन्दर जिन आरोपियों की नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है और जिनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ उनको थाने से छोड़ दिया गया और छोड़ा ही नही गया दूसरे दिन शहर कोतवाल उन्ही आरोपियों को लेकर समझौता कराने चले आए। अगर शहर कोतवाल ने इस तरह से 307 के आरोपियों को छोड़ने का काम न किया होता तो शायद आज श्री विष्णुदत्त ओझा आज जिन्दा होते। दो दिनों के अन्दर मेन शहर के अन्दर दिन दहाड़े पांच बजे उन्हें घेरकर गोलियों से मार दिया गया। मारने के बाद सबको बताते हुए उन नामजद लोगों में से तीन लोग आए और उन्होंने कोर्ट में समर्पण कर दिया और समर्पण करने के बाद चुपचाप जेल चले गए पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश नहीं की। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो डी0आई0जी0 ने इस बात को स्वीकार किया कि शहर कोतवाल की गलती है और शहर कोतवाल पर 120 बी का मुकदमा दर्ज किया गया।.....

जो इस हत्या के आरोपी है, जो नामजद है, जिनके बारे में सब जानते हैं, जो बचे हुए आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और नम्बर-2 जिस शहर कोतवाल के ऊपर 120 बी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उस कोतवाल को उस हत्या का सह-अभियुक्त बनाते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, इस सरकार से सिर्फ मेरी इतनी सी छोटी सी मांग है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा, यह आश्वासन तो हम लोगों को मिलने चाहिए कि जिनके ऊपर मुकदमें दर्ज किए गए है, जिनको नामजद किया गया है, उनकी गिरफ्तारी होगी और जिस शहर कोतवाल के ऊपर 120बी का मुकदमा लिखा गया है, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इतनी छोटी से हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह जो नामजद मुल्जिम बनाये गए है, उनकी गिरफ्तारी की मांग मा0 सदस्य की है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विवेचना में जो तथ्य सही होगा, उसके अनुसार कार्यवाही होगी, उसमें कोई दोषी छूटेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने इस सूचना पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल को सुना, संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अतः इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 307 का मुकदमा कायम होने के बाद भी उन मुल्जिमों को छोड़ दिया गया। अदालत से जमानत हो जाती कोई बात नहीं थी, कोतवाल को भी अधिकार है, जमानत देने का लेकिन जब 307 का मुकदमा कायम हो गया तो किस अधिकार से 307 के मुल्जिमों को वहां से छोड़ दिया गया ? न छोड़ा गया होता तो मान्यवर, यह घटना ही नहीं होती। इसको गंभीरता से लें। जिस कोतवाल ने 307 का मुकदमा कायम होने के बाद भी उनको छोड़ा, उसने किस अधिकार से उनको छोड़ दिया ? उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। उस पर केवल 120बी ही नहीं, शुरू से लेकर वह दोषी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मंत्री जी ने कह दिया है।

अब श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी नहीं है।

अब श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी अच्छा, सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी आप कह लीजिए।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत मैं जिस विषय को आज सदन के सामने रख रहा हूं, उसका सम्बन्ध इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों से है, लखनऊ की 40 लाख आबादी से है और लगभग 8-9 लाख लोग जो डेली पैसेन्जर के रूप में यहां आते हैं, उनसे है, इसलिए यह अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की आजादी के 64 साल बाद भी यह दुर्भाग्य का विषय है कि हम लखनऊ शहर को शुद्ध पेयजल अब तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। लगभग 2 महीने से सारे हिन्दी और इंग्लिश के अखबार चिल्ला-चिल्ला कर छाप रहे है कि गोमती का पानी जहरीला हो गया है, उसके अन्दर कालीपाप नाम का वैक्टीरिया पैदा हो गया है। अमीबा नाम का वैक्टीरिया पैदा हो गया है। एक चुल्लू भर पानी लेने से 1 लाख 26 हजार वैक्टीरिया उसके अन्दर मिलते हैं और अगर आदमी उससे नहा ले तो उसके शरीर में चर्म रोग हो जाता है और पानी पी ले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो बीमार हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि लगभग 20 प्रतिशत लोग केवल अशुद्ध पेयजल के कारण लखनऊ के अन्दर बीमार पड़े हुए हैं। आक्सीजन की मात्रा गोमती नदी में बिल्कुल कम हो गयी है। ट्यूबवेल जो चल रहे हैं, भू-जल प्रदूषित हो गया है। हैण्डपम्प से जो पानी निकल रहा है, वह प्रदूषित हो रहा है। लखनऊ शहर के हर मोहल्ले के अन्दर 2-2, 4-4, 10-10 मरीज संक्रामक रोगों से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती हैं, यह बात चारों तरफ जानने के बाद भी, अखबारों के लिखने के बाद भी, हमारे नगर विकास मंत्री जी लखनऊ में रहते हैं, मगर इनको चिन्ता नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था, आपने भले ही अपनी पीठ थपथपा ली कि एसटीपी बना लिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बना लिया है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको इस बात की जानकारी है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट कितने प्रतिशत पानी को शुद्ध करता है ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि केवल 30 प्रतिशत पानी सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट से शुद्ध होता है और बाकी 70 प्रतिशत अशुद्ध पानी गोमती नदी के अन्दर बहता है और वही पानी सप्लाई करके लखनऊ की जनता को पिलाया जा रहा है। लखनऊ के अन्दर सीवर लाइन, वाटर लाइन, दोनों पैरलल पड़ी हुई हैं, यह टूट गई हैं, या मिल गई हैं जिसके कारण अशुद्ध पेयजल लोगों के घर पहुंच रहा है। जो नालियां हैं, उनके अन्दर से पानी की पाइप लाइन जाती है, उनके टूटने के कारण उसमें गंदा पानी और मल-मूत्र प्रवेश कर जाता है, यह बड़ी समस्या है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस अविलम्बनीय और लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, नोटिस में हम दोनों के हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष-

हस्ताक्षर हैं लेकिन क्या आपको इससे कुछ अलग बताना है ?

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी के अन्दर इस उत्तर प्रदेश का सदन बैठा हुआ है जिसके अन्दर आप भी इस कुर्सी पर विराजमान हैं। मान्यवर, इस प्रदूषित जल का प्रकोप इस विधान सभा के अन्दर हो जाये तो क्या होगा। लखनऊ में 40-50 लाख की आबादी है। तीन तरह से लखनऊ की आबादी को जल मिलता है। 50 प्रतिशत आबादी गोमती नदी से अगर पानी में हाथ डाल दिया जाये तो हजारों बैक्टीरिया हाथ में चिपक जाते हैं आज उस गोमती नदी के अन्दर स्वीमिंग पूल खुले हैं उनमें छोटे-छोटे बच्चे नहाते हैं। गोमती नदी का पानी पूरी तरह से अशुद्धि है। मान्यवर, पूरा लखनऊ अस्वस्थ हैं। प्रतिवर्ष कई मौतें होती हैं। पिछली बार खदरा में कई मौतें हुईं। उससे पहले आलमबाग में प्रेम नगर में कई मौतें हुई, आजाद नगर में हुई। मान्यवर, प्रतिवर्ष कई सौ मौतें इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, समय समाप्त हो गया अब आप बैठ जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो तिहाई क्षेत्र में आज तक सीवर नहीं पड़ा है। आज जब पानी बरसता है तो कमर-कमर तक जलभराव होता है। उसी जल भराव में जो पानी की पाइप हैं उनमें पानी नहीं होता है लेकिन हर घर में जब मोटर ऑन होता है तो उस पाइप लाइन के द्वारा सीवर और जल भराव का पानी लोग पानी टंकियों में भर रहे हैं। सीवर का पानी पीकर के हमारी विधान सभा क्षेत्र के लोग बीमार हो रहे हैं। मान्यवर, हुसैनगंज, गणेशगंज, मकबूलगंज, इसके अलावा मान्यवर, बारूदखाना, जयनारायण लेन में सीवर और पानी दोनों मिलकर घर के अन्दर पहुंच रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के नगर विकास मंत्री जी को अपने क्षेत्र को छोड़कर पूरे लखनऊ की चिंता नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ में सीवर कार्य प्रारम्भ कराया जाये। मेरे क्षेत्र में सीवर कार्य कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप बस करिये। आप लोगों को हम मौका देते हैं लेकिन आप थोड़े में अपनी बात रख दिया करिये ताकि और लोगों को भी अवसर मिल सके। आप बार-बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। तिवारी जी अब आपकी बात नोट नहीं की जाएगी। अब आप बंद करिये। अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने इस सूचना पर माननीय श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। लेकिन फिर भी जनहित में यह सूचना शासन के संज्ञान में लायी गयी है कि प्रदूषित पेयजल पीने के लिए नगरवासियों को मजबूर होना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी इसको जरूर दिखवा लीजिए। जैसा माननीय श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी ने कहा है अगर ऐसी कहीं स्थिति है तो इसको ठीक करायें।

अगला, श्री राघव लखन पाल शर्मा जी हैं, वह नहीं है, इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं। श्री अनूप सण्डा जी आप अपनी बात दो मिनट में रख दें।

*श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, यह रमजान का महीना चल रहा है और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए यह रमजान का महीना इबाबत का महीना होता है। पूरे एक महीने तक हमारे मुसलमान भाई रोजा रखते हैं, भूखे-प्यासे रहते हैं और खुदा की इबाबत करते हैं। और ये वही समय है मान्यवर। शाम के समय इफ्तारी के बाद तरावीह पढ़ते हैं, रात में तीन बजे उठ करके शहरी करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये सिस्टम तो सब लोग जानते हैं, मेन बात कहिये।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, इस बात के महत्व को समझते हुये, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बयान दिया था कि पूरे रमजान माह के दौरान ये कोशिश की जायेगी और ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा कि अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, रात में विद्युत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटौती न हो, लेकिन मान्यवर, हो ये रहा है पूरे प्रदेश में कि जो विद्युत कटौती का आलम था, पहले से ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र सुल्तानपुर से चुन करके आता हूं, वह अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। वहां पर हालत यह है मान्यवर, कि पूरी-पूरी रात बिजली नहीं आती, हमारे मुसलमान भाई तरावीह पढ़ने के लिये परेशान होते हैं, शहरी खाने के लिये परेशान होते हैं लेकिन मान्यवर, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बात इतने तक ही नहीं है मान्यवर, हमने अपनी नोटिस में भी जिक्र किया है कि जो विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित सामान हैं, तार हो गये, ट्रांसफॉमर्स हो गये, ब्रेकर्स हो गये, पोल हो गये, इनके अनुरक्षण की व्यवस्था इतनी खराब है कि मान्यवर, आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। सुल्तानपुर में पिछले एक सप्ताह के अन्दर तीन लोगों की मौत हो गयी है बिजली का तार टूटने से 31 जुलाई को इमरान नाम का 15 साल का बच्चा जो अपने मां-बाप की इकलौती संतान था, एक चाय की दुकान पर बैठा था, रोजे से था, 11000 की लाइन का एक बिजली का तार टूट करके गिरा और वह बच्चा वहीं पर खत्म हो गया। उस घटना के चार दिन बाद, यह सरकार दलितों के उत्थान वाली सरकार है, दलित समाज की दो कन्याओं 13 साल की रंजना और 11 साल की लड़की प्रतिमा बकरी चरा रही थीं, उनके ऊपर तार टूट करके गिरता है और वे वहीं मर जाती हैं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहते है कि इन दलित बालिकाओं की जान की कीमत 5-5 हजार रुपये लगायी गयी है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने जा करके 5 हजार रुपये देने का काम किया है, यह शर्म की बात है। हम आपके माध्यम से इस सदन में मांग करना चाहते हैं कि जो अधिकारी विद्युत आपूर्ति के उपकरणों के रख-रखाव के दोषी हैं। मान्यवर, सुल्तानपुर शहर में 132 के0बी0ए0 का दरियागंज में सब स्टेशन है, वहां 10 एम0वी0ए0 का पावर ट्रांसफॉमर लगा हुआ था और मान्यवर, उसकी कूलिंग की उचित व्यवस्था नहीं की गयी, उसका रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया गया, उससे पूरे अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके को विद्युत आपर्ति होती थी, वहां पर विद्युत ट्रांसफॉमर जल गया इससे शहर के पूरे सभी मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से मात्र इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त गंभीर मसला है। रमजान मास के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि रात में कम से कम बिजली की कटौती न हो और सुल्तानपुर मे जो तीन लोग मारे गये हैं विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से, उनको 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ये बहुत पुरानी परम्परा रही है सदन की कि रमजान के महीने में रोजा इफ्तार के पहले सदन उठ जाया करता था। शाम के 6.40 तक आप बैठे हैं मान्यवर, रोजा इफ्तार कब होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी भावनाओं का आदर कर रहा हूं और रोजा इफ्तारी के पहले हो जाना चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सभी जिला मुख्यालयों में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक अनिवार्य रूप से तथा दिन में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय व्यवधान या कभी-कभी ग्रिड की सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन

लिमिटेड द्वारा पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करने हेतु पोल, तार, प्रवर्तक, ब्रेकर्स आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जहां तक सुल्तानपुर की घटना का प्रश्न है मान्यवर, इसकी जांच के निर्देश दिये गये हैं, जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनूप जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

चौहान जी, दो मिनट में आप कह दें।

श्री मदन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी मैंने नियम-56 में जो सूचना दी थी, उस पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मेरा गढ़मुक्तेश्वर कस्बा है और वह कम से कम 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर कानून-व्यवस्था इतनी खराब है कि रास्ते में कोई लूट जाये, कोई मर जाये तो कोई पूछने वाला नहीं है। उसके दो दृष्टान्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 30 जुलाई की घटना है, एक नेशनल हाई-वे पर श्याला चौराहा आता है, जो वृजघाट के पास है, बहुत ही व्यस्त चौराहा है। मान्यवर, एक युवती जो दलित समाज की थी, वह चौराहे पर खड़ी थी और इतनी भीड़ थी तभी तीन युवकों ने आकर के उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद में उसको कहीं ले गये और उसके साथ गैंग रेप किया। मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि जहां पर दलित महिला का शासन चलता हो, दलित डी0एम0 हो, दलित कप्तान हो, दलित इंस्पेक्टर हो, दलित एस0डी0एम0, दलित एस0एस0आई0 हो, उसके बावजूद भी ऐसे चौराहे पर जो व्यस्तम हो वहां पर एक दलित युवती के साथ गैंग रेप हो जाये तो यह शर्म की बात है, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करिये।

श्री मदन चौहान-

जैसे ही किसी युवक ने उसे देखा तो उसने एस0एस0आई0 को फोन किया। एस0एस0आई0 ने कहा कि इसे छुड़ाकर के उसके घर भेज दो। मान्यवर, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो 31 तारीख को सभी लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, दलित समाज के बहुसंख्यक लोग थे और उन्होंने दरोगा की भी पिटाई की, तब जाकर के एफ0आई0आर0 दर्ज हुई।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करिये।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, दूसरी 26 जून की बात है। मान्यवर, 25 जून को 5 किलोमीटर की दूरी पर दो गांव है, वहां पर नया गांव से प्रीतम की बारात गई थी और जैसे ही दूल्हा और दुल्हन लौट रहे थे तो बीच में आकर उनको रोक लिया गया, वहीं पर सिर्फ दो किलोमीटर की दूरी के बीच में, उनके गहने इत्यादि भी लूटा लिये गये और उन्हें तमाम तरह से प्रताड़ित करने का काम किया गया। मान्यवर, उस घटना का किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। मान्यवर, इसी तरह से कई घटनायें ऐसे ही हो गई है, जैसे चौराहे पर युवतियों को मार के डाल देना और उनका पता न चलना। 20 जून को श्याला चौराहे पर वेदान्त कालेज के पास एक 17 साल की लड़की की हत्या करके फेंक दी गई, कोई पूछने वाला नहीं था। एक रशियन लड़की को बदमाशों ने चाकुओं से गोद दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया है। विधेयक जिन लोगों का था वह चले गये हैं। मा0 सदस्य आपने एक घटना का जिक्र करने के लिये नोटिस दिया था, अब आपका समय समाप्त हो गया है। जिनकी सूचना चयनित थी, उनकी हो गई है अब बाकी कल दे दीजियेगा। मैंने श्री मदन चौहान जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं लेकिन जिस घटना के सन्दर्भ में श्री चौहान जी ने जिक्र किया है, मैं उसके प्रति शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मिथिलेश पाल जी आप की अन्तिम सूचना है अगर आपको कुछ कहना है तो कहिये, नहीं तो कल कह लीजियेगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी कई मा0 सदस्य जिनका आपने नाम पुकारा वह उपस्थित नहीं है, उनकी जगह जो लोग बैठे हैं, उनकी सूचना ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 नहीं है कि उनकी जगह पर किसी को एजेस्ट किया जायेगा। बहुत समय हो गया है, आप कल दे दीजियेगा, हम सुन लेंगे। नियम से आइये तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी सिंचाई विभाग में 1800 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के साक्ष्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिये हैं। मा0 अध्यक्ष जी श्री अशोक कुमार सिंह जो मेरठ में मध्य गंगा में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर और ठेकेदार से सांठगांठ करके 1800 करोड़ का भुगतान कर लिया है। मा0 अध्यक्ष जी, जो एक श्री शान्ति प्रसाद स्वामी, अधीक्षण अभियन्ता थे, उन्होंने इस घोटाले में इन्वॉल्व होने से इंकार कर दिया तो उसके पद पर श्री वचन सिंह अधिशासी अभियन्ता को स्थानान्तरित कर दिया।

और श्री ए0के0 सिंह अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भी, श्री मोती लाल मुख्य अभियन्ता, श्री देवेन्द्र मोहन प्रमुख अभियन्ता, श्री जयपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिकारी अभियन्ताओं को हमसाज कर अतिमहत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर व अनेकों कूट रचनाकारित कार्य कराकर आर्बिटेशन की दुरभिसंधि के तहत जहां हजारों पम्प दिखा कर लाखों पम्पों का लगाना दिखा कर भुगतान कर दिया गया है, तो माननीय अध्यक्ष जी इसमें और भी 93 करोड़ के भुगतान की ठेकेदारी की दुरभिसन्धि के राजकोष लूटने का यह जो इसने जुर्म किया है, तो माननीय अध्यक्ष जी मैं चाहूंगी कि इस प्रकार कुल मिलाकर ठेकेदार आर्बिटेशन की दुरभिसन्धि में लगभग 18 सौ करोड़ का राजकोष लूटने हेतु श्री सैनी के विरुद्ध आरोप लगाया है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ जिन अधिकारी/कर्मचारियों के साथ खाकर राजकोष को लुटा तो मैं चाहूंगी कि आप इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और उन्हें दण्डित करें और माननीय अध्यक्ष जी इस पैसे को जो 18 सौ करोड़ रुपये का एक तरह से राजकोष को धोखा दिया गया है, अधिकारियों/कर्मचारियों ने जो मिल कर खाया है इस पैसे को अगर यह सरकार गरीबों के नेक कार्यों में जैसे कि विधवा पेंशन में, इन्दिरा आवास में और अन्य कार्यों में लगाती तो ज्यादा अच्छा रहता। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोषियों के खिलाफ मैं चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाय और इनको निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है, श्रीमती पाल जी अब आप बैठिये। मैंने श्रीमती पाल को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं, लेकिन मा0 सदस्या ने जो तथ्य शासन के संज्ञान में लाये हैं उन पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यगण जो इसमें संशोधन लगाये हैं लगता है वह चले गये हैं तो इस पर अब विचार कर लिया जाय। मान्यवर, वैसे इसमें कुछ था ही नहीं। उन्होंने जब बाद में इसे पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यह प्रस्तावित संशोधन विधेयक बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है वह लोग चले गये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कोई मा0 सदस्य संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 1984 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, अधिनियम, 1984 की धारा-2 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(घ) 'स्थानीय प्राधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी से है, जिसे स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रयोजन के लिए गठित किया गया हो या जो नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्धन करने के लिए विधिमान्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या अनिगमित कोई सोसाइटी निकाय या संस्था भी है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचित किया गया हो, किन्तु जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या कोई संयुक्त समिति सम्मिलित नहीं है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है और उनमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण समस्त सूचनायें अग्राहय कर दी गयी हैं :-

1-माननीय डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वी0 के0 दुबे, नगर आयुक्त, गोरखपुर तथा गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007,

2-माननीय श्री इमरान मसूद, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री दत्त किशोर तिवारी, थानाध्यक्ष मिर्जापुर जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2009,

3-माननीय श्री रामविशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद-गोण्डा के डुमरियाडीह चौकी इन्चार्ज, श्री संजीव कुमार चौधरी व अन्य तीन सिपाहियों के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 31 अगस्त, 2010,

4-माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, उप-जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 24 सितम्बर, 2010,

5-माननीय श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री ताराचन्द्र, टिकट निरीक्षक, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 10 मई, 2010।

उपर्युक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा लिये गये निर्णय सदन के दिनांक 08 अगस्त, 2011 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल द्वारा श्री वी0के0 दुबे, नगर आयुक्त, गोरखपुर तथा गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री वी0के0 दुबे, नगर आयुक्त, गोरखपुर तथा गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान

सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को उन्होंने विधान सभा के उपवेशन में गोरखपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, जिस पर सदन में चर्चा हुयी थी। दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 को गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्र ''आज'' ''स्वतंत्र चेतना'', ''अमर उजाला'', ''राष्ट्रीय सहारा'' तथा ''दैनिक जागरण'' आदि समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ इस समाचार को प्रकाशित किया गया कि विधान सभा में उक्त मामले को उठाये जाने पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में समिति के कतिपय माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्य, विधान सभा डा0 राधामोहनदास अग्रवाल के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव रखा और उस पर बहस की गयी।

माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में यह कहा है कि नगर आयुक्त के पास सम्पूर्ण विषय का संज्ञान होने के बावजूद उन्होंने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा में उठाये गये विषय के विरोध में 'निन्दा प्रस्ताव' रखा और उस पर कार्यकारिणी के सदस्यों के बहस का अवसर दिया। गोरखपुर नगर निगम के नगर आयुक्त एवं कार्यकारिणी समिति के कतिपय सदस्यों का यह कृत्य उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन ''विधान सभा'' की गतिविधियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा सदन एवं सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन है। माननीय डा0 राधामोहनदास अग्रवाल ने अपनी सूचना में नगर आयुक्त, गोरखपुर नगर निगम तथा गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा 'निन्दा प्रस्ताव' के माध्यम से सदन की गतिविधियों पर टिप्पणियां करके विधान सभा की गतिविधियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने के कारण उनके विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय नगर विकास मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, गोरखपुर की कार्यकारिणी के कतिपय सदस्यों द्वारा चतुर्थ बैठक, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 में माननीय नगर विधायक, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाया गया और उस पर कार्यकारिणी समिति में बहस हुई। मा0 डा0 अग्रवाल ने अपनी सूचना में कहा है कि नगर निगम की कार्यकारिणी समिति में नगर आयुक्त सदस्य नहीं होता है और बैठक में नगर आयुक्त को प्रस्ताव लाने अथवा उसे रोकने का अधिकार नहीं है। उक्त बैठक के लिये जो नियमित एजेण्डा जारी किया गया, उसमें भी यह मद कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं थी। इस सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-101 में यह व्यवस्था है कि ''नगर आयुक्त को (निगम) की अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित किसी समिति, संयुक्त समिति अथवा विशेष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा वहां होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय कोई वक्तव्य अथवा वस्तुस्थिति सम्बन्धी कोई स्पष्टीकरण दे सकता है परन्तु उसे उस अधिवेशन में मत देने अथवा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा।''

माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2008 में यह भी उल्लेख किया कि कोई भी प्रश्न या प्रस्ताव कार्यकारिणी के बैठक में माननीय सभापति की अनुमति से ही उठाया जाता है और चर्चा की जाती है। नगर आयुक्त को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यकारिणी के कार्यवृत्त की पुष्टि कार्यकारिणी की अगली बैठक में सर्वसम्मत्ति के आधार पर की गयी है और इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति एवं कार्यकारिणी के सभापति (मा0 महापौर) ही निर्णय लेते हैं, नगर आयुक्त द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती है। कार्यकारिणी की बैठक, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 में श्रीमती राजकुमारी देवी, श्री श्रवण कुमार यादव, श्री तहव्वर हुसैन द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि माननीय नगर विधायक द्वारा विधान सभा में भी नगर निगम की छवि धूमिल करने की कोशिश की गयी, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नगर निगम, गोरखपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपनी बैठक, दिनांक 7 मार्च, 2008 में प्रश्नगत मामले में पुनः विचार करके उनके उक्त वक्तव्य के अंशों को तथा निर्णय में ''एवं विधान सभा'' अंश को कार्यवाही से निकलवा दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने वाले कार्यकारिणी के सदस्यगण, श्रीमती राजकुमारी देवी, श्री श्रवण कुमार यादव, श्री तहव्वर हुसैन, श्री सूर्य प्रकाश पाण्डेय, श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री हरिकेश प्रसाद, श्री गिरजेश पाल, श्री अशरफ अली एवं श्री देवेन्द्र गौड़ तथा महापौर, श्रीमती अन्जु चौधरी, नगर आयुक्त श्री विजयकान्त दुबे एवं उप सभापति, श्री रामदयाल के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। महापौर के अतिरिक्त कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों एवं नगर आयुक्त ने एक ही भाषा का प्रयोग करते हुये अवगत कराया है कि नगर विधायक के विरुद्ध विधायी कार्यों के प्रति जानबूझकर कोई असम्मानजनक कृत्य नहीं किया गया। फिर भी उनके द्वारा किये गये किसी कार्य से माननीय सदन या माननीय नगर विधायक के सम्मान में यदि किसी प्रकार का कार्य पाया गया हो तो उसके लिये बिना शर्त माफ करने की प्रार्थना के साथ ही इस प्रकरण को समाप्त किये जाने का भी अनुरोध किया गया।

कार्यकारिणी के एक अन्य सदस्य श्री सुरेन्द्र जायसवाल ने अपने स्पष्टीकरण द्वारा अवगत कराया कि उन्होंने मा0 नगर विधायक डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की थी और न उक्त निन्दा प्रस्ताव का समर्थन ही किया था।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक, दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 में माननीय सदस्य डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा अभिसूचित प्रकरण के सम्बन्ध में प्रयुक्त किये गये वक्तव्य के अंश ''मा0 नगर विधायक जी द्वारा विधान सभा में भी नगर निगम की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है जो किसी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है'' तथा निर्णय में ''एवं विधान सभा'' अंशों को दिनांक 07 दिसम्बर, 2007 की बैठक में पुनः विचार करके कार्यवृत्त से निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में मा0 डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल द्वारा आरोपित व्यक्तियों द्वारा बिना शर्त माफी की याचना भी प्रस्तुत की गयी है, अतः समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अब इस प्रक्रम पर मैं प्रश्नगत मामले को समाप्त करता हूँ।

श्री इमरान मसूद, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री दत्त किशोर तिवारी, थानाध्यक्ष मिर्जापुर, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री इमरान मसूद, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्रीदत्त किशोर तिवारी, थानाध्यक्ष मिर्जापुर जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को दोपहर 12.45 बजे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से थानाध्यक्ष-मिर्जापुर, जनपद-सहारनपुर को उनके सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर 9454404189 पर अपना परिचय देते हुये अपनी बात कहनी चाही किन्तु थानाध्यक्ष द्वारा अमर्यादित व्यवहार करते हुये यह कहा गया कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ हैं, फोन बन्द कर दिया। इसकी सूचना माननीय सदस्य ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-सहारनपुर को सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर 9454400308 पर दी। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि थानाध्यक्ष द्वारा किया गया व्यवहार अत्यन्त अनुचित एवं आपत्तिजनक था तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन होने के साथ ही उनके विशेषाधिकार का हनन भी है।

प्रश्नगत मामला यद्यपि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार-हनन की परिधि में नहीं आता है फिर भी माननीय सदस्य के प्रति आरोपित थानाध्यक्ष द्वारा किये गये कथित अमर्यादित व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुये इस विषय में प्रमुख सचिव, गृह विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-1 ने अपने पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2010, जिसके साथ श्री अमित चन्द्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की आख्या, दिनांक 15 दिसम्बर, 2009, श्री पूरन सिंह, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण सहारनपुर की आख्या दिनांक 11 नवम्बर, 2009 तथा श्री अमित चन्द्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा माननीय श्री इमरान मसूद, सदस्य, विधान सभा को लिखे गये पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2009 की प्रतियां संलग्न की गयी हैं, में यह कहा कि ''प्रश्नगत मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा माननीय श्री इमरान मसूद को अवगत कराया जा चुका है।''

तदुपरान्त इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री इमरान मसूद से उनके इस तथ्य की पुष्टि के लिये कि क्या माननीय सदस्य इस मामले में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं चाहते हैं, उनके अभिमत की जानकारी के लिये पत्राचार किया गया परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी माननीय सदस्य का अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें विशेषाधिकार-हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राहय करता हूँ।

श्री राम विशुन आजाद, सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद-गोण्डा के डुमरियाडीह चौकी इन्चार्ज श्री संजीव कुमार चौधरी व अन्य तीन सिपाहियों के विरुद्ध दिनांक 31 अगस्त, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राम विशुन आजाद, सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद-गोण्डा के डुमरियाडीह चौकी इन्चार्ज, श्री संजीव कुमार चौधरी व अन्य तीन सिपाहियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की सूचना, दिनांक 31 अगस्त, 2010 अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लेख किया गया है कि वह दिनांक 22 अगस्त, 2010 अपराहन 2.15 बजे ग्राम कटरा जगदीशपुर चौकी डुमरियाडीह के निवासी अपने एक रिश्तेदार, श्री भगेलू के पुत्र रवीन्द्र कुमार की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके निवास पर शोक-संवेदना प्रकट करने गये थे। जब माननीय सदस्य वापस लौट रहे थे तो उन्होंने ग्राम में कुछ ग्रामवासियों एवं डुमरियाडीह के चौकी इन्चार्ज एवं तीन सिपाहियों को एक ग्रामवासी के निवास पर इक्टठा देखा। उन्होंने मामले की जानकारी करने हेतु एस0आई0 को अपना परिचय बताया। एस0आई0 द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही मा0 सदस्य के प्रति शिष्टाचार का पालन किया गया। माननीय सदस्य के कहने पर कि कम से कम शिष्टाचार का पालन तो करिये, एस0आई0 ने जवाब दिया कि यदि मैंने शिष्टाचार का पालन नहीं किया है तो आप मेरी शिकायत ऊपर कर दें। माननीय सदस्य उनकी अभद्रता देख जब वापस चलने लगे तो एक सिपाही द्वारा मा0 सदस्य को बताया गया कि कुर्की हो रही है। माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना में आगे यह उल्लेख किया गया है कि एस0आई0 द्वारा उनके प्रति प्रदर्शित व्यवहार एवं आचरण से माननीय सदस्य को कष्ट पहुंचा है एवं उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है। माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना में, शिष्टाचार सम्बन्धी जारी शासनादेशों की अनेदखी करते हुये उनके प्रति किये गये अशिष्ट व्यवहार के लिये, सम्बन्धित एस0आई0 के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पत्र दिनांक 07 फरवरी, 2011 के माध्यम से श्री संजीव कुमार चौधरी, चौकी इंचार्ज डुमरियाडीह, गोण्डा का स्पष्टीकरण प्राप्त करके प्रेषित किया गया है। श्री संजीव कुमार चौधरी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 22 अगस्त, 2010 को वह माननीय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, गोण्डा द्वारा वाद संख्या 264/08, धारा-399/402 भा0द0वि0 व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त नन्द प्रसाद वर्मा पुत्र हरीराम वर्मा, निवासी-कटरा जगदीशपुर, थाना वजीरगंज, गोण्डा के विरुद्ध जारी कुर्की की कार्यवाही अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कर रहे थे, उसी दौरान माननीय सदस्य श्री राम विशुन आजाद मौके पर आ गये तथा उनसे अभियुक्त नन्द प्रसाद वर्मा की कुर्की न करने हेतु दबाव डालने लगे। श्री चौधरी द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के दृष्टिगत माननीय सदस्य की इच्छा के अनुरूप कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की गयी और न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। अपने स्पष्टीकरण में श्री चौधरी ने यह भी उल्लेख किया है कि कदाचित माननीय सदस्य इसी बात पर नाराज हो गये और वह श्री चौधरी के प्रति धमकी भरे शब्द कहते हुये चले गये।

श्री चौधरी द्वारा इस बात का उल्लेख चौकी के रो0 आम रपट संख्या 9 पर किया गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस प्रकरण में मा0 सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप क्षेत्राधिकारी तरबगंज, गोण्डा द्वारा की गयी जांच एवं मौके पर मौजूद ग्रामवासियों के बयान से गलत पाये गये। जांच में यह पाया गया कि उप निरीक्षक द्वारा माननीय विधायक जी का सम्मान किया गया था।

प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना में लगाये गये आरोपों के सन्दर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उक्त पत्र दिनांक 07 फरवरी, 2011 तथा उसके साथ प्राप्त श्री संजीव कुमार चौधरी, चौकी इन्चार्ज, डुमरियाडीह, गोण्डा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य की श्री चौधरी से उस समय वार्ता हुई थी जब श्री चौधरी मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की कार्यवाही कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उक्त घटना का कोई सम्बन्ध सदन अथवा उसकी किसी समिति के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य से नहीं था। अतः प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

तद्नुसार मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राहय करता हूँ।

श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, उप-जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर के विरुद्ध दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, उप-जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को विशेषाधिकार-हनन की सूचना अभिसूचित की गयी थी।

माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी उक्त सूचना में यह कहा गया है कि वह दिनांक 22 सितम्बर, 2010 को अपराह्न 12.30 बजे उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर के कार्यालय-कक्ष में वह अपने दो सहयोगियों के साथ गये थे तथा क्षेत्रीय विधायक होने का अपना परिचय भी श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ को दिया था किन्तु उसके बाद भी उप जिलाधिकारी, श्री मिश्रा ने माननीय श्री चौहान के साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया और अपने मोबाइल पर किसी अन्य से बात करने में व्यस्त रहे। मोबाइल पर बात समाप्त होने के बाद भी श्री मिश्र ने न तो उन्हें यथोचित सम्मान दिया और न ही उनसे कार्यालय में आने का कारण ही जानना चाहा बल्कि यह कहा कि वह क्षेत्रीय विधायकों की समस्याओं को कहां तक सुने और उनका निराकरण करायें। उप जिलाधिकारी के उपेक्षित व्यवहार से माननीय श्री चौहान व्यथित होकर उनके कार्यालय-कक्ष से बाहर आ गये। माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में आगे यह भी उल्लेख किये हैं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ किया गया उक्त व्यवहार अशोभनीय होने के साथ-साथ दण्डनीय भी है। उप जिलाधिकारी के द्वारा माननीय सदस्य के साथ किया गया दुर्व्यवहार माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन है तथा विधायिका का अपमान भी हैं माननीय श्री चौहान

द्वारा अपनी सूचना के अन्त में श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, उप-जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रेषित-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2011 के माध्यम से श्री चन्द्र शेखर मिश्र, उप जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है जिसमें श्री चन्द्रशेखर मिश्र द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि माननीय विधायक, सिकन्दराराऊ, श्री यशपाल सिंह चौहान दिनांक 22 सितम्बर, 2010 को उनके कार्यालय-कक्ष में अपने सहयोगियों के साथ पधारे थे। कार्यालय-कक्ष में आने पर उन्होंने अपनी सीट से उठकर माननीय विधायक जी का अभिवादन, सत्कार किया तथा उन्हें ससम्मान कुर्सी पर बैठाया व उनके सहयोगियों को भी बैठने के लिये कुर्सियां दी, तत्पश्चात् माननीय विधायक जी द्वारा बतायी गयी समस्याओं को गम्भीरता से सुना तथा यथासम्भव निराकरण करने की बात कही। श्री मिश्र द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय विधायक जी का किसी प्रकार का कोई असम्मान नहीं किया गया, फिर भी यदि माननीय सदस्य को किसी बात से अप्रसन्नता हुई हो तो उसके लिये उन्हें खेद है।

प्रश्नगत मामले में मेरे अवलोकनार्थ भेजे गये तथ्यों से यह विदित होता है कि माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा श्री चन्द्रशेखर मिश्र, उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ से क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में मिलने गये थे जिसका सदन या उसकी किसी समिति से सम्बन्धित कार्य से सम्बन्ध नहीं था। अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है किन्तु माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान द्वारा की गयी उक्त शिकायत एवं उक्त श्री चन्द्रशेखर मिश्र, उप जिलाधिकारी के कथनों के आलोक में मैं यह अपेक्षा करता हूं कि शासन स्तर से इस आशय के कड़े निर्देश पुनः जारी किये जायं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्यगण के प्रति शासन के अधिकारियों द्वारा सम्मानजनक व्यवहार एवं शिष्ट आचरण का प्रदर्शन किया जाना चाहिये।

इसी के साथ मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राहय करता हूं।

श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ताराचन्द्र, टिकट निरीक्षक, उ0रे0, मुरादाबाद मण्डल के विरुद्ध दिनांक 10 मई, 2010 को अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ताराचन्द्र, टिकट निरीक्षक, उ0रे0, मुरादाबाद मण्डल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 10 मई, 2010 अभिसूचित की गयी।

माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10 मई, 2010 को वह अपने परिवार के 5 सदस्यों सहित रेलगाड़ी नम्बर 2237 से लखनऊ से जम्मूतवी के लिये यात्रा पर थे। मुरादाबाद में श्री ताराचन्द्र, टिकट निरीक्षक, उ0रे0, मुरादाबाद मण्डल उनके पुत्र भूपेन्द्र सिंह व भाई बिशुन कुमार से बोले कि दो बर्थें उन्हें दे दें और वह दोनों लोग अपने साथ की बर्थों पर एक में दो लोग समायोजित होकर यात्रा करें। माननीय सदस्य के पुत्र ने कारण जानना चाहा तो श्री ताराचन्द्र ने कहा कि यह बर्थें उन्हें दूसरे को देनी हैं उस समय रात के लगभग 12.00 बजे थे,

माननीय सदस्य अस्वस्थ होने के कारण लेटे-लेटे घटनाक्रम सुन रहे थे। आवाजें तेज होने पर जब वह उठे तो देखा कि श्री ताराचन्द्र, जो शराब के नशे में थे, ने उनसे कहा कि विधायक के साथ मात्र एक अन्य व्यक्ति चल सकता है और कोई नहीं। माननीय सदस्य द्वारा नियमों के विषय में जानकारी करने पर श्री ताराचन्द्र ने अनर्गल वार्तालाप आरम्भ कर दिया। माननीय सदस्य ने कहा कि उनके पास टिकट है, जो रेलवे विभाग द्वारा आरक्षित किया गया है। श्री तारा चन्द्र ने टेलीफोन पर सहारनपुर स्टेशन पर पुलिस बुलाने की बात कही तथा माननीय सदस्य के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। श्री तारा चन्द्र ने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कहा कि जुर्माना लिये बगैर गाड़ी पर चलने नहीं देंगे और जुर्माना न देने पर जेल भेज देंगे। माननीय सदस्य अपने पारिवारिक व्यक्तियों को जेल जाने से बचाने हेतु श्री ताराचन्द्र द्वारा बताये गये रुपये 13,000/- जुर्माना दे दिया किन्तु श्री ताराचन्द्र द्वारा मात्र 6,460/- की रसीद (सं0 845891) दी गई। बाकी की रसीद मांगने पर कहा गया कि 6,540/- रु0 की रसीद सहारनपुर में मजिस्ट्रेट से मिलेगी, तब देंगे। सहारनपुर पहुंचने पर श्री तारा चन्द्र स्टेशन पर उतरे और रसीद लेने हेतु माननीय सदस्य भी उतरे किन्तु ताराचन्द्र नहीं मिले और गाड़ी जम्मू चली गयी। सहारनपुर में कोई उच्चाधिकारी नहीं मिल सका। स्टेशन पर उन्होंने तारा चन्द्र के बारे में जानकारी ली तो अन्य टिकट निरीक्षकों से पता चला कि श्री ताराचन्द्र द्वारा अनेक ऐसी घटनाएं की गयीं हैं जिनमें उनका निलम्बन भी हुआ है। माननीय सदस्य को अकेले रह जाने के कारण सुरक्षा का भय व्याप्त हुआ और परेशान होकर प्राइवेट टैक्सी से दिनांक 11 मई, 2010 को लखनऊ वापस आ गये।

माननीय सदस्य द्वारा, श्री ताराचन्द्र द्वारा शराब के नशे में विधायक पद की गरिमा का अपमान करने, आरक्षित टिकट पर दर्ज 5 नामों सहित आरक्षण होने के बावजूद लिये गये जुर्माने से कम की रसीद देने, माननीय सदस्य के परिवार को भयभीत करने व पुलिस बल का सहयोग लेकर सुरक्षा का खतरा पैदा करने एवं विधायक की छवि धूमिल करने, माननीय सदस्य के परिवारजन के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने तथा श्री ताराचन्द्र द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की जांच कराने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्रा, मण्डल रेल प्रबन्धक, उ0रे0, मुरादाबाद के माध्यम से श्री ताराचन्द्र, टिकट निरीक्षक का स्पष्टीकरण एवं जांच आख्या प्राप्त की गयी।

श्री रमेश चन्द्रा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मामले में जांच करायी गयी और साक्ष्यों एवं बयानों से यह तथ्य सामने आये कि श्री सुन्दर लाल लोधी का परिवार (दिनांक 10 मई, 2010 को) यात्रा कर रहा था और श्री सुन्दर लाल लोधी स्वयं मौजूद नहीं थे। यात्रा कर रहे पारिवारिक सदस्यों के टिकट सदस्य, विधान सभा को जारी आर0टी0सी0 कूपन के माध्यम से बुक कराये गये थे। नियमानुसार माननीय विधायकों को जारी आर0टी0सी0 कूपन से जारी टिकट पर यात्रा कर रहे व्यक्ति बिना टिकट माने जाते हैं जब तक स्वयं विधायक टिकट के साथ यात्रा न कर रहा हो। प्रश्नगत मामले में दिनांक 15 मई, 2010 को रेलगाड़ी नम्बर 2237 में जांच के दौरान श्री ताराचन्द्र, उप मुख्य टिकट निरीक्षक द्वारा नियमों एवं गाइड लाइन के अन्तर्गत ही कार्यवाही की गयी है।

श्री ताराचन्द्र द्वारा भी अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि मुरादाबाद में जांच के समय विधायक कूपन पर पीएनआर न0 230-4498207 से 6 यात्रियों, श्री एस0एल0 लोधी, श्री वी0 सिंह, श्री वी0 कुमार, श्री नन्द किशोर, श्री विजय एवं श्री राजू के लिए जारी टिकट का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि विधायक, श्री सुन्दरलाल लोधी अस्वस्थ होने के कारण यात्रा पर नहीं आये हैं। विधायक के साथ न रहने पर उनके कूपन से जारी टिकट पर यात्रा कर रहे अन्य 5 सदस्यों को बिना टिकट मानते हुए रु0 4590/- तथा अतिरिक्त किराया 1870/- कुल रु0 6460/- मात्र लेकर उक्त लोगों की सहमति से टिकट जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। श्री ताराचन्द्र ने यह भी बताया कि वह कभी शराब का सेवन नहीं करते हैं और उन पर लगाये गये अन्य आरोप भी निराधार हैं।

माननीय श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना मण्डल रेल प्रबन्धक, उ0रे0, मुरादाबाद से प्राप्त जांच आख्या, आरोपित टिकट निरीक्षक का स्पष्टीकरण, साक्ष्यों एवं तत्सम्बन्धी रेलवे के नियमों के परिशीलन से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इस मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को श्री विनोद चतुर्वेदी एवं श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा

(श्री विनोद चतुर्वेदी को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखे जाने हेतु पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी रखें। माननीय विनोद चतुर्वेदी आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी कर गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा 6 नवम्बर, 2007 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि ''इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाये तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।''

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि इस पर चर्चा को जारी रखने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, तब तक आप जनंसख्या वृद्धि पर स्टे कर दें यह अगले सत्र में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अपनी-अपनी जिम्मेदारी आप लोग ले लें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इस पर बहुत दिनों से चर्चा जारी है। यह महत्वपूर्ण विषय है। आप चाहें तो पुनः जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उस पर चर्चा जारी कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर को सम्मिलित करते हुए पूर्वांचल प्रदेश का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों-बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर को सम्मिलित करते हुए पूर्वांचल प्रदेश का गठन किया जाय।''

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी रखें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, चर्चा जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।''

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिए भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सतपाल सिंह आदि द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भू-गर्भ जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिए भू-गर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनायी जाय।''

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 अगस्त, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ स्थित मेहनगर में अधूरे पड़े डाक बंगले का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद खां की मेरठ स्थित जामा मस्जिद खैर नगर में पानी भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री उदयराज की उन्नाव स्थित मौरावां तथा हिलौली के गांवों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की नगर निगम इलाहाबाद द्वारा विधि विरुद्ध गृहकर मूल्यांकन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर स्थित विलासपुर में फायर स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री राम विशुन आजाद की देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत गन्ना विकास समिति मनकापुर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री बैजनाथ दूबे की गोण्डा के कटरा बाजार में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जमुना एक्शन प्लान के इम्पलीमेंटेशन में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की भारत सरकार की योजना यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत गोरखपुर नगर निगम को धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थनगर स्थित बॉसी-खेसरहा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ स्थित मुनिश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज में मानदेय के रूप में कार्यरत अध्यापकों को स्थायी किये जाने

के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ, बांकेगंज, कुम्भी अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तेरहवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव की (दीपक यादव) झांसी स्थित धसान नदी पर पुल का निर्माण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौदहवीं सूचना श्री राजेश यादव की सहकारी चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर के व्यापारियों द्वारा उठाये गये चीनी के मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राजदेव सिंह की जौनपुर स्थित सिकरारा-सुजानगंज मार्ग एवं बक्शालोहिन्दा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं स्थित धार्मिक स्थल कछला टाऊन का गंगा नदी से हो रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर में जानसठ बस अड्डे से पचेड़ा रोड तक हॉटमिक्स प्लाण्ट से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना डॉ0 पी0 के0 राय की कुशीनगर के बेंदूपार खलवा टोला स्थित पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया की जनपद फतेहपुर के ग्राम मौजा कूधल में भू-माफियाओं द्वारा ग्राम सभा की भूमि का फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्रीमती मिथलेश पाल की मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड मोरना एवं जानसठ स्थित सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की बलरामपुर स्थित राप्ती नदी पर पिपराघाट पुल न बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा तेइसवीं सूचना श्री श्रीभगवान शर्मा की विधायक को फर्जी आरोपों में फसाने एवं परिवार को सुरक्षा मुहैया न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं :-

श्री ओम प्रकाश सिंह,
श्री अनूप सण्डा,
श्री यशपाल सिंह चौहान,
चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
श्री कृष्ण गोपाल पटेल,
श्री लल्लू सिंह,
डा0 अजय तोमर,
श्री राघवलखन पाल शर्मा,
श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,
श्री राधेश्याम गुप्ता,
श्री श्यामदेव राय चौधरी,
डा0 अनिल चौधरी,

श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
श्री पूरन प्रकाश,
श्री अरविन्द सिंह यादव,
श्री राधेश्याम जायसवाल,
श्री विशम्भर सिंह यादव,
श्री लालजी यादव,
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,
श्री आलोक कुमार शाक्य,
श्री सुरेश कुमार खन्ना,
श्री अनूप कुमार गुप्ता,
डा0 आर0 ए0 उस्मानी,
श्री काशीराम,
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह,
श्री राम प्रकाश यादव,
श्री सुरेन्द्र पटेल,
श्रीमती कृष्णा राज,
श्री राजेन्द्र सिंह,
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
श्री मदन गोपाल उर्फ मदन भैया,
श्री कुबेर सिंह,
श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
श्री रियाज अहमद तथा
श्री इमरान मसूद।

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर के बाढ़ पीड़ितों को सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कि जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर का खादर क्षेत्र लठीरा, काकार्ठर, नयाबांस, गढ़ावली, बलवापुर, नयागांव, अब्दुल्लापुर आदि गंगा किनारे बाढ़ आने पर सभी लोग पीड़ित हुये थे। भारी संख्या में मकान गिरे, फसल नष्ट हुयी, मवेशी बह गये तथा लोग पलायन करके शहर में अन्दर आकर शरण ली। लेकिन आपदा राहत कोष से कुछ चन्द लोगों को सहायता मिली। यह सूचना अविलम्बनीय जनहित से जुड़ी है। अतः इस सूचना पर सरकार से पुनः सर्वे कराकर पीड़ितों को सभी को सहायता अनुदान देने की कृपा करें तथा मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार दिनांक 6-9-2010 को ग्राम वैट में 01 पशुहानि (01 बकरी) हुई। भारत सरकार की गाइड लाइंस के अनुसार पशु मालिक श्री साजिद पुत्र इसरार को रु0 1,000/-का अनुग्रह अनुदान दिया गया है। दिनांक 7-9-2010 को ग्राम दोताई 02 पशुहानि (01 बकरी व 01 बच्चा) हुई जिसके पशु मालिक श्री शरीफ खां को रु0-1,000/- की अनुग्रह अनुदान दिया गया। दिनांक 9-9-2010 को ग्राम खिलवाई में 03 पशुहानि हुई (01 दुधारू गाय, 01 बछिया एवं 01 कटिया) जिसके मालिक श्री ओम प्रकाश को रु0-10,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया गया। तहसील गढ़मुक्तेश्वर में हुयी अतिवृष्टि/बाढ़ आने पर गंगा किनारे खादर क्षेत्र में कुल 06 पशुहानि हुई जिनके मालिकों को कुल रु0 12,000/- का अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया। ग्राम आलमपुर, भगवन्तपुर में दिनांक 20-09-2010 को बाढ़ के पानी से डूबकर श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री दलजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी। भारत सरकार की गाइड लाइंस के अनुसार मृतक की आश्रिता पत्नी श्रीमती हरदीप कौर को रु0 1.00 लाख का भुगतान अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया गया है। इसके अतिरिक्त अहेतुक सहायता मद से 72 लाभार्थियों को रु0 1.44 लाख की धनराशि वितरित की गयी और ग्राम गंगानगर में रु0 70,770/-की खाद्य सामग्री वितरित की गयी है। पशुओं के चारे पर रु0 90,000/-की धनराशि व्यय की गयी और कृषि निवेश अनुदान मद से 690 लाभार्थियों को रु0 10.52 लाख की धनराशि प्रभावित कृषकों को वितरित की गयी। प्रभावित व्यक्तियों के लिये 08 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किये गये। बाढ़ राहत शिविरों की व्यवस्था पर रु0 2,13,127/-की धनराशि व्यय की गयी। कुल 856 मकान क्षतिग्रस्त हुये जिनके स्वामियों को कुल 15.45 लाख की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गयी। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये नावों की व्यवस्था की गयी जिसमें कुल रु0 3.19 लाख की धनराशि व्यय हुई। जिलाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि गढ़मुक्तेश्वर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पुनः सर्वे कराकर सभी प्रभावित व्यक्तियों को भारत सरकार की गाइड लाइंस के अनुसार दैवी आपदा राहत की मद से सहायता धनराशि का वितरण करा दिया गया।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत पान की खेती करने वाले कृषकों की फसल नष्ट होने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष एवं संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[कि जनपद उन्नाव की पुरवा तहसील के विभिन्न ग्रामों में पान की खेती चौरसिया समाज के लोग करते हैं। इस वर्ष अत्यधिक ठण्ड व पाला के कारण समस्त पान की खेती नष्ट हो गयी। सम्पूर्ण पान भीट लगाने वाले लोग बेकारी का शिकार हुये तथा उनका अत्यधिक नुकसान हुआ और वह भुखमरी की कगार पर हैं। अब तक शासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गयी है। जबकि दैवी आपदा, कृषक बीमा योजना अथवा मौसम आधारित बीमा योजना द्वारा क्षतिपूर्ति का प्राविधान है। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा भी इन कृषकों का कोई ध्यान नहीं दिया गया है जिससे यह कृषक निराश हैं।

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव से प्राप्त आख्यानुसार जनपद की तहसील पुरवा में कुल 28 ग्रामों में 233 किसानों की 34.156 हे0 पान की फसल क्षतिग्रस्त हुई थी। तहसील बीघापुर में 08 ग्रामों में 180 पान कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति कुल 17.668 हे0 हुयी थी। उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार की गाइड लाइंस के अनुसार तहसील पुरवा हेतु रु0 1,42,571/- तथा तहसील बीघापुर हेतु रु0 70,672/- कुल धनराशि रु0 2,13,243/- प्रभावित लाभार्थियों को वितरित कर दी गयी है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 9-8-2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 08 अगस्त, 2011

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'ख'

(अता0 प्र0सं0-19 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 44 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2001 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-19 के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत घुघली, परतावल एवं पनियरा में प्रधानामंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन मांगों की सूची।

क्रम सं0	फेज	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लेपन की लम्बाई	व्यय धनराशि	स्थिति
क्षेत्र पंचायत घुघुली							
1	2	UP 5305A	ढेकहीं बासपार से अमसहा अमसही	2.00	2.00	39.76	पूर्ण
2	3	UP 5310	धरमपुर से करमही	0.95	0.95	26.54	पूर्ण
3	4	UP 5315	विरैचा थाना से नौका टोला	1.20	1.20	28.32	पूर्ण
4	4	UP 5315	बांसपार नूतन पिच से गगराई	1.33	1.33	31.27	पूर्ण
5	4	UP 5315	बांसपार नूतन पिच से लक्ष्मीपुर खास	0.60	0.60	19.47	पूर्ण
6	4	UP 5315	तुलसीपुर से गनेशपुर	0.83	0.83	20.81	पूर्ण
7	5	UP 4723	पुरैना पकड़ी से विशुनपुर खास	5.67	5.67	161.35	पूर्ण
8	5	UP 4725	बरवां खुर्द नहर पटरी से धरगपुर	2.50	2.50	73.26	पूर्ण
9	5	UP 4726	मिटौली हरपुर महन्थ से कुर्मी टोला	1.00	1.00	19.67	पूर्ण
10	5	UP 4727	भुवना कप्तानगंज पकड़ियार विशुनपुर से केवटान टोला	2.80	2.80	74.11	पूर्ण
11	5	UP 4729	धरमपुर देउरवां से पोखरभिण्डा	2.10	2.10	60.77	पूर्ण
12	7	UP 4743	शिकारपुर घुघुली से गौरा पिच वाया विशुनपुर घाट	6.70	6.70	300.87	पूर्ण
13	7	UP 4747	टी0-1 से बांसपार खास	8.50	8.30	288.05	पूर्ण
14	7	UP 4750	टी0-3 से टेढ़वा खास	7.90	7.90	299.79	पूर्ण
क्षेत्र पंचायत घुघली का योग				**44.08**	**43.88**	**1444.04**	पूर्ण
क्षेत्र पंचायत पस्तावल							

क्रम सं0	फेज	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लेपन की लम्बाई	व्यय धनराशि	स्थिति
1	2	UP 5305A	हरपुर नहर से बैरिया बैजौली लिंग रोड	0.93	0.93	16.95	पूर्ण
2	2	UP 5305A	हरपुर नहर से बैरिया मुस्कटिया	0.65	0.65	13.89	पूर्ण
3	5	UP 4725	बरियारपुर से जमुनिया	1.80	1.80	55.51	पूर्ण
4	6	UP 4740	जी0एम0 रोड से धरमौली नहर पटरी	10.60	**10.60**	418.29	पूर्ण
5	7	UP 4749	श्यामेदउरवां से हरपुर	6.00	5.40	237.62	पूर्ण
क्षेत्र पंचायत पस्तावल का योग				**19.98**	**19.38**	**742.26**	पूर्ण
क्षेत्र पंचायत पनियरा							
1	2	UP5302	मुजुरी से तेन्दुलहिया लिंक रोड	0.80	0.80	18.40	पूर्ण
2	2	UP 5305	मोईद्दीनपुर से मोईद्दीनपुर	0.75	0.75	14.82	पूर्ण
3	2	UP 5305B	सतकोटिया से औरहिया लिंक रोड	1.00	1.00	19.04	पूर्ण
4	3	UP 5310	सोहरौना नहर-पटरी से राजमन्दिर	1.50	1.50	40.84	पूर्ण
5	4	UP 5320	मिठौरा से चन्दनवाफी	1.10	1.10	20.37	पूर्ण
6	4	UP 5320	मौलागंज से कनैलिया	1.43	1.43	27.27	पूर्ण
7	5	UP 4723	पनियरा मुजुरी से जंगल बडहरा खास वाया हड़तोड़वा	1.25	1.25	36.17	पूर्ण
8	5	UP4730	पनियरा से चौरी मौलागंज	7.60	7.60	182.79	पूर्ण
9	6	UP 4734	बी0एम0सी0टी0 से धनखरी वाया कमासिन	6.30	6.30	222.68	पूर्ण
10	7	UP 4753	बी0एम0सी0टी0 से अकटहवा	14.70	**14.70**	614.86	पूर्ण
क्षेत्र पंचायत पनियरा का योग				**36.43**	**36.43**	**1197.24**	पूर्ण

नत्थी 'ग'

(अता0 प्र0सं0-54 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 55-56 पर)

संलग्नक

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	वर्ष 2010-11 में आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में व्यय कुल धनराशि (रु0 लाख में)
1	झंझरी	159.640	147.180	202.235
2	पण्डरी कृपाल	179.950	468.438	499.252
3	इटियाथोक	175.500	135.914	252.362
4	मुजेहना	50.000	0.000	51.055
5	रूपईडीह	119.000	91.250	203.078
6	हलधरमऊ	223.770	393.964	448.331
7	कटरा बाजार	199.250	436.187	459.000
8	कर्नलगंज	85.000	189.120	188.570
9	परसपुर	93.900	0.000	95.900
10	तरबगंज	125.000	0.000	108.304
11	नवाबगंज	84.440	20.000	78.808
12	वजीरगंज	129.500	104.940	136.933
13	बेलसर	160.050	140.450	258.695
14	बभनजोत	137.300	96.300	232.673
15	छपिया	140.000	0.000	141.150
16	मनकापुर	110.790	30.000	141.810
	योग :	**2173.090**	**2253.743**	**3498.156**

नत्थी 'घ'

(अतारांकित प्रश्न सं0-99 का उत्तर देखिए पिछले पृष्ठ 77 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2011 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्रीमती अरूणा तोमर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-99 के उत्तर का संलग्नक।

जनपद सोनभद्र में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में की गयी अनियमितता की राज्य गुणवत्ता मानीटर द्वारा की गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूची-

विभाग का नाम	अधिकारी के पद का नाम	कुल संख्या	निलम्बन के साथ अनुशासनिक कार्यवाही	अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित	विचाराधीन	अन्य
ग्राम्य विकास विभाग	खण्ड विकास अधिकारी	12	02	07	03	-
	सहायक विकास अधिकारी	02	02	-	-	-
	सहायक लेखाकार	02	02	-	-	-
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	अधीक्षण अभियन्ता	01	-	-	01	-
	अधिशासी अभियन्ता	02	-	-	02	-
	सहायक अभियन्ता	01	-	-	01	-
	अवर अभियन्ता	14	01	10	03	रु0 5948/-की वसूली एवं परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड
सिंचाई विभाग	अधिशासी अभियन्ता	02	01	-	01	-
लघु सिंचाई विभाग	अवर अभियन्ता	01	-	-	01	-
लोक निर्माण विभाग	अधिशासी अभियन्ता	01	-	-	01	-
सहकारिता विभाग	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	01	-	01	-	-

विभाग का नाम	अधिकारी के पद का नाम	कुल संख्या	निलम्बन के साथ अनुशासनिक कार्यवाही	अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित	विचाराधीन	अन्य
अर्थ एवं संख्या विभाग	सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी)	01	-	-	01	-
जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से की गयी कार्यवाही	ग्राम पंचायत अधिकारी	23	04	19	-	-
	ग्राम विकास अधिकारी	13	02	10	01	-
	ग्राम प्रधान	28	-	-	28	-
	तकनीकी सहायक	20	-	-	06	02 को पैनल से हटाया गया एवं 12 को कारण बताओं नोटिस जारी तथा 01 से रु0 20682/- की वसूली की गयी।

नत्थी 'ङ'

(अता0 प्र0सं0-136 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 93-94 पर)

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाइप लाइन पेयजल योजना का विवरण।

क्र0 सं0	योजना का नाम	तहसील/ब्लाक	सम्मिलित ग्राम जिसमें पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है	जलापूर्ति पूर्ण	आंशिक	दिसम्बर 2011 तक पूर्ण होने वाले ग्राम	जिला योजना से प्राप्ति के एक वर्ष लाभान्वित होने वाले ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कन्धई मधुपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	पट्टी/मंगरौरा	बोझी	पूर्ण		-	-
			कन्धई मधुपुर	पूर्ण		-	-
			गंगेहटी	पूर्ण		-	-
			साल्हीपुर	पूर्ण		-	-
2	रामगंज ग्राम समूह पेयजल योजना	पट्टी/आसपुर देवसरा	रामगंज	-	आंशिक	रामगंज	-
			मानापुर	-	आंशिक	मानापुर	-
			संग्रामगंज	-		-	संग्रामगंज
			बरछौली	-		-	बरछौली
			आलाबीरदीपुर	-	आंशिक	आलारदीपुर	-
			सुजान पट्टी	-	आंशिक	सुजान पट्टी	-
			नचरौली	-		-	नचरौली
3	मेहदिया ग्राम समूह पेयजल योजना	पट्टी/पट्टी	गोपालपुर	पूर्ण	-	-	-
			मेंहदिया	पूर्ण	-	-	-
			पूरे दुबे	पूर्ण	-	-	-
			बारी खुर्द	पूर्ण	-	-	-
			कुकुआर	-	-	-	कुकुवार
			अन्तपुर	पूर्ण	-	-	-
			पुरईपुर	-	आंशिक	पुरईपुर	-
			दुलापुर	-	आंशिक	दुलापुर	-
			उमरपुर	-	आंशिक	उमरपुर	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			पड़री मुस्तरका	पूर्ण	-	-	-
			सर्वजीतपुर	पूर्ण	-	-	-
			भैसोना	पूर्ण	-	-	-
4	नरहरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	पट्टी/मंगरौरा	पूरे चन्दी	पूर्ण	-	-	-
			औरंगाबाद	पूर्ण	-	-	-
			नरहरपुर	पूर्ण	-	-	-
			सतेवर	-	आंशिक	सतेवर	नहर क्रासिंग शेष
			पंचवटी	-	आंशिक	पंचवटी	नहर क्रासिंग शेष
			निमहा	-	आंशिक	निमहा	नहर क्रासिंग शेष
			शंकरपुर	-	आंशिक	शंकरपुर	नहर क्रासिंग शेष
			पूरे दयाल	पूर्ण	-	-	
			भांटी	-	आंशिक	भांटी	नहर क्रासिंग शेष
			पूरे रामदेव	पूर्ण	-	-	-
			पूरे चिरंजीव	पूर्ण	-	-	-
5	उडैयाडीह ग्राम समूह पेयजल योजना	रानीगंज/ बेलखरनाथ	ढडवा	पूर्ण	-	-	-
			महोखरी	पूर्ण	-	-	-
			उड़ैयाडीह	पूर्ण	-	-	-
			वंशी पट्टी	-	आंशिक	वंशी पट्टी	-
			जलालपुर	-	आंशिक	जलालपुर	-
			किथैला	-	-	किथैला	-
			वंशीडीह	-	आंशिक	वंशीडीह	-
			पूरे सुजात	-		-	पूरे सुजात
			सूडेमउ	-	आंशिक	सूडेमउ	-
			मदेवरी	-	आंशिक	मदेवरी	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			बोनई	-	आंशिक	बोनई	-
			सांगा पट्टी	-	-	-	सांगा पट्टी
			पूरे गुलाल	-	आंशिक	पूरे गुलाल	-
6	बेलखरनाथ ग्राम समूह पेयजल योजना	रानीगंज/ बेलखरनाथ	याहियापुर	पूर्ण	-	-	-
			सोनाही	पूर्ण	-	-	-
			खुझीकला	पूर्ण	-	-	-
			विविया करनपुर	-	-	-	विविया करनपुर
			रखहां	-	-	-	रखहां
			महददेपुर	-	-	-	महददेपुर
			गोलापुर	पूर्ण	-	-	-
			करनपुर खूझी	पूर्ण	-	-	-
			पूरे पंडित	पूर्ण	-	-	-
			गहरी चक	पूर्ण	-	-	-
			जगदीशगढ़	पूर्ण	-	-	-
7	गजरिया ग्राम समूह पेयजल योजना	रानीगंज/ बेलखरनाथ	शेषपुर अठगवां	-	आंशिक	शेषपुर अठगवां	-
			कांधरपुर	-	आंशिक	कांधरपुर	-
			मिश्ररौला	-	आंशिक	मिश्ररौला	-
			आशापुर	-	आंशिक	आशापुर	-
			गजरिया	पूर्ण	-	-	-
			मोलनापुर	-	आंशिक	मोलनापुर	-
			गोधू पट्टी	-	आंशिक	गोधू पट्टी	-
			बदरी	-	आंशिक	बदरी	-
			रसुलहा	-	आंशिक	रसुलहा	-
			दुबौली	-	आंशिक	दुबौली	-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना का विवरण।

क्रमांक	योजना का नाम	तहसील	सम्मिलित ग्राम	जलापूर्ति पूर्ण	आंशिक
1	2	3	4	5	6
1.	फेनहा	3 रानीगंज	फेनहा	पूर्ण	-
2.	बारीकला	5 पट्टी	बारीकला	पूर्ण	-
3.	सराय मधई	2 पट्टी	सराय मधई	पूर्ण	-
4.	हरीपुर वरदैता	5 पट्टी	हरीपुर वरदैता	पूर्ण	-
5.	रत्तीपुर	5 पट्टी	रत्तीपुर	पूर्ण	-
6.	विक्रमपट्टी	1 पट्टी	विक्रमपट्टी	पूर्ण	-
7.	पूरे बंशीपुर	4 पट्टी	पूरे बंशीपुर	पूर्ण	-
8.	रसूलपुर हैदरपुर	0 पट्टी	रसूलपुर हैदरपुर	पूर्ण	-
9.	नरायनपुर	6 पट्टी	नरायनपुर	पूर्ण	-
10.	दाउदपुर	5 पट्टी	दाउदपुर	पूर्ण	-
11.	अरैला	5 पट्टी	अरैला	पूर्ण	-
12.	प्यारेपुर	5 पट्टी	प्यारेपुर	पूर्ण	-
13.	गौसपुर	5 पट्टी	गौसपुर	पूर्ण	-
14.	बन्दुआडीह	5 पट्टी	बन्दुआडीह	पूर्ण	-
15.	बीगा	5 पट्टी	बीगा	पूर्ण	-
16.	पूरे पंडित	3 रानीगंज	पूरे पंडित	पूर्ण	-
17.	गहरीचक	3 रानीगंज	गहरीचक	पूर्ण	-
18.	लखनीपुर	5 पट्टी	लखनीपुर	पूर्ण	-
19.	गधियावां	5 पट्टी	गधियावां	पूर्ण	-

नत्थी 'च'

(अता0 प्र0सं0-161 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 103-104 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2011 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-161 के उत्तर का संलग्नक।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वित्तीय वर्षवार निम्नलिखित मार्ग चयनित किये गये हैं :-

वर्ष	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत (लाख में)	निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण
2001-02	पट्टी बन्धवा से होसियारपुर सम्पर्क मार्ग	1.50	30.86	पूर्ण
2001-02	उसका सम्पर्क मार्ग	1.50	3.21	पूर्ण
2002-03	दिवानगंज मंगरौरा से अमसौना सम्पर्क मार्ग	2.45	45.29	पूर्ण
2002-03	बेल्हा पट्टी ढकवा से खभोर मार्ग	2.00	35.47	पूर्ण
2003-04	छतौना से नरवारी सम्पर्क मार्ग	2.90	68.96	पूर्ण
2003-04	अमरगढ़ राजाबाजार से उमापुर सम्पर्क मार्ग	1.30	34.07	पूर्ण
2003-04	पट्टी बन्धवा से बेसार सम्पर्क मार्ग	1.85	44.00	पूर्ण
2003-04	धरौली मरघापुर कनाल से रामगढ़ा सम्पर्क मार्ग	0.58	12.29	पूर्ण
2003-04	पट्टी कोहडौर से वारीखुर्द सम्पर्क मार्ग	1.25	26.92	पूर्ण
2003-04	आमापुर से धनीपुर सम्पर्क मार्ग	1.45	31.81	पूर्ण
2003-04	अमरगढ़ तेलियानी नहर से चिलावा मार्ग	1.08	26.07	पूर्ण
2005-06	अकबरपुर-कादीपुर-चांदा-पट्टी से मरियमपुर	1.10	16.58	पूर्ण
2005-06	डी0आर0पी0के0 मार्ग से बसौली सम्पर्क मार्ग	1.35	19.55	पूर्ण
2005-06	बेल्हा-पट्टी-ढकवा से रामगंज से बरचौली मार्ग	1.35	21.53	पूर्ण

वर्ष	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत (लाख में)	निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण
2005-06	बेल्हा-पट्टी ढकवा से गौहानी सम्पर्क मार्ग	1.35	22.04	पूर्ण
2005-06	ढकवा हिम्मतपट्टी मार्ग से बनवीरपुर मार्ग	1.30	22.68	पूर्ण
2005-06	बेल्हा पट्टी ढकवा मार्ग से उमराडीह मार्ग	1.35	22.76	पूर्ण
2005-06	बेल्हा-पट्टी-ढकवा मार्ग से भीखमपुर मार्ग	1.25	19.81	पूर्ण
2005-06	कोहडौर-चौन्दौका से लौली का पुख्त मार्ग	1.15	16.74	पूर्ण
2005-06	डी0आर0पी0के0 मार्ग से इटहरा सम्पर्क मार्ग	2.95	37.42	पूर्ण
2005-06	डी0आर0पी0के0 मार्ग से नरायनपुर गंगेहटी से सरायसागर मार्ग	1.35	29.12	पूर्ण
2005-06	बेल्हा पट्टी ढकवा मार्ग से ढेढुआ सम्पर्क मार्ग	0.90	-	निरस्त
2006-07	डी0आर0पी0के0 से मिश्रौली सम्पर्क मार्ग	1.20	24.52	पूर्ण
2006-07	दिवानगंज-मंगरौरा से कम्पाहारी सम्पर्क मार्ग	0.65	16.92	पूर्ण
2006-07	डी0आर0पी0के0 से रघुरामपुर सम्पर्क मार्ग	0.85	18.38	पूर्ण
2006-07	रानीगंज-कोहडौरा से इसानपुर कंजरौटी मार्ग	1.60	31.15	पूर्ण
2006-07	एन0एच0-96 से छोलहा से परशुरामपुर मार्ग	1.10	15.38	पूर्ण
2006-07	एन0एच0-96 से कन्धारपुर से सूर्यगढ़ जगन्नाथ	0.70	13.77	पूर्ण
2006-07	पट्टी राजाबाजार मार्ग	10.25	162.98	पूर्ण
2006-07	दीवानगंज मंगरौरा मार्ग	9.00	146.62	पूर्ण
2006-07	कोहडौर चन्दौका मार्ग	9.50	159.83	पूर्ण

वर्ष	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत (लाख में)	निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण
2006-07	पट्टी से पटखौली मार्ग	19.00	299.61	पूर्ण
2006-07	ए0के0सी0पी0 से धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से लखनूडीह अहिरान	1.95	-	निरस्त
2006-07	ए0के0सी0पी0 से लबेदा ठकुरान	2.00	44.35	पूर्ण
2006-07	नरायनपुर मुजाही बजार से रानीपुर मार्ग	1.00	20.41	पूर्ण
2006-07	बी0पी0डी0 मार्ग से उदईशाहपुर मार्ग	1.15	19.38	पूर्ण
2006-07	बी0पी0डी0 मार्ग से पारा सम्पर्क मार्ग	3.00	57.84	पूर्ण
2007-08	पट्टी चांदा से दाउदपुर मार्ग	14.00	336.61	पूर्ण
2007-08	रखहा बाजार से कोहडौर मार्ग	15.00	297.63	पूर्ण
2007-08	हल्लूपुर सी0एम0एस0 से अमरी मार्ग	15.00	299.79	पूर्ण

नत्थी 'छ'

(अता0 प्र0सं0-169 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 107 पर)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या

विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या		योग
		ग्राम पंचायत द्वारा	क्षेत्र पंचायत द्वारा	
1	2	3	4	5
1	धरौली	82	0	82
2	धौरहरा	80	0	80
3	धनेपुर	51	0	51
4	घरहिया	104	0	104
5	ढाढर	91	0	91
6	इब्राहिमपुर	85	0	85
7	बीद	92	0	92
8	बाभनपुर	154	0	154
9	बेहटा	72	10	72
10	बैजलपुर	119	0	119
11	बनपुरवा	110	56	166
12	कबीरपुर	121	0	121
13	कादीपुर	69	0	69
14	कोटिया	84	0	84
15	कोपा	109	0	109
16	मढरामऊ	50	0	50
17	मझिगवां	77	0	77
18	महडौरा	50	54	104
19	महुली	88	0	88
20	मानापुर	99	0	99

1	2	3	4	5
21	बिझला	138	0	138
22	बिनैका	82	25	107
23	पिपरीमुतकरपुर	102	43	145
24	दियांवा	85	0	85
25	चिलांवा	61	47	61
26	हरिकापूरा	45	0	45
27	हरईपट्टी	122	0	122
28	भीखमपुर	70	0	70
29	भरोखन	86	0	86
30	भाटीखुर्द	137	25	162
31	भुसहर	128	0	128
32	भनईपुर	29	0	29
33	पीथापुर	102	0	102
34	परहत	53	0	53
35	पर्वतपुरसुलेमान	98	0	98
36	पूरा	81	0	81
37	पूरेवंशीधर	43	0	43
38	पूरेदलपतशाह	103	0	103
39	रमईपुरनेवादा	40	42	82
40	रमगढ़ा	69	0	69
41	रामपुरबवरिहा	94	0	94
42	रामगंज	51	0	51
43	रौजा	82	0	82
44	रसूलपुरहैदरपुर	45	0	45
45	रेडीगारापुर	103	0	103
46	संग्रामगंज	77	0	77
47	सपहाछात	154	0	154
48	सोनपुरा	31	40	71
49	सदहा	90	0	90
50	सेतापुर	77	0	77

1	2	3	4	5
51	सैलखा	81	0	81
52	उमरडीहा	131	0	131
53	डाही	137	0	137
54	उदईशाहपुर	61	0	61
55	डेढुआ	147	0	147
56	दमडी	80	16	96
57	दाउदपुर	49	46	95
58	दफरा	43	37	80
59	छतौना	33	0	33
60	देवरखा	90	0	90
61	तीबीपुर	60	0	60
62	तेलियानी	78	0	78
63	नचरौला	151	0	151
64	नगर	59	0	59
65	अकारीपुर	45	43	88
66	आमापुर	125	0	125
67	आसपुरदेवसरा	114	12	126
68	औराइन	169	0	169
69	अतरौरामीरपुर	90	0	90
70	गधियांवा	35	0	35
71	गहबरा	78	0	78
72	गौहानी	125	0	125
73	गौरामाफी	55	0	55
74	गोदलपट्टी	71	0	71
75	गोविन्दपुर	57	0	57
76	लबेदा	65	0	65
77	लाखीपुरकपसा	134	0	134
	योग :	**6628**	**496**	**7125**

विकास खण्ड-बेलखरनाथ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या		योग
		ग्राम पंचायत द्वारा	क्षेत्र पंचायत द्वारा	
1	2	3	4	5
1	अमरपुर	58	9	67
2	अमहरा	64	0	64
3	अमसौना	105	0	105
4	आसलपुर	65	0	65
5	वसीरपुर	99	10	109
6	बिबियाकरनपुर	86	0	86
7	चौपई	77	0	77
8	दिलीपपुर	64	0	64
9	धनगढ़ सराय छि0	27	0	27
10	दोहरी	66	0	66
11	दोनई	92	0	92
12	दूलापुर	63	0	63
13	फेनहा	61	0	61
14	गडौरीखुर्द	60	0	60
15	गहरीचक	61	0	61
16	गजरिया	69	0	69
17	गनईडीह	43	0	43
18	गांगपाटी	87	0	87
19	गोंई	70	0	70
20	गोपालपुर	44	0	44
21	गुतौली	54	0	54
22	होशियारपुर	60	0	60
23	ईशनपुर	66	0	66
24	जगदीशगढ़	84	0	84
25	जयसिंहगढ़	67	0	67

1	2	3	4	5
26	जोगीपुर	83	0	83
27	कांधरपुर	49	0	49
28	कांपामधुपुर	54	0	54
29	करनपुरखूझी	55	0	55
30	खभोर	70	0	70
31	खूझीकला	70	0	70
32	किठौली जलालपुर	73	10	83
33	कोठियाही	61	0	61
34	लौवार	79	0	79
35	महोखरी	56	0	56
36	मकरामनभौना	56	0	56
37	मरुआन	87	0	87
38	मीरनपुर	53	0	53
39	मोलनापुर	56	0	56
40	नरसिंहपुर	123	0	123
41	पड़री जवर	59	0	59
42	परानपुर	76	0	76
43	परमीपट्टी	124	0	124
44	पयागपुर औरिस्ता	119	0	119
45	पिपरी खालसा	15	15	30
46	प्रेमधर पट्टी	90	0	90
47	पूरेबेदुआ	73	0	73
48	पूरेपाण्डेय	35	0	35
49	राजापुर मुफरिद	119	0	119
50	रखहा	64	0	64
51	रामकोला	93	0	93
52	रसोइया	57	11	68
53	रसूलहा	40	0	40
54	रतनमई	87	0	87
55	सांगापट्टी	47	0	47

1	2	3	4	5
56	सरखेलपुर	78	0	78
57	शेखपुर अठगवा	56	0	56
58	शिवसत	56	0	56
59	सिगठी खालसा	126	0	126
60	सोनाही	102	0	102
61	श्रीनाथपुर	48	0	48
62	ताला	53	0	53
63	उडैयाडीह	39	0	39
64	बीरमऊ विशुनदत्त	27	0	27
65	यहियापुर	29	0	29
	योग :-	**4428**	**55**	**4483**

नत्थी 'ज'

(अता0प्र0सं0-184 का उत्तर देखिये पीछे पृष्ठ 115 पर)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 22/16-92-टी0 सी0

लखनऊ, दिनांक 08 दिसम्बर, 1995

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची–दो में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 22/16–92–का–2–1995, दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 को प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(4) प्रमुख सचिव,महामहिम श्री राज्यपाल जी, उ0प्र0।

(5) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उ0प्र0 शासन की सभी सम्बन्धित बोर्डों, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अधिनियम को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(6) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के अनुरोध सहित।

(7) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त सम्बन्धित सहकारी समितियों आदि में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।

(8) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान लागू कराने के अनुरोध सहित।

(9) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध–निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।

(10) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।

(11) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।

(12) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।

(13) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(14) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

(15) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।

(16) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।

(17) निबन्धक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।

(18) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

(19) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(20) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(21) सचिव, अधीनस्थ, सेवा चयन, आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(22) निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(23) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
डा0 जी0 पी0 वार्ष्णेय,
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या-757

रजिस्ट्रेशन नं0-एल0डब्लू/एन0/पी0 561
लाइसेन्स/नं0 डब्लू0पी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

mÙkj çns'kh; ljdkj }kjk çdkf'kr

vlk/kkj.k

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx&4] [k.M ([k)
(ifjfu;r vkns'k)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 सितम्बर, 1985
अग्रहायण 17, 1917 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 22/16-92-का-2-1995

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0–2525

रिट याचिका सं0 631/94 अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य में दिनांक 4 सितम्बर, 1995 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची-2 को निरस्त कर दिया है और यह निर्देश दिये हैं कि उ0 प्र0 राज्य में 1995–96 के शैक्षणिक सत्र में केन्द्र सरकार के मेमोरियल दिनांक 8 सितम्बर, 1993 में निर्धारित क्रीमिलेयर का अनुसरण किया जायेगा।

अतएव उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की धारा–13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–दो को निम्नवत् संशोधित करतें हैं और यह निर्देश देते हैं कि यह अनुसूची जो केन्द्र सरकार के मेमोरेण्डम दिनांक 8 सितम्बर, 1993 जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति में लागू हो सके, शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक सत्र 1995-96 के प्रवेश में भी लागू समझी जाएगी।

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची दो रख दी जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची–दो

[धारा–3(1) देखिये]

एक––संवैधानिक पद

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री––

(क) भारत के राष्ट्रपति,

(ख) भारत के उप राष्ट्रपति,

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,

(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा–परीक्षक,

(ङ) इसी प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।

दो––सेवा श्रेणी

(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क/श्रेणी एक अधिकारी

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री––

(क) जिनके माता/पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय,

(घ) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और ऐसी

मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ङ) जिनके माता पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाएं और दोनों की ऐसी, मृत्यु का अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से केवल पिता समूह ख/श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क/श्रेणी एक में आ जाय,

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पाँच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(घ) जिनके माता पिता में से पिता समूह क/श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख/श्रेणी दो की अधिकारी हों और माता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और

(ङ) जिनके माता पिता में से माता समूह क/श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के, पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूह ख/श्रेणी दो का अधिकारी हों और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

स्पष्टीकरण–इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद ''स्थायी अक्षमता का'' तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा के बाहर हो जाय।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी

ऊपर उप श्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा, संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों, इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

तीन––अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)

ऐसे माता पिता, जिनमें से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पर हो या नौ सेना, वायु सेना और अर्द्ध सैनिक बलों या उसके समकक्ष पदों पर हों, के पुत्र या पुत्री,

स्पष्टीकरण––इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा।

चार––व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति के श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड निम्न लिखित पर लागू होंगेः–

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता, वास्तुविद्, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और

(ख) धन्धे, व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति।

स्पष्टीकरण–– (एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

पांच––सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं उसकी पत्नी/पति और नाबालिंग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी, हो, के पुत्र या पुत्री :––

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनो– मिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, यहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

स्पष्टीकरण–पद ''कानूनी अधिकतम जोत सीमा'' और ''परिवर्तन फार्मूला'' का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जाएगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

(ख) पौधा रोपण

(एक) काफी, चाय, रबर आदि––

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम, निंबूवंश, सेब आदि––

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जाएगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन–

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण–इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

छः––आय या सम्पत्ति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री–

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य श्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप–श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

स्पष्टीकरण––इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है किः––

(एक) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जाएगा,

(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।

आज्ञा से,

कालिका प्रसाद,

सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 22/16-92-टी0 सी0-3 का-2-2008

लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना संख्या-22/16/92-टी0सी0-3, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की 02 सत्यापित प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में मुद्रित कराकर (मुख पत्र सहित) अधिसूचना की 5000 प्रतियां तत्काल कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

विनय कुमार श्रीवास्तव,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या-454(क-2)

रजिस्ट्रेशन नं0-एस0एस0पी0/एल-डब्लू/एन0पी0-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

mÙkj çns'kh; ljdkj }kjk çdkf'kr

vlk/kkj.k

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx&4] [k.M ([k)
(ifjfu;r vkns'k)

लखनऊ, सोमवार, 20 अक्टूबर, 2008
आश्विन 28, 1930 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या : 22/16/92 टी0सी0-III
लखनऊ, 20 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

प0आ0-719

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त

अधिनियम की अनुसूची दो में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संसोधन :-उक्त अनुसूची में मद छह में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।''

आज्ञा से,

कुंवर फतेह बहादुर,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 120 विधान सभा (221)-21-10-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।